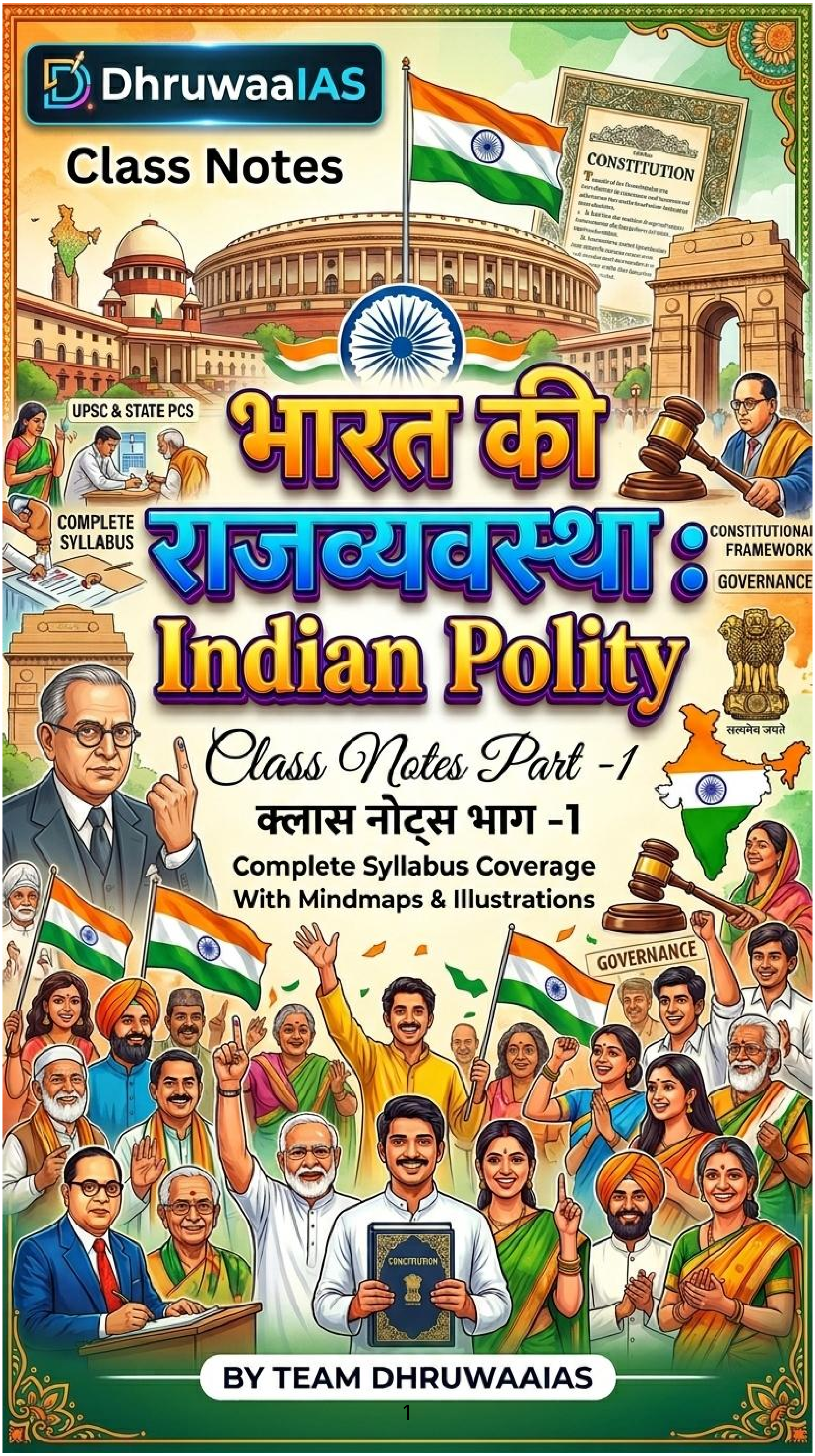

DhruwaaIAS
Class Notes
CONSTITUTION
UPSC & STATE PCS
COMPLETE SYLLABUS
CONSTITUTIONAL FRAMEWORK
GOVERNANCE
भारत की राजव्यवस्था :
Indian Polity
सत्यमेव जयते
Class Notes Part -1
क्लास नोट्स भाग -1
Complete Syllabus Coverage
With Mindmaps & Illustrations
GOVERNANCE
CONSTITUTION
BY TEAM DHRUWAAIAS

विषय सूची (Table of Contents)

Unit 3: संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका

Unit 4: राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका

Unit 5: न्यायपालिका (Judiciary)

Unit 6: स्थानीय स्वशासन एवं केंद्र शासित प्रदेश

Unit 7: संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies)

UNIT . 1 .1 (संविधान का निर्माण) - भाग 1

1. संदर्भ (Context) एवं पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान का निर्माण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह **राष्ट्रीय आंदोलन की दीर्घकालिक मांगों** और ऐतिहासिक विकास का परिणाम था। संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले विचार के रूप में उभरी और फिर एक संस्थागत वास्तविकता बनी। प्रिलिम्स के लिए क्रोनोलॉजी (Chronology) अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. संविधान सभा की मांग का क्रमिक विकास

1934: एम. एन. रॉय (M.N. Roy) द्वारा पहली बार विचार

↓

1935: INC (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) द्वारा आधिकारिक मांग

↓

1938: जे.एल. नेहरू की घोषणा (वयस्क मताधिकार पर आधारित)

↓

1940: अगस्त प्रस्ताव (August Offer) - सैद्धांतिक स्वीकृति

↓

1942: क्रिप्स प्रस्ताव (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्माण का वादा)

↓

1946: कैबिनेट मिशन योजना (व्यावहारिक रूप से गठन)

⚠️ **PRELIMS TRAP:**

क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के **बाद** संविधान सभा बनाने की बात कही थी, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह दो स्वायत्त राज्यों की मांग कर रही थी। अंततः **कैबिनेट मिशन योजना** के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ, न कि क्रिप्स या अगस्त प्रस्ताव के तहत।

3. संविधान सभा का गठन (Composition)

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में सभा का गठन हुआ। इसकी कुल सदस्य संख्या **389** निर्धारित की गई थी।

- **ब्रिटिश भारत (296 सीटें):** 292 गवर्नरों के प्रांतों से + 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान) से।
- **देशी रियासतें (93 सीटें):** इनके प्रमुखों द्वारा **नामांकित (Nominated)** किए जाने थे।

🧠 **MEMORY TRICK:**

4 Chief Commissioner Provinces याद रखने की ट्रिक: "ABCD" -> A (Ajmer-Merwara), B (Baluchistan), C (Coorg), D (Delhi).

चुनाव प्रणाली: ब्रिटिश भारत की सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए। चुनाव **अप्रत्यक्ष (Indirect)** रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुए।

पार्टी	जीती गई सीटें (296 में से)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	208 (पूर्ण बहुमत)
मुस्लिम लीग	73
छोटे समूह / निर्दलीय	15

⚠️ **PRELIMS TRAP:**

संविधान सभा **न तो पूर्णतः निर्वाचित (Fully Elected) थी और न ही पूर्णतः नामांकित (Fully Nominated)**। यह आंशिक रूप से निर्वाचित (ब्रिटिश भारत) और आंशिक रूप से नामांकित (रियासतें) निकाय थी। साथ ही, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) पर आधारित **नहीं** था (1935 के अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार था)।

🌐 **CURRENT DYNAMICS:**

हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन के समय 'सेंगोल' (Sengol) की चर्चा हुई, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। संविधान सभा की बैठकों के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया और संप्रभुता (Sovereignty) का मुद्दा प्रिलिम्स के लिए ज्वलंत है।

💡 **ब्रेनस्ट्रॉमिंग ज़ोन:** क्या होता यदि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह स्वीकार कर लेती? क्या भारत का संविधान अधिक विकेंद्रीकृत (Decentralized) होता? सोचें कि अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) प्रांतों के पास होतीं। यूपीएससी ऐसे विश्लेषणात्मक कथन (Assertion-Reason) पूछ सकता है। महात्मा गांधी और एम.ए. जिन्ना संविधान सभा के सदस्य **नहीं** थे। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने स्वास्थ्य/निजी कारणों से त्यागपत्र दे दिया था।

UNIT . 1 .1 (संविधान का निर्माण) - भाग 2

4. संविधान सभा की कार्यप्रणाली (Working)

संविधान सभा की पहली बैठक **9 दिसंबर 1946** को हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। इसलिए पहली बैठक में केवल **211 सदस्यों** ने हिस्सा लिया।

- **अस्थायी अध्यक्ष:** डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य)।
- **स्थायी अध्यक्ष:** डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित)।
- **उपाध्यक्ष:** सभा के **दो उपाध्यक्ष** थे - एच.सी. मुखर्जी (H.C. Mukherjee) और वी.टी. कृष्णामाचारी (V.T. Krishnamachari)।
- **संवैधानिक सलाहकार:** सर बी.एन. राव (B.N. Rau)।

⚠️ **PRELIMS TRAP:**

अक्सर छात्र सोचते हैं कि केवल एक उपाध्यक्ष था। ध्यान दें, वी.टी. कृष्णामाचारी भी उपाध्यक्ष थे। बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य **नहीं** थे, वे सलाहकार थे जिन्होंने पहला कच्चा ड्राफ्ट (Rough Draft) तैयार किया था।

5. उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। यह संविधान की वैचारिक नींव और दर्शन था।

मुख्य बिंदु:

1. भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य (Independent Sovereign Republic) होगा।
2. ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ (Union) बनेगा।
3. अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) इकाइयों (प्रांतों) के पास होंगी (नोट: बाद में संविधान निर्माण के दौरान इसे बदलकर केंद्र को दे दिया गया)।
4. सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी जाएगी।
5. अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा (Safeguards) होगी।

इस प्रस्ताव को **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यही प्रस्ताव परिवर्तित रूप में आज हमारी **'प्रस्तावना' (Preamble)** है।

6. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा परिवर्तन

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के बाद 1947 का अधिनियम पारित हुआ, जिससे सभा की स्थिति में 3 बड़े बदलाव आए:

1. सभा पूर्णतः संप्रभु (Sovereign) निकाय बन गई: अब यह ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को रद्द या बदल सकती थी।

2. सभा एक विधायिका (Legislative Body) भी बन गई: इसके दो कार्य हो गए - संविधान बनाना और देश के लिए आम कानून बनाना।

- संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- विधायिका (संसद) के रूप में अध्यक्षता: **जी.वी. मावलंकर (G.V. Mavalankar)**।

3. सदस्य संख्या में कमी: मुस्लिम लीग के सदस्यों (पाकिस्तान क्षेत्र) के हटने से कुल सदस्य संख्या 389 से गिरकर **299** रह गई (भारतीय प्रांत: 229, रियासतें: 70)।

🌐 **CURRENT DYNAMICS:**

हाल ही में 'इंडिया बनाम भारत' की बहस छिड़ी। संविधान सभा में भी अनुच्छेद 1 को लेकर 'India, that is Bharat' पर तीखी बहस हुई थी। एच.वी. कामथ ने संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इसे प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में याद रखें।

💡 **ब्रेनस्ट्रॉमिंग ज़ोन:** संविधान सभा ने अन्य कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? मई 1949 में राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान (Anthem) और राष्ट्रीय गीत (Song) को अपनाया, और डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। यह तिथियां क्रोनोलॉजी वाले प्रश्नों में सीधे पूछी जाती हैं।

UNIT . 1 .1 (संविधान की समितियां) - भाग 3

7. संविधान सभा की प्रमुख समितियां

संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए सभा ने कई समितियों की नियुक्ति की। इनमें से 8 बड़ी (Major) और अन्य छोटी (Minor) समितियां थीं। यूपीएससी अक्सर समिति और उसके अध्यक्ष का मिलान (Match the following) पूछता है।

प्रमुख समिति (Major Committee)	अध्यक्ष (Chairman)
संघ शक्ति समिति (Union Powers)	जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रारूप समिति (Drafting Committee)	डॉ. बी.आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रक्रिया नियम समिति (Rules of Procedure)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति (Steering Committee)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति (राज्यों से बातचीत के लिए)	जवाहरलाल नेहरू

🧠 **MEMORY TRICK:**

समितियां याद करने का सूत्र:

- जहां भी शब्द **"संघ" (Union) या "राज्य"** आए = **J.L. Nehru**
- जहां भी शब्द **"प्रांत" (Province) या "अधिकार/ अल्पसंख्यक"** आए = **Sardar Patel**
- जहां "नियम" (Rules) या "संचालन" (Steering) (सभा चलाने की बात) हो = अध्यक्ष **Dr. Rajendra Prasad.**

सलाहकार समिति की उप-समितियां (Sub-committees):

- मौलिक अधिकार उप-समिति: जे.बी. कृपलानी (J.B. Kripalani)
- अल्पसंख्यक उप-समिति: एच.सी. मुखर्जी (H.C. Mukherjee)

8. प्रारूप समिति (Drafting Committee)

संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसका गठन **29 अगस्त 1947** को हुआ था। इसका कार्य बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए मूल ड्राफ्ट पर विचार करके अंतिम ड्राफ्ट तैयार करना था। इसमें **7 सदस्य** थे।

Drafting Committee

1. Dr. B.R. Ambedkar (Chairman)
2. N. Gopalaswamy Ayyangar
3. Alladi Krishnaswamy Ayyar
4. Dr. K.M. Munshi (Only pure Congressi)
5. Syed Mohammad Saadullah (ML)
6. N. Madhava Rau (Replaced B.L. Mitter)
7. T.T. Krishnamachari (Replaced D.P. Khaitan)

⚠️ **PRELIMS TRAP:**

यूपीएससी ने पूछा है कि क्या अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे? **नहीं**, वे पहले बंगाल (मुस्लिम लीग की मदद से) से चुने गए, लेकिन विभाजन के बाद वह सीट पाकिस्तान चली गई। फिर उन्हें बॉम्बे प्रेसीडेंसी की पूना सीट से (एम.आर. जयकर के इस्तीफे के बाद) कांग्रेस के समर्थन से चुना गया।

💡 **ब्रेनस्ट्रॉमिंग ज़ोन:** क्या प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट पहली बार में ही पास करा लिया? नहीं! उन्होंने फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया। भारत के लोगों को चर्चा करने और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। जनता की टिप्पणियों के आधार पर दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में तैयार हुआ। यह दर्शाता है कि हमारा संविधान बंद कमरों में नहीं, बल्कि जन-विमर्श (Public Discourse) के साथ बना है।

UNIT . I .I (प्रभाव व प्रवर्तन) - भाग 4

9. संविधान का प्रभाव में आना (Enactment)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम ड्राफ्ट पेश किया (पहली रीडिंग)। इस पर व्यापक खंड-वार (Clause by clause) चर्चा हुई (दूसरी रीडिंग - 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949)। लगभग **7653 संशोधन** प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2473 पर सभा में वास्तव में चर्चा हुई।

तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई। अंततः **26 नवंबर 1949** को "संविधान को पारित (Pass) घोषित" किया गया। इस दिन सभा के उपस्थित 284 सदस्यों ने (कुल 299 में से) संविधान पर हस्ताक्षर किए।

26 नवंबर 1949 का महत्व:
प्रस्तावना (Preamble) में यही तिथि वर्णित है - "आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को **अंगीकृत (Adopt), अधिनियमित (Enact) और आत्मार्पित (Give to ourselves)** करते हैं।"

10. संविधान का प्रवर्तन (Enforcement)

यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से **26 जनवरी 1950** को लागू (Enforce) किया गया। 26 जनवरी को 'गणतंत्र दिवस' के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929) के प्रस्ताव के आधार पर **'पूर्ण स्वराज्य दिवस'** मनाया गया था।

⚠️ **PRELIMS TRAP:**
क्या पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? **नहीं!** कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गए थे। यह प्रिलिम्स का सबसे पसंदीदा फंसाने वाला तथ्य है।

26 नवंबर 1949 को लागू हुए अनुच्छेद (Articles):

- **नागरिकता (Citizenship):** Art 5, 6, 7, 8, 9
- **चुनाव (Elections):** Art 324 (चुनाव आयोग का तुरंत गठन जरूरी था)
- **तदर्थ संसद/राष्ट्रपति (Provisional Parliament):** Art 366, 367, 379, 380, 388
- **अस्थायी प्रावधान (Temporary Provisions):** Art 391, 392, 393

शेष पूरा संविधान (प्रस्तावना सहित) 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। *(नोट: प्रस्तावना पूरे संविधान के अधिनियमित होने के बाद लागू की गई थी ताकि वह संविधान के अनुरूप रहे।)*

11. कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति (Expert Committee)

संविधान सभा के चुनाव होने के बाद (लेकिन सभा की बैठक से पहले), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

- **अध्यक्ष:** जवाहरलाल नेहरू।
- **सदस्य:** आसफ अली, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, के.टी. शाह, डी.आर. गाडगिल आदि।
- **महत्व:** ग्रानविले ऑस्टिन (Granville Austin) के अनुसार, "यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ही थी जिसने भारत को संविधान बनाने के रास्ते पर स्थापित किया।"

💡 **ब्रेनस्ट्रॉमिंग ज़ोन:** यदि चुनाव 1951-52 में हुए, तो 1947 से 1952 तक देश किसने चलाया? संविधान सभा ने ही 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक **प्रभावी संसद (Provisional Parliament)** के रूप में कार्य किया। 1950 के बाद सभा भंग हो गई, लेकिन उसी निकाय ने 1952 के आम चुनावों तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा।

UNIT . 1 .1 (आलोचना एवं तथ्य) - भाग 5

12. संविधान सभा की आलोचना (Criticism)

मुख्य परीक्षा (Mains) के साथ-साथ प्रिलिम्स के कथन-आधारित प्रश्नों (Statement based) के लिए आलोचनाओं को समझना आवश्यक है:

1. **प्रतिनिधि निकाय नहीं (Not a Representative Body):** आलोचकों का तर्क है कि सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे। (लेकिन यह उस समय की परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं था)।
2. **संप्रभु निकाय नहीं (Not a Sovereign Body):** यह ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव (कैबिनेट मिशन) द्वारा बनाई गई थी। (हालांकि 1947 के अधिनियम ने इसे पूरी तरह संप्रभु बना दिया था)।
3. **समय की बर्बादी (Time Consuming):** इसने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लिए। नज़ीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को व्यंग्य में "अपवहन समिति (Drifting Committee)" कहा था।
4. **कांग्रेस का प्रभुत्व:** ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा- "संविधान सभा एक-दलीय देश में एक-दलीय निकाय थी। सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था।"
5. **वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व:** सर आइवर जेनिंग्स ने इसे **"वकीलों का स्वर्ग (Lawyer's Paradise)"** कहा, जिसके कारण संविधान की भाषा जटिल हो गई।
6. **हिंदुओं का प्रभुत्व:** विस्काउंट साइमन ने इसे "हिंदुओं का निकाय" कहा, और विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि इसने "भारत के केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।"

⚠️ **PRELIMS TRAP:**

यूपीएससी सीधे उद्धरण (Quotes) देकर पूछ सकता है कि यह किसने कहा था। "वकीलों का स्वर्ग" (Sir Ivor Jennings) और "कांग्रेस ही भारत था" (Granville Austin) रट लें।

13. संविधान निर्माण के आवश्यक तथ्य (Important Facts)

प्रिलिम्स में अक्सर वन-लाइनर तथ्य (Facts) सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं:

तथ्य (Fact)	विवरण (Description)
प्रतीक (Symbol/Seal)	**हाथी (Elephant)** को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया।
संविधान के सुलेखक (Calligrapher)	प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (इटैलिक शैली में हस्तलिखित)।
सौंदर्यीकरण और सजावट	शांतिनिकेतन के कलाकार: नंदलाल बोस (Nandalal Bose) और राममनोहर सिन्हा।
प्रस्तावना का सजावट	राममनोहर सिन्हा (बी.एन. रायजादा द्वारा लिखित)।
हिंदी संस्करण के सुलेखक	वसंत कृष्ण वैद्य (सजावट: नंदलाल बोस)।
मुख्य प्रारूपकार (Chief Draftsman)	एस. एन. मुखर्जी (S.N. Mukherjee)।

🌐 **CURRENT DYNAMICS:**

Constitution Day (संविधान दिवस): 2015 (बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती) से भारत सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रही है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करना है। पहले इसे 'राष्ट्रीय विधि दिवस' कहा जाता था।

💡 **कुल समय और खर्च:** संविधान निर्माण में ठीक **2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन** लगे। सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। कुल 11 सत्र (Sessions) हुए और कुल खर्च लगभग ₹64 लाख आया। क्या आपको पता है कि संविधान सभा में **15 महिला सदस्य** भी थीं? (जैसे- सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर)। महिलाओं का योगदान UPSC का हॉट टॉपिक है।

राष्ट्रपति (THE PRESIDENT) - भाग 6

14. संविधान सभा से कार्यपालिका की ओर संक्रमण

संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान के **भाग V (अनुच्छेद 52 से 78)** में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी (Attorney General) शामिल होते हैं।

अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह राज्य का प्रमुख (Head of the State) है और भारत का प्रथम नागरिक है।

अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों (मंत्रिपरिषद) के माध्यम से करेगा।

15. राष्ट्रपति का चुनाव (निर्वाचक मंडल - Art 54)

राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि एक **निर्वाचक मंडल (Electoral College)** के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह सबसे अधिक भ्रमित करने वाला क्षेत्र है।

> 🧠 **MEMORY TRICK:**
> **Trick: केवल निर्वाचित (Only Elected)!** राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत (Nominated) सदस्य भाग नहीं लेता।

कौन वोट डालता है (Who Votes):

- संसद के दोनों सदनों (LS & RS) के **केवल निर्वाचित** सदस्य।
- राज्यों की विधानसभाओं (Legislative Assemblies) के **केवल निर्वाचित** सदस्य।
- दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के **निर्वाचित** सदस्य (70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया)। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद स्थिति पर ध्यान दें।

> ⚠️ **PRELIMS TRAP:**
> **कौन वोट नहीं डालता:**
> 1. संसद के मनोनीत सदस्य (RS के 12)।
> 2. राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य।
> 3. राज्य विधान परिषदों (Legislative Councils) के **सभी** सदस्य (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत)।
> 4. दिल्ली/पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य।

16. चुनाव का तरीका (Manner of Election - Art 55)

चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)** के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त (Secret Ballot) होता है।

मूल्य निर्धारण (Value of Vote): समरूपता बनाए रखने के लिए एक विधायक (MLA) और एक सांसद (MP) के वोट का मूल्य अलग-अलग निकाला जाता है।

- **1 MLA के वोट का मूल्य** = (राज्य की कुल जनसंख्या) / (राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य) × 1/1000
- **1 MP के वोट का मूल्य** = (सभी राज्यों के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य) / (संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या)

> 🌐 **CURRENT DYNAMICS:**
> हालिया राष्ट्रपति चुनावों (द्रौपदी मुर्मू जी) के समय 1971 की जनगणना का उपयोग जनसंख्या के आंकड़ों के लिए किया गया था। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 ने 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक 1971 के आंकड़ों को ही फ्रीज़ कर दिया है।

> 💡 **विवादों का निपटारा:** अनुच्छेद 71 के तहत, राष्ट्रपति (और उपराष्ट्रपति) के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय **केवल सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)** द्वारा किया जाता है, और उसका निर्णय अंतिम होता है। चुनाव आयोग नहीं!

राष्ट्रपति (महाभियोग व शक्तियां) - भाग 7

17. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment - Art 61)

राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है: **"संविधान का उल्लंघन" (Violation of the Constitution)**। हालांकि, संविधान इस शब्द को परिभाषित नहीं करता है। यह एक **अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया (Quasi-judicial process)** है।

प्रक्रिया:

1. **शुरुआत:** संसद के **किसी भी सदन** (LS या RS) में।
2. **शर्त:** आरोप पत्र पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए।
3. **पारित होना (पहला सदन):** उस सदन की **कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत** (Special Majority) से।
4. **जांच (दूसरा सदन):** दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना बचाव करने का अधिकार है।
5. **अंतिम निष्कासन:** यदि दूसरा सदन भी **कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत** से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हट जाता है।

⚠️ **PRELIMS TRAP:**

महाभियोग में कौन भाग लेता है (Election vs Impeachment Trap):

1. संसद के **मनोनीत (Nominated)** सदस्य जिन्होंने चुनाव में भाग **नहीं** लिया था, वे महाभियोग में भाग **लेते हैं**।
2. राज्य विधानसभाओं और दिल्ली/पुडुचेरी के **निर्वाचित विधायक** जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था, वे महाभियोग में भाग **नहीं लेते हैं**।

18. राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां (एक दृष्टि में)

President's Powers

- **Executive:** Appoints PM, CAG, CEC, Governors.
- **Legislative:** Summons parliament, Promulgates Ordinances (Art 123).
- **Financial:** Money bill requires prior recommendation.
- **Judicial:** Appoints CJI, Judges. Pardon powers (Art 72).
- **Military:** Supreme Commander of Armed Forces.
- **Veto:** Absolute, Suspensive, Pocket Veto (Art 111).

19. वीटो पावर (Veto Power) और प्रिलिम्स ट्रैप्स

वीटो का प्रकार	परिभाषा एवं प्रयोग
आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)	विधेयक पर सहमति रोकना। (निजी सदस्यों के बिल या जब कैबिनेट इस्तीफा दे दे तब प्रयुक्त)।
निलंबनकारी वीटो (Suspensive)	पुनर्विचार के लिए लौटाना। **Trap:** यदि संसद इसे साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर दे, तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक (Money Bill) पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता।
पॉकेट वीटो (Pocket Veto)	विधेयक पर कोई कार्रवाई न करना (न सहमति, न अस्वीकृति, न लौटाना)। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर बिल (1986) पर किया था। संविधान राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा (Time limit) तय नहीं करता।

1. संविधान की अवधारणा (Concept of Constitution)

सदर्भ (Context): किसी भी राष्ट्र के सुचारु संचालन के लिए नियमों का एक सर्वोच्च समुच्चय आवश्यक है। संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक **जीवंत राजनीतिक-सामाजिक उपकरण** है जो राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

संविधान के प्रमुख कार्य (Functions):

- **समन्वय और विश्वास:** समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बुनियादी नियमों का समूह प्रदान करना।
- **निर्णय लेने की शक्ति:** यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी (जैसे- संसद)।
- **सरकार पर सीमाएं:** सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर **सीमाएं लगाना (मूल अधिकार)**।
- **आकांक्षाओं की पूर्ति:** एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सरकार को सक्षम बनाना (DPSP)।

🚨 **Prelims Trap (फंसने वाले शब्द):** UPSC प्रश्न पूछेगा- "संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है?"
गलत विकल्प: न्यायपालिका को मजबूत करना, या कल्याणकारी राज्य बनाना।
सही उत्तर: "**सरकार की शक्तियों को सीमित करना**" **(Limitation on Government Powers)।**

2. संवैधानिकता (Constitutionalism) vs संविधान

यह UPSC का सबसे पसंदीदा विषय है। **स संवैधानिकता का अर्थ है "सीमित सरकार" (Limited Government)।**

संविधान (Constitution)	संवैधानिकता (Constitutionalism)
लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह।	एक विचारधारा जो तानाशाही को रोकती है।
एक तानाशाह देश में भी संविधान हो सकता है (जैसे उत्तर कोरिया)।	जहाँ संवैधानिकता है, वहाँ **निरंकुश सत्ता नहीं** हो सकती।
उपकरण है।	लक्ष्य/सिद्धांत है (Rule of Law, Separation of Powers)।

संवैधानिकता के तत्व → **मूल अधिकार** → **स्वतंत्र न्यायपालिका** → **शक्ति पृथक्करण**

3. संवैधानिक सरकार (Constitutional Government)

यह वह सरकार है जो **संविधान की शर्तों के अनुसार संचालित होती है**। भारत में संवैधानिक सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कार्यपालिका (राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद) अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका (संसद) और अंततः संविधान के प्रति उत्तरदायी है।

🧠 **Brainstorming:** क्या भारत का 'राष्ट्रपति' संवैधानिक सरकार का प्रतीक है? हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति (Article 53) यद्यपि कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वह Article 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए 'बाध्य' है, जो मनमानी शक्ति पर रोक (संवैधानिकता) का सटीक उदाहरण है।

संविधान का वर्गीकरण (Classification)

1. उत्पत्ति के आधार पर: विकसित (Evolved - UK) vs निर्मित (Enacted - India, USA)।
2. संशोधन के आधार पर: कठोर (Rigid - USA) vs लचीला (Flexible - UK)। भारत इन दोनों का **अद्भुत सम्मिश्रण (Synthesis)** है (अनुच्छेद 368)।

लिखित (Written) vs अलिखित (Unwritten) संविधान

आधार (Parameter)	लिखित संविधान (USA, India)	अलिखित संविधान (UK, New Zealand)
प्रकृति	एकल, संहिताबद्ध (Codified) दस्तावेज़।	असंहिताबद्ध, परंपराओं, कानूनों, चार्टर्स का बिखरा रूप।
सर्वोच्चता (Supremacy)	**संविधान सर्वोच्च होता है** (Constitution is supreme)।	**संसद सर्वोच्च होती है** (Parliament is supreme)।
न्यायपालिका की स्थिति	व्यापक न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव।	न्यायिक समीक्षा सीमित (संसदीय कानून अंतिम)।
अस्तित्व	संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में निर्मित।	ऐतिहासिक विकास का परिणाम (निरंतर विकसित)।

💡 **Memory Trick:** अलिखित संविधान वाले देश याद रखें - "**UK, New (New Zealand) IS (Israel) Unwritten**"

Unit 1.3: संविधान का निर्माण (Making of the Constitution)

ऐतिहासिक विकास (Current Dynamic Approach): संविधान कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक संवैधानिक विकास हुआ।

1934: M.N. Roy द्वारा पहली बार संविधान सभा का विचार (Communist approach)

↓

1935: INC द्वारा आधिकारिक मांग / 1938: नेहरू द्वारा 'वयस्क मताधिकार' की मांग

↓

1940: अगस्त प्रस्ताव (August Offer) - सैद्धांतिक रूप से मांग स्वीकार

↓

1942: क्रिप्स मिशन - 'अस्वीकार' (मुस्लिम लीग द्वारा 2 सभाओं की मांग)

↓

1946: कैबिनेट मिशन योजना - इसी के तहत 'संविधान सभा' का गठन हुआ।

🚨 **Prelims Trap:** UPSC पूछेगा "संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के तहत हुआ।"
सत्य क्या है: **कैबिनेट मिशन प्लान (1946)** के तहत।

संविधान सभा का गठन (Composition) - गहन विश्लेषण

कुल सदस्य: 389 (296 ब्रिटिश भारत + 93 रियासतें)। चुनाव **अप्रत्यक्ष (Indirect)** रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा (एकल संक्रमणीय मत)। रियासतों के प्रतिनिधि **मनोनीत (Nominated)** किए गए थे।

- **निष्कर्ष:** संविधान सभा **आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत (Partly elected & partly nominated)** निकाय थी।
- गांधीजी और जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य **नहीं** थे।

🧠 **Current Affairs Link:** हाल ही में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106th CAA)" पारित हुआ। याद रखें, मूल संविधान सभा में **कुल 15 महिला सदस्य** थीं, जिनमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं।

संविधान सभा की कार्यप्रणाली (Working of CA)

पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 (मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया)।

- **अस्थायी अध्यक्ष:** डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार सबसे वरिष्ठ)।
- **स्थायी अध्यक्ष:** डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर)।
- **उपाध्यक्ष:** H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी (**संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे** - UPSC Trap)।
- **संवैधानिक सलाहकार:** सर B.N. Rau (इन्होंने म्यांमार का संविधान भी ड्राफ्ट किया था)।

उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution)

13 दिसंबर 1946 को **जवाहरलाल नेहरू** द्वारा प्रस्तुत। यह संविधान का दर्शन था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित। यही आगे चलकर **'प्रस्तावना' (Preamble)** का आधार बना।

संविधान सभा की प्रमुख समितियां (Major Committees)

संविधान निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियां थीं। UPSC अक्सर अध्यक्षों का मिलान (Match the following) करवाता है:

समिति का नाम	अध्यक्ष (Chairman)
संघ शक्ति समिति / संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू (संघ शब्द आते ही नेहरू टिक करें)
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति	सरदार पटेल (इसकी 5 उप-समितियां थीं)
प्रारूप समिति (Drafting Committee)	डॉ. बी. आर. अंबेडकर
संचालन समिति (Steering Committee)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद

💡 **Trick (मूल अधिकार उप-समितियां):**
मूल अधिकार उप-समिति -> J.B. कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति -> H.C. मुखर्जी

प्रारूप समिति (Drafting Committee) - 29 अगस्त 1947

सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसमें 7 सदस्य थे। इसका कार्य B.N. Rau द्वारा तैयार किए गए मूल ड्राफ्ट पर विचार करना था।

डॉ. B.R. अंबेडकर (अध्यक्ष) ➕ **गोपालस्वामी आयंगर** ➕ **अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर** ➕ **डॉ. K.M. मुंशी (कांग्रेसी)** **N. माधव राव (B.L. मित्तर की जगह)** **T.T. कृष्णामचारी (D.P. खेतान की मृत्यु के बाद)** **सैयद मोहम्मद सादुल्ला**

🚨 **Prelims Trap:** याद रखें, B.N. Rau संवैधानिक सलाहकार थे, प्रारूप समिति के सदस्य **नहीं** थे। T.T. कृष्णामचारी ड्राफ्टिंग में थे, जबकि V.T. कृष्णामचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे।

संविधान का प्रवर्तन (Enactment & Enforcement)

संविधान को **26 नवंबर 1949** को अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा गया (Adopted, Enacted & Gave to ourselves)। इस दिन प्रस्तावना, और 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं।

- **आंशिक लागू (26 Nov 1949):** नागरिकता (Art 5-9), चुनाव (Art 324), अस्थायी संसद (Art 379), और कुछ आपातकालीन प्रावधान तुरंत लागू हो गए।
- **पूर्ण लागू (26 Jan 1950):** इसे 'संविधान के प्रारंभ का दिन' (Republic Day) कहा जाता है। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 1930 में इसी दिन INC ने लाहौर अधिवेशन (1929) के प्रस्ताव के बाद 'पूर्ण स्वराज्य दिवस' मनाया था।

🧠 ***राष्ट्रपति का चुनाव (Presidential connection):*** *डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 (संविधान सभा की अंतिम बैठक) को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी अपनाए गए।*

Unit 1.3: संविधान की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features)

भारतीय संविधान विश्व का एक अनूठा दस्तावेज़ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. सबसे लंबा लिखित संविधान (Longest Written Constitution)

मूल रूप में (1949): प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में) और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में यह 470+ अनुच्छेद (25 भागों में) और 12 अनुसूचियों तक विस्तृत हो गया है।

विशालता के कारण (Reasons for elephantine size):
1. भौगोलिक कारक: देश की विशालता और विविधता।
2. ऐतिहासिक कारक: 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव (जो स्वयं बहुत बड़ा था)।
3. केंद्र और राज्यों के लिए **एकल संविधान** (Single Constitution)।
4. संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व (Lawyers' Paradise)।

2. विभिन्न स्रोतों से विहित (Drawn from various sources)

डॉ. अंबेडकर ने गर्व से कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण 'विश्व के ज्ञात संविधानों को छानने' (Ransacking) के बाद किया गया है। इसका संरचनात्मक हिस्सा 1935 के अधिनियम से, दार्शनिक हिस्सा (FRs, DPSP) क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से, तथा राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है।

देश/स्रोत	उधार ली गई विशेषताएं (UPSC Favorites)
Govt. of India Act 1935	संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन प्रावधान।
ब्रिटेन (UK)	संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, **परमाधिकार लेख (Prerogative Writs)**, द्विसदनवाद।
अमेरिका (USA)	मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, **राष्ट्रपति पर महाभियोग**, उपराष्ट्रपति का पद।
आयरलैंड	DPSP (राज्य के नीति निदेशक तत्व), **राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति**, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन।

स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण (Continued)

देश/स्रोत	उधार ली गई विशेषताएं (UPSC Favorites)
कनाडा (Canada)	सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, **केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति**, SC का परामर्शी न्यायनिर्णयन (Art 143)।
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची (Concurrent List), व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, **संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Art 108)**।
जर्मनी (Weimar)	**आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन** (Suspension of FRs during Emergency)।
सोवियत संघ (USSR)	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties), प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श।
फ्रांस	गणतंत्र (Republic), प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श।
दक्षिण अफ्रीका	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (Art 368), राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव।
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by Law)।

🚨 **Prelims Trap:** UPSC भ्रमित करेगा- "समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है।"
सत्य: यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 1935 के एक्ट में 3 सूचियां थीं, लेकिन 'समवर्ती' की वर्तमान अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई है। इसी तरह "आपातकाल के प्रावधान" 1935 के एक्ट से हैं, लेकिन "आपातकाल में FRs का निलंबन" जर्मनी से है।

3. नम्यता और अनम्यता का समन्वय (Blend of Rigidity and Flexibility)

अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संशोधन हैं:

1. **विशेष बहुमत (Rigid):** संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत + कुल सदस्यता का 50% से अधिक।
2. **विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन (Very Rigid):** संघीय ढांचे को बदलने के लिए (जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, GST)।
3. *कुछ प्रावधान साधारण बहुमत (Flexible) से बदले जाते हैं (जैसे नए राज्यों का निर्माण Art 3), इन्हें Art 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।

4. एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था (Federal System with Unitary Bias)

संविधान में कहीं भी 'संघ' (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) वर्णित करता है।

संघीय लक्षण (Federal Features):
- दो सरकारें (Dual Polity)
- शक्तियों का विभाजन (Schedule 7)
- लिखित एवं सर्वोच्च संविधान
- कठोर संविधान
- स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनवाद

एकात्मक लक्षण (Unitary Features):
- सशक्त केंद्र (Strong Centre)
- एकल संविधान, एकल नागरिकता
- संविधान का लचीलापन
- एकीकृत न्यायपालिका
- अखिल भारतीय सेवाएं (IAS, IPS)
- राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान

K.C. Wheare → Quasi-Federal (अर्ध-संघीय)
Morris Jones → Bargaining Federalism
Granville Austin → Co-operative Federalism

5. सरकार का संसदीय रूप (Parliamentary Form of Government)

इसे वेस्टमिंस्टर (Westminster), उत्तरदायी सरकार (Responsible Govt.) या कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। यह **विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग** के सिद्धांत पर आधारित है (अध्यक्षीय प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर आधारित है)।

👑 **राष्ट्रपति की स्थिति (Position of the President):** संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो प्रकार के प्रमुख होते हैं।
1. **नामात्र (Nominal/De jure) प्रमुख: राष्ट्रपति** (President of India)। राज्य का प्रमुख (Head of State)।
2. **वास्तविक (Real/De facto) प्रमुख:** प्रधानमंत्री (PM)। सरकार का प्रमुख (Head of Government)।

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है - यही संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है।

- **भारतीय vs ब्रिटिश संसदीय प्रणाली:** भारत में 'गणतंत्र' (Republic) है अर्थात् **राष्ट्रपति निर्वाचित** होता है, जबकि ब्रिटेन में राजशाही (Monarchy) है (उत्तराधिकारी राजा/रानी)। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है (संविधान सर्वोच्च है), जबकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है।

6. संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय

ब्रिटिश संसद संप्रभु है, और अमेरिकी न्यायपालिका सर्वोच्च है (Due Process of Law के कारण)। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग अपनाया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** की शक्ति से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और संसद अपनी संवैधानिक शक्ति (Art 368) के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है।

7. एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका (Integrated & Independent Judiciary)

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) - शीर्ष पर (नागरिकों के FRs का गारंटर और संविधान का संरक्षक)

↓

उच्च न्यायालय (High Courts) - राज्य स्तर पर

↓

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) - जिला न्यायालय आदि

अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। लेकिन भारत में एक ही अदालत प्रणाली दोनों कानूनों को लागू करती है।

8. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights - Part III, Art 12-35)

यह राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं। ये असीमित (Absolute) नहीं हैं, इन पर उचित प्रतिबंध (Reasonable restrictions) लगाए जा सकते हैं। ये **न्यायोचित (Justiciable)** हैं - उल्लंघन पर सीधे SC (Art 32) या HC (Art 226) जा सकते हैं।

9. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP - Part IV, Art 36-51)

डॉ. अंबेडकर ने इन्हें संविधान की 'अनूठी विशेषता' (Novel Feature) कहा। इनका उद्देश्य भारत में **'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State)** स्थापित करना है और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ये गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं।
मिनर्वा मिल्स मामला (1980): SC ने कहा कि भारतीय संविधान FRs और DPSP के बीच संतुलन (Bedrock of balance) पर स्थापित है।

10. धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State)

संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में खड़ा करता है। शब्द 'धर्मनिरपेक्ष' **42वें संशोधन (1976)** द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। **पश्चिमी अवधारणा** धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव (Negative concept) पर आधारित है। **भारतीय अवधारणा** 'सर्व धर्म समभाव' (Positive concept) पर आधारित है, जहां राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान और समान समर्थन देता है (Art 25-28)।

11. आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions - Part XVIII)

राष्ट्रपति के पास देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए असाधारण शक्तियां हैं:

- **राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352):** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion) के आधार पर।
- **राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन (Art 356 & 365):** राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर।
- **वित्तीय आपातकाल (Art 360):** भारत की वित्तीय स्थिरता के खतरे पर (आज तक कभी नहीं लगा)।

आपातकाल के दौरान, भारत की संघीय संरचना बिना किसी औपचारिक संशोधन के पूरी तरह से **एकात्मक (Unitary)** में बदल जाती है।

12. त्रि-स्तरीय सरकार (Three-tier Government)

मूल रूप से संविधान में दो-स्तरीय (केंद्र और राज्य) व्यवस्था थी। **73वें और 74वें संशोधन अधिनियम (1992)** ने ग्रामीण (Panchayats - Part IX, Sch 11) और शहरी (Municipalities - Part IX-A, Sch 12) स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया, जो दुनिया के किसी अन्य संविधान में नहीं है।

संविधान की आलोचना (Criticism of the Constitution)

यद्यपि यह एक उत्कृष्ट दस्तावेज़ है, फिर भी आलोचकों ने निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की है:

1. **उधार का थैला (A Borrowed Constitution):** कहा गया कि इसमें कुछ भी नया या मौलिक नहीं है। (उत्तर: अंबेडकर ने कहा हमने इसे भारत की जरूरतों के अनुसार ढाला है)।
2. **1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी:** एन. श्रीनिवासन और आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भाषा और सार दोनों 1935 के एक्ट से मेल खाते हैं।
3. **अ-भारतीय (Un-Indian):** इसमें भारत की प्राचीन राजनैतिक परंपराओं (ग्राम पंचायतों) का प्रारंभिक रूप में अभाव था (गांधीवादी आलोचक)।
4. **गांधीवाद से दूर:** के. हनुमंथैया ने कहा, "हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहां एक अंग्रेजी बैंड बज रहा है।"
5. **वकीलों का स्वर्ग (Lawyers' Paradise):** अत्यधिक कानूनी और जटिल भाषा, जो आम आदमी की समझ से परे है (सर आइवर जेनिंग्स)।

🧠 **Current Dynamics & Mains Link:**
हाल ही में 'इंडिया' बनाम 'भारत' (Article 1) की बहस ने संविधान की मूल भावना को चर्चा में ला दिया है। इसके अतिरिक्त, 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine - Kesavananda Bharati Case, 1973) 50 वर्ष पूरे कर चुका है। यह सिद्धांत संविधान की **संवैधानिकता (Constitutionalism)** को बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है, जो संसद को संविधान का पुनर्लेखन करने से रोकता है। उपराष्ट्रपति द्वारा मूल ढांचे पर हालिया टिप्पणियों ने इस विषय को प्रेलिम्स के लिए अति-महत्वपूर्ण बना दिया है।

1. विषय का संदर्भ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Context)

संविधान की प्रस्तावना (Preamble) भारतीय संविधान का **परिचय या भूमिका** है। यह संविधान के **दर्शन, आदर्शों, और उद्देश्यों** का सार प्रस्तुत करती है। प्रसिद्ध न्यायविद **एन.ए. पालकीवाला** ने इसे **"संविधान का परिचय पत्र (Identity Card of the Constitution)"** कहा है। प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में अपनाया गया था, जिसके बाद भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा को अपनाया।

🧠 ***Brainstorming:*** भारतीय प्रस्तावना का सीधा संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए **'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution)** से है। यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है (बेरुबारी यूनियन केस 1960)।

13 दिसंबर 1946 — **पं. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश** ➡ **22 जनवरी 1947** — **संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित** ➡ **26 नवंबर 1949** — **संविधान के साथ प्रस्तावना अंगीकृत**

2. भारत के संविधान की उद्देशिका (मूल पाठ का विच्छेदन)

"**हम, भारत के लोग**, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की **गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता** सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज **तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी)** को एतद्‌द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

🚨 **PRELIMS TRAP:** UPSC अक्सर पूछता है कि प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है: **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न → समाजवादी → पंथनिरपेक्ष → लोकतंत्रात्मक → गणराज्य**। इसे भूलें नहीं! एक और ट्रैप: प्रस्तावना भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है, न कि संसद या राष्ट्रपति से। "हम भारत के लोग" यह सिद्ध करता है कि संप्रभुता जनता में निहित है।

3. प्रस्तावना के चार मूल तत्व (Ingredients of Preamble)

1. **संविधान के अधिकार का स्रोत (Source of Authority):** प्रस्तावना यह घोषित करती है कि संविधान अपनी शक्ति 'भारत के लोगों' (People of India) से प्राप्त करता है।
2. **भारतीय राज्य की प्रकृति (Nature of Indian State):** यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष), लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश घोषित करती है।
3. **संविधान के उद्देश्य (Objectives):** न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (Fraternity) को संविधान के मुख्य उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है।
4. **संविधान लागू होने की तिथि (Date of Adoption):** यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया (यद्यपि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ)।

💡 **याद करने की ट्रिक (Mnemonic): राज्य की प्रकृति याद रखने की ट्रिक:** "S3 DR" → Sovereign (संप्रभु), Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), Democratic (लोकतांत्रिक), Republic (गणराज्य)।

समसामयिक मुद्दा (Current Affairs Update): हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को प्रस्तावना से हटाने के लिए याचिकाएं दायर की गईं (सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य)। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1949 की मूल तिथि के साथ 1976 में जोड़े गए शब्दों को पढ़ना ऐतिहासिक विसंगति है। हालाँकि, न्यायालय ने इसे संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा माना है। यह विवाद इसे UPSC 2024-25 के लिए अति-महत्वपूर्ण बनाता है।

4. प्रस्तावना में मुख्य शब्द (Detailed Keyword Analysis)

प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का एक गहरा संवैधानिक और दार्शनिक अर्थ है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा में इन शब्दों की व्याख्या से सीधे वैचारिक (Conceptual) प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इनका सूक्ष्म विश्लेषण करें:

राज्य की प्रकृति (Nature of State)

संप्रभु	समाजवादी	पंथनिरपेक्ष	लोकतांत्रिक	गणराज्य
आंतरिक/बाहरी दबाव से मुक्त	लोकतांत्रिक समाजवाद (मिश्रित)	सभी धर्मों को समान सम्मान	जनता का शासन (अप्रत्यक्ष)	निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष

A. संप्रभु (Sovereign)

संप्रभुता का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन (Dominion) है। इसके ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं है, और यह अपने आंतरिक (Internal) और बाहरी (External) मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। 1949 में भारत द्वारा राष्ट्रमंडल (Commonwealth) की सदस्यता स्वीकार करना इसकी संप्रभुता को किसी भी तरह से कम नहीं करता है। एक संप्रभु राज्य के रूप में, भारत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है (जैसे 100वां संविधान संशोधन - भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता)।

B. समाजवादी (Socialist)

यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था; इसे **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा जोड़ा गया। हालांकि, इससे पहले भी संविधान में नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। भारतीय समाजवाद **'लोकतांत्रिक समाजवाद' (Democratic Socialism)** है, न कि 'साम्यवादी समाजवाद' (राज्य समाजवाद), जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) में विश्वास करता है जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य "गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना" है। (यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है)।

> 🚨 **PRELIMS TRAP:** 1991 की नई आर्थिक नीति (LPG सुधार) के बाद भारतीय समाजवाद की प्रकृति में बदलाव आया है, लेकिन संवैधानिक रूप से यह आज भी प्रासंगिक है। UPSC कथन दे सकता है: "भारत का समाजवाद पूर्णतः मार्क्सवादी है।" - यह **गलत** है!

C. पंथनिरपेक्ष (Secular)

इसे भी 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता/पंथनिरपेक्षता की अवधारणा **सकारात्मक (Positive)** है। पश्चिमी मॉडल (जहाँ राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव है) के विपरीत, भारत में राज्य सभी धर्मों को समान दर्जा और समर्थन (Equal respect and equal protection to all religions) देता है। अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) इस अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है।

D. लोकतांत्रिक (Democratic)

यह 'लोकप्रिय संप्रभुता' (Popular Sovereignty) के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। भारत में **अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy)** या 'प्रतिनिधि लोकतंत्र' (Representative Democracy) है, जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और सरकार चलाते हैं। यह एक संसदीय लोकतंत्र है (कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है)। प्रस्तावना में 'लोकतांत्रिक' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें न केवल 'राजनीतिक लोकतंत्र' बल्कि 'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र' भी शामिल है (डॉ. अंबेडकर का भाषण)।

E. गणराज्य (Republic)

एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है - राजशाही (Monarchy) और गणतंत्र (Republic)। ब्रिटेन (राजशाही) में राज्य का प्रमुख (राजा/रानी) वंशानुगत पद से आता है। भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) हमेशा **एक निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है**। गणतंत्र का यह भी अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता एक व्यक्ति (राजा) के बजाय लोगों में निहित है, और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग (Privileged class) की अनुपस्थिति है (अर्थात सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं)।

5. संविधान के उद्देश्य (Objectives of the Constitution)

राज्य की प्रकृति को परिभाषित करने के बाद, प्रस्तावना उन उद्देश्यों को रेखांकित करती है जिन्हें राज्य को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करना चाहिए। ये उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हैं। इनका सूक्ष्म अध्ययन UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

A. न्याय (Justice)

प्रस्तावना तीन अलग-अलग रूपों में न्याय को समाहित करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन्हें **रूसी क्रांति (1917)** के आदर्शों से लिया गया है। इसे मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है।

- **सामाजिक न्याय (Social Justice):** जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और SC/ST/OBC और महिलाओं की स्थिति में सुधार (अनुच्छेद 15, 17)।
- **आर्थिक न्याय (Economic Justice):** आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव न होना। इसमें धन, आय और संपत्ति की घोर असमानताओं को दूर करना शामिल है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का संयोजन '**वितरणात्मक न्याय**' **(Distributive Justice)** को दर्शाता है (अनुच्छेद 39)।
- **राजनीतिक न्याय (Political Justice):** सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच और सरकार में समान आवाज (जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार - अनुच्छेद 326)।

B. स्वतंत्रता (Liberty)

स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक (Restraints) की अनुपस्थिति, और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना (Thought, Expression, Belief, Faith, Worship) की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। यह आदर्श **फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799)** से प्रेरित है।

> 🚨 **PRELIMS TRAP:** UPSC ट्रैप: प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन न्याय केवल 3 प्रकार का है। ध्यान दें, स्वतंत्रता **पूर्ण (Absolute) नहीं है, बल्कि योग्य (Qualified) है**। मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता पर 'उचित प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions - Art 19(2)) लगाए जा सकते हैं।

C. समता/समानता (Equality)

समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर का प्रावधान। प्रस्तावना सभी नागरिकों को 'प्रतिष्ठा और अवसर' (Status and Opportunity) की समानता प्रदान करती है। इसके तीन आयाम हैं:

आयाम (Dimension)	संवैधानिक प्रावधान (Articles)
नागरिक समानता (Civic)	कानून के समक्ष समानता (Art 14), भेदभाव का निषेध (Art 15), सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (Art 16), अस्पृश्यता का अंत (Art 17), उपाधियों का अंत (Art 18)।
राजनीतिक समानता (Political)	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली से बाहर न होना (Art 325), लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित (Art 326)।
आर्थिक समानता (Economic)	DPSP का अनुच्छेद 39 - पुरुषों और महिलाओं को समान आजीविका के साधन और समान काम के लिए समान वेतन सुरक्षित करता है।

D. बंधुता (Fraternity)

बंधुता का अर्थ है 'भाईचारे की भावना' (Sense of Brotherhood)। संविधान **एकल नागरिकता (Single Citizenship)** की प्रणाली के माध्यम से भाईचारे की इस भावना को बढ़ावा देता है। मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) भी कहते हैं कि यह हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। प्रस्तावना घोषित करती है कि बंधुता को दो चीजें सुनिश्चित करनी होंगी: पहला, व्यक्ति की **गरिमा (Dignity)** और दूसरा, **राष्ट्र की एकता और अखंडता (Unity and Integrity)**। 'अखंडता' शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

6. प्रस्तावना का महत्व (Significance of the Preamble)

प्रस्तावना उस मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों—राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक—का प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा का भव्य और उदात्त दृष्टिकोण शामिल है। मुख्य टिप्पणियाँ जो UPSC कथन के रूप में पूछ सकता है:

- **सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** "संविधान की प्रस्तावना वह व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय से सोचा या सपना देखा था।"
- **के.एम. मुंशी:** "प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की **जन्म-कुंडली (Horoscope)** है।"
- **पंडित ठाकुर दास भार्गव:** "प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की **आत्मा (Soul)** है। यह संविधान की कुंजी है। यह एक आभूषण है।"
- **अर्नेस्ट बार्कर:** इन्होंने इसे **'Key-note'** कहा और अपनी पुस्तक 'Principles of Social and Political Theory' की शुरुआत में इसका उल्लेख किया।

7. क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? (Is Preamble a part of the Constitution?)

यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा विवाद रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर अपने ही फैसलों को पलटा है। इस यात्रा को समझना UPSC के लिए अति-आवश्यक है।

1. बेरुबारी यूनियन केस (1960) ❌
SC ने कहा: प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। अतः इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है।

👇 13 वर्षों बाद ऐतिहासिक बदलाव 👇

2. केशवानंद भारती केस (1973) ✅
SC ने बेरुबारी फैसले को खारिज किया। कहा: प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त महान दृष्टिकोण के प्रकाश में पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

👇 पुष्टि 👇

3. एल.आई.सी. ऑफ इंडिया केस (1995) ✅✅
SC ने पुनः स्पष्ट किया: प्रस्तावना संविधान का आंतरिक/अभिन्न हिस्सा (Integral Part) है।

🧠 ***Brainstorming:*** **महत्वपूर्ण निष्कर्ष (Current Status):** संविधान के अन्य भागों की तरह, प्रस्तावना को भी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, लेकिन अन्य सभी भागों के अधिनियमित होने के **बाद** इसे अंत में जोड़ा गया (ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पूरे संविधान के अनुरूप है)। इसलिए, वर्तमान स्थिति यह है कि **प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।**

🚨 **PRELIMS TRAP: UPSC Statement Trap:**
कथन 1: प्रस्तावना विधायिका (संसद) की शक्ति का स्रोत है। **(गलत ❌)**
कथन 2: प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध (prohibition) लगाती है। **(गलत ❌)**
कथन 3: यह गैर-न्यायिक (Non-justiciable) है, अर्थात इसके प्रावधानों को अदालतों में लागू (enforce) नहीं किया जा सकता। **(सही ✅)**

उपरोक्त तीनों बिंदु प्रेलिम्स के लिए **ब्रह्मास्त्र** हैं। प्रस्तावना मार्गदर्शक है, कानूनी डंडा नहीं। यदि सरकार आर्थिक न्याय नहीं दे पाती, तो आप केवल प्रस्तावना के आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते (इसे DPSP के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है)।

8. प्रस्तावना में संशोधन की संभावना (Amendability of the Preamble)

क्या अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक **केशवानंद भारती मामले (1973)** में उठा था।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है (बेरुबारी मामले के अनुसार), इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसकी संशोधन शक्ति का उपयोग करके इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। **शर्त यह है कि:**

> **"प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट न किया जाए। प्रस्तावना में निहित मौलिक विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं बदला जा सकता।"**

प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन: 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 1976 में (आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा)। इस संशोधन ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े:

- **1. समाजवादी (Socialist)**
- **2. पंथनिरपेक्ष (Secular)**
- **3. अखंडता (Integrity)**

इस संशोधन को न्यायालय ने वैध ठहराया क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता था, न कि उसे नष्ट करता था।

> 💡 **याद करने की ट्रिक (Mnemonic): ट्रिक:** 1976 में जोड़े गए शब्द → **"SIS"** (Socialist, Integrity, Secular) या **"SPA"** (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता)। याद रखें, ये 42वें (4+2=6 → 1976) संशोधन से जोड़े गए, न कि 44वें (4+4=8 → 1978) से।

9. प्रस्तावना से जुड़े हालिया विवाद और डायनामिक अप्रोच (Current Affairs)

UPSC हमेशा स्थिर थ्योरी (Static Theory) को करंट अफेयर्स से जोड़ता है। हाल के वर्षों में प्रस्तावना अत्यधिक चर्चा में रही है:

मुद्दा / घटना	UPSC विश्लेषण / प्रभाव
नई संसद भवन और संविधान की प्रतियां (2023)	नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को दी गई संविधान की प्रतियों में प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द गायब थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह मूल 1950 संस्करण की प्रति थी। इससे यह बहस छिड़ गई कि क्या इन शब्दों को हटाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL)	डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य ने SC में याचिका दायर कर 42वें संशोधन की धारा 2 को चुनौती दी। तर्क: "हम भारत के लोग... 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं" वाले वाक्य में 1976 में शब्द जोड़ना ऐतिहासिक रूप से गलत है। 1949 के लोगों ने इन शब्दों को नहीं अपनाया था।
संविधान का 'लिविंग डॉक्यूमेंट' (जीवंत दस्तावेज) स्वरूप	सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि संविधान एक 'लिविंग डॉक्यूमेंट' है। क्या 1949 की तारीख के साथ शब्दों को पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव से जोड़ा जा सकता है? यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है, जो इसे प्रेलिम्स के लिए हॉट टॉपिक बनाता है।

ब्रेनस्टॉर्मिंग: क्या मूल प्रस्तावना पंथनिरपेक्ष नहीं थी? भले ही 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1976 तक स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं था, लेकिन संविधान निर्माता एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे (अनुच्छेद 25 से 28 इसका प्रमाण हैं)। 1974 (एस.आर. बोम्मई केस से पहले) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत के संविधान की मूलभूत विशेषता है। अतः 1976 के संशोधन ने केवल उस बात को स्पष्ट रूप से लिखा जो पहले से ही अंतर्निहित (Implicit) थी।

10. प्रस्तावना का संविधान के अन्य भागों से जुड़ाव (Inter-linkages)

UPSC प्रेलिम्स में सीधे प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना के आदर्श संविधान में और कहाँ परिलक्षित होते हैं। यह एक समग्र (Holistic) दृष्टिकोण है:

1. न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक): यह आदर्श केवल प्रस्तावना में नहीं है। यह सीधे तौर पर **DPSP के अनुच्छेद 38** में दिखाई देता है ("राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे")।

2. स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति आदि): यह **भाग III (मौलिक अधिकार)** के अनुच्छेद 19 (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता) में स्पष्ट रूप से गारंटीकृत है। प्रस्तावना में घोषित स्वतंत्रता को FRs ने कानूनी जामा पहनाया है।

3. समानता (प्रतिष्ठा और अवसर): यह **अनुच्छेद 14 से 18** (समानता का अधिकार) और DPSP के **अनुच्छेद 39** (समान काम के लिए समान वेतन) में स्पष्ट होता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 325 और 326 (चुनाव) राजनीतिक समानता सुनिश्चित करते हैं।

4. बंधुता (Fraternity): यह मुख्य रूप से **अनुच्छेद 51A** (मौलिक कर्तव्य) में देखा जाता है, जहाँ सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना एक कर्तव्य है। एकल नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11) भी बंधुता का ही साधन है।

11. क्या प्रस्तावना मूल ढांचे का हिस्सा है?

हां। हालांकि पूरी प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं घोषित किया गया है, लेकिन प्रस्तावना के **आदर्शों** को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में 'मूल ढांचा' (Basic Structure) माना है। उदाहरण के लिए:

- संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य (केशवानंद भारती केस 1973)
- पंथनिरपेक्षता (एस.आर. बोम्मई केस 1994)
- कल्याणकारी राज्य / सामाजिक न्याय (मिनर्वा मिल्स केस 1980)

> 🚨 **PRELIMS TRAP: अति-महत्वपूर्ण UPSC ट्रैप (The Ultimate Trap):**
> क्या प्रस्तावना के प्रावधान संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद को दरकिनार (override) कर सकते हैं?
> **उत्तर: नहीं!** प्रस्तावना का उपयोग संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि किसी अनुच्छेद की भाषा स्पष्ट है, तो वही लागू होगी। प्रस्तावना का उपयोग केवल **व्याख्या (Interpretation)** के लिए किया जाता है जब किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट (ambiguous) हो।

12. प्रस्तावना बनाम नीति निदेशक तत्व (DPSP)

लक्षण	प्रस्तावना (Preamble)	DPSP (भाग IV)
प्रकृति	संविधान का दर्शन और लक्ष्य निर्धारित करती है।	सरकार के लिए नीतियां बनाने के निर्देश हैं।
न्यायसंगतता (Justiciability)	गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) - कोर्ट में लागू नहीं।	गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) - कोर्ट में लागू नहीं।
संशोधन	हां (अनुच्छेद 368 के तहत), मूल ढांचा सुरक्षित।	हां (अनुच्छेद 368 के तहत)।
दायरा	अत्यंत व्यापक, पूरे संविधान की रूपरेखा।	मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर केंद्रित।

नोट: 1995 के LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक 'अभिन्न अंग' है, ठीक वैसे ही जैसे DPSP भी इसका अभिन्न अंग हैं। दोनों मिलकर संविधान के सामाजिक दर्शन का निर्माण करते हैं, जिसे ग्रानविले ऑस्टिन (Granville Austin) ने "Conscience of the Constitution" (संविधान की अंतरात्मा) कहा है (विशेष रूप से FR और DPSP के लिए)।

13. टॉप 10 'वन-लाइनर' फैक्ट्स (Rapid Fire for Prelims)

- **फैक्ट 1:** प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा **अंत में** (26 नवंबर 1949 को) अपनाया गया था।
- **फैक्ट 2:** "हम भारत के लोग" वाक्यांश **यूएन चार्टर (UN Charter)** के 'We the peoples of the United Nations' से प्रेरित है।
- **फैक्ट 3:** प्रस्तावना में भारत का नाम **'भारत'** (India, that is Bharat - Art 1) के रूप में ही परिलक्षित होता है।
- **फैक्ट 4:** प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध।
- **फैक्ट 5:** इसमें अब तक केवल **एक बार** (42वें संशोधन, 1976 द्वारा) संशोधन किया गया है।
- **फैक्ट 6:** न्याय का आदर्श (रूसी क्रांति), स्वतंत्रता-समता-बंधुता (फ्रांसीसी क्रांति)।
- **फैक्ट 7:** प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है (केशवानंद भारती केस, 1973)।
- **फैक्ट 8:** प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम: संप्रभु → समाजवादी → पंथनिरपेक्ष → लोकतांत्रिक → गणराज्य।
- **फैक्ट 9:** प्रस्तावना में **3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता** का उल्लेख है।
- **फैक्ट 10:** के.एम. मुंशी ने इसे 'राजनीतिक जन्मकुंडली' और पालकीवाला ने 'परिचय पत्र' कहा।

14. UPSC PYQ एनालिसिस (Questions Trend)

UPSC ने पिछले 10 वर्षों में प्रस्तावना से लगातार प्रश्न पूछे हैं। मुख्य फोकस इन क्षेत्रों पर रहा है:

💡 **याद करने की ट्रिक (Mnemonic): Trend 1: 26 नवंबर 1949 को मूल स्थिति (UPSC 2021)**
प्रश्न पूछा गया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? उत्तर: एक 'संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य' (Sovereign Democratic Republic)। *ध्यान दें: समाजवादी और पंथनिरपेक्ष 1976 में जुड़े, इसलिए वे 1949 में नहीं थे!*

💡 **याद करने की ट्रिक (Mnemonic): Trend 2: स्वतंत्रता का स्वरूप (UPSC 2017)**
"स्वतंत्रता का निहितार्थ क्या है?" - इसका उत्तर था "मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना"। यह प्रस्तावना की सूक्ष्म समझ पर आधारित था।

💡 **याद करने की ट्रिक (Mnemonic): Trend 3: आर्थिक न्याय कहाँ उल्लिखित है? (UPSC 2013)**
भारतीय संविधान में 'आर्थिक न्याय' को किसमें उल्लिखित किया गया है? उत्तर: प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)।

15. द मास्टर माइंड-मैप (The Ultimate Snapshot)

संविधान की प्रस्तावना - एक नज़र में

स्रोत	प्रकृति (S3DR)	उद्देश्य (JLEF)	तिथि
भारत के लोग	संप्रभु, समाज., पंथ., लोक., गण.	न्याय(3), स्वतंत्र.(5), समता(2), बंधुता	26 Nov 1949

"सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर अभ्यास और सूक्ष्म विश्लेषण ही UPSC में विजय का मार्ग है।"

All the Best for UPSC CSE Prelims!

यूनिट 1.5 : संघ एवं इसका क्षेत्र
(भाग-1, अनुच्छेद 1 से 4) - संपूर्ण विश्लेषण

1. विषय का संदर्भ (Context & Current Relevance)

भारतीय संविधान का **भाग-1 (अनुच्छेद 1 से 4)** "संघ और उसके क्षेत्र" से संबंधित है। यह विषय UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में **"भारत vs इंडिया" विवाद**, जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, और नए राज्यों की माँग (जैसे विदर्भ, गोरखालैंड) लगातार चर्चा में रहे हैं। इस भाग में राज्यों की उत्पत्ति, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और संसद की सर्वोच्चता का वर्णन है।

करंट अफेयर्स कंट्रोवर्सी: "भारत" और "इंडिया" शब्द

हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में "President of Bharat" का प्रयोग हुआ, जिससे **अनुच्छेद 1(1)** चर्चा में आया। संविधान सभा में भी नाम को लेकर बहस हुई थी। अंततः पारंपरिक नाम (भारत) और आधुनिक नाम (इंडिया) दोनों को स्वीकार किया गया। **UPSC Trap:** क्या नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) की आवश्यकता है? **उत्तर:** यदि 'इंडिया' को पूरी तरह हटाना हो, तो हाँ (Art 368 लगेगा)। लेकिन केवल 'भारत' का उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है।

2. अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 1(1) के अनुसार: **"इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा।"**

A. "राज्यों का संघ" (Union of States) का अर्थ:

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार 'फेडरेशन' (Federation) के स्थान पर 'यूनियन' (Union) शब्द को प्राथमिकता दी गई है।
- इसके दो मुख्य कारण हैं:
  1. भारतीय संघ, अमेरिकी संघ की तरह, **राज्यों के बीच किसी 'समझौते' (Agreement)** का परिणाम नहीं है।
  2. किसी भी राज्य को संघ से **अलग होने (Secede) का अधिकार नहीं** है।
- निष्कर्ष: भारत एक **"विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ"** (Indestructible Union of Destructible States) है।

B. "भारत का क्षेत्र" (Territory of India) बनाम "भारत का संघ":

- **UPSC Prelims Trap:** "भारत का क्षेत्र" (Territory of India) एक **व्यापक शब्द** है जबकि "भारत का संघ" (Union of India) संकीर्ण है।
- **भारत का संघ:** इसमें केवल 'राज्य' शामिल हैं (जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं)।
- **भारत का क्षेत्र (Art 1(3)):** इसमें शामिल हैं:
  1. राज्यों के क्षेत्र (28 राज्य)।
  2. केंद्र शासित प्रदेश (8 UTs - पहली अनुसूची में निर्दिष्ट)।
  3. **ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में 'अधिग्रहित' (Acquired) किए जा सकते हैं।**

3. संप्रभु राज्य के रूप में भारत की शक्ति

भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विधियों से विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, जैसे: **हस्तांतरण (Cession)**, **कब्जा (Occupation)**, **विजय (Conquest)**, या **अधीनता (Subjugation)**। उदाहरण: पुडुचेरी, गोवा, दमन एवं दीव, और सिक्किम का अधिग्रहण।

🧠 Memory Trick & Prelims Focus

अनुच्छेद 1 में तीन बातें हैं: 1. देश का नाम (India that is Bharat), 2. राजव्यवस्था का प्रकार (Union of States), 3. राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण (States, UTs, Acquired)। **हमेशा याद रखें:** अनुसूची 1 (Schedule 1) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख है।

संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार: संविधान के भाग XXI के तहत कुछ राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर आदि) के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371 से 371-J) किए गए हैं, जो सामान्य संघीय संरचना में एक 'असममित संघवाद' (Asymmetric Federalism) का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची भी राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों (अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों) के प्रशासन के लिए अलग नियम बनाती है।

UPSC CSE PRELIMS

अनुच्छेद 2 और 3 : संसद की शक्तियाँ

(नए राज्यों का प्रवेश और पुनर्गठन)

4. अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह **कानून द्वारा** (By Law) ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी।

- यह अनुच्छेद उन राज्यों से संबंधित है जो **भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं** (विदेशी क्षेत्र)।
- शक्ति 1: नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति (जो पहले से अस्तित्व में हैं)।
- शक्ति 2: नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति (जो पहले से अस्तित्व में नहीं हैं)।

5. अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन

यह अनुच्छेद संसद को **भारतीय संघ के 'आंतरिक पुनर्गठन'** की शक्ति देता है। संसद कानून द्वारा:

a) नया राज्य बनाना (अलग करके या मिलाकर) ↔ b) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना ↔ c) क्षेत्र घटाना ↔ d) सीमाएँ बदलना ↔ e) नाम बदलना

अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया (UPSC Prelims Favorite Area)

अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी विधेयक (Bill) संसद में पेश करने के लिए दो **पूर्व शर्तें (Pre-conditions)** अनिवार्य हैं:

1. राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation of President) अनिवार्य है।

↓

2. सिफारिश से पहले, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल (State Legislature) के पास उनके विचार (Views) जानने के लिए भेजेंगे (एक निश्चित समय सीमा के भीतर)।

↓

3. TRAP: क्या राष्ट्रपति/संसद राज्य के विचारों को मानने के लिए बाध्य हैं?
उत्तर: बिल्कुल नहीं! वे विचारों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

↓

4. संसद में विधेयक साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित होता है।

विशेष बिंदु (Exceptions & Concepts):

संबंधित विषय	UPSC दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र शासित प्रदेश (UT)	यदि विधेयक किसी UT से संबंधित है, तो विधानमंडल के विचार जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद स्वयं कदम उठा सकती है।
संशोधन (Amendment)	यदि संसद विधेयक में बाद में कोई संशोधन करती है, तो उसे बार-बार राज्य विधानमंडल के पास भेजने की आवश्यकता **नहीं है**।
राज्य का अस्तित्व	संविधान भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी **नहीं देता** है। (No Territorial Integrity).
विदेशी क्षेत्र का सौंपना	अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत का कोई हिस्सा विदेशी राज्य को **नहीं सौंप सकती** (बेरुबाड़ी केस)।

भारत का संघीय ढांचा अमेरिका से विपरीत है। अमेरिका में क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी है (Indestructible union of indestructible states), लेकिन भारत में संसद राज्यों के नक्शे को अपनी इच्छानुसार फिर से खींच सकती है। इसलिए भारत को "**विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ**" कहा जाता है। यह केंद्रीकृत प्रवृत्ति (Unitary Bias) को दर्शाता है।

अनुच्छेद 4 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद

(बेरुबाड़ी संघ मामला और 100वां संविधान संशोधन)

6. अनुच्छेद 4 : साधारण कानून बनाम संविधान संशोधन

अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश) और अनुच्छेद 3 (राज्यों का निर्माण, सीमाओं/नामों में परिवर्तन) के तहत बनाए गए कानून को ***अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।***

- *इसका अर्थ है कि ऐसे कानून संसद द्वारा* ***सामान्य विधायी प्रक्रिया*** *से और* ***साधारण बहुमत (Simple Majority)*** *से पारित किए जा सकते हैं।*
- *इन कानूनों में पहली अनुसूची (राज्यों के नाम) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा में सीटों का आवंटन) में संशोधन के प्रावधान स्वतः शामिल होते हैं।*

🔥 **महा-कंफ्यूजन (Prelims Trap Area)**

क्या अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दिया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: बेरुबाड़ी संघ मामला (1960)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति में ***भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है।*** *भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को केवल* ***अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके*** *ही सौंपा जा सकता है। इसी कारण बेरुबाड़ी (पश्चिम बंगाल) को पाकिस्तान को सौंपने के लिए* ***9वां संविधान संशोधन अधिनियम (1960)*** *पारित किया गया था।*

7. सीमा विवाद सुलझाना (Boundary Dispute Resolution)

1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया: भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए ***संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।*** *यह कार्य* ***कार्यपालिका के आदेश (Executive Action)*** *द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते इसमें भारतीय क्षेत्र को सौंपना (Cession of territory) शामिल न हो।*

8. बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान-प्रदान (100th CAA, 2015)

भारत और बांग्लादेश के बीच 'एन्क्लेव' (Chhitmahals) के आदान-प्रदान के लिए ***100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015*** *पारित किया गया। चूँकि इसमें भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे जा रहे थे, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनिवार्य था।*

प्रावधान (100वां संशोधन)	विस्तृत विवरण (Prelims Facts)
क्षेत्रों का आदान-प्रदान	*भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे, जबकि बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को सौंपे।*
प्रतिकूल कब्जे का हस्तांतरण	*प्रतिकूल कब्जे (Adverse possessions) वाले क्षेत्रों का हस्तांतरण किया गया और 6.1 किमी अचिह्नित सीमा का सीमांकन किया गया।*
संशोधित अनुसूची	*इस अधिनियम ने संविधान की* ***पहली अनुसूची*** *में संशोधन किया (4 राज्यों के लिए: असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा)।*
मूल समझौता	*यह 1974 के भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते (LBA) और 2011 के प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए था।*

इस पूरी प्रक्रिया में "राज्यों की सहमति" को लेकर भी विवाद रहा था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद को अनुच्छेद 253 के तहत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। फिर भी, क्योंकि क्षेत्र सौंपा जा रहा था, 100वाँ संशोधन किया गया। यह संविधान के संघात्मक ढांचे पर राष्ट्रीय संप्रभुता की सर्वोच्चता का सटीक उदाहरण है।

केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव (PART-I)

(रियासतों का एकीकरण एवं राज्य पुनर्गठन आयोग)

9. रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States)

स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीतिक इकाइयाँ दो श्रेणियों में थीं: ब्रिटिश प्रांत (सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन) और रियासतें (राजाओं के अधीन, लेकिन ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता के अधीन)। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को 3 विकल्प दिए: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या स्वतंत्र रहें।

- भारत की भौगोलिक सीमा में **552 रियासतें** थीं। 549 भारत में शामिल हो गईं।
- बची हुई 3 ने इनकार किया, जिन्हें बाद में मिलाया गया (**UPSC Matching Question Area**):
  - **हैदराबाद (Hyderabad):** पुलिस कार्रवाई द्वारा (ऑपरेशन पोलो)।
  - **जूनागढ़ (Junagadh):** जनमत संग्रह (Plebiscite) द्वारा।
  - **कश्मीर (Kashmir):** विलय पत्र (Instrument of Accession) द्वारा।

1950 में संविधान ने राज्यों को 4 भागों (Part A, B, C, D) में वर्गीकृत किया था। Part D में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था।

10. राज्यों के पुनर्गठन के लिए समितियां एवं आयोग

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग मुख्य रूप से दक्षिण भारत से उठी। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया:

आयोग/समिति	गठन का वर्ष / रिपोर्ट	प्रमुख सिफारिशें और UPSC ट्रैप्स
1. धर आयोग (Dhar Commission) अध्यक्ष: एस.के. धर	गठन: जून 1948 रिपोर्ट: दिसंबर 1948	राज्यों का पुनर्गठन **भाषाई कारक के बजाय 'प्रशासनिक सुविधा'** के आधार पर होना चाहिए। (भाषाई आधार को **अस्वीकार** किया)।
2. जे.वी.पी. समिति (JVP Committee) (J.नेहरू, V.पटेल, P.सीतारमैया)	गठन: दिसंबर 1948 रिपोर्ट: अप्रैल 1949	राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को **औपचारिक रूप से अस्वीकार** कर दिया। (इसकी कोई बाहरी रिपोर्ट नहीं थी)।
टर्निंग पॉइंट (1953): पोट्टी श्रीरामुलु (56 दिन की भूख हड़ताल) की मृत्यु के बाद भारी विरोध। भारत सरकार को मजबूरन **पहला भाषाई राज्य 'आंध्र राज्य' (मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके)** बनाना पड़ा।		
3. फजल अली आयोग (Fazl Ali Commission) सदस्य: फजल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू	गठन: दिसंबर 1953 रिपोर्ट: 1955	भाषा को मुख्य आधार के रूप में **स्वीकार** किया, लेकिन **"एक भाषा-एक राज्य" के सिद्धांत को अस्वीकार** किया। देश की एकता प्राथमिक विचार होनी चाहिए।

फजल अली आयोग के 4 प्रमुख कारक (UPSC MCQ Statement Base):

1. देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण।
2. भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता।
3. वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार।
4. लोगों के कल्याण के लिए योजना और प्रोत्साहन।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (7वां संविधान संशोधन): फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर Part A, B, C, D का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। । नवंबर 1956 को **14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश** बनाए गए।

केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव (PART-2)

(1956 के बाद निर्मित नए राज्यों का कालक्रम)

II. राज्यों के निर्माण का कालक्रम (Chronology) - UPSC Match The Following

1956 के बाद, बड़े राज्यों के विभाजन से क्षेत्रीय और भाषाई मांगों के कारण नए राज्यों का निर्माण हुआ। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में राज्यों को उनके निर्माण के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित (Chronological order) करने के प्रश्न आते हैं।

💡 Chronology Memory Trick (वर्षों के साथ)

ट्रिक: "गुणा (GuNa) है (Ha) हिम (Him) मणि-त्रि-मेघ (M-T-M) का, सी (Si) मि-अरु-गो (Mi-Ar-Go) छ-उ-झ (Ch-U-Jh) ते (Te)"

Gu(Gujarat-1960), Na(Nagaland-1963), Ha(Haryana-1966), Him(Himachal-1971), M-T-M (Manipur, Tripura, Meghalaya - 1972), Si(Sikkim-1975), Mi-Ar-Go (Mizoram, Arunachal, Goa - 1987), Ch-U-Jh (Chhattisgarh, Uttarakhand, Jharkhand - 2000), Te (Telangana-2014).

वर्ष	राज्य/UT का नाम	महत्वपूर्ण तथ्य (Prelims Context)
1960	**महाराष्ट्र और गुजरात**	बंबई राज्य का विभाजन (15वां राज्य गुजरात बना)। भाषाई आधार (मराठी और गुजराती)।
1961/1962	दादरा-नगर हवेली, गोवा, दमन-दीव	**पुर्तगालियों** से 1954 में मुक्त (दादरा)। गोवा, दमन-दीव (1961 पुलिस कार्रवाई)। इन्हें UT बनाया गया (10वें और 12वें संविधान संशोधन द्वारा)।
1962	पुडुचेरी	**फ्रांसीसियों** द्वारा 1954 में सौंपा गया। 1962 तक 'अधिग्रहित क्षेत्र', फिर 14वें संशोधन द्वारा UT बना।
1963	**नागालैंड** (16वां)	असम से नगा हिल्स-तुएनसांग क्षेत्र को अलग करके।
1966	**हरियाणा** (17वां) & चंडीगढ़	शाह आयोग (1966) की सिफारिश। पंजाब से अलग कर हिंदी भाषी हरियाणा और चंडीगढ़ (UT) बने।
1971	**हिमाचल प्रदेश** (18वां)	पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
1972	**मणिपुर (19), त्रिपुरा (20), मेघालय (21)**	पूर्वोत्तर पुनर्गठन। मेघालय 1969 में 22वें संशोधन द्वारा असम के भीतर 'उप-राज्य' (Sub-state) बना था, 1972 में पूर्ण राज्य।
1975	**सिक्किम (22वां) - अति महत्वपूर्ण**	1947 तक चोग्याल का शासन। 35वें संशोधन (1974) द्वारा 'सहयोगी राज्य' (Associate State - Art 2A) बना। **36वें संशोधन (1975)** द्वारा पूर्ण राज्य बना (Art 2A निरस्त)।
1987	**मिजोरम(23), अरुणाचल(24), गोवा(25)**	गोवा को UT से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
2000	**छत्तीसगढ़(26), उत्तराखंड(27), झारखंड(28)**	क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करके बनाए गए।
2014	**तेलंगाना (29वां)**	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा। (श्रीकृष्ण समिति)।
2019	**J&K और लद्दाख (UTs)**	J&K राज्य का विभाजन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। (अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद)।

नोट: 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक UT बना दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 UTs हैं।

12. नामों में परिवर्तन (Change of Names) - अनुच्छेद 3

समय-समय पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बदले गए हैं। यह कार्य भी **अनुच्छेद 3** के तहत संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है।

- 1950: संयुक्त प्रांत (United Provinces) का नाम **उत्तर प्रदेश**।
- 1969: मद्रास का नाम **तमिलनाडु**।
- 1973: मैसूर का नाम **कर्नाटक**। उसी वर्ष लक्काद्वीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी का नाम **लक्षद्वीप**।
- 1992: 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT)** दिल्ली का दर्जा।
- 2006: उत्तरांचल का नाम **उत्तराखंड** और पांडिचेरी का **पुडुचेरी**।
- 2011: उड़ीसा का नाम **ओडिशा**। (113वां संशोधन विधेयक द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 'उड़िया' को 'ओडिया' किया गया)।

13. नए राज्यों की वर्तमान मांगें (Current Demands)

प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आज भी भारत में नए राज्यों की मांग उठ रही है। UPSC अक्सर इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति पूछता है।

- **विदर्भ (महाराष्ट्र)**
- **गोरखालैंड (पश्चिम बंगाल)**
- **बोडोलैंड (असम)**
- **सौराष्ट्र (गुजरात)**
- **हरित प्रदेश (पश्चिमी UP)**
- **ग्रेटर टिपरालैंड (त्रिपुरा)**

🧐 UPSC Prelims Brainstorming : क्या आप जानते हैं?

- **क्या राज्य विधानसभा अपना नाम स्वयं बदल सकती है?** **नहीं।** राज्य विधानसभा केवल एक प्रस्ताव (Resolution) पारित करके केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) से अनुरोध कर सकती है। अंतिम निर्णय संसद का (अनुच्छेद 3) होता है। उदाहरण: पश्चिम बंगाल ने अपना नाम 'बांग्ला' करने का प्रस्ताव भेजा है।
- **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils):** राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था ताकि भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद उत्पन्न विभाजक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। (यह संवैधानिक नहीं, बल्कि **वैधानिक/Statutory** निकाय हैं)।
- **विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status):** संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह गाडगिल फॉर्मूले (NDC) के तहत शुरू हुआ था। वर्तमान में नए राज्यों की माँग के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्य SCS की माँग कर रहे हैं।

असममित संघवाद (Asymmetric Federalism) का संदर्भ: भारत एक समान संघ (Symmetrical federation) नहीं है। अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड, मिजोरम आदि के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसके अलावा 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र "राज्य के भीतर राज्य" (State within a state) जैसी स्थिति बनाते हैं। यह विविधता में एकता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का एक अनूठा 'टेलर-मेड' (Tailor-made) दृष्टिकोण है, जो 'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' (One size fits all) के सिद्धांत को नकारता है।

14. मास्टर रिवीजन तालिका (भाग-1 : अनुच्छेद 1 से 4)

अनुच्छेद	संक्षिप्त प्रावधान	UPSC Prelims 'Key Takeaways'
Art 1	संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र	"राज्यों का संघ" है, फेडरेशन नहीं। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। 'भारत का क्षेत्र' 'भारत के संघ' से व्यापक है।
Art 2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना	उन क्षेत्रों के लिए जो **पहले से भारत का हिस्सा नहीं हैं**। (विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश)।
Art 3	नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं/नामों में परिवर्तन	भारत के **आंतरिक पुनर्गठन** के लिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य। राज्य की राय मानना बाध्यकारी नहीं।
Art 4	अनुच्छेद 2 व 3 के तहत बनाए गए कानून	इन्हें **अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं** माना जाएगा। साधारण बहुमत से पारित होंगे।

🚨 Prelims Traps Check : एग्जाम हॉल में इन शब्दों से बचें

1. **शब्द "सहमति" (Consent):** अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की **सहमति (Consent)** नहीं लेता, वह केवल विचार (Views) जानता है।
2. **शब्द "संविधान संशोधन":** नए राज्य बनाने के लिए 'संविधान संशोधन' की आवश्यकता होती है - **गलत कथन (Wrong Statement)**। यह साधारण कानून से होता है।
3. **विदेशी क्षेत्र सौंपना:** भारत का क्षेत्र किसी अन्य देश को अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से दिया जा सकता है - **गलत कथन**। बेरुबाड़ी केस के अनुसार इसके लिए अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) अनिवार्य है (जैसे 100वां CAA)।
4. **सिक्किम का मामला:** सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 35वें संशोधन से मिला - **गलत**। 35वें से 'सहयोगी राज्य' और **36वें से 'पूर्ण राज्य'**।
5. **धर और JVP समिति:** दोनों ने भाषाई आधार को **अस्वीकार** किया था। फजल अली ने इसे **स्वीकार** किया (पर 'एक भाषा एक राज्य' नकारा)।

Art 2: बाहरी क्षेत्र का प्रवेश	+	Art 3: आंतरिक परिवर्तन	=	Art 4: साधारण बहुमत (No Art 368)

Unit 1.6 : नागरिकता (Citizenship) - भाग II

1. संदर्भ एवं अर्थ (Context & Meaning)

नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच एक **विधिक और राजनीतिक संबंध** है। यह व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठावान बनाती है और बदले में राज्य उसे संरक्षण एवं पूर्ण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है।

Brainstorming: नागरिक vs विदेशी

नागरिक (Citizens): भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य, सभी मूल अधिकार (FRs) प्राप्त।
विदेशी (Aliens): मित्र विदेशी (Friendly) और शत्रु विदेशी (Enemy)। TRAP: शत्रु विदेशियों को अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण) का लाभ नहीं मिलता है।

संविधान में नागरिकता (Constitutional Status)

भाग: II, **अनुच्छेद:** 5 से 11।
महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान केवल **26 जनवरी 1950** को नागरिक बनने वालों की पहचान करता है। यह इसके *अधिग्रहण या हानि* के लिए कोई स्थायी कानून नहीं बनाता है। यह शक्ति **संसद** को दी गई है।

केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार (FRs)

TRICK: **15, 16, 19, 29, 30** (यह जादुई संख्या याद रखें!)

- **Art 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार।
- **Art 16:** लोक नियोजन में अवसर की समता।
- **Art 19:** वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (6 प्रकार की)।
- **Art 29 & 30:** सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

अन्य अधिकार: मतदान का अधिकार (Art 326), चुनाव लड़ने का अधिकार, संवैधानिक पद (राष्ट्रपति, SC/HC जज, AG, CAG) धारण करने का अधिकार। CONCEPT: भारत में जन्म से नागरिक या प्राकृतिक रूप से (Naturalized) नागरिक, दोनों राष्ट्रपति बन सकते हैं। (USA में केवल जन्म से नागरिक)।

2. संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions: Art 5 to 11)

भाग II : 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का निर्धारण

Art 5: अधिवास (Domicile) द्वारा - (जन्म भारत में OR माता-पिता का जन्म OR 5 वर्ष से साधारण निवासी)	**Art 6:** पाकिस्तान से भारत आए (Migrated) व्यक्ति - (19 जुलाई 1948 की कट-ऑफ तिथि)	**Art 7:** भारत से पाक गए, लेकिन लौट आए (Reverse Migration) - (1 मार्च 1947 के बाद गए)
Art 8: भारतीय मूल के विदेशी निवासी (PIO) का पंजीकरण द्वारा नागरिक बनना।	**Art 9:** TRAP यदि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ली, तो भारतीय नागरिकता समाप्त (एकल नागरिकता का आधार)।	**Art 10:** नागरिकता के अधिकारों का बना रहना (संसदीय विधि के अधीन)।

Art 11: **V.IMP** संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति।

(उपरोक्त आर्टिकल्स का प्रयोग UPSC प्रीलिम्स में स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों में भ्रमित करने के लिए किया जाता है। Art 11 सबसे महत्वपूर्ण है जिसने 1955 का एक्ट बनवाया।)

UPSC PRELIMS TRAP Alert 🚨: क्या संविधान नागरिकता को परिभाषित करता है? **नहीं।** क्या संविधान नागरिकता के अर्जन की विस्तृत प्रक्रिया देता है? **नहीं, यह शक्ति संसद (Art 11) के पास है।**

3. नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)

अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने यह अधिनियम पारित किया। इसमें अब तक **9 बार संशोधन** (1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019) हो चुका है। यह **नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके** और **समाप्ति के 3 तरीके** बताता है।

A. नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके (Acquisition of Citizenship)

प्राप्ति (Acquisition)

1. जन्म से (By Birth)
2. वंश से (By Descent)
3. पंजीकरण (Registration)
4. देशीयकरण (Naturalization)
5. क्षेत्र समाविष्टि (Incorporation of Territory)

1. जन्म से (By Birth): भारत में जन्म लेने वाले।
- 26 Jan 1950 से 1 July 1987: केवल जन्म पर्याप्त।
- 1 July 1987 से 3 Dec 2004: माता या पिता में से एक भारतीय हो।
- **3 Dec 2004 के बाद:** माता-पिता दोनों भारतीय हों **या** एक भारतीय हो और दूसरा **अवैध प्रवासी (Illegal Migrant) न हो** ।

2. वंश के आधार पर (By Descent): भारत के बाहर जन्म लेने वाले।
- 3 Dec 2004 के बाद: जन्म के **1 वर्ष के भीतर** भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate) में पंजीकरण अनिवार्य है।

3. पंजीकरण द्वारा (By Registration): (अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए)।
- भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) जो आवेदन से पूर्व **7 वर्ष** से भारत का निवासी हो।
- भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति (7 वर्ष निवास अनिवार्य)।
- ओसीआई (OCI) कार्ड धारक (5 वर्ष से रजिस्टर्ड और 1 वर्ष का निवास)।

4. देशीयकरण द्वारा (By Naturalization): किसी विदेशी के लिए। शर्तें:
- वह अवैध प्रवासी न हो।
- उस देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीयों को देशीयकरण से रोका जाता है।
- आवेदन से ठीक पहले **12 महीने** भारत में रहा हो।
- पिछले 14 वर्षों में कुल **11 वर्ष** भारत में रहा हो। *(नोट: CAA 2019 ने कुछ वर्गों के लिए इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया है)*।
- **8वीं अनुसूची** की किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान।

EXCEPTION: यदि व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति में विशेष योगदान दिया हो, तो सरकार सभी शर्तें माफ कर सकती है (उदा: अदनान सामी)।

5. क्षेत्र समाविष्टि (Incorporation of Territory): यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार आदेश जारी कर वहां के लोगों को नागरिक घोषित करती है। (उदा: 1961 में गोवा, दमन-दीव, 1962 में पुडुचेरी)।

🔥 CURRENT AFFAIRS : असम समझौता (Assam Accord) और धारा 6A

नागरिकता अधिनियम में **धारा 6A** (1985 संशोधन द्वारा) जोड़ी गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसे **संवैधानिक रूप से वैध** ठहराया है।
- **प्रावधान:** 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच असम आए प्रवासियों (ज्यादातर बांग्लादेश से) को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता।
- 24 मार्च 1971 के बाद आए लोगों को विदेशी माना जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा।

Brainstorming: धारा 6A 'विशेष श्रेणी' के रूप में असम के जनसांख्यिकीय इतिहास (Demographic history) को सुरक्षित रखने का एक राजनीतिक-विधिक संतुलन है।

4. नागरिकता की समाप्ति (Loss of Citizenship)

1955 का अधिनियम नागरिकता खोने के तीन तरीके बताता है। **TRAP:** संविधान नागरिकता खोने के बारे में नहीं बताता, केवल अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर रोक लगाता है।

1. स्वैच्छिक त्याग (Renunciation)	2. बर्खास्तगी (Termination)	3. वंचित करना (Deprivation)
कोई भी पूर्ण आयु और क्षमता वाला नागरिक घोषणा करके नागरिकता त्याग सकता है। **Fact:** यदि युद्ध के दौरान ऐसी घोषणा की जाती है, तो केंद्र सरकार इसे रोक सकती है। **प्रभाव:** उस व्यक्ति के **नाबालिग बच्चे** की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाती है (18 वर्ष का होने पर बच्चा इसे वापस मांग सकता है)।	जब कोई भारतीय नागरिक **स्वेच्छा से** (बिना किसी दबाव के) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता **स्वतः (Automatically)** समाप्त हो जाती है। **Exception:** युद्ध के दौरान यह प्रावधान भी निलंबित किया जा सकता है।	यह **केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति** है यदि: • नागरिकता फर्जी तरीके (Fraud) से ली गई हो। • संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो। • युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध व्यापार किया हो। • देशीयकरण/पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में **2 वर्ष की कैद** हुई हो। • **लगातार 7 वर्षों** से भारत के बाहर रह रहा हो।

5. एकल नागरिकता (Single Citizenship)

यद्यपि भारतीय संविधान संघीय (Federal) है और इसमें दोहरी राजव्यवस्था (केंद्र और राज्य) है, फिर भी इसमें केवल **एकल नागरिकता (कनाडा और ब्रिटेन के समान)** का प्रावधान है।

अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता (देश की और राज्य की) होती है। भारत में सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों, पूरे देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं।

एकल नागरिकता के अपवाद (Exceptions to Non-Discrimination)

- **संसद (राज्य विधानमंडल नहीं)** अनुच्छेद 16 के तहत किसी विशेष राज्य/UT में रोजगार के लिए **निवास (Residence)** की शर्त लगा सकती है। (उदा: सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता) अधिनियम 1957 - वर्तमान में केवल **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में लागू)।
- **अनुच्छेद 15:** राज्य अपने निवासियों को रियायतें दे सकता है (जैसे शिक्षा में फीस छूट) क्योंकि यह 'जन्म स्थान' नहीं बल्कि 'निवास' पर आधारित है।
- **जम्मू-कश्मीर:** 2019 से पहले, अनुच्छेद 35A के तहत J&K विधानसभा 'स्थायी निवासियों' को विशेष अधिकार देती थी। (अब निरस्त - **CURRENT UPDATE**)
- आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बसने पर रोक (अनुच्छेद 19(5) के तहत) स्थानीय संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए।

क्या भारत में 'दोहरी नागरिकता' (Dual Citizenship) है?

↓

बिल्कुल नहीं! (Strictly NO)

OCI कार्ड अक्सर भ्रमित करता है, लेकिन **OCI दोहरी नागरिकता नहीं है।**

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत केवल एक नागरिकता को मान्यता देता है। OCI केवल एक आजीवन वीजा और कुछ आर्थिक सुविधाएँ हैं।

6. विदेशी भारतीय नागरिकता (NRI, PIO, OCI)

वैश्वीकरण और डायस्पोरा (Diaspora) के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने विदेशी भारतीयों के लिए विभिन्न श्रेणियां बनाई हैं। **2015 के संशोधन** द्वारा PIO कार्ड योजना को OCI कार्ड योजना में मिला दिया गया है।

आधार	NRI (Non-Resident Indian)	PIO (Person of Indian Origin) (अब OCI में विलय)	OCI (Overseas Citizen of India)
परिभाषा	वह **भारतीय नागरिक** जो भारत के बाहर निवास करता है (रोजगार, व्यवसाय आदि के लिए)।	विदेशी नागरिक जो स्वयं, या उसके माता-पिता/दादा-दादी कभी भारतीय नागरिक थे।	विदेशी नागरिक (पाक/बांग्लादेश को छोड़कर) जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था।
नागरिकता	**भारतीय** (भारतीय पासपोर्ट धारक)।	विदेशी (अन्य देश का पासपोर्ट)।	**विदेशी** (अन्य देश का पासपोर्ट)। **यह दोहरी नागरिकता नहीं है।**
वीजा (Visa)	आवश्यकता नहीं है।	अब प्रासंगिक नहीं।	भारत आने के लिए **आजीवन मल्टीपल एंट्री (Multiple Entry) वीजा**।
FRRO पंजीकरण	आवश्यकता नहीं।	-	भारत में कितनी भी अवधि तक रुकने पर स्थानीय पुलिस (FRRO) के पास **पंजीकरण की छूट**।
मताधिकार / चुनाव	**हाँ** (केवल प्रॉक्सी/पोस्टल द्वारा नहीं, व्यक्तिगत रूप से मतदान क्षेत्र में जाकर)।	नहीं।	**TRAP: नहीं**। वे वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते।

🚨 OCI कार्डधारकों के लिए प्रतिबंध (Restrictions on OCI)

- उन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16) नहीं है।
- वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जज **नहीं** बन सकते।
- वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य **नहीं** बन सकते।
- **V.IMP TRAP:** वे **कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियां (Agricultural/Plantation Land) नहीं खरीद सकते**। (हालांकि वे विरासत में प्राप्त कर सकते हैं)।
- भारत में रिसर्च (Research), पर्वतारोहण (Mountaineering), और मिशनरी कार्य करने के लिए उन्हें **विशेष पूर्व अनुमति** की आवश्यकता होती है।
- वे इनर लाइन परमिट (ILP) वाले क्षेत्रों में बिना अनुमति के नहीं जा सकते।

OCI कार्ड का रद्दीकरण (Cancellation of OCI)

केंद्र सरकार OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि: 1. यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो। 2. संविधान के प्रति असम्मान दिखाया हो। 3. भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में आवश्यक हो। **Current Update:** हाल ही में सरकार ने कई विदेशों में बसे अलगाववादी तत्वों (जैसे खालिस्तानी समर्थकों) के OCI कार्ड रद्द किए हैं।

7. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

यह हाल के वर्षों का सबसे चर्चित और विवादित संशोधन है। **UPSC प्रीलिम्स के लिए इसके प्रावधानों की सूक्ष्म समझ (Micro-understanding) अति आवश्यक है।**

CAA 2019 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

यह अधिनियम 1955 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है ताकि **विशिष्ट देशों के विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों** को 'अवैध प्रवासी' (Illegal Migrant) की परिभाषा से बाहर किया जा सके और उन्हें नागरिकता दी जा सके।

किन देशों से?	कौन से समुदाय?	कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date)
1. पाकिस्तान **2. अफगानिस्तान** **3. बांग्लादेश** **TRAP: म्यांमार या श्रीलंका शामिल नहीं हैं।**	**6 अल्पसंख्यक समुदाय:** हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई। **TRAP: मुस्लिम और यहूदी इसमें शामिल नहीं हैं।**	**31 दिसंबर 2014** (या उससे पहले) भारत में प्रवेश किया हो।

छूट प्राप्त क्षेत्र (Exemptions) - Very Imp

CAA 2019 के प्रावधान पूरे भारत में लागू नहीं होते हैं। इसे भारत के कुछ संवेदनशील जनसांख्यिकीय क्षेत्रों को बचाने के लिए छूट दी गई है:

1. **छठी अनुसूची (6th Schedule) क्षेत्र:**
   TRICK: **AMTM** (Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram) के आदिवासी क्षेत्र।
   (उदा: असम का कार्बी आंगलोंग, मेघालय का गारो हिल्स)।
2. **इनर लाइन परमिट (ILP) क्षेत्र:**
   बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR), 1873 के तहत ILP व्यवस्था वाले राज्य।
   राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर (मणिपुर को 2019 में जोड़ा गया)।

देशीयकरण की अवधि में कमी

इन 6 समुदायों के लिए देशीयकरण (Naturalization) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की निवास अवधि को **11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दिया गया है।

Brainstorming: CAA के पक्ष और विपक्ष

पक्ष (Govt): इन देशों में इन अल्पसंख्यकों का 'धार्मिक उत्पीड़न' (Religious persecution) हुआ है। यह नेहरू-लियाकत पैक्ट की विफलता को सुधारता है।

विपक्ष (Critics): यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। म्यांमार के रोहिंग्या और श्रीलंका के तमिलों को क्यों छोड़ा गया?

क्या CAA किसी भारतीय की नागरिकता छीनता है?

↓

नहीं (A Big NO)

CAA केवल नागरिकता **देने** (Acquiring) से संबंधित है। इसका किसी भी भारतीय नागरिक (चाहे वह किसी भी धर्म का हो) की नागरिकता **छीनने** (Deprivation) से कोई लेना-देना नहीं है।

8. NRC, NPR और समकालीन मुद्दे

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC - National Register of Citizens)

NRC सभी **वैध भारतीय नागरिकों** का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। अब तक पूरे देश के लिए NRC कभी नहीं बनाया गया है; यह **केवल असम** के लिए बनाया गया था (1951 में)।

- **असम NRC:** सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2013) पर असम में NRC को अपडेट किया गया। कट-ऑफ डेट: **24 मार्च 1971** (असम समझौते के अनुसार)।
- अंतिम सूची (2019) में लगभग 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। जिन्हें बाहर किया गया वे **विदेशी ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals)** में अपील कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR - National Population Register)

Census (जनगणना)	NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)	NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)
अधिनियम: जनगणना अधिनियम 1948 **उद्देश्य:** मैक्रो-डेटा (जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति)। पहचान का डेटा गुप्त रहता है।	**अधिनियम:** नागरिकता अधिनियम 1955 (और 2003 के नियम) **उद्देश्य:** देश के सभी 'सामान्य निवासियों' (Usual Residents) का रजिस्टर।	**अधिनियम:** नागरिकता अधिनियम 1955 **उद्देश्य:** केवल 'भारतीय नागरिकों' का रजिस्टर। अवैध प्रवासियों की पहचान।
यह हर 10 साल में होता है। इसमें निवासी और गैर-निवासी दोनों का डेटा होता है।	**सामान्य निवासी:** जो पिछले 6 महीने से किसी क्षेत्र में रह रहा हो या अगले 6 महीने रहने का इरादा रखता हो। (इसमें नागरिक + विदेशी दोनों शामिल हैं)।	NPR पहला कदम हो सकता है; NPR के डेटा का सत्यापन करके NRC (नागरिकों की सूची) बनाई जाती है।

CURRENT UPDATE: चकमा-हाजोंग शरणार्थी

कौन हैं? ये 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से धार्मिक उत्पीड़न और कप्ती बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए थे।

चकमा: मुख्य रूप से बौद्ध हैं।
हाजोंग: मुख्य रूप से हिंदू हैं।

मुद्दा: भारत सरकार ने इन्हें अरुणाचल प्रदेश में बसाया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नागरिकता देने का आदेश दिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश (स्थानीय जनसांख्यिकी बिगडने के डर से) इसका विरोध कर रहा है। **CAA 2019 उन पर लागू नहीं होता क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ILP क्षेत्र है।**

रोहिंग्या (म्यांमार) - सुरक्षा चिंता

श्रीलंकाई तमिल - CAA से बाहर

नागरिकता विवाद

चकमा-हाजोंग (अरुणाचल)

ब्रू-रियांग (त्रिपुरा/मिजोरम)

ब्रू-रियांग समझौता: मिजोरम से विस्थापित ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने और उन्हें नागरिक अधिकार (Voting rights) देने के लिए ऐतिहासिक समझौता (2020)।

9. समान नागरिक संहिता (UCC - Uniform Civil Code)

नागरिकता के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की समानता एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में आपराधिक कानून (IPC/BNS) सभी नागरिकों के लिए समान हैं, लेकिन **नागरिक कानून (विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना)** धर्म के आधार पर अलग-अलग (Personal Laws) हैं।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)

अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व - DPSP): "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।"

TRAP: DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं हैं। यह केवल शासन के लिए मौलिक निर्देश है (Art 37)।

इतिहास और न्यायपालिका

- **शाह बानो केस (1985):** सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार UCC लागू करने की दृढ़ सिफारिश की। यह मुस्लिम महिला के भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़ा था।
- **सरला मुदगल केस (1995):** हिंदू पति द्वारा इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करने के मुद्दे पर SC ने फिर से UCC की आवश्यकता बताई।
- **सायरा बानो केस (2017):** 'ट्रिपल तलाक' को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसने UCC की बहस को और तेज कर दिया।

CURRENT UPDATE: UCC लागू करने वाले राज्य

1. गोवा: भारत का एकमात्र राज्य जहां 'गोवा नागरिक संहिता' (1867 का पुर्तगाली कानून) लागू है। हालांकि यह पूरी तरह 'समान' नहीं है, फिर भी यह धर्म-निरपेक्ष नागरिक कानून का सबसे करीबी रूप है।

2. उत्तराखंड (2024): हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने स्वतंत्र भारत में **पहला UCC बिल** पारित किया है।

UPSC PRELIMS FACT: उत्तराखंड UCC में **लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in relationships) का अनिवार्य पंजीकरण** शामिल है। यह **अनुसूचित जनजातियों (STs) पर लागू नहीं होता** है।

UCC पर 21वें विधि आयोग (Law Commission) की राय (2018)

↓

"इस स्तर पर UCC **न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय (neither necessary nor desirable)**।" इसके बजाय आयोग ने महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों (Personal laws) में चरणबद्ध सुधार (Piecemeal reforms) का समर्थन किया। (हालांकि 22वें विधि आयोग ने इस पर फिर से विचार शुरू किया है)।

🎯 **UPSC Prelims Golden Rule:** नागरिकता से संबंधित प्रश्नों में *'संविधान में परिभाषित'*, *'केवल नागरिकों के लिए'*, *'संसद की शक्ति'* और *'कट-ऑफ डेट'* जैसे शब्दों (Extreme words) को ध्यान से पढ़ें।

"Revise Multiple Times, Score High!"

UNIT 1.7: मूल अधिकार (FUNDAMENTAL RIGHTS - FRS) का गहन विश्लेषण

संदर्भ (Context) & पृष्ठभूमि: संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में वर्णित मूल अधिकार भारत के **'मैग्ना कार्टा'** कहलाते हैं। यह अमेरिकी संविधान (Bill of Rights) से प्रेरित हैं। 1931 के कराची अधिवेशन (अध्यक्ष: सरदार पटेल) में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का संकल्प पारित किया था जिसका ड्राफ्ट नेहरू जी ने बनाया था। UPSC प्रीलिम्स के लिए यह सबसे 'High Yielding' टॉपिक है।

1. मूल अधिकारों की विशेषताएं (Characteristics of FRs)

मूल अधिकारों की प्रकृति

↓

वाद-योग्य (Justiciable): उल्लंघन पर सीधे SC (Art 32) या HC (Art 226) जा सकते हैं।	**निरपेक्ष नहीं (Not Absolute):** युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restrictions) लागू होते हैं।	**नकारात्मक/सकारात्मक:** राज्य के विरुद्ध (जैसे Art 14) और व्यक्ति के पक्ष में (जैसे Art 21A)।	**स्थायी नहीं:** संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन (कमी/निरसन) कर सकती है (मूल ढांचा छोड़कर)।

🛑 **Prelims Trap (फंसने वाले शब्द):**

- **"सभी मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं"** → गलत! कुछ विदेशियों को भी प्राप्त हैं।
- **"FRs असीमित (Absolute) हैं"** → गलत! इन पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। SC तय करता है कि प्रतिबंध 'उचित' है या नहीं।
- **"राष्ट्रीय आपातकाल में सभी FRs निलंबित हो जाते हैं"** → गलत! Art 20 & 21 **कभी** निलंबित नहीं होते (44वें संशोधन 1978 के बाद)।

💡 **याद करने का Trick (नागरिकों बनाम विदेशियों के अधिकार):**

केवल भारतीय नागरिकों (Citizens) को प्राप्त अधिकार: **"15, 16, 19, 29, 30"** (इसे मोबाइल पिन की तरह याद रखें: 15-16-19-29-30)। बाकी सभी (14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) नागरिकों + विदेशी (शत्रु देश छोड़कर) दोनों को प्राप्त हैं।

2. राज्य की परिभाषा (Definition of State) - अनुच्छेद 12

चूंकि मूल अधिकार मुख्यतः राज्य के मनमाने कृत्यों के विरुद्ध गारंटी हैं, इसलिए 'राज्य' क्या है, यह जानना आवश्यक है। भाग III और IV के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य परिभाषित है:

राज्य के तत्व (Elements)	Current Affairs & SC Judgments (डायनामिक लिंकिंग)
1. भारत सरकार और संसद (कार्यपालिका + विधायिका)	सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, PSU (ONGC, LIC, SAIL आदि)।
2. राज्य सरकार और विधानमंडल	सभी राज्य विभाग, पुलिस, प्रशासन।
3. सभी स्थानीय प्राधिकारी (Local Authorities)	नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास (Improvement Trust)।
4. अन्य प्राधिकारी (Other Authorities) - भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में	UPSC Focus: क्या BCCI राज्य है? SC के अनुसार: नहीं। क्या UN राज्य है? नहीं। क्या **न्यायपालिका** राज्य है? रूपा अशोक हुर्रा केस: न्यायिक कार्य करते समय न्यायालय 'राज्य' नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कार्य करते समय 'राज्य' है।

🧠 **Brainstorming Zone:** यदि कोई निजी कंपनी (Private body) सरकार के उपकरण/एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, तो क्या वह अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' है? उत्तर: हाँ! (अजय हासिया केस में SC का निर्णय)। अतः आधार डेटा संभालने वाली प्राइवेट कंपनी पर भी रिट जारी हो सकती है।

निष्कर्ष (Page 1): मूल अधिकार लोकतंत्र के राजनीतिक ढांचे की स्थापना करते हैं। प्रीलिम्स में हमेशा अपवादों (Exceptions) और 'Absolute' जैसे चरम शब्दों (Extreme words) पर ध्यान दें।

3. मूल अधिकारों से असंगत विधियां (Laws Inconsistent with FRs) - अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** का स्पष्ट आधार प्रदान करता है (यद्यपि शब्द का प्रयोग नहीं है)। यह घोषित करता है कि FRs से असंगत कोई भी 'विधि' शून्य (Void) होगी।

'विधि' (Law) में क्या शामिल है? (Art 13(3))

- संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी कानून।
- राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinances)।
- प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation): आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना।
- विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (Custom/Usage)।

Prelims Trap:

क्या "संविधान संशोधन" अनुच्छेद 13 के तहत एक 'विधि' है?

केसवानंद भारती केस (1973): SC ने कहा कि संविधान संशोधन (Art 368) को Art 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे।

अनुच्छेद 13 से जुड़े प्रमुख सिद्धांत (Doctrines)

आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse): संविधान पूर्व की विधियां जो FRs से टकराती हैं, वे मृत नहीं होतीं, बल्कि FRs द्वारा 'ढक' ली जाती हैं (सुसुप्त अवस्था)। भीकाजी केस।

पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability): यदि अधिनियम का केवल एक हिस्सा FR का उल्लंघन करता है, तो केवल वही हिस्सा शून्य होगा, पूरा अधिनियम नहीं (AK गोपालन केस)।

अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver): भारत में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता (बशेशर नाथ केस)।

4. समानता का अधिकार (Right to Equality) - अनुच्छेद 14 से 18

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण

विधि के समक्ष समता (Equality Before Law)	विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)
नकारात्मक अवधारणा (Negative Concept)। ब्रिटिश मूल (A.V. Dicey के 'Rule of Law' से प्रेरित)।	सकारात्मक अवधारणा (Positive Concept)। अमेरिकी संविधान से प्रेरित।
किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं। कानून के सामने सब बराबर (चाहे अमीर हो या गरीब)।	समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। (Like should be treated alike)।

अपवाद (Exceptions to Art 14) [अत्यंत महत्वपूर्ण]: राष्ट्रपति और राज्यपाल (Art 361 - कार्यकाल के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही नहीं), सांसद/विधायक (सदन में कही गई बात के लिए विशेषाधिकार Art 105/194), विदेशी संप्रभु, राजदूत और UNO को कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त है।

अनुच्छेद 15: कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध

राज्य **केवल** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान (5 आधार) के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ("केवल" शब्द महत्वपूर्ण है - अन्य आधारों पर भेदभाव हो सकता है)।

- **Art 15(3):** महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान (उदा: घरेलू हिंसा अधिनियम, मुफ्त शिक्षा)।
- **Art 15(4) & 15(5):** SC/ST और OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों (निजी सहित, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आरक्षण (प्रथम संशोधन 1951 और 93वां संशोधन 2005)।
- **Art 15(6):** Current Dynamic: 103वां संशोधन (2019) - EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% तक आरक्षण।

💡 Trick to remember Art 15 grounds:

"R-R-C-S-P" (Religion, Race, Caste, Sex, Place of birth). प्रीलिम्स में 'निवास' (Residence) या 'भाषा' (Language) डालकर फंसाते हैं। अनुच्छेद 15 में निवास/भाषा आधार नहीं है!

निष्कर्ष (Page 2): न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है (मिनर्वा मिल्स केस)। समानता का अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, 'युक्तियुक्त वर्गीकरण' (Reasonable Classification) की अनुमति है।

अनुच्छेद 16: लोक नियोजन (Public Employment) में अवसर की समता

राज्य के अधीन रोजगार में **केवल** 7 आधारों: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव (Descent), जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। (Art 15 के 5 + उद्भव और निवास)।

अपवाद और ऐतिहासिक विकास:

- संसद 'निवास' को शर्त बना सकती है (Art 16(3)) - उदा: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Art 371D)। राज्य विधानमंडल यह नहीं कर सकता।
- **मंडल आयोग (1979) & इंदिरा साहनी केस (1992):** OBC के लिए 27% आरक्षण वैध। क्रीमी लेयर की अवधारणा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए (अपवाद परिस्थितियों को छोड़कर)। पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण नहीं।
- **77वां संशोधन (1995):** SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण (Art 16(4A)) जोड़ा गया।

Current Affairs Integration:

EWS Quota (Art 16(6)): जनहित अभियान केस (2022) में SC ने 5:0 के बजाय 3:2 बहुमत से EWS आरक्षण को वैध ठहराया। 50% की सीमा का उल्लंघन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह केवल 16(4) के लिए है।

सब-कैटेगराइजेशन: हाल ही में SC (2024) ने राज्य सरकारों को SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी है ताकि सबसे वंचितों को लाभ मिले।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत

यह एक **निरपेक्ष (Absolute) अधिकार** है (कोई अपवाद नहीं)। 'अस्पृश्यता' शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। इसे लागू करने के लिए संसद ने 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955' बनाया (अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1956)। यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है।

अनुच्छेद 18: उपाधियों (Titles) का अंत

- राज्य सैन्य या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा (उदा: राजा, महाराजा, दीवान बहादुर निषिद्ध हैं)।
- कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार **नहीं** करेगा।
- **Prelims Trap** 🛑: क्या पद्म पुरस्कार (भारत रत्न, पद्म विभूषण) उपाधियां हैं? बालाजी राघवन केस (1996): SC ने कहा "नहीं"। ये मेरिट का सम्मान हैं, लेकिन इन्हें नाम के आगे या पीछे 'उपसर्ग/प्रत्यय' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

5. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) - अनुच्छेद 19 से 22

अनुच्छेद 19: छह अधिकारों का संरक्षण (केवल नागरिकों के लिए)

मूल रूप से 7 थे (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया - अब Art 300A)। वर्तमान में 6 हैं:

स्वतंत्रता (Art 19(1))	युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restrictions) - रटने योग्य!
(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Speech & Expression) - इसमें प्रेस, चुप रहने, और जानने का अधिकार (RTI) शामिल है।	भारत की संप्रभुता/अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार/सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन। **(कुल 8 आधार)**
(b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन (Assembly)	भारत की संप्रभुता/अखंडता, लोक व्यवस्था। (हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है)।
(c) संगम, संघ या **सहकारी समिति** बनाना	संप्रभुता/अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार। (97वें संशोधन 2011 द्वारा 'सहकारी समिति' जोड़ा गया)।
(d) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (Movement)	साधारण जनता के हित में और **किसी अनुसूचित जनजाति (ST) के हितों के संरक्षण** के लिए (Inner Line Permit)।
(e) भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार	
(g) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करना	साधारण जनता के हित में। राज्य व्यावसायिक/तकनीकी अर्हता तय कर सकता है या एकाधिकार (Monopoly) कर सकता है।

🧠 **Brainstorm / Current Linkage:** Electoral Bonds Case (2024): SC ने इलेक्टोरल बांड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह मतदाताओं के "सूचना के अधिकार" (Art 19(1)(a)) का उल्लंघन करता है।
Internet Shutdown: अनुराधा भसीन केस में SC ने इंटरनेट एक्सेस को Art 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संरक्षित माना।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

यह **मनमाने और अतिरिक्त दंड** के विरुद्ध सुरक्षा है (नागरिक + विदेशी + कंपनियों/निगमों के लिए भी)। 3 प्रावधान:

1. **कोई कार्योत्तर विधि नहीं (No ex-post-facto law):** आपराधिक कानून पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective effect) से लागू नहीं होंगे। (सिविल/कर कानून हो सकते हैं)।
2. **दोहरा दंड नहीं (No Double Jeopardy):** एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। (विभागीय कार्यवाही पर लागू नहीं)।
3. **स्व-अभिशंसन नहीं (No Self-incrimination):** खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपवाद: अंगूठे का निशान, ब्लड सैंपल, डीएनए टेस्ट देना स्व-अभिशंसन नहीं है (नार्को/ब्रेन मैपिंग बिना सहमति के निषिद्ध है - सेल्वी केस)।

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Right to Life)

"किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

A.K. गोपालन केस (1950): संकीर्ण व्याख्या। केवल कार्यकारी (Executive) कृत्य के खिलाफ सुरक्षा। विधायिका कोई भी कानून बनाकर जीवन छीन सकती है (केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया)।

मेनका गांधी केस (1978): व्यापक व्याख्या। 'स्वर्ण युग'। 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत (Just, Fair & Reasonable) होनी चाहिए। अर्थात् अमेरिकी **'Due Process of Law' (विधि की सम्यक प्रक्रिया)** को भारतीय संदर्भ में स्वीकार किया गया।

🔥 Art 21 - UPSC Current Affairs & Mega Extension:

अनुच्छेद 21 'अधिकारों का छाता' (Umbrella of Rights) बन गया है। इसमें शामिल हैं:
- त्वरित सुनवाई का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार।
- **निजता का अधिकार (Right to Privacy):** के.एस. पुट्टास्वामी केस (2017) - 9 जजों की बेंच।
- Latest (2024): एम.के. रंजीतसिंह केस - सुप्रीम कोर्ट ने 'जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार' (Right against adverse effects of climate change) को अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक अलग मूल अधिकार माना है!

अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसे लागू करने के लिए RTE Act, 2009 लाया गया। (ध्यान दें: यह केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं)।

अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध (Detention) से संरक्षण

दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) - अपराध के बाद	निवारक निरोध (Preventive Detention) - शक के आधार पर (अपराध से पहले)
1. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 2. अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार। 3. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी (यात्रा समय छोड़कर)।	यह बिना मुकदमे के नजरबंदी है। अधिकतम अवधि: **3 माह** (सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के बिना)। 44वें संशोधन ने इसे 2 माह करने का प्रयास किया था, लेकिन वह अधिसूचित नहीं हुआ। भारत दुनिया के उन दुर्लभ लोकतांत्रिक देशों में है जहां निवारक निरोध संविधान का अभिन्न अंग (शांतिकालीन भी) है।
Trap: Art 22(1) और (2) के अधिकार **विदेशी शत्रुओं** और **निवारक निरोध कानून** के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त **नहीं** हैं।	

निष्कर्ष (Page 4): अनुच्छेद 21 संविधान का हृदय है। 44वें संशोधन ने Art 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित होने से बचाकर इनकी सर्वोच्चता स्थापित की।

6. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) - अनुच्छेद 23-24

अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध

- यह मानव तस्करी (Traffic in human beings), बेगार (बिना वेतन काम) और अन्य प्रकार के बलात् श्रम (Forced labor) को रोकता है।
- राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है।
- **अपवाद:** राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए *अनिवार्य सेवा* (Compulsory service - उदा: सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा) लगा सकता है। ऐसा करते समय राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा (यहाँ 'लिंग' अपवाद में नहीं है, ध्यान दें!)।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने (Factory), खदान (Mine) या **खतरनाक गतिविधियों** में नियोजित नहीं किया जाएगा। (यह हानिरहित कार्यों में नियोजन को नहीं रोकता)। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 'सभी' व्यवसायों में (पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर) प्रतिबंधित कर दिया है।

7. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of Religion) - अनुच्छेद 25-28

भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है (सकारात्मक पंथनिरपेक्षता - सभी धर्मों को समान सम्मान)।

Art 25: अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

यह व्यक्तिगत अधिकार है।
- **अंतःकरण (Conscience):** ईश्वर के साथ आंतरिक संबंध।
- **मानना (Profess):** खुले तौर पर घोषणा।
- **आचरण (Practice):** अनुष्ठान, पूजा।
- **प्रचार (Propagate):** विचारों का प्रसार।

Trap: प्रचार में 'बलपूर्वक धर्मांतरण' (Forced Conversion) का अधिकार शामिल **नहीं** है (रेव. स्टैनिस्लॉस केस)।

Art 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

यह सामूहिक अधिकार है (धार्मिक संप्रदाय - Religious Denomination)।
- संस्थाओं की स्थापना और पोषण।
- धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध।
- चल/अचल संपत्ति का अर्जन और प्रशासन (कानून के अनुसार)।

Art 25 & 26 पर प्रतिबंध के आधार: सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), नैतिकता (Morality) और स्वास्थ्य (Health)। Art 25 पर 'अन्य मूल अधिकारों' का भी प्रतिबंध है (उदा: सबरीमाला केस में Art 25 vs Art 14)।

> 💡 **स्पष्टीकरण (Art 25):**
> 1. कृपाण धारण करना और लेकर चलना **सिख धर्म** के मानने का अंग समझा जाएगा।
> 2. 'हिंदू' शब्द में **सिख, जैन और बौद्ध** शामिल माने जाएंगे (केवल अनुच्छेद 25(2)(b) के संदर्भ में)।

अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों (Taxes) के संदाय से स्वतंत्रता

राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे **कर (Tax)** देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जिसकी आय किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने में खर्च हो। राज्य सभी धर्मों पर समान रूप से खर्च कर सकता है। नोट: यह कर (Tax) पर रोक लगाता है, **शुल्क (Fee)** पर नहीं (तीर्थयात्रियों से सुविधा शुल्क लिया जा सकता है)।

अनुच्छेद 28: शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा (Religious Instruction)

शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक शिक्षा की स्थिति (Art 28)

पूरी तरह राज्य द्वारा पोषित (Wholly maintained by State):	राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी न्यास (Trust/Endowment) द्वारा स्थापित:	राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त (Recognized) या वित्तीय सहायता प्राप्त (Aided):
पूर्णतः प्रतिबंधित (No religious instruction)	अनुमति है (Permitted)	स्वैच्छिक (Voluntary) - सहमति से अनुमति

निष्कर्ष (Page 5): भारत की पंथनिरपेक्षता 'धर्म से अलगाव' (पश्चिमी मॉडल) नहीं है, बल्कि 'सर्व धर्म समभाव' है। अनुच्छेद 25-28 व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों धार्मिक स्वतंत्रताओं को संतुलित करते हैं।

8. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural & Educational Rights) - Art 29-30

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले "नागरिकों के किसी भी अनुभाग (Any section of citizens)" जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

UPSC Trap: हालांकि शीर्षक में 'अल्पसंख्यक' शब्द है, लेकिन SC ने स्पष्ट किया है कि Art 29 **बहुसंख्यकों (Majority)** को भी प्राप्त है (भाषा/संस्कृति बचाने के लिए)। 'अल्पसंख्यक' शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है!

अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

सभी अल्पसंख्यक (Minorities) वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

- संविधान केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है: **1. धार्मिक (Religious) 2. भाषाई (Linguistic)**। (नस्लीय या जातीय नहीं)।
- राज्य आर्थिक सहायता देते समय भेदभाव नहीं करेगा। मालंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस (2007): प्रशासन का अधिकार कुप्रशासन का अधिकार नहीं है (राज्य नियामक कानून बना सकता है)।

---

9. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) - अनुच्छेद 32

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार: **"संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul of the Constitution)"**। यह अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है जो अन्य मूल अधिकारों को वास्तविकता प्रदान करता है (Ubi jus ibi remedium - जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है)।

विशेषता	अनुच्छेद 32 (Supreme Court)	अनुच्छेद 226 (High Court)
उद्देश्य (Purpose)	केवल मूल अधिकारों (FRs) के प्रवर्तन के लिए।	FRs के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' (विधिक अधिकार) के लिए भी।
क्षेत्राधिकार (Territorial)	संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या भारत सरकार के विरुद्ध। (व्यापक)	केवल राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर। (सीमित)
अधिकार की प्रकृति	Art 32 स्वयं एक **मूल अधिकार** है। SC रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता।	यह विवेकाधीन (Discretionary) है। HC रिट जारी करने से मना कर सकता है।

🧠 **Prelims Pointer:** सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय (Art 226) की तुलना में **संकीर्ण (Narrow)** है क्योंकि SC केवल FRs के लिए रिट जारी करता है, जबकि HC विधिक अधिकारों के लिए भी कर सकता है। (संसद Art 32(3) के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है)।

10. रिट के प्रकार एवं उनका क्षेत्र (Types of Writs & Scope)

रिट की अवधारणा **ब्रिटिश कानून ('प्रिविलेज रिट्स')** से ली गई है।

💡 **Trick to remember 5 Writs:**
"H-M P-C Q" (हम पीसी क्यों लें?) -> Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto.

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus - "To have the body of"):
- **उद्देश्य:** मनमानी या अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। न्यायालय आदेश देता है कि बंदी को सामने पेश करो।
- **किसके विरुद्ध:** सार्वजनिक प्राधिकरण (Public authority) **और** निजी व्यक्ति (Private individual) दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। (अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य)
- **कब जारी नहीं होती:** यदि हिरासत वैध है, अवमानना के लिए है, या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

निष्कर्ष (Page 6): अल्पसंख्यकों के अधिकार बहुलवाद (Pluralism) की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटर (Defender and Guarantor) है।

अन्य रिटों का विस्तृत विश्लेषण (विशुद्ध प्रीलिम्स दृष्टिकोण)

2. परमादेश (Mandamus - "We Command / हम आदेश देते हैं"):
- **उद्देश्य:** किसी सार्वजनिक अधिकारी (Public Official) को उसके सार्वजनिक कर्तव्य (Public duty) का पालन करने का निर्देश देना, जो उसने करने से इंकार कर दिया है।
- **किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता:** निजी व्यक्ति या निजी इकाई, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। यह विवेकाधीन (Discretionary) कर्तव्य के लिए जारी नहीं होता, केवल बाध्यकारी (Mandatory) कर्तव्य के लिए।

3. प्रतिषेध (Prohibition - "To forbid / रोकना"):
- **उद्देश्य:** उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण (Tribunal) को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। (यह निवारक/Preventive है)।
- **किसके विरुद्ध:** केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक (Judicial & Quasi-judicial) निकायों के विरुद्ध। प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं।

4. उत्प्रेषण (Certiorari - "To be certified / प्रमाणित होना"):
- **उद्देश्य:** निचली अदालत/न्यायाधिकरण के पास लंबित मामले को अपने पास मंगाना या उनके आदेश को रद्द (Quash) करना (अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून में त्रुटि के कारण)। (यह निवारक + उपचारात्मक / Preventive + Curative दोनों है)।
- **किसके विरुद्ध:** न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध। (1991 के SC निर्णय के बाद इसे उन **प्रशासनिक अधिकारियों** के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जिनके फैसले व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं।)

5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto - "By what authority or warrant / किस अधिकार से?"):
- **उद्देश्य:** किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय (Public Office) के अवैध दावों की जांच करना। पद हड़पने से रोकना।
- **शर्त:** कार्यालय स्थायी (Substantive) प्रकृति का होना चाहिए, जिसे क़ानून या संविधान द्वारा बनाया गया हो। (मंत्री पद या निजी कार्यालय के खिलाफ नहीं)।
- **विशिष्टता:** इस रिट को कोई भी 'इच्छुक व्यक्ति' (Interested person) मांग सकता है, जरूरी नहीं कि वह पीड़ित व्यक्ति (Aggrieved person) ही हो।

II. मूल अधिकारों के अपवाद (Exceptions to FRs) - Art 33, 34, 35

Art 33: सशस्त्र बल (Armed Forces)
संसद (राज्य विधानमंडल नहीं) सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों (IB, RAW) के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है (अनुशासन बनाए रखने के लिए)। उदा: Army Act, 1950. इन कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Art 34: मार्शल लॉ (Martial Law)
जब किसी क्षेत्र में 'सैन्य शासन' (Martial Law - संविधान में अपरिभाषित) लागू हो, तो FRs पर प्रतिबंध लगता है। मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) से अलग है। यह केवल कुछ क्षेत्रों में लागू होता है और सामान्य कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए होता है।

Art 35: विधान बनाने की शक्ति: भाग III के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति **केवल संसद** के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। (ताकि पूरे देश में एकरूपता रहे)। उदा: Art 16(3), Art 17 (अस्पृश्यता अपराध), Art 23 (मानव तस्करी), Art 32(3), Art 33.

🔥 **महा-संशोधन एवं आपातकाल प्रभाव (Art 358 vs 359):**

Art 358: केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण (सशस्त्र विद्रोह नहीं) पर लागू। अनुच्छेद 19 स्वतः (Automatically) निलंबित हो जाता है। पूरे देश में लागू।
Art 359: राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित करते हैं कि कौन से FRs (Art 20 & 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित होगा। अधिकार निलंबित नहीं होते, केवल उपचार (Remedy) निलंबित होता है।

अंतिम निष्कर्ष: मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करते हैं। प्रीलिम्स में हमेशा 'केवल', 'हमेशा', 'कभी नहीं' (Only, Always, Never) जैसे Extreme शब्दों पर संदेह करें और अपवादों को याद रखें।

विषय संदर्भ (Context): भाग III के अपवाद एवं विशिष्ट प्रावधान

*भारत के संविधान का भाग-III (अनुच्छेद 12-35) नागरिकों एवं विदेशियों को मूल अधिकार (Fundamental Rights - FRs) प्रदान करता है। हालाँकि, यह अधिकार **आत्यंतिक (Absolute) नहीं** हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने स्वयं कुछ अनुच्छेदों (33, 34, 35) और बाद में संशोधनों (31A, 31B, 31C) के माध्यम से इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए हैं। यह 'सिनॉप्सिस' इन्हीं जटिल प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों का समग्र प्रीलिम्स-ओरिएंटेड विश्लेषण है।*

I. अनुच्छेद 33: सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार

*अनुच्छेद 33 **संसद (Parliament)** को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों (IB, RAW आदि) और संचार प्रणालियों में कार्यरत कर्मियों के मूल अधिकारों को **प्रतिबंधित या निरस्त (Restrict or Abrogate)** कर सकती है।*

- ***उद्देश्य:*** *उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन (Discipline) सुनिश्चित करना।*
- ***UPSC Trap:*** *यह शक्ति **केवल संसद** को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों (State Legislatures) को नहीं, भले ही पुलिस 'राज्य सूची' का विषय हो।*
- ***कानून बनाने की शक्ति:*** *संसद ने इसके तहत सैन्य अधिनियम (1950), नौसेना अधिनियम (1950), वायुसेना अधिनियम (1950), पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966 आदि पारित किए हैं।*

सशस्त्र बलों के प्रतिबंधित अधिकार (उदाहरण)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Art 19(1)(a)) पर रोक (प्रेस से बात न करना)

↓

संगठन/यूनियन बनाने का अधिकार (Art 19(1)(c)) प्रतिबंधित

↓

राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक

🧠 ***Brainstorming / विश्लेषण:*** *क्या नाई, बावर्ची, मैकेनिक जैसे 'गैर-लड़ाकू' (Non-combatant) कर्मचारियों पर भी अनुच्छेद 33 लागू होता है?*
उत्तर: हाँ! सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेना/पुलिस में कार्यरत बढ़ई, मैकेनिक, दर्जी आदि भी इस प्रतिबंध के दायरे में आते हैं।

💡 **Memory Trick:** *33 (Thirty-Three) -> T-T -> Troops & Telecom (सशस्त्र बल और उनके संचार कर्मी)।*

अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी तथ्य (Court Martial): *अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए संसदीय कानून 'कोर्ट मार्शल' (सैन्य न्यायालय) को अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट/अपील अधिकारिता और अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) से बाहर रख सकते हैं। हालाँकि, यदि मामला 'मूल अधिकारों' के घोर उल्लंघन या अधिकार-क्षेत्र से बाहर का हो, तो न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) पूर्णतः समाप्त नहीं होती है।*

2. अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ (Martial Law) एवं मूल अधिकार

अनुच्छेद 34 उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जहाँ भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में **'मार्शल लॉ' (सैन्य शासन)** लागू हो। इसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वह व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी (या अन्य व्यक्ति) को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए **क्षतिपूर्ति (Indemnify)** कर सकती है।

UPSC Prelims Trap: संविधान में 'मार्शल लॉ' शब्द को **कहीं भी परिभाषित नहीं** किया गया है। यह अंग्रेजी सामान्य कानून (English Common Law) से लिया गया है। इसका अर्थ है सैन्य अधिकारियों द्वारा साधारण कानून को निलंबित कर प्रशासन अपने हाथ में लेना।

तुलनात्मक तालिका: मार्शल लॉ (अनुच्छेद 34) vs राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

आधार (Basis)	मार्शल लॉ (Art 34)	राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352)
प्रभाव क्षेत्र	देश के किसी विशेष/विशिष्ट हिस्से में लागू।	पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लागू।
अधिकारों पर प्रभाव	केवल मूल अधिकारों (FRs) को प्रभावित करता है।	FRs के साथ-साथ केंद्र-राज्य संबंधों और विधायी शक्तियों को भी प्रभावित करता है।
लागू करने का कारण	कानून-व्यवस्था का भंग होना (दंगा, विद्रोह आदि)।	युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह।
संविधान में प्रावधान	संविधान में इसका **कोई विशिष्ट प्रावधान/प्रक्रिया नहीं** है।	लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया संविधान में वर्णित है।
सरकार व न्यायालय	सामान्य सरकार और न्यायालय निलंबित हो जाते हैं।	सरकार और सामान्य न्यायालय कार्य करते रहते हैं।

3. अनुच्छेद 35: कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने का विधान

अनुच्छेद 35 स्पष्ट करता है कि भाग-III के कुछ प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति **केवल संसद (Parliament)** के पास होगी, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। यह समूचे भारत में एकरूपता (Uniformity) सुनिश्चित करने के लिए है।

- **अनुच्छेद 16(3):** रोजगार में निवास (Residence) की शर्त लगाना।
- **अनुच्छेद 32(3):** सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देना।
- **अनुच्छेद 33 & 34:** सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध और मार्शल लॉ में क्षतिपूर्ति।
- दंडात्मक कानून: अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) और अनुच्छेद 23 (मानव दुर्व्यापार/बलात श्रम) के तहत दंड निर्धारित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: अनुच्छेद 35 के प्रभाव में, यदि कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने से पहले राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया था (और अनुच्छेद 35 के विषयों से संबंधित है), वह तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद उसे बदल न दे।

💡 **Memory Trick:** 35 -> Three-Five -> Uniform Drive (संसद की एकाधिकार शक्ति सम्पूर्ण भारत में एकरूपता के लिए)।

4. संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति (Right to Property)

मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31)। लेकिन भूमि सुधारों और सामाजिक न्याय के मार्ग में यह बड़ी बाधा बन रहा था।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में यह **भाग XII में अनुच्छेद 300A** के तहत एक विधिक/संवैधानिक अधिकार (Legal/Constitutional Right) है।

> ***मूल अधिकार बनाम विधिक अधिकार में अंतर (Prelims Focus):***
> 1. उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट (Art 32) नहीं जा सकते; हाई कोर्ट (Art 226) या निचली अदालत जाना होगा।
> 2. इसे सामान्य संसदीय कानून द्वारा छीना/कम किया जा सकता है (संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं)।
> 3. "विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा" (Art 300A)।

5. मूल अधिकारों के अपवाद (Exceptions to FRs)

राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को लागू करने और समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संविधान में नए अनुच्छेद (31A, 31B, 31C) जोड़े गए।

(A) अनुच्छेद 31A (पहला संशोधन 1951): यह 5 श्रेणियों के कानूनों को अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है। (मुख्यतः कृषि भूमि सुधार, संपदा का अधिग्रहण, निगमों का प्रबंधन)।

(B) अनुच्छेद 31B (पहला संशोधन 1951) & 9वीं अनुसूची: यह 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से 'ब्लैंकेट प्रोटेक्शन' (पूर्ण सुरक्षा) देता था।

> **I.R. Coelho Case (2007) - UPSC Landmark**
> सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त नहीं है। **24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती केस की तिथि)** के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि वे **'संविधान के मूल ढांचे' (Basic Structure)** (जैसे Art 14, 15, 19, 21) का उल्लंघन करते हैं।

(C) अनुच्छेद 31C (25वां संशोधन 1971): यदि राज्य अनुच्छेद 39(b) [भौतिक संसाधनों का समतामूलक वितरण] और 39(c) [धन के संकेंद्रण पर रोक] को लागू करने के लिए कानून बनाता है, तो उसे Art 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा।

> 💡 **Memory Trick (Exceptions):**
> **A** = **A**cquisition (भूमि अधिग्रहण)
> **B** = **B**lanket Protection (9th Schedule)
> **C** = **C**oncentration of Wealth को रोकना (Art 39b & c).

6. मूल अधिकारों की आलोचना (Criticism of FRs)

संविधान विशेषज्ञों (जैसे आइवर जेनिंग्स) और आलोचकों द्वारा भाग III की कई आधारों पर आलोचना की गई है, जो मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रीलिम्स के Assertion-Reason (कथन-कारण) प्रश्नों में उपयोगी है:

- **व्यापक सीमाएं (Excessive Limitations):** आलोचकों का मानना है कि संविधान जितने अधिकार एक हाथ से देता है, अपवादों (युक्तियुक्त निर्बंधन) के माध्यम से दूसरे हाथ से वापस ले लेता है।
- **सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का अभाव:** भाग III मुख्य रूप से 'राजनीतिक अधिकारों' (Political Rights) की बात करता है। काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, विश्राम का अधिकार आदि (जो DPSP में हैं) मूल अधिकार नहीं हैं।
- **जटिल भाषा (Complexity):** 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'अल्पसंख्यक', 'युक्तियुक्त' जैसे शब्दों को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे यह 'वकीलों का स्वर्ग' (Paradise for Lawyers) बन गया है।
- **आपातकाल के दौरान निलंबन:** अनुच्छेद 358 और 359 के तहत निलंबन की व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुँचाती है (हालाँकि Art 20 और 21 अब निलंबित नहीं हो सकते)।
- **निवारक निरोध (Preventive Detention):** आलोचक मानते हैं कि शांति काल में निवारक निरोध (Art 22) का प्रावधान लोकतांत्रिक देशों में दुर्लभ है।

7. मूल अधिकारों का महत्व (Significance of FRs)

मूल अधिकारों का महत्व (Significance)

लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार (Bedrock of Democracy)	तानाशाही पर रोक (Check on State Power)
अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा	धर्मनिरपेक्षता (Secularism) का संवर्धन

UPSC विश्लेषणात्मक बिंदु: मूल अधिकार केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि 'राष्ट्रीय एकता' के लिए भी आवश्यक हैं। ये यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत "**कानूनों की सरकार है, व्यक्तियों की नहीं**" **(Government of laws, not of men)**।

मूल अधिकारों की प्रकृति (Nature):
- नकारात्मक (Negative): राज्य की सत्ता पर रोक लगाते हैं (जैसे Art 14, 15(1), 16(2), 18(1), 21)।
- सकारात्मक (Positive): व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाएं/अधिकार देते हैं (जैसे Art 19, 25, 29, 30)।

Trap: क्या सभी मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं? नहीं! Art 15(2), 17, 23, 24 निजी व्यक्तियों (Private Individuals) के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।

8. भाग III के बाहर के अधिकार (Rights Outside Part III)

संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भाग-III (मूल अधिकार) में शामिल नहीं हैं, लेकिन संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित हैं। इन्हें **संवैधानिक अधिकार (Constitutional Rights)** या **विधिक अधिकार (Legal Rights)** कहा जाता है। इनका महत्व मूल अधिकारों से कम नहीं है, परंतु इनके प्रवर्तन (Enforcement) की प्रक्रिया भिन्न है।

प्रमुख संवैधानिक अधिकार (Non-Fundamental):

- **अनुच्छेद 265 (भाग XII):** "विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर (Tax) न तो लगाया जाएगा और न ही एकत्रित किया जाएगा।"
- **अनुच्छेद 300A (भाग XII):** "विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।" (44वें संशोधन द्वारा)।
- **अनुच्छेद 301 (भाग XIII):** "भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम (Trade, Commerce and Intercourse) अबाध होगा।"
- **अनुच्छेद 326 (भाग XV):** व्यस्क मताधिकार (Right to Vote / Universal Adult Suffrage)। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

प्रवर्तन (Enforcement) में अंतर - UPSC Focus

मूल अधिकारों का उल्लंघन (Part III)

↓

अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

भाग III के बाहर के अधिकारों का उल्लंघन

↓

अनुच्छेद 32 लागू नहीं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या सामान्य वाद (Ordinary Suit) के जरिए राहत।

UPSC Prelims Trap (Right to Vote):
मतदान का अधिकार (Right to Vote) क्या है?
सुप्रीम कोर्ट (PUCL Case) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, यह एक 'वैधानिक अधिकार' (Statutory Right) है, परंतु UPSC ने एक बार इसे **संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right - Art 326)** के रूप में सही माना है। अतः विकल्प के अनुसार निर्णय लें। यदि 'संवैधानिक अधिकार' विकल्प में है, तो उसे प्राथमिकता दें।

💡 **Memory Trick (Outside Rights):** T-P-T-V
Tax (Art 265) -> Property (Art 300A) -> Trade (Art 301) -> Vote (Art 326).
ये सभी 'अधिकार' हैं, लेकिन भाग III के VIP क्लब के सदस्य नहीं हैं!

9. मूल अधिकारों के महत्वपूर्ण वाद एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Landmark Cases - I)

मूल अधिकारों (FRs) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) तथा संसद की संशोधन शक्ति के बीच ऐतिहासिक टकराव रहा है। प्रीलिम्स में इन वादों का कालक्रम (Chronology) और उनके मुख्य निष्कर्ष अक्सर पूछे जाते हैं।

1. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

- **मुद्दा:** निवारक निरोध (Preventive Detention) और अनुच्छेद 21.
- **निर्णय:** SC ने अनुच्छेद 21 की 'संकीर्ण व्याख्या' की। कहा कि सुरक्षा केवल मनमानी कार्यपालिका कार्रवाई के खिलाफ है, विधानमंडल के खिलाफ नहीं (Procedure Established by Law)।

2. शंकरी प्रसाद वाद (1951) एवं सज्जन सिंह वाद (1965)

- **मुद्दा:** क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? (Art 13 vs Art 368)।
- **निर्णय:** हाँ! SC ने कहा कि Art 368 में संशोधन की शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 13(2) में 'विधि' शब्द में 'संविधान संशोधन अधिनियम' शामिल नहीं है। संसद FRs को छीन सकती है।

3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

- **निर्णय (ऐतिहासिक बदलाव):** SC ने अपने पिछले निर्णय पलट दिए। निर्धारित किया कि मूल अधिकार **पवित्र (Sacrosanct) और अनुल्लंघनीय** हैं।
- संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन (उन्हें कम या समाप्त) **नहीं कर सकती**। अनुच्छेद 13 की 'विधि' में 'संविधान संशोधन' भी शामिल है।
- **परिणाम:** संसद ने प्रतिक्रिया स्वरूप 24वाँ संविधान संशोधन (1971) पारित किया, जिसने स्पष्ट किया कि संसद FRs में संशोधन कर सकती है।

4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) - 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ

द लैंडमार्क जजमेंट: गोलकनाथ केस को पलट दिया और 24वें संशोधन को वैध माना। कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, **लेकिन वह संविधान के "मूल ढांचे" (Basic Structure) को नष्ट या बदल नहीं सकती।**

मूल ढांचे (Basic Structure) के तत्व: संविधान की सर्वोच्चता, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, कल्याणकारी राज्य, कानून का शासन (Rule of law), स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव।

10. महत्वपूर्ण वाद एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य (Landmark Cases & Current Affairs - II)

5. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

- **निर्णय:** 42वें संशोधन के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें कहा गया था कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।
- SC ने कहा: **"भारतीय संविधान भाग III (FRs) और भाग IV (DPSPs) के बीच संतुलन के आधार (Bedrock of balance) पर स्थापित है।"** यह संतुलन मूल ढांचे का हिस्सा है।

6. पुट्टास्वामी वाद (Puttaswamy Case, 2017) - 9 जजों की पीठ

- **निर्णय: निजता का अधिकार (Right to Privacy)** अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के तहत एक जन्मजात मूल अधिकार है। इसने एम.पी. शर्मा और खड़क सिंह केस को पलट दिया।

7. नवतेज सिंह जौहर वाद (Navtej Singh Johar Case, 2018)

- **निर्णय:** IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। समलैंगिकता (Homosexuality) को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। (अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के आधार पर)।

🌟 **समसामयिक मुद्दे एवं नवीन मूल अधिकार (Current Affairs Outlook):**

- **अनुराधा भसीन वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार करने का अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g)** के तहत मूल अधिकार है।
- **भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten):** विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 21 (निजता के अधिकार) के अंतर्निहित माना है।
- **जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार (M.K. Ranjitsinh Case 2024):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्ति का अधिकार" **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत एक विशिष्ट मूल अधिकार है।

अंतिम निष्कर्ष (Final Takeaway for Prelims)

मूल अधिकार राज्य के लिए 'नकारात्मक दायित्व' हैं लेकिन नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए 'सकारात्मक अधिकार' हैं। इन्हें छीना नहीं जा सकता, परंतु ये युक्तियुक्त निर्बंधनों, मार्शल लॉ (Art 34) और आपातकाल के अधीन हैं। 'मूल ढांचा' सिद्धांत इनकी सबसे बड़ी रक्षा ढाल है।

परीक्षा का सार: प्रश्नों में 'केवल' (Only), 'सभी' (All), 'पूर्णतः' (Absolutely) जैसे शब्दों से बचें। मूल अधिकार लचीले और संतुलित हैं। सफलता का मूल मंत्र: तथ्यों का बार-बार रिवीजन और वादों का कालानुक्रमिक ज्ञान!

Unit 1.9: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) - समग्र विश्लेषण

1. विस्तृत संदर्भ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Context & Origin)

संविधान के **भाग-IV** में **अनुच्छेद 36 से 51** तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उल्लेख है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार **1937 के आयरिश संविधान** से लिया था, जिसने इसे **स्पेनिश संविधान** से ग्रहण किया था।

> "निदेशक तत्व भारतीय संविधान की 'अनूठी विशेषताएं' (Novel Features) हैं।" - डॉ. बी.आर. अंबेडकर

> "मूल अधिकार और निदेशक तत्व संविधान की 'आत्मा' (Conscience) हैं।" - ग्रानविले ऑस्टिन

उद्देश्य: ये तत्व **सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र** की स्थापना करते हैं। (नोट: **UPSC ट्रैप:** राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना 'मूल अधिकारों' द्वारा होती है, DPSP द्वारा नहीं)। ये 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज्य (Police State) की।

🧠 Brainstorming: DPSP की आवश्यकता क्यों?

- औपनिवेशिक काल के दौरान अत्यधिक गरीबी और असमानता।
- संविधान सभा के पास एक साथ सभी अधिकार (आर्थिक/सामाजिक) देने के लिए **पर्याप्त वित्तीय संसाधन** नहीं थे।
- देश की विशाल विविधता और पिछड़ापन। अतः इन्हें **गैर-न्यायोचित (Non-justiciable)** रखा गया।

2. निदेशक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं (Features of DPSP)

- **निर्देशात्मक प्रकृति:** ये नीतियां और कानून बनाते समय राज्य (अनुच्छेद 36 के तहत परिभाषित, जो भाग-III के समान है) के लिए 'आदर्श' (Ideals) हैं।
- **अनुदेश पत्र (Instrument of Instructions):** डॉ. अंबेडकर के अनुसार, ये भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित 'अनुदेश पत्र' के समान हैं। अंतर केवल इतना है कि ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए हैं।
- **गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable):** **अनुच्छेद 37** स्पष्ट करता है कि ये अदालत द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं हैं। कोई नागरिक इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकता।
- **शासन में मूलभूत:** गैर-न्यायोचित होने के बावजूद, अनुच्छेद 37 यह भी घोषित करता है कि ये देश के शासन में **"मूलभूत" (Fundamental in governance)** हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
- **संवैधानिक वैधता का परीक्षण:** न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता तय करते समय DPSP को ध्यान में रखते हैं। यदि कोई कानून DPSP को लागू करता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में 'उचित' (Reasonable) माना जा सकता है।

DPSP की प्रकृति (Nature)

सकारात्मक (Positive):	गैर-न्यायोचित:	व्यापक दायरा:	नैतिक दबाव:
राज्य को कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं (FRs नकारात्मक हैं)।	अदालत द्वारा लागू नहीं। कानूनी प्रतिबंध का अभाव।	सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विजन।	इनके पीछे मुख्य शक्ति 'जनमत' (Public Opinion) है।

⚠️ UPSC Prelims Trap (सावधान रहें!)

कथन 1: "DPSP देश के शासन में मूलभूत हैं।" (✅ **सत्य** - अनुच्छेद 37)।
कथन 2: "DPSP अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।" (❌ **असत्य** - गैर-न्यायोचित हैं)।
कथन 3: "DPSP भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।" (❌ **असत्य** - FRs राजनीतिक लोकतंत्र, जबकि DPSP सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र लाते हैं)।

💡 **याद करने का ट्रिक (Mnemonics): "TEARS OF OLD PM" में 'D' (Directives) आयरलैंड से लिया गया है। DPSP को याद रखने के लिए: S-G-L (Socialist, Gandhian, Liberal)।**

3. निदेशक तत्वों का वर्गीकरण (Classification of Directives)

UPSC फैक्ट: संविधान में औपचारिक रूप से DPSP का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, उनकी सामग्री (Content) और दिशा के आधार पर, उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी, और उदार-बौद्धिक।

A. समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principles)

ये सिद्धांत 'लोकतांत्रिक समाजवाद' की विचारधारा को दर्शाते हैं। लक्ष्य: सामाजिक और आर्थिक न्याय।

Art.	मुख्य प्रावधान (UPSC Keywords)
38	आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की **असमानताओं को कम करना**। (44th AA 1978)
39	(a) आजीविका का अधिकार, (b) **संसाधनों का समान वितरण** (UPSC Favorite), (c) धन के संकेंद्रण पर रोक, (d) **समान कार्य के लिए समान वेतन**, (e) श्रमिकों का स्वास्थ्य, (f) बच्चों का स्वस्थ विकास (42nd AA)।
39A	समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को **मुफ्त कानूनी सहायता** (42nd AA)। (उदा: NALSA)
41	बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम करने, **शिक्षा पाने का अधिकार**। (उदा: MGNREGA, वृद्धावस्था पेंशन)
42	काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां और **मातृत्व राहत** (Maternity Relief)।
43	सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी (Living wage) और **सभ्य जीवन स्तर** सुरक्षित करना।
43A	उद्योगों के प्रबंधन में **श्रमिकों की भागीदारी** सुनिश्चित करना। (42nd AA)
47	पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना (भाग I)।

B. गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles)

ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधीजी द्वारा पुनर्निर्माण के कार्यक्रम पर आधारित हैं।

Art.	मुख्य प्रावधान (UPSC Keywords)
40	**ग्राम पंचायतों** का संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में शक्ति देना। (73rd AA)
43	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर **कुटीर उद्योगों** (Cottage Industries) को बढ़ावा देना।
43B	**सहकारी समितियों** (Co-operatives) के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज को बढ़ावा देना। (97th AA 2011)
46	**SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों** के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
47	नशीले पेयों (Intoxicating drinks) और **दवाओं के सेवन पर रोक**। (शराबबंदी)
48	गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू मवेशियों के **वध पर रोक** और उनकी नस्लों में सुधार।

💡 UPSC की दृष्टि (Micro Analysis)

ध्यान दें कि **अनुच्छेद 43** और **अनुच्छेद 47** दोनों में समाजवादी और गांधीवादी दोनों तत्व मौजूद हैं।

Art 43: निर्वाह मजदूरी (समाजवादी) + कुटीर उद्योग (गांधीवादी)।

Art 47: पोषण स्तर बढ़ाना (समाजवादी) + शराबबंदी (गांधीवादी)।

UPSC प्रश्न पूछेगा: "निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध रूप से गांधीवादी है?" - विकल्पों को ध्यान से पढ़ें!

टिप्पणी: इन सिद्धांतों का वर्गीकरण स्पष्ट लकीर नहीं है। यह केवल अध्ययन की सुविधा के लिए है। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय इस ओवरलैपिंग प्रकृति का उल्लेख करें।

C. उदार-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)

ये सिद्धांत 'उदारवाद' (Liberalism) की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Art.	मुख्य प्रावधान (Keywords)	वर्तमान प्रासंगिकता / Current Affairs
44	सभी नागरिकों के लिए देश भर में एक **समान नागरिक संहिता (UCC)**।	**उत्तराखंड UCC बिल 2024**, गोवा में पहले से लागू।
45	सभी बच्चों को **6 वर्ष की आयु** पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा।	**86th AA 2002** द्वारा संशोधित। पहले यह 14 वर्ष तक था, जो अब Art 21A (FR) बन गया है।
48	कृषि और पशुपालन को **आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज** पर व्यवस्थित करना।	कृषि आधुनिकीकरण, AI in Agriculture।
48A	**पर्यावरण की रक्षा** और सुधार करना तथा जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करना।	**42nd AA 1976**, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
49	राष्ट्रीय महत्व के **स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण** करना।	Adopt a Heritage Scheme.
50	राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में **कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना**।	CrPC 1973 द्वारा लागू। शक्तियों का पृथक्करण।
51	**अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा** को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध।	भारत की विदेश नीति (NAM, Panchsheel) का आधार।

4. नए निदेशक तत्व (New Directive Principles Added)

मूल संविधान में सभी DPSP नहीं थे। समय-समय पर संशोधनों द्वारा 4 नए अनुच्छेदों के तहत 5 नए DPSP जोड़े गए हैं। यह UPSC प्रारंभिक परीक्षा का सबसे **Favorite Area** है।

42nd Amendment (1976) Mini Constitution → **Art 39(f):** बच्चों का स्वस्थ विकास; **Art 39A:** मुफ्त कानूनी सहायता → **Art 43A:** उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी → **Art 48A:** पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण

अन्य महत्वपूर्ण संशोधन:

- **44वां संशोधन अधिनियम, 1978:** इसने **अनुच्छेद 38** में एक धारा जोड़ी - राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है।
- **86वां संशोधन अधिनियम, 2002:** इसने **अनुच्छेद 45** की विषय-वस्तु बदल दी (0-6 वर्ष के बच्चों की देखभाल) और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।
- **97वां संशोधन अधिनियम, 2011:** इसने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया **अनुच्छेद 43B** जोड़ा। हाल ही में 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन इसी दिशा में एक कदम है।

🚨 UPSC Prelims Track: Assertion-Reason (A-R)

कथन (A): 42वें संविधान संशोधन ने सभी DPSP को मूल अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 19) पर प्राथमिकता दी।
कारण (R): मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्राथमिकता को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं, और R, A की आंशिक व्याख्या/परिणाम को दर्शाता है। (विस्तृत चर्चा पेज 5 पर)।

5. निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति (Sanction Behind DPSPs)

संविधान सलाहकार **सर बी.एन. राऊ** ने सिफारिश की थी कि व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए: न्यायोचित (Justiciable - FRs) और गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable - DPSPs)। प्रारूप समिति ने इसे स्वीकार किया।

अदालत में लागू न होने के बावजूद महत्व: DPSP कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन इनके पीछे **राजनीतिक संस्तुति (Political Sanction)** है। डॉ. अंबेडकर के शब्दों में, "संविधान ने DPSP को कानूनी बल नहीं दिया है, लेकिन जनता की अदालत (Electorate) सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगी।" यदि कोई सरकार इनकी उपेक्षा करती है, तो उसे चुनाव में जनता को जवाब देना होगा।

6. निदेशक तत्वों की आलोचना (Criticism)

विभिन्न आलोचकों और संविधान सभा के सदस्यों ने DPSP की आलोचना की है (UPSC अक्सर सीधे उद्धरण पूछता है):

- **कानूनी बल का अभाव:** **के.टी. शाह** ने इसे "एक बैंक पर ऐसा चेक जिसे बैंक की सुविधा पर भुगतान किया जाना है" कहा।
- **तर्कहीन व्यवस्था:** एन. श्रीनिवासन के अनुसार ये तार्किक रूप से व्यवस्थित नहीं हैं। यह पुराने और नए का मिश्रण है।
- **रूढ़िवादी (Conservative):** **सर आइवर जेनिंग्स** ने कहा कि DPSP 19वीं सदी के इंग्लैंड के 'फैबियन समाजवाद' (Fabian Socialism) पर आधारित हैं। ये भारत के भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते।
- **संवैधानिक टकराव:** के. संथानम ने चेतावनी दी कि ये केंद्र-राज्य, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री और राज्यपाल-मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव पैदा कर सकते हैं (यदि केंद्र राज्यों को DPSP लागू करने का निर्देश दे)।

7. निदेशक तत्वों की उपयोगिता (Utility of DPSPs)

आलोचनाओं के बावजूद, DPSP "सजावटी नहीं" हैं। इनकी व्यापक उपयोगिता है:

- **अदालतों के लिए मार्गदर्शक:** **एल.एम. सिंघवी** के अनुसार, ये संविधान को जीवनदान देने वाले प्रावधान हैं। न्यायालय न्यायिक समीक्षा में इनका उपयोग करते हैं।
- **स्थिरता और निरंतरता:** सत्ता में किसी भी पार्टी के होने के बावजूद, ये घरेलू और विदेश नीति में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हैं।
- **FRs के पूरक:** ये मूल अधिकारों के सामाजिक-आर्थिक शून्यता को भरते हैं।
- **विपक्ष का हथियार:** विपक्ष DPSP के आधार पर सरकार की कार्यकारी और विधायी कार्रवाइयों को चुनौती दे सकता है।
- **सामाजिक क्रांति के लक्ष्य:** **एम.सी. सीतलवाड़** के अनुसार, ये भारतीय संविधान के 'सामाजिक क्रांति' के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन हैं।

DPSP का महत्व एक नजर में

- कानून की संवैधानिक वैधता परखने में (Courts)
- सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन (Citizens)
- नीति निर्माण में प्रकाश स्तंभ (Legislature)
- घोषणापत्र के रूप में (Manifesto)

🧠 मेंस ब्रेनस्टॉर्म (Mains Linkage)

प्रश्न: "DPSP बिना दांत वाले बाघ हैं।" चर्चा करें।

दृष्टिकोण: आलोचनाओं से शुरू करें (Art 37)। फिर काउंटर करें: मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, पंचायती राज सब DPSP की ही तो उपज हैं। अंत में राजनीतिक संस्तुति (जनमत) का तर्क दें।

8. मूल अधिकारों (FRs) और निदेशक तत्वों (DPSPs) में टकराव

यह टॉपिक UPSC Prelims का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण भाग है। जब DPSP को लागू करने के लिए सरकार ने कानून बनाए, तो वे अक्सर FRs (विशेषकर संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार) से टकराए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से यह स्थिति विकसित हुई है:

वर्ष / वाद (Case)	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / संवैधानिक संशोधन का प्रभाव
1951 चंपकम दोरईराजन मामला	**निर्णय:** FRs और DPSP के बीच किसी भी टकराव के मामले में, **FRs प्रबल (Prevail) होंगे।** DPSP, FRs के "सब्सिडियरी" (सहायक) के रूप में कार्य करेंगे। **प्रतिक्रिया:** संसद ने DPSP को लागू करने के लिए पहला, चौथा और 17वां संशोधन किया।
1967 गोलकनाथ मामला	**निर्णय:** SC ने कहा कि संसद DPSP को लागू करने के लिए भी **FRs में संशोधन (कम या वापस नहीं ले सकती) नहीं कर सकती** है। FRs पवित्र (Sacrosanct) हैं।
1971 24वां व 25वां संशोधन	संसद ने प्रतिक्रिया दी। 24वें संशोधन ने FRs में संशोधन की शक्ति दी। **25वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C जोड़ा:** 1. यदि कोई कानून Art 39(b) और (c) को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो वह **अनुच्छेद 14 और 19** के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। 2. ऐसे कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (SC ने बाद में इस दूसरे हिस्से को रद्द कर दिया)।
1973 केशवानंद भारती मामला	**निर्णय:** SC ने Art 31C के पहले प्रावधान (39b, c > 14, 19) को **वैध ठहराया।** यानी दो DPSP को दो FRs पर प्राथमिकता मिल गई।
1976 42वां संशोधन	**संसद का कदम:** अनुच्छेद 31C का विस्तार किया। अब **सभी DPSP** (भाग 4 के किसी भी तत्व) को लागू करने वाले कानून को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दे दी गई।
1980 मिनर्वा मिल्स मामला	**निर्णय (वर्तमान स्थिति):** SC ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को **असंवैधानिक घोषित कर दिया।** इसने संतुलन को बिगाड़ दिया था। मूल संरचना का सिद्धांत: भारतीय संविधान FRs और DPSP के बीच **"संतुलन के बेडरॉक" (Bedrock of balance)** पर स्थापित है। एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना मूल ढांचे का उल्लंघन है।

📌 **निष्कर्ष: वर्तमान स्थिति (Present Position)**

1. FRs और DPSP **एक-दूसरे के पूरक (Supplementary)** हैं। एक रथ के दो पहिए हैं।
2. सामान्य स्थिति में, **FRs को DPSP पर प्राथमिकता** प्राप्त है।
3. **अपवाद (Exception):** केवल दो निदेशक तत्वों **अनुच्छेद 39(b) और 39(c)** को लागू करने के लिए बनाए गए कानून **अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19** का उल्लंघन कर सकते हैं (अर्थात 39b,c > 14,19)।
4. संसद DPSP को लागू करने के लिए FRs में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के **मूल ढांचे (Basic Structure)** को नुकसान न पहुंचाए।

9. निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन (Implementation of DPSPs)

स्वतंत्रता के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारों ने DPSP को लागू करने के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई हैं। UPSC अक्सर योजनाओं को उनके संबंधित अनुच्छेद से मैच (Match the following) करने को कहता है:

Art.	DPSP का लक्ष्य	सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Current Dynamics)
38, 39	असमानता कम करना, संसाधन वितरण	भूमि सुधार (Land Reforms), जमींदारी उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, **PM किसान सम्मान निधि**, EWS आरक्षण (103rd AA)।
39A	समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) -> **NALSA**, लोक अदालतें, **Tele-Law पहल**, न्याय बंधु योजना।
40	ग्राम पंचायतों का गठन	**73वां संविधान संशोधन (1992)** पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा। PESA Act 1996।
41	काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार	**MGNREGA 2005** (काम का अधिकार), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP - पेंशन), समग्र शिक्षा अभियान।
42	मातृत्व राहत, मानवीय कार्य स्थिति	**Maternity Benefit Act 1961** (2017 में संशोधन - 26 सप्ताह की छुट्टी), Factories Act।
43	निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग	Minimum Wages Act 1948, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), PM विश्वकर्मा योजना, MSME मंत्रालय।
44	समान नागरिक संहिता (UCC)	गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड लागू। हाल ही में **उत्तराखंड विधानसभा द्वारा UCC विधेयक 2024** पारित (भारत में पहला राज्य जिसने स्वतंत्रता के बाद UCC बनाया)।
45	बचपन की देखभाल (< 6 वर्ष)	**ICDS योजना** (आंगनवाड़ी), PM POSHAN (Mid-day meal), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में ECCE पर जोर।
46	SC/ST/कमजोर वर्ग उत्थान	अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, SC/ST (Atrocities) Act 1989, वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय।
47	पोषण, स्वास्थ्य, नशामुक्ति	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), आयुष्मान भारत (PM-JAY), FSSAI फोर्टिफिकेशन, गुजरात/बिहार आदि में **शराबबंदी**।
48, 48A	पर्यावरण, कृषि, वन्यजीव	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 (हालिया संशोधन 2023), Project Tiger (1973), राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
50	न्यायपालिका-कार्यपालिका पृथक्करण	**CrPC 1973** के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिकाएं अलग की गईं।

🔍 Current Affairs Spotlight: UCC (अनुच्छेद 44) चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड UCC 2024 ने विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in relationships का पंजीकरण अनिवार्य) के लिए समान कानून बनाए हैं। **पक्ष में तर्क:** राष्ट्रीय एकता, लैंगिक न्याय (Gender Justice), धर्मनिरपेक्षता। **विपक्ष में तर्क:** अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) के साथ संभावित टकराव, बहुलवादी समाज (Pluralistic society) में एकरूपता थोपना।

10. भाग-IV से बाहर के निदेशक तत्व (Directives outside Part-IV)

संविधान में केवल भाग IV में ही राज्य के लिए निर्देश नहीं हैं। कुछ अन्य भागों में भी ऐसे निर्देश दिए गए हैं, जो प्रकृति में DPSP के ही समान (**गैर-न्यायोचित**) हैं। न्यायालय इन्हें भाग IV के DPSP के **समान महत्व (Equal weightage)** देते हैं।

अनुच्छेद	संविधान का भाग	विषय (Subject Matter)
Art 335	भाग XVI (16)	**सेवाओं के लिए SC/ST के दावे:** संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को **प्रशासन की दक्षता (Efficiency of administration)** बनाए रखने के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
Art 350A	भाग XVII (17)	**मातृभाषा में शिक्षा:** राज्य का प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के **प्राथमिक स्तर (Primary stage)** पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। (7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया)।
Art 351	भाग XVII (17)	**हिंदी भाषा का विकास:** संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे ताकि यह भारत की **सामासिक संस्कृति (Composite culture)** के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।

🎯 UPSC Prelims Revision Table (महत्वपूर्ण कीवर्ड्स)

Art 39(b)(c): संसाधनों का वितरण / धन संकेंद्रण रोखना **Art 39A:** मुफ्त विधिक सहायता (42nd AA) **Art 40:** ग्राम पंचायत **Art 43B:** सहकारी समितियां (97th AA) **Art 44:** समान नागरिक संहिता (UCC) **Art 45:** 0-6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा (86th AA) **Art 48A:** पर्यावरण एवं वन्यजीव (42nd AA) **Art 50:** कार्यपालिका-न्यायपालिका पृथक्करण **Art 51:** अंतर्राष्ट्रीय शांति

11. समग्र निष्कर्ष (Holistic Conclusion & Interlinking)

UPSC की तैयारी में विषयों को जोड़ना आवश्यक है (Interlinking of topics):

- **प्रस्तावना (Preamble) और DPSP:** प्रस्तावना में जिस "**सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय**" का संकल्प लिया गया है, उसे मूर्त रूप DPSP ही प्रदान करते हैं। (UPSC 2020 Prelims में पूछा गया था)।
- **FRs और DPSP:** FRs राज्य पर 'क्या नहीं करना है' इसका प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि DPSP राज्य को 'क्या करना चाहिए' यह बताते हैं। दोनों मिलकर संविधान के 'विवेक' (Conscience) का निर्माण करते हैं।
- **DPSP और मौलिक कर्तव्य (FDs):** जहां DPSP राज्य के लिए नैतिक कर्तव्य हैं, वहीं FDs (भाग IVA) नागरिकों के लिए नैतिक कर्तव्य हैं। दोनों ही गैर-न्यायोचित (Non-enforceable) हैं।

संविधान की अंतरात्मा (Conscience of Constitution)

Fundamental Rights (Political Democracy) **+** **Directive Principles** (Socio-Economic Democracy)

"भारतीय संविधान की आधारशिला इन दोनों के बीच संतुलन पर टिकी है।" - मिनर्वा मिल्स वाद (1980)

यूनिट 1.10: मूल कर्तव्य (FUNDAMENTAL DUTIES) - एक समग्र विश्लेषण

ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context): मूल संविधान (1950) में नागरिकों के लिए केवल 'मूल अधिकारों' का उल्लेख था, 'मूल कर्तव्यों' का नहीं। संविधान निर्माताओं ने माना कि एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों के कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं। हालांकि, **आंतरिक आपातकाल (1975-1977)** के दौरान यह महसूस किया गया कि अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों को उनके कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। परिणामस्वरूप, इन्हें **पूर्व सोवियत संघ (USSR)** के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया।

💡 **Brainstorming Zone**

UPSC Prelims Trap 🎯: क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के संविधान में मूल कर्तव्य हैं? **नहीं!** प्रमुख लोकतांत्रिक देशों (जैसे USA, फ्रांस, जर्मनी) के संविधानों में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। **जापान** एकमात्र ऐसा प्रमुख लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की सूची है। समाजवादी देशों में अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व दिया जाता है।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें (1976)

1976 में कांग्रेस पार्टी ने **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** का गठन किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता और प्रावधानों के संबंध में सिफारिशें देना था।

- समिति ने संविधान में एक अलग अध्याय जोड़ने की सिफारिश की।
- समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों को अधिकारों के उपभोग के साथ-साथ यह भी समझना चाहिए कि उनके कुछ दायित्व भी हैं।
- **स्वीकृति:** केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** को पारित किया।
- इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया **भाग IV-A (Part IVA)** और एक नया अनुच्छेद **51A** जोड़ा गया।

✅ समिति की स्वीकृत बातें

- संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश।
- नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना जगाना।
- (हालाँकि समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा **10 मूल कर्तव्य** जोड़े गए)।

❌ समिति की अस्वीकृत सिफारिशें (UPSC Focus)

- **आर्थिक दंड/सजा:** कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर संसद द्वारा जुर्माना या सजा का प्रावधान।
- **न्यायिक समीक्षा से छूट:** ऐसे दंड वाले कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- **कर अदायगी:** 'करों का भुगतान (Paying Taxes)' भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए।

मूल संविधान (1950) - 0 कर्तव्य

↓

स्वर्ण सिंह समिति (1976) - 8 कर्तव्यों की सिफारिश

↓

42वां संविधान संशोधन (1976) - 10 कर्तव्य जोड़े गए

↓

86वां संविधान संशोधन (2002) - 1 नया कर्तव्य जोड़ा गया (कुल 11)

महत्वपूर्ण तथ्य: यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को कर्तव्य बनाने की बात कही थी, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। UPSC अक्सर विकल्पों में "कर देना", "मतदान करना" या "परिवार नियोजन" देकर फंसाता है। ये सभी **मूल कर्तव्य नहीं हैं**।

अनुच्छेद 51A: 11 मूल कर्तव्यों की सूची (List of 11 FDs)

अनुच्छेद 51A के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह:

क्र.	कर्तव्य का विवरण (UPSC कीवर्ड्स के साथ)	Memory Trick (A-K)
(a)	संविधान का **पालन (Abide)** करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का **आदर (Respect)** करे।	A - Anthem & Abide
(b)	स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को **हृदय में संजोए (Cherish)** और उनका पालन करे।	B - Bapu's Ideals / Bhagat Singh
(c)	भारत की **संप्रभुता, एकता और अखंडता (Sovereignty, Unity, Integrity)** की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। (UPSC Trap: यह प्रस्तावना में भी है और FDs में भी)	C - Center / Core Unity
(d)	देश की **रक्षा (Defend)** करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।	D - Defend Country
(e)	भारत के सभी लोगों में समरसता और **समान भ्रातृत्व (Brotherhood)** की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो **स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध** हों।	E - Equality & Empowerment (Women)
(f)	हमारी सामासिक संस्कृति **(Composite Culture)** की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका **परिरक्षण (Preserve)** करे।	F - Forts & Festivals (Culture)
(g)	प्राकृतिक **पर्यावरण (Environment)** की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा **प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव** रखे।	G - Green Earth / Geography
(h)	**वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper)**, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।	H - Humanism & Hypothesis
(i)	**सार्वजनिक संपत्ति (Public Property)** को सुरक्षित रखे और **हिंसा से दूर** रहे।	I - I won't destroy (Public Property)
(j)	व्यक्तिगत और **सामूहिक गतिविधियों (Collective Activity)** के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।	J - Joint Excellence
(k)	माता-पिता या संरक्षक द्वारा **6 से 14 वर्ष** के बच्चों हेतु **प्राथमिक शिक्षा** प्रदान करना। (इसे **86वें संविधान संशोधन 2002** द्वारा जोड़ा गया)	K - Kids' Education

💡 **Brainstorming Zone**

ब्रेनस्ट्रॉम (Brainstorming) & UPSC Trap: प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर कर्तव्यों के शब्दों को **प्रस्तावना (Preamble)** या **नीति निदेशक तत्वों (DPSP)** के शब्दों से मिला दिया जाता है।

- "पर्यावरण का संरक्षण" FDs (51A-g) में भी है और DPSP (48A) में भी। (लेकिन FDs में नागरिक का कर्तव्य है, DPSP में राज्य का)।
- "अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना" FDs में **नहीं** है, यह DPSP (Art 51) है।
- "अल्पसंख्यकों की रक्षा" FDs में **नहीं** है।

विश्लेषण: 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को केवल राज्य की जिम्मेदारी (Art 21A, Art 45) ही नहीं माना, बल्कि माता-पिता का कर्तव्य (Art 51A-k) भी बना दिया, जिससे अधिकारों और कर्तव्यों का एक संपूर्ण चक्र स्थापित हुआ।

मूल कर्तव्यों की विशेषताएं (Features of FDs)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के कथन-कारण (Statement-Reasoning) प्रकार के प्रश्नों के लिए मूल कर्तव्यों की प्रकृति को गहराई से समझना आवश्यक है:

1. नैतिक और नागरिक (Moral & Civic Duties)	2. केवल नागरिकों के लिए (Only for Citizens)	3. गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable)

- **नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का मिश्रण:** कुछ कर्तव्य नैतिक हैं, जैसे 'स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना'। वहीं कुछ नागरिक (Civic) कर्तव्य हैं, जैसे 'राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना'।
- **भारतीय परंपरा से प्रेरित:** ये कर्तव्य मूल रूप से भारतीय जीवन पद्धति, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं से लिए गए हैं। वे वास्तव में भारतीय जीवन दर्शन के अभिन्न अंग हैं।
- **केवल नागरिकों तक सीमित:** यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल अधिकार (जैसे Art 14, 21) नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन मूल कर्तव्य (Art 51A) **विदेशियों पर लागू नहीं होते** हैं। ये विशुद्ध रूप से भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
- **गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) प्रकृति:** राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) की तरह, मूल कर्तव्य भी गैर-न्यायोचित हैं। इसका अर्थ है कि संविधान इनके सीधे **प्रवर्तन (Enforcement)** के लिए न्यायालयों के माध्यम से कोई कानूनी व्यवस्था नहीं करता है।
  - इनके उल्लंघन पर कोई स्वचालित संवैधानिक कानूनी प्रतिबंध या सजा नहीं है।
  - **अपवाद:** हालाँकि, **संसद उपयुक्त कानून बनाकर** इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। (जैसे- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम)।

तुलनात्मक तालिका: FDs vs FRs vs DPSP

विशेषता	मूल अधिकार (FRs - Part III)	नीति निदेशक तत्व (DPSP - Part IV)	मूल कर्तव्य (FDs - Part IVA)
प्रकृति	नकारात्मक (राज्य को कुछ करने से रोकते हैं)	सकारात्मक (राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं)	सकारात्मक (नागरिकों से अपेक्षा)
न्यायिक प्रवर्तनीयता	हाँ (Justiciable - Art 32/226)	नहीं (Non-justiciable - Art 37)	नहीं (पर संसद कानून बना सकती है)
लागू किस पर	नागरिक + विदेशी (कुछ को छोड़कर)	राज्य (State) पर	**केवल नागरिकों पर**
उद्देश्य	राजनीतिक लोकतंत्र	सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र	नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना/अनुशासन

💡 **Brainstorming Zone**

UPSC Trap Analysis:

कथन 1: "मूल कर्तव्यों को रिट (Writ) अधिकारिता के माध्यम से लागू किया जा सकता है।" -> **गलत।**

कथन 2: "संसद कानून द्वारा किसी मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा सकती है।" -> **सही।** (संविधान स्वतः लागू नहीं करता, पर संसद को रोकता भी नहीं है)।

मूल कर्तव्यों की यह विशेषता सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता (Liberty) का अर्थ निरंकुशता (Licentiousness) नहीं है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

मूल कर्तव्यों की आलोचना (Criticism of FDs)

संविधान विशेषज्ञों और आलोचकों द्वारा संविधान के भाग IV-A की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है:

- ***अपूर्ण सूची (Not Exhaustive):*** *यह सूची व्यापक नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे:*
  - **मतदान करना (Casting Vote)** - *(चुनाव आयोग लगातार इसकी मांग करता है)।*
  - **कर अदायगी (Paying Taxes)** - *(स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, पर खारिज हो गई)।*
  - **परिवार नियोजन (Family Planning)**।
- ***अस्पष्ट और जटिल शब्दावली:*** *कुछ कर्तव्यों के शब्द इतने अस्पष्ट और बहुअर्थी हैं कि आम नागरिक के लिए उन्हें समझना कठिन है। उदाहरण के लिए- 'उच्च आदर्श' (Noble ideals), 'सामासिक संस्कृति' (Composite culture), 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' (Scientific temper)। इनकी व्याख्या अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं।*
- ***गैर-न्यायोचित प्रकृति (No Penalty):*** *आलोचकों का मानना है कि इनके उल्लंघन पर किसी दंड की व्यवस्था न होने के कारण ये केवल* ***'पवित्र घोषणाओं' (Pious Declarations)*** *या 'नैतिक उपदेशों' बनकर रह गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की दंड संबंधी सिफारिश को न मानना एक चूक थी।*
- ***स्थान का मुद्दा (Placement Issue):*** *आलोचकों के अनुसार, इन्हें भाग IV (DPSP) के बाद भाग IV-A में जोड़ने से इनका महत्व कम हो गया है। इन्हें भाग III (मूल अधिकारों) के ठीक बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि अधिकारों के साथ इनका सीधा संबंध स्थापित हो सके।*

मूल कर्तव्यों का महत्व (Importance/Significance of FDs)

आलोचनाओं के बावजूद, मूल कर्तव्यों का भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है:

- **चेतावनी के रूप में:** *ये नागरिकों को राष्ट्र-विरोधी (Anti-national) और समाज-विरोधी (Anti-social) गतिविधियों (जैसे- सार्वजनिक संपत्ति को जलाना, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान) के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।*
- **प्रेरणा के स्रोत:** *ये नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि नागरिक मूक दर्शक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं।*
- ***न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक (Crucial for UPSC):*** *ये किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता (Constitutional Validity) का निर्धारण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं।*
  सर्वोच्च न्यायालय (1992) का नियम: यदि कोई कानून किसी 'मूल कर्तव्य' को प्रभावी करने के लिए बनाया गया है, तो न्यायालय उसे अनुच्छेद 14 (समानता) या अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता) के संदर्भ में 'उचित' (Reasonable) मान सकता है और उस कानून को असंवैधानिक होने से बचा सकता है।
- **कानून द्वारा लागू करने योग्य:** *यद्यपि ये संविधान द्वारा सीधे लागू नहीं होते, लेकिन संसद इनके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त कानून बना सकती है। यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो संसद दंड का प्रावधान कर सकती है।*

💡 **Brainstorming Zone**

मुख्य परीक्षा (Mains) / इंटरव्यू लिंक: *इंदिरा गांधी ने कर्तव्यों को जोड़ते हुए कहा था कि "मूल कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य अधिकारों को कम करना नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाना है।" महात्मा गांधी का भी कथन है - "अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो अधिकारों को खोजने बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा।"*

जे. एस. वर्मा समिति की टिप्पणियां (Verma Committee, 1999)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए **जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति (1999)** अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समिति का गठन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों की पहचान करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कई **विद्यमान कानूनी प्रावधान** मौजूद हैं।

समिति द्वारा पहचाने गए प्रमुख अधिनियम (Acts) जो FDs को लागू करते हैं:

कानून / अधिनियम (Act)	किस मूल कर्तव्य से संबंधित है? (विश्लेषण)
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act)	यह भारत के संविधान, **राष्ट्रीय ध्वज** और **राष्ट्रीय गान** के अनादर को रोकता है। (FD - 51A(a) का सीधा क्रियान्वयन)।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act)	यह जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत और भेदभाव को दंडनीय अपराध बनाता है। यह समरसता और **समान भ्रातृत्व** (Brotherhood) की भावना (FD - 51A(e)) को मजबूत करता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS)	IPC की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 (पूजा स्थल को नष्ट करना) दंडनीय अपराध हैं। यह राष्ट्रीय एकता और **साम्प्रदायिक सद्भाव** को सुनिश्चित करता है।
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA, 1967)	यह एक साम्प्रदायिक या राष्ट्र-विरोधी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह देश की संप्रभुता और **अखंडता** (FD - 51A(c)) की रक्षा करता है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951)	धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर वोट मांगने या दुश्मनी फैलाने वाले सांसदों/विधायकों को **अयोग्य (Disqualify)** ठहराने का प्रावधान करता है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act)	दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाता है। यह **प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों** (FD - 51A(g)) की रक्षा का सीधा कानूनी रूप है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act)	वनों की अंधाधुंध कटाई और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर रोक लगाता है। (पर्यावरण संरक्षण)।

वर्मा समिति का मुख्य निष्कर्ष:

समिति ने निष्कर्ष निकाला कि "**मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए नए कानूनों के निर्माण से अधिक, मौजूदा कानूनों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और उनका कड़ाई से क्रियान्वयन करना आवश्यक है।**" समिति ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Curriculum) में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर भी विशेष जोर दिया।

💡 **Brainstorming Zone**

UPSC Prelims Question Model:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा/से अधिनियम नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू करने में सहायता करता है/करते हैं?
1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
2. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

उत्तर: 1, 2 और 3 तीनों। (क्योंकि ये सभी 51A(a) और 51A(g) को कानूनी रूप देते हैं)।

मूल कर्तव्यों पर प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के वाद (Landmark SC Judgments)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यायपालिका के प्रमुख दृष्टिकोण और ऐतिहासिक वाद (Cases) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे संविधान की 'डायनामिक' व्याख्या प्रस्तुत करते हैं:

- **1. बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (Bijoe Emmanuel vs. State of Kerala, 1986):**
  विषय: राष्ट्रगान का सम्मान बनाम धार्मिक स्वतंत्रता (चुप रहने का अधिकार)।
  निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़ा होता है, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं (जेहोवा विटनेस संप्रदाय) के कारण उसे गाता नहीं है, तो यह 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' या अनुच्छेद 51A(a) का उल्लंघन **नहीं** है। राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़ा होना ही पर्याप्त आदर माना गया।
- **2. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (M.C. Mehta vs. Union of India, 1988):**
  विषय: पर्यावरण संरक्षण (अनुच्छेद 51A-g)।
  निर्णय: न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 51A(g) के तहत पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी वाद में न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी शैक्षणिक संस्थानों में **पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय** के रूप में पढ़ाए जाने की व्यवस्था करे।
- **3. एम्स छात्र संघ बनाम एम्स (AIIMS Students Union vs. AIIMS, 2001):**
  विषय: मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच संतुलन।
  निर्णय: SC ने स्पष्ट किया कि मूल कर्तव्य **"संविधान में केवल दिखावे के लिए (Not mere showpieces)"** नहीं हैं। यद्यपि वे रिट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे 'मूल अधिकारों' के समान ही महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने कहा कि **अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।**
- **4. श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ (Shyam Narayan Chouksey vs. Union of India, 2016):**
  विषय: सिनेमाघरों में राष्ट्रगान।
  निर्णय: शुरुआत में SC ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना और दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य कर दिया था, ताकि नागरिकों में 51A(a) के तहत प्रतिबद्धता पैदा हो। (हालांकि, 2018 में न्यायालय ने अपने इस आदेश को संशोधित कर इसे वैकल्पिक (Optional) बना दिया)।
- **5. रंगनाथ मिश्रा वाद (Ranganath Mishra Case, 2003):**
  विषय: कर्तव्यों के प्रति जागरूकता।
  निर्णय: न्यायालय ने सरकार को जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने और नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक कदम उठाने का निर्देश दिया।

SC का निष्कर्ष: कर्तव्यों का महत्व

↓

भले ही न्यायालय FDs को सीधे लागू नहीं कर सकता (Non-justiciable)

↓

लेकिन राज्य की कार्यपालिका/विधायिका को FDs लागू करने का निर्देश दे सकता है

↓

कानून की व्याख्या करते समय FDs को 'संविधान की आत्मा' के रूप में देखा जाएगा।

--

UPSC Prelims Traps (सावधानियां) एवं डायनामिक अप्रोच

प्रारंभिक परीक्षा में UPSC परीक्षार्थियों को फंसाने के लिए विशिष्ट शब्दों (Keywords) का हेरफेर करता है। निम्नलिखित 'Traps' को ध्यान से समझें:

🚨 Prelims Trap 1: शब्दावली (Vocabulary)

- **"संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर"** - यह FD (51A-a) है।
- लेकिन यदि कथन आए: "राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना" - यह FD **नहीं** है, बल्कि **DPSP (Art 49)** है। FDs में "सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा (51A-i)" और "सामासिक संस्कृति (51A-f)" का उल्लेख है, स्मारकों का नहीं।

🚨 Prelims Trap 2: मूल संविधान (Originality)

- कथन: "मूल कर्तव्यों को भारत के मूल संविधान में शामिल किया गया था।" -> **बिल्कुल गलत।** इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
- कथन: "वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं।" -> **सही।** (10 जोड़े गए 1976 में, 1 जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन द्वारा)।

वर्तमान प्रासंगिकता एवं करंट अफेयर्स (Dynamic Updates)

- **'कर्तव्य पथ' (Kartavya Path):** हाल ही में सरकार ने नई दिल्ली के 'राजपथ' का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' कर दिया है। यह प्रतीकात्मक रूप से शासक मानसिकता (Rule) से नागरिक कर्तव्य (Duty) की ओर स्थानांतरण को दर्शाता है।
- **प्रधानमंत्री के 'पंच प्राण' (Panch Pran):** 2022 में लाल किले से PM ने 2047 तक विकसित भारत के लिए 'पंच प्राण' की घोषणा की, जिनमें से एक प्राण "नागरिकों का कर्तव्य" (Duties of Citizens) है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
- **डिजिटल युग में कर्तव्य (FDs in Digital Age):** सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया अवलोकन के अनुसार, अनुच्छेद 51A(h) (वैज्ञानिक दृष्टिकोण) और 51A(e) (समान भ्रातृत्व) के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज (Fake News), हेट स्पीच (Hate Speech) और अफवाहें न फैलाएं। यह 21वीं सदी में मूल कर्तव्यों की आधुनिक व्याख्या है।
- **कोविड-19 महामारी:** महामारी के दौरान मास्क पहनना, क्वारंटाइन नियमों का पालन करना और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करना भी अनुच्छेद 51A (विशेषकर 51A-h और 51A-d) के तहत नागरिक कर्तव्यों के व्यापक दायरे में देखा गया।

संपूर्ण सारांश (Quick Revision Map)

स्रोत: USSR | **समिति:** स्वर्ण सिंह (1976) | **भाग/अनुच्छेद:** IV-A / 51A | **संशोधन:** 42वां (10 जोड़े) & 86वां (11वां जोड़ा) | **प्रकृति:** केवल नागरिकों के लिए, गैर-न्यायोचित (लेकिन संसद कानून बना सकती है) | **महत्व:** न्यायालयों के लिए व्याख्या का आधार (वर्मा समिति 1999)।

🖨️ **PDF Print Optimization:** यह डॉक्यूमेंट A4 साइज़, नैरो मार्जिन और 'No Clipping' नियमों के साथ पूरी तरह से प्रिंट-रेडी है। प्रिंट करते समय 'Background Graphics' को चालू (Enable) रखें।

UNIT 1.11 : संविधान का संशोधन एवं मूल संरचना

UPSC CSE (Amendment & Basic Structure)

1. विस्तृत संदर्भ (Context) एवं वैचारिक आधार

संविधान एक 'जीवंत दस्तावेज' (Living Document) है। बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए इसमें संशोधन आवश्यक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीलापन (Flexibility) अपनाया और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोरता (Rigidity)। भारतीय संविधान **कठोरता और लचीलेपन का एक अद्वितीय समन्वय** है। के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने इसे "संशोधन में न्यूनतम कठोरता के साथ अधिकतम लचीलापन" कहा है।

> 💡 **ब्रेनस्टॉर्म (Brainstorm):** क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? प्रारंभ में उत्तर 'हाँ' था (अनुच्छेद 368 की असीमित शक्ति), लेकिन न्यायपालिका ने 'मूल संरचना' (Basic Structure) का सिद्धांत देकर इस पर लगाम लगाई। यह शक्ति का पृथक्करण और चेक्स एंड बैलेंसेस (Checks and Balances) का बेहतरीन उदाहरण है।

2. संशोधन प्रक्रिया (Procedure for Amendment) - भाग XX, अनुच्छेद 368

संविधान के **भाग XX (Part 20)** में केवल एक अनुच्छेद है - **अनुच्छेद 368**, जो संसद को संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।

🛑 **PRELIMS TRAP (फंसने वाले शब्द):** राज्य विधानमंडल (State Legislature) संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत (Initiate) नहीं कर सकते। संशोधन विधेयक केवल संसद (लोकसभा या राज्यसभा) में ही पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Art 108) का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों में इसे अलग-अलग पारित होना अनिवार्य है।

संशोधन की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Flowchart)

1. शुरुआत (Initiation)

संसद के किसी भी सदन (LS/RS) में मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा। (राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं)

↓

2. विशेष बहुमत से पारित (Passage by Special Majority)

प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोनों सदनों में अलग-अलग।

↓

3. राज्यों का अनुसमर्थन (State Ratification) - (केवल संघीय ढांचे के लिए)

यदि संघीय व्यवस्था में परिवर्तन है, तो आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा **साधारण बहुमत (Simple Majority)** से पारित होना चाहिए। (समय सीमा निर्धारित नहीं)

↓

4. राष्ट्रपति की स्वीकृति (President's Assent)

24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए सहमति देना बाध्यकारी (Mandatory) कर दिया गया। वह इसे रोक या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।

↓

5. अधिनियम का निर्माण (Becomes an Act)

ऐतिहासिक घटना का संदर्भ: 1971 से पहले राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन गोलकनाथ मामले (1967) के बाद उपजे विवाद के कारण इंदिरा गांधी सरकार ने 24वां संशोधन पारित कर राष्ट्रपति को मात्र एक 'रबर स्टाम्प' बना दिया (केवल संशोधन विधेयकों के संदर्भ में)।

उपयोगिता अनुसार आर्टिकल लिंक: अनुच्छेद 111 (विधेयकों पर अनुमति) के तहत राष्ट्रपति को साधारण विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों पर नहीं। यह प्रारंभिक परीक्षा का एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है जहाँ छात्र अक्सर गलती करते हैं।

3. संशोधन के प्रकार (Types of Amendments)

अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से संविधान में **तीन तरीकों** से संशोधन किया जा सकता है। 🛑 **TRAP:** साधारण बहुमत से किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आता है।

प्रकार (Type)	बहुमत की प्रकृति (Nature)	शामिल विषय (Subjects Included - 🎯 Prelims Focus)
1. साधारण बहुमत द्वारा (Simple Majority)	सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1 (Art. 368 के बाहर)	· नए राज्यों का प्रवेश/निर्माण (Art 2 & 3) · राज्य विधान परिषदों का निर्माण/समाप्ति (Art 169) · दूसरी अनुसूची (वेतन, भत्ते) · संसद में गणपूर्ति (Quorum) · नागरिकता (प्राप्ति एवं समाप्ति) · 5वीं और 6वीं अनुसूची (Scheduled Areas)
2. विशेष बहुमत द्वारा (Special Majority)	सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (>50%) **तथा** उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3।	· **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)** · **राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs)** · वे सभी प्रावधान जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं हैं। (सर्वाधिक संशोधन इसी से होते हैं)
3. विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन (Special + State Ratification)	संसद में विशेष बहुमत **+** कम से कम 50% राज्य विधानमंडलों द्वारा **साधारण बहुमत** से स्वीकृति।	· राष्ट्रपति का चुनाव एवं प्रक्रिया (Art 54, 55) · संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार · सर्वोच्च न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालय (HC) · केंद्र-राज्य विधायी संबंध (Chapter 1, Part XI) · **सातवीं अनुसूची (7th Schedule)** की कोई सूची · संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (4th Schedule) · **स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन।**

🧠 **याद करने का ट्रिक (Memory Trick): संघीय ढांचे (Federal Structure) को छूने वाला कोई भी संशोधन राज्यों की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। ट्रिक: "P-S-C-7-368" (President, Supreme/High Court, Centre-State relations, 7th Schedule, 368 Article itself).**

4. संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of the Procedure)

1. कोई विशेष निकाय नहीं: अमेरिका या अन्य देशों की तरह संविधान संशोधन के लिए कोई अलग 'संविधान सभा' या विशेष निकाय नहीं है। संसद ही सामान्य कानून और संविधान संशोधन दोनों का कार्य करती है।

2. राज्यों की सीमित भूमिका: राज्यों के पास संशोधन प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार नहीं है। केवल एक अपवाद है - विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति (अनुच्छेद 169) के लिए राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है (वह भी संसद के विवेक पर निर्भर है)।

3. समय सीमा का अभाव: जब संघीय ढांचे का विधेयक राज्यों के पास अनुसमर्थन (Ratification) के लिए जाता है, तो संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राज्यों को कितने समय में जवाब देना है। यह एक बड़ी खामी है।

4. संयुक्त बैठक का न होना: गतिरोध की स्थिति में लोकसभा की इच्छा ही हावी होती है (चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है), लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संयुक्त बैठक (Art 108) का प्रावधान ही नहीं है, जिससे डेडलॉक बना रहता है।

5. व्यापक शक्ति: संविधान के अधिकांश भाग को संसद अकेले ही (साधारण या विशेष बहुमत से) संशोधित कर सकती है, राज्यों की सहमति केवल कुछ गिने-चुने संघीय मामलों में ही चाहिए होती है। यह एकात्मक (Unitary) झुकाव को दर्शाता है।

उपयोगिता: इन आलोचनाओं के बावजूद, भारतीय प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया है कि संविधान समय की मांग के अनुसार बदल सके। 106 से अधिक संशोधन इसका प्रमाण हैं। के.सी. व्हीयर के अनुसार, "भारतीय संविधान एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।"

5. मूल संरचना का प्रादुर्भाव (Evolution of Basic Structure Doctrine)

*क्या संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके **मौलिक अधिकारों (भाग III)** सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है? इस प्रश्न को लेकर संसद (विधायिका) और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायपालिका) के बीच एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष चला, जिसने 'मूल संरचना' के सिद्धांत को जन्म दिया। यह UPSC का सबसे पसंदीदा विषय है।*

न्यायिक संघर्ष की समयरेखा (Timeline of Judicial Conflict)

1. शंकरी प्रसाद वाद (1951):

मुद्दा: प्रथम संविधान संशोधन (1951) की वैधता, जिसने भूमि सुधार कानूनों को संपत्ति के अधिकार से बचाया (9वीं अनुसूची)।

*SC का निर्णय: संसद Art. 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन **कर सकती है**। अनुच्छेद 13 में 'कानून' (Law) शब्द में साधारण कानून शामिल हैं, संवैधानिक संशोधन नहीं।*

---

2. गोलकनाथ वाद (1967) - द टर्निंग पॉइंट:

मुद्दा: 17वें संविधान संशोधन (1964) की वैधता (भूमि अधिग्रहण से संबंधित)। 11 जजों की बेंच।

SC का निर्णय: SC ने अपना पुराना रुख बदल दिया। कहा कि मौलिक अधिकार 'पवित्र और अलंघनीय' (Sacrosanct and Inalienable) हैं। संसद मौलिक अधिकारों को न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक 'कानून' है, अतः यदि यह FRs का उल्लंघन करता है, तो यह शून्य होगा।

🛑 **TRAP:** *गोलकनाथ केस में 'मूल संरचना' शब्द नहीं आया था, बल्कि इसमें केवल FRs की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी।*

---

3. संसद की प्रतिक्रिया - 24वां संविधान संशोधन (1971):

इंदिरा गांधी सरकार ने गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए यह संशोधन किया।

- *अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया।*
- *स्पष्ट किया गया कि संसद को Art 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, और ऐसा संशोधन Art 13 के तहत 'कानून' नहीं माना जाएगा।*

विश्लेषण (Brainstorming for Mains/Prelims conceptual clarity): *यह वह समय था जब भारतीय राजनीति में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ संसद थी जो सामाजिक-आर्थिक न्याय (DPSPs को लागू करने के लिए) भूमि सुधार करना चाहती थी, और दूसरी तरफ न्यायपालिका थी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता (मौलिक अधिकारों, विशेषकर संपत्ति के अधिकार) की रक्षा कर रही थी। इस टकराव का चरम बिंदु 1973 में आया।*

क्या संसद संप्रभु (Sovereign) है?
ब्रिटेन में - हाँ। भारत में - नहीं! भारत में संविधान सर्वोच्च है।

इस पृष्ठभूमि में भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसने न केवल संविधान को बचाया बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही तय कर दी। यह केस था: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)।

6. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (24 अप्रैल 1973)

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच (**13 न्यायाधीशों** की पीठ)। 68 दिनों तक सुनवाई चली। निर्णय 7-6 के मामूली बहुमत से आया।

निर्णय की मुख्य बातें (Key Highlights for Prelims):
1. **24वें CAA को मान्यता:** SC ने गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया और 24वें संशोधन को वैध माना। अर्थात् संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
2. **'मूल संरचना' (Basic Structure) का जन्म:** SC ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति 'असीमित' नहीं है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान को **"नष्ट करने या उसके मूल ढांचे को बदलने"** का अधिकार नहीं देता है।
3. संपत्ति के अधिकार पर: इसे मूल संरचना का हिस्सा नहीं माना गया।

पोस्ट-केशवानंद विकास (Post-Kesavananda Developments)

संसद ने इस सिद्धांत को आसानी से स्वीकार नहीं किया और न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया:

A. 42वां संविधान संशोधन (1976): इसे 'मिनी संविधान' कहा जाता है। इसने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े।
- यह घोषित किया कि संसद की संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं है।
- किसी भी संशोधन को न्यायालय में किसी भी आधार (मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित) पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

B. मिनर्वा मिल्स वाद (1980) - संतुलन की पुनर्स्थापना:
- SC ने 42वें संशोधन के प्रावधानों (Art 368 (4) & (5)) को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि इसने 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) को छीन लिया था, जो स्वयं मूल संरचना का एक अंग है।
- 🛑 TRAP / V.IMP Fact: इसी केस में SC ने कहा कि भारतीय संविधान **"मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के बीच संतुलन"** की चट्टान पर टिका है।

C. वामन राव वाद (1981):
SC ने मूल संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की और एक 'कट-ऑफ डेट' स्पष्ट की।
- निर्णय: **24 अप्रैल 1973 (केशवानंद फैसले की तिथि)** के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को मूल संरचना (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19, 21) के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुला माना जाएगा। (अर्थात 9वीं अनुसूची अब ब्लैंकेट इम्युनिटी नहीं देती)।

D. आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho) वाद (2007) - 9वीं अनुसूची केस:
SC ने 9 जजों की बेंच के साथ वामन राव के फैसले को पुख्ता किया। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों का 'स्वर्ण त्रिभुज' (Golden Triangle - Art 14, 19, 21) के आधार पर टेस्ट किया जाएगा।

"संविधान की मूल संरचना एक उत्तरजीवी सिद्धांत है, जो विधायिका के बहुसंख्यकवाद से संविधान के सार की रक्षा करता है।"

7. मूल संरचना के तत्व (Elements of the Basic Structure)

सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना' को कभी भी एक बार में परिभाषित नहीं किया है। यह समय-समय पर विभिन्न मुकदमों (Case to Case basis) के माध्यम से विकसित हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि "निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का भाग है?"

🧠 Memory Trick (याद करने का सूत्र): "DJ SRF 3 (डीजे एसआरएफ क्यूब)"
D: Democracy (लोकतंत्र) & Dignity (गरिमा)
J: Judicial Review (न्यायिक समीक्षा)
S: Secularism (धर्मनिरपेक्षता), Separation of Powers (शक्ति पृथक्करण), Sovereignty (संप्रभुता)
R: Rule of Law (कानून का शासन), Republic (गणतंत्र)
F: Federalism (संघवाद), Free & Fair Elections (स्वतंत्र चुनाव)
3: Article 32 (सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति)

विभिन्न निर्णयों से उभरे मूल संरचना के प्रमुख घटक (माइंड मैप प्रारूप में):

संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)	**मूल संरचना (Basic Structure)**	धर्मनिरपेक्ष चरित्र (Secular Character)
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण	न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) - *Indira Gandhi Case*	कल्याणकारी राज्य (Socio-Economic Justice)
संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)	स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free & Fair Election)	स्वतंत्र न्यायपालिका (Independence of Judiciary)
अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत SC की शक्तियां	FRs और DPSPs के बीच सामंजस्य और संतुलन	कानून का शासन (Rule of Law) - *Indira Sahney Case*

🛑 **PRELIMS TRAP ALERT:**

1. क्या 'मूल संरचना' शब्द का उल्लेख संविधान में है? **उत्तर: नहीं।** यह पूरी तरह से न्यायिक आविष्कार है।
2. क्या 'कल्याणकारी राज्य' मूल संरचना है? **उत्तर: हाँ।**
3. क्या 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) मूल संरचना का हिस्सा है? **उत्तर: नहीं** (अब तक स्पष्ट रूप से घोषित नहीं)।

हालिया घटनाक्रम / अद्यतन (Current Affairs Reference):

एनजेएसी (NJAC) मामला (2015): 99वें संविधान संशोधन (जिसने कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था) को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया।
कारण: यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) में हस्तक्षेप करता है, जो कि **संविधान की मूल संरचना** का एक अभिन्न अंग है। यह ऐतिहासिक था क्योंकि बहुत लंबे समय बाद किसी पूरे के पूरे संविधान संशोधन को ही निरस्त किया गया था।

वर्तमान बहस: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कुछ अन्य नेताओं ने हाल ही में 'मूल संरचना' के सिद्धांत पर सवाल उठाए और कहा कि यह संसदीय संप्रभुता को कमजोर करता है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसे "ध्रुव तारा" (North Star) कहा है जो रास्ता दिखाता है। यह मेन्स और प्रीलिम्स दोनों के लिए 'हॉट टॉपिक' है।

8. परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन (V.IMP)

अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए निम्नलिखित संशोधन सबसे महत्वपूर्ण हैं:

1st CAA, 1951:
- सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान (Art 15(4))।
- जमींदारी उन्मूलन कानूनों की रक्षा के लिए **9वीं अनुसूची** जोड़ी गई।
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Art 19) पर तीन नए प्रतिबंध: सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना।

7th CAA, 1956:
- राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) की रिपोर्ट को लागू किया। 14 राज्य और 6 UTs बनाए।
- एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की सुविधा।

24th CAA, 1971:
- गोलकनाथ केस की प्रतिक्रिया।
- राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य किया।

42nd CAA, 1976 (लघु संविधान / Mini Constitution): स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर (आपातकाल के दौरान)।
- प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े: **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता**।
- नागरिकों के लिए **मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, Art 51A)** जोड़े गए।
- राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया (Art 74)।
- न्यायाधिकरण (Tribunals) जोड़े गए (भाग XIV-A)।
- 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया: शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीवों/पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन (SC/HC को छोड़कर)।

44th CAA, 1978:
- 42वें संशोधन की ज्यादतियों को उलटने के लिए (मोरारजी देसाई सरकार)।
- **संपत्ति के अधिकार** को मौलिक अधिकार (Art 31) से हटाकर कानूनी अधिकार (Art 300A) बनाया।
- राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) में 'आंतरिक अशांति' शब्द को **'सशस्त्र विद्रोह'** से बदला।
- कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगेगा।
- Art 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

52nd CAA, 1985: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)। 10वीं अनुसूची जोड़ी।

61st CAA, 1989: मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई (Art 326)।

73rd & 74th CAA, 1992: क्रमशः पंचायतें (भाग IX, 11वीं अनुसूची) और नगर पालिकाएं (भाग IX-A, 12वीं अनुसूची) जोड़ी गईं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।

86th CAA, 2002: शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।
- **Art 21A:** 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
- **Art 45 (DPSP):** 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल (ECCE)।
- **Art 51A(k) (FD):** माता-पिता का कर्तव्य जोड़ा गया कि वे शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

9. हालिया महत्वपूर्ण संशोधन (97th से 106th) - डायनामिक अप्रोच

प्रारंभिक परीक्षा में हाल के 5-10 वर्षों के संशोधनों का 'क्रोनोलॉजी' (Chronology) या उनका 'विषय' मिलान करने के लिए पूछा जाता है। इसे कंठस्थ करें:

संशोधन क्र.	वर्ष	प्रमुख विषय वस्तु (Core Content)
97th CAA	2011	**सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies)**: Art 19(1)(c) में अधिकार, DPSP में Art 43B जोड़ा, नया भाग IX-B जोड़ा। (हाल ही में SC ने इसके कुछ हिस्सों को रद्द किया है, यह करंट अफेयर्स का बिंदु है।)
99th CAA	2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना। **सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में पूर्णतः निरस्त (Struck down)।**
100th CAA	2015	भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता (LBA) - एन्क्लेव का आदान-प्रदान। 1ली अनुसूची में संशोधन।
101st CAA	2016	**वस्तु एवं सेवा कर (GST)** लागू किया गया। समवर्ती कराधान की शक्ति, GST परिषद (Art 279A) का गठन।
102nd CAA	2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा (Art 338B)।
103rd CAA	2019	**EWS कोटा:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रोजगार और शिक्षा में अधिकतम 10% आरक्षण। (Art 15(6) और 16(6) जोड़े गए)। मूल संरचना उल्लंघन का केस जनहित अभियान वाद (2022) में 3:2 से खारिज।
104th CAA	2020	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) बढ़ाया। **एंग्लो-इंडियन (Anglo-Indian) समुदाय के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया।**
105th CAA	2021	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी **सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की सूची** खुद तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति बहाल की (मराठा आरक्षण विवाद के बाद)।
106th CAA	2023	**नारी शक्ति वंदन अधिनियम:** लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए **33% आरक्षण**। परिसीमन (Delimitation) के बाद प्रभावी होगा। 15 साल की अवधि के लिए लागू (संसद बढ़ा सकती है)।

10. निष्कर्ष (Conclusion for Prelims & Mains thought process)

भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो बहुत आसान है कि यह सत्तारूढ़ दल का खिलौना बन जाए, और न ही इतनी कठोर कि विकास की गति रुक जाए। 'मूल संरचना' के सिद्धांत ने एक 'सुरक्षा वाल्व' (Safety Valve) का काम किया है। जहाँ अनुच्छेद 368 संसद को असीमित शक्तियां देने का भ्रम पैदा करता है, वहीं न्यायपालिका ने संविधान की पवित्रता को बनाए रखा है। यही कारण है कि भारतीय संविधान आज भी एक **सजीव और प्रासंगिक (Living and Relevant)** दस्तावेज बना हुआ है।

"संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है, और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है।" - बी.आर. अंबेडकर

UNIT 2.1: संसदीय व्यवस्था (PARLIAMENTARY SYSTEM) - समग्र विश्लेषण

संदर्भ (Context): आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटी जाती हैं: **संसदीय (Parliamentary)** और **अध्यक्षीय (Presidential)**। भारत के संविधान निर्माताओं ने **अनुच्छेद 74 और 75** (केंद्र के लिए) तथा **अनुच्छेद 163 और 164** (राज्यों के लिए) के तहत ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित संसदीय व्यवस्था को अपनाया। इसे 'कैबिनेट सरकार', 'उत्तरदायी सरकार' या 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहा जाता है। इवोर जेनिंग्स ने इसे "कैबिनेट सिस्टम" कहा है क्योंकि इसमें कैबिनेट शक्ति का केंद्र (Nucleus of Power) होती है।

संसदीय सरकार के अन्य नाम:

वेस्टमिंस्टर मॉडल ↔ **उत्तरदायी सरकार (Responsible Govt)** ↔ **कैबिनेट सरकार (Cabinet Govt)** ↔ **प्रधानमंत्रीय सरकार (Prime Ministerial Govt - Crossman)**

1. संसदीय सरकार की विशेषताएं (Features of Parliamentary Govt)

संसदीय व्यवस्था के मूल तत्व निम्नलिखित हैं जिन्हें Prelims में कथनों (Statements) के रूप में पूछा जाता है:

विशेषता (Feature)	विस्तृत विश्लेषण (UPSC दृष्टिकोण से)
नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका (Nominal & Real Executive)	राष्ट्रपति **नामित (De jure/Titular)** कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री **वास्तविक (De facto)** कार्यपालिका है। **Art 74**: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए PM के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए **बाध्यकारी** (**42वें और 44वें संशोधन** द्वारा) है।
बहुमत प्राप्त दल का शासन (Majority Party Rule)	जिस राजनीतिक दल को लोकसभा (निचले सदन) में बहुमत मिलता है, वह सरकार बनाता है। **UPSC Trap: "संसद में बहुमत" नहीं; केवल "लोकसभा" में बहुमत आवश्यक है।** गठबंधन के मामले में राष्ट्रपति स्वविवेक से सबसे बड़े दल/गठबंधन के नेता को आमंत्रित करता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)	यह संसदीय व्यवस्था का **सबसे मुख्य सिद्धांत (Bedrock principle)** है। **Art 75(3)** के अनुसार, मंत्रिपरिषद **लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** होती है। वे "एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं"। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्य सभा के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है।
दोहरी सदस्यता (Double Membership)	मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। **Trap: कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसे सदस्यता लेनी होगी।**
प्रधानमंत्री का नेतृत्व (Leadership of PM)	PM सरकार की धुरी (Lynchpin) है। वह मंत्रिपरिषद, संसद और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। लॉर्ड मोर्ले ने PM को "समान लोगों में प्रथम" (Primus inter pares) कहा है।
निचले सदन का विघटन (Dissolution of Lower House)	संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका (PM) को विधायिका (लोकसभा) को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करने का अधिकार है। यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच **शक्ति के संलयन (Fusion of powers)** को दर्शाता है, न कि पृथक्करण को।

🧠 **Brainstorming (मेंस और प्रीलिम्स लिंकेज):** क्या भारत में 'कैबिनेट सरकार' अब 'प्रधानमंत्रीय सरकार' में बदल गई है? रिचर्ड क्रॉसमैन और एच.जे. लास्की जैसे राजनीति शास्त्रियों का मानना है कि प्रधानमंत्री के पास शक्तियों के भारी संकेंद्रण के कारण, कैबिनेट का महत्व कम हो गया है। भारत में मजबूत बहुमत वाली सरकारों (उदा: 1970 का दशक, 2014 के बाद) के दौरान यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखती है, जिसे 'सुपर-कैबिनेट' या 'किचन कैबिनेट' का प्रभाव कहा जाता है।

💡 **Memory Trick (संसदीय विशेषताएं याद रखने के लिए):** **"CM PND"** -> **C**ollective Responsibility, **M**ajority Rule, **P**rime Minister leadership, **N**ominal/Real Head, **D**ouble Membership / **D**issolution.

ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context): 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1853 के चार्टर एक्ट से ही एक प्रकार की 'लघु संसद' की शुरुआत हो गई थी। बाद में 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों ने इस व्यवस्था की नींव को और मजबूत किया। यही कारण है कि संविधान सभा ने इसे एक परिचित व्यवस्था मानकर अपनाया।

अध्यक्षीय व्यवस्था (PRESIDENTIAL SYSTEM) एवं तुलना

2. अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं (Features of Presidential System)

अध्यक्षीय प्रणाली (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) **शक्तियों के पृथक्करण (Strict Separation of Powers)** के सिद्धांत पर आधारित है। इसे 'गैर-उत्तरदायी', 'गैर-संसदीय' या 'निश्चित कार्यकारी व्यवस्था' भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।

🇺🇸 अमेरिकी अध्यक्षीय मॉडल (मुख्य तत्व)

- **एकल कार्यपालिका (Single Executive):** राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख (Head of State) और सरकार का प्रमुख (Head of Govt) होता है।
- **निश्चित कार्यकाल:** राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। उसे केवल **महाभियोग (Impeachment)** जैसी अत्यंत कठोर प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं।
- **किचन कैबिनेट:** राष्ट्रपति एक गैर-निर्वाचित सलाहकारों (किचन कैबिनेट) की मदद से शासन करता है जो विधायिका के सदस्य नहीं होते।

⚠️ UPSC Prelims Focus Areas

- **Trap:** अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है, लेकिन 'चेक एंड बैलेंस' (Checks and Balances) भी होता है। राष्ट्रपति की संधियाँ सीनेट द्वारा अनुसमर्थित होनी चाहिए।
- राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए **कांग्रेस (विधायिका) के प्रति उत्तरदायी नहीं** होते हैं।
- राष्ट्रपति **निचले सदन (House of Representatives) को भंग नहीं** कर सकता है।

3. संसदीय बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था (विस्तृत तुलना)

यहाँ से UPSC सीधे कथन उठाता है। यह तालिका (Table) पूरे टॉपिक का हृदय है।

आधार (Basis)	संसदीय व्यवस्था (Parliamentary)	अध्यक्षीय व्यवस्था (Presidential)
कार्यपालिका की प्रकृति	दोहरी कार्यपालिका (Nominal + Real)।	एकल कार्यपालिका (Single Executive)।
उत्तरदायित्व (Responsibility)	**उत्तरदायी सरकार**। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है (विशेषकर निचले सदन के प्रति)।	**गैर-उत्तरदायी सरकार**। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है।
सदस्यता (Membership)	**दोहरी सदस्यता**। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का भाग होते हैं।	एकल सदस्यता। मंत्री केवल कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, विधायिका का नहीं।
विघटन (Dissolution)	PM की सलाह पर राष्ट्रपति निचला सदन भंग कर सकता है।	राष्ट्रपति निचले सदन को भंग **नहीं** कर सकता।
शक्तियों का सिद्धांत	**शक्तियों का संलयन (Fusion of Powers)**। विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं।	**शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)** (Montesquieu का सिद्धांत)।
सरकार का कार्यकाल	**अनिश्चित** (जब तक बहुमत है तब तक सरकार)।	**निश्चित कार्यकाल** (Fixed Tenure)।
दलीय अनुशासन	कठोर दलीय अनुशासन (Anti-defection law के कारण)।	दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत लचीला होता है।

अध्यक्षीय (USA) → विशेषाधिकार प्राप्त राष्ट्रपति → स्थायित्व (Stability) उच्च, उत्तरदायित्व (Responsibility) निम्न

संसदीय (India) → बहुमत समर्थित कैबिनेट → उत्तरदायित्व उच्च, स्थायित्व निम्न (बदल सकता है)

वर्तमान संदर्भ / करंट अफेयर्स: हाल ही में कई राजनीतिक विचारकों (जैसे शशि थरूर) ने भारत में शासन की अक्षमताओं को दूर करने के लिए अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाने की वकालत की है। उनका तर्क है कि इससे वोट-बैंक की राजनीति कम होगी और विशेषज्ञ (Talent) सीधे कैबिनेट में आ सकेंगे। लेकिन, आलोचकों का मानना है कि भारत जैसी विविधता में अध्यक्षीय प्रणाली तानाशाही (Dictatorship) में बदल सकती है क्योंकि एक व्यक्ति पूरे देश की विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। संविधान के 'बेसिक स्ट्रक्चर' (Basic Structure Doctrine - **केशवानंद भारती केस 1973**) के तहत संसदीय व्यवस्था संविधान का मूल ढांचा है, अतः इसे संशोधन द्वारा भी अध्यक्षीय में नहीं बदला जा सकता।

संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष (MERITS & DEMERITS)

4. संसदीय व्यवस्था के गुण (Merits)

भारत ने इस प्रणाली को अपनाया क्योंकि इसके लाभ नव-स्वतंत्र, अत्यधिक विविध राष्ट्र के अनुकूल थे:

- **1. विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य (Harmony):** कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग है। दोनों परस्पर निर्भर हैं। इसलिए विवादों की गुंजाइश कम होती है और नीतियां आसानी से पारित हो जाती हैं। (अध्यक्षीय प्रणाली में डेडलॉक (Gridlock) आम बात है)।
- **2. उत्तरदायी सरकार (Responsible Government):** मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। संसद विभिन्न उपकरणों (जैसे- प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव) के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखती है। UPSC Keyword: Daily Assessment + Periodic Assessment (डॉ. अंबेडकर के अनुसार)।
- **3. निरंकुशता पर रोक (Prevents Despotism):** कार्यकारी अधिकार एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) के बजाय एक समूह (मंत्रिपरिषद) में निहित होते हैं। यह तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकता है।
- **4. वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था (Ready Alternative Govt):** यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है, तो राज्य के प्रमुख (राष्ट्रपति) विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, बिना नए चुनाव कराए। जेनिंग्स ने कहा: "विपक्ष एक वैकल्पिक सरकार है।"
- **5. व्यापक प्रतिनिधित्व (Wide Representation):** कार्यपालिका में देश के विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों का प्रतिनिधित्व संभव है। भारत में कैबिनेट बनाते समय क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाता है।

5. संसदीय व्यवस्था के दोष (Demerits)

संसदीय व्यवस्था कई बार संकट पैदा करती है, जिसे UPSC विश्लेषणात्मक प्रश्नों (Analytical questions) में पूछता है:

1. अस्थिर सरकार (Unstable Govt): कोई गारंटी नहीं है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गठबंधन सरकारों के युग (1989-2014) में, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और वी.पी. सिंह की सरकारें अल्पकालिक रहीं। **Trap: अविश्वास प्रस्ताव, राजनीतिक दल-बदल, या गठबंधन टूटने से सरकार गिर सकती है।**

2. नीतियों की निरंतरता का अभाव (No Continuity of Policies): लंबी अवधि की नीतियां बनाना मुश्किल है। जब सत्ता बदलती है, तो नई सरकार पुरानी नीतियों को बदल देती है (उदा: 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस की नीतियां पलटीं, 1980 में कांग्रेस ने वापस पलटीं)।

- **3. कैबिनेट की तानाशाही (Dictatorship of the Cabinet):** जब सत्तारूढ़ दल को संसद में पूर्ण/प्रचंड बहुमत मिलता है, तो कैबिनेट तानाशाह की तरह व्यवहार कर सकती है (उदा: 1975 का आपातकाल)। एच.जे. लास्की ने चेताया था कि संसदीय व्यवस्था में बहुमत की तानाशाही का खतरा रहता है।
- **4. शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध (Against Separation of Powers):** विधायिका और कार्यपालिका एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। कैबिनेट ही कानूनों का मसौदा तैयार करती है और उन्हें लागू भी करती है, जो 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) को कमजोर करता है।
- **5. अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार (Govt by Amateurs):** मंत्री अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वे प्रशासन के लिए नौकरशाहों (IAS) पर निर्भर होते हैं। PM के पास चुनाव का विकल्प केवल संसद सदस्यों तक सीमित होता है, वह बाहर से विशेषज्ञों (Talent) को आसानी से मंत्री नहीं बना सकता (बशर्ते 6 माह में चुनाव न जीतें)।

सार (Summary Matrix):

गुण	सामंजस्य, उत्तरदायित्व, व्यापक प्रतिनिधित्व, वैकल्पिक सरकार
दोष	अस्थिरता, कैबिनेट तानाशाही, विशेषज्ञों का अभाव, नीतिगत अनिरंतरता

ऐतिहासिक घटनाक्रम: भारत में 1989 से 2014 तक का दौर 'गठबंधन की राजनीति' (Coalition Politics) का रहा, जिसने संसदीय व्यवस्था के 'अस्थिरता' वाले दोष को प्रमुखता से उजागर किया। इस दौर में 'क्षेत्रीय दलों' का राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व बढ़ा। हालांकि 2014 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकारें आने से पुनः कैबिनेट का प्रभाव बढ़ा है।

भारत में संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण

6. भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों चुना? (Reasons for Adoption)

संविधान सभा में अध्यक्षीय और संसदीय प्रणालियों को लेकर गहन बहस (Brainstorming) हुई। प्रो. के.टी. शाह जैसे सदस्य अध्यक्षीय प्रणाली के पक्ष में थे। फिर भी, निम्नलिखित कारणों से हमने ब्रिटिश मॉडल को चुना:

1. व्यवस्था से परिचित होना (Familiarity with the System): के.एम. मुंशी ने तर्क दिया कि पिछले 30-40 वर्षों से भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय व्यवस्था कुछ हद तक काम कर रही थी। 1919 और 1935 के अधिनियमों ने भारतीयों को इस प्रणाली का अनुभव दे दिया था। एक बिल्कुल नई व्यवस्था (अध्यक्षीय) अपनाना जोखिम भरा था।

2. अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता (Preference to More Responsibility): **डॉ. बी.आर. अंबेडकर का ऐतिहासिक तर्क:** "एक लोकतांत्रिक कार्यपालिका को दो शर्तें पूरी करनी चाहिए- स्थायित्व (Stability) और उत्तरदायित्व (Responsibility)। दुर्भाग्य से, दोनों को समान रूप से सुनिश्चित करने वाली प्रणाली खोजना संभव नहीं है... अमेरिकी प्रणाली अधिक स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। ब्रिटिश प्रणाली अधिक उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व। संविधान सभा ने **स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व (Responsibility over Stability)** को अधिक प्राथमिकता दी।"

- **3. विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को टालना (Avoiding Legislative-Executive Conflicts):** शिशु लोकतंत्र के रूप में भारत, कार्यपालिका और विधायिका के बीच उस निरंतर संघर्ष को वहन नहीं कर सकता था जो अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली में देखा जाता है। देश के तीव्र विकास के लिए दोनों अंगों के बीच सहयोग आवश्यक था।
- **4. भारतीय समाज की प्रकृति (Nature of Indian Society):** भारत विश्व के सबसे विषम (Heterogeneous) और जटिल समाजों में से एक है। संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका में विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और हितों को प्रतिनिधित्व देने का बेहतर अवसर प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।

7. स्वर्ण सिंह समिति और संसदीय व्यवस्था (1975)

1975 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने **स्वर्ण सिंह समिति** का गठन किया ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या संसदीय प्रणाली को अध्यक्षीय प्रणाली से बदला जाना चाहिए?

समिति का निष्कर्ष: समिति ने रिपोर्ट दी कि संसदीय प्रणाली भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के आधार पर **42वां संविधान संशोधन (1976)** लाया गया जिसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे संसदीय व्यवस्था की जड़ें और मजबूत हुईं।

> 🤔 **UPSC विश्लेषणात्मक दृष्टि:** क्या भारत का संसदीय मॉडल केवल ब्रिटिश मॉडल की कार्बन कॉपी है? **उत्तर: नहीं।** यद्यपि ढांचा समान है, लेकिन भारत ने अपने गणतांत्रिक (Republican) स्वरूप, संघीय (Federal) ढांचे, और लिखित संविधान के अनुसार इसे अनुकूलित किया है। ब्रिटिश संसद संप्रभु (Sovereign) है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां संविधान और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) द्वारा सीमित हैं।

संविधान सभा के प्रमुख कथन (Q&A Mapping)	
"हम संसदीय प्रणाली को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हम संघर्ष के बजाय सहयोग चाहते हैं।"	- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर**
"हमें उस संस्था को नहीं छोड़ना चाहिए जिसके बारे में हम जानते हैं।"	- **के.एम. मुंशी**

वर्तमान परिदृश्य में 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation, One Election - कोविंद समिति) जैसी बहसों का सीधा प्रभाव संसदीय व्यवस्था के 'उत्तरदायित्व' और 'कार्यकाल' के सिद्धांत पर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में सरकारों के बीच सामंजस्य बैठाना एक चुनौती होगी।

भारत एवं ब्रिटेन मॉडल में विभेद (INDIA VS BRITAIN)

8. भारतीय और ब्रिटिश संसदीय मॉडल में अंतर

यह UPSC प्रारंभिक परीक्षा का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। यद्यपि भारत का मॉडल ब्रिटिश 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल पर आधारित है, फिर भी इसमें कई मौलिक अंतर हैं:

तुलना का आधार	🇮🇳 भारतीय मॉडल (Indian Model)	🇬🇧 ब्रिटिश मॉडल (British Model)
राज्य का प्रमुख (Head of State)	**गणतंत्र (Republic):** राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) **निर्वाचित** होता है (अप्रत्यक्ष रूप से)।	**राजशाही (Monarchy):** राज्य का प्रमुख (राजा/रानी) **वंशानुगत** (Hereditary) होता है।
संसद की स्थिति (Position of Parliament)	संसद सर्वोच्च **नहीं** है। शक्तियां लिखित संविधान द्वारा सीमित हैं। **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** और मूल अधिकारों (Fundamental Rights) का अस्तित्व है।	**संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty):** संसद सर्वोच्च है। जो चाहे कानून बना सकती है। कोई सख्त न्यायिक समीक्षा नहीं।
प्रधानमंत्री का सदन (House of PM)	PM संसद के **किसी भी सदन** (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य हो सकता है। (उदा: इंदिरा गांधी 1966, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे)।	PM को **केवल निचले सदन** (House of Commons) का ही सदस्य होना चाहिए।
मंत्रियों की नियुक्ति (Appointment of Ministers)	**Trap: कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।**	केवल संसद के सदस्य (MP) को ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व (Legal Responsibility)	भारत में मंत्रियों की कोई **विधिक जिम्मेदारी (Legal Responsibility)** नहीं होती है। राज्य के प्रमुख के आदेशों पर मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (countersign) की आवश्यकता नहीं है।	ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। राजा कोई गलती नहीं कर सकता (The King can do no wrong), हर आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं।
शैडो कैबिनेट (Shadow Cabinet)	भारत में शैडो कैबिनेट जैसी **कोई संस्था नहीं** है।	यह विपक्षी दल द्वारा बनाई गई एक अनूठी संस्था है, जो सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करती है और भविष्य की सरकार के लिए तैयार रहती है।

भारतीय व्यवस्था का सार + **संसदीय स्वरूप (UK से)** + **गणतंत्रीय स्वरूप (USA/France से)** = **संवैधानिक सर्वोच्चता**

शैडो कैबिनेट (Shadow Cabinet) पर विशेष ध्यान: ब्रिटिश प्रणाली में विपक्षी दल एक 'शैडो कैबिनेट' बनाता है। विपक्षी दल का प्रत्येक 'शैडो मंत्री' सरकार के वास्तविक मंत्री के कार्यों की निगरानी करता है। जब सरकार गिरती है, तो शैडो कैबिनेट तुरंत कार्यभार संभालने के लिए तैयार रहती है। भारत में ऐसा कोई आधिकारिक ढांचा नहीं है, हालांकि मुख्य विपक्षी दल (Lop) की भूमिका मजबूत होती है।

💡 **UPSC Trick to remember differences: "Indian PM can fly high (Rajya Sabha), British PM must stay grounded (Commons). Indian President is elected (Republic), British King is born (Monarch)."**

भारतीय संविधान का 'संश्लेषण' (Synthesis): भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की 'संसदीय संप्रभुता' और अमेरिका की 'न्यायिक सर्वोच्चता' के बीच एक अभूतपूर्व संतुलन स्थापित किया है। भारतीय संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 'बेसिक स्ट्रक्चर' सिद्धांत के तहत असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, संशोधन एवं वाद (ARTICLES & CASES)

9. प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Key Articles)

अनुच्छेद 74 (Art 74): राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। (सलाह बाध्यकारी है)। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है।

अनुच्छेद 75 (Art 75): PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति PM की सलाह पर। **मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of President) पद धारण करेंगे (व्यक्तिगत उत्तरदायित्व)।**

अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति **सामूहिक रूप से उत्तरदायी** होगी।

अनुच्छेद 77 (Art 77): भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे।

अनुच्छेद 78 (Art 78): प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना **PM का कर्तव्य** है।

10. संसदीय व्यवस्था से जुड़े प्रमुख संविधान संशोधन (Major Amendments)

- **42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976):** इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इसने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए **बाध्य (Bound)** है। इसने नामित कार्यपालिका को पूरी तरह से रबर स्टैंप बना दिया।
- **44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978):** मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को **एक बार पुनर्विचार (Reconsideration)** के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया। हालांकि, पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। (इसने राष्ट्रपति को थोड़ी विवेकाधीन शक्ति दी)।
- **91वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003):** अति-महत्वपूर्ण! इसने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया। PM सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के **15% से अधिक नहीं** हो सकती। **Trap: यह नियम राज्यों (Art 164) पर भी लागू है (CM सहित 15%), लेकिन छोटे राज्यों में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 तय की गई है।** दल-बदल करने वाला सदस्य मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा।

11. प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वाद (Landmark Judgments)

वाद (Case)	सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (UPSC Relevance)
यू.एन.आर. राव बनाम इंदिरा गांधी (1971)	SC ने कहा कि **अनुच्छेद 74** अनिवार्य है। लोकसभा भंग होने के बाद भी **मंत्रिपरिषद कभी अस्तित्व से बाहर नहीं जाती** है। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य नहीं कर सकता, अन्यथा यह असंवैधानिक होगा। (राष्ट्रपति शासन केंद्र में नहीं लग सकता)।
एस.आर. बोम्मई केस (1994)	संसदीय व्यवस्था और संघवाद पर सबसे ऐतिहासिक निर्णय। SC ने कहा कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण **केवल विधानसभा/लोकसभा के पटल (Floor Test) पर** होना चाहिए, राजभवन (राज्यपाल/राष्ट्रपति के कक्ष) में नहीं।
रामेश्वर प्रसाद केस (2006)	बिहार विधानसभा विघटन से जुड़ा मामला। SC ने कहा कि राज्यपाल द्वारा बहुमत सिद्ध होने से पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना असंवैधानिक है। यह संसदीय लोकतंत्र के साथ धोखा है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख हैं, और कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

समकालीन मुद्दे, ट्रैप्स और अंतिम पुनरावृत्ति (FINAL REVISION)

12. समकालीन घटनाक्रम एवं ज्वलंत मुद्दे (Current Affairs Linkage)

संसदीय व्यवस्था वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिन्हें UPSC अक्सर कथनों में पिरोता है:

- **दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law - 10th Schedule) का प्रभाव:** किहोटो होलोहन केस (1992)। इस कानून ने सांसदों/विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दिया है। अब वे अपने विवेक के बजाय 'पार्टी व्हिप' (Party Whip) के अनुसार वोट करने को बाध्य हैं। इसने **संसदीय उत्तरदायित्व को दलीय उत्तरदायित्व में बदल दिया है**। हाल ही में महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के संकट इस बात के प्रमाण हैं।
- **त्रिशंकु संसद/विधानसभा (Hung Parliament):** जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति/राज्यपाल की **विवेकाधीन शक्तियां (Discretionary Powers)** अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 'सरकारिया आयोग' और 'पुंछी आयोग' ने ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश (जैसे सबसे बड़े चुनाव-पूर्व गठबंधन को बुलाना) दिए हैं।
- **अध्यादेश राज (Ordinance Raj - Art 123/213):** बार-बार अध्यादेश लाना संसदीय बहस और कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को कमजोर करता है (**डी.सी. वाधवा केस** एवं **कृष्ण कुमार सिंह केस** में SC ने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी बताया)।
- **संसदीय समितियों का दरकिनार होना:** हाल के वर्षों में विधेयकों को जांच के लिए विभागीय संसदीय स्थायी समितियों (DRSCs) के पास भेजने का प्रतिशत कम हुआ है, जो कार्यपालिका पर विधायी 'चेक एंड बैलेंस' को कमजोर करता है।

13. 🚨 UPSC Prelims Traps (सावधान रहें!)

❌ **कथन:** भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है।
✅ **सत्य:** हाँ, भाग V (Art 74, 75) और भाग VI (Art 163, 164) के तहत।

❌ **कथन:** मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
✅ **सत्य:** नहीं, केवल **लोकसभा** के प्रति (Art 75(3))। संसद का अर्थ राज्यसभा भी होता है।

❌ **कथन:** मंत्री व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
✅ **सत्य:** नहीं, मंत्री **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** (Pleasure of President) पद धारण करते हैं (व्यक्तिगत उत्तरदायित्व)।

14. ब्रेनस्टॉर्म: क्या संसदीय प्रणाली को बनाए रखना चाहिए?

यद्यपि गठबंधन सरकारों और नीतिगत पंगुता (Policy paralysis) के कारण इसके आलोचक बढ़े हैं, फिर भी भारत जैसी जटिल और बहुलवादी सोसायटी के लिए यह सबसे उपयुक्त है। हाल के पूर्ण बहुमत वाले जनादेशों (2014, 2019, 2024 के निष्कर्ष) ने दिखाया है कि संसदीय प्रणाली में भी स्थिर और निर्णायक सरकार संभव है। चुनौती प्रणाली को बदलने में नहीं, बल्कि इसमें सुधार (जैसे चुनावी सुधार, दलबदल कानून को मजबूत करना, इंट्रा-पार्टी डेमोक्रेसी) करने में है।

🔄 Unit 2.1 Quick Revision Cycle

मूल: विधायिका और कार्यपालिका का संलयन ➔ **हृदय:** सामूहिक उत्तरदायित्व ➔ **अध्यक्ष:** नामित (राष्ट्रपति) और वास्तविक (PM) ➔ **विभेद:** भारत संप्रभु संसद नहीं, ब्रिटेन है ➔ **खतरा:** अस्थिरता ➔ **लाभ:** प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व।

Unit 2.2: संघीय व्यवस्था एवं केंद्र-राज्य संबंध (Federal System & Centre-State Relations)

1. संघीय व्यवस्था (Federal System): संदर्भ एवं परिचय

राजनीतिक व्यवस्था को केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर **एकात्मक (Unitary)** और **संघीय (Federal)** में वर्गीकृत किया जाता है। भारत का संविधान स्वरूप में संघीय है, लेकिन भावना में एकात्मक है। 🔥 **Prelims Trap:** संविधान में **'संघीय' (Federal)** शब्द का प्रयोग **कहीं भी नहीं** किया गया है। **अनुच्छेद 1** भारत को **'राज्यों के संघ' (Union of States)** के रूप में वर्णित करता है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार 'राज्यों का संघ' का तात्पर्य है: 1. भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी **समझौते का परिणाम नहीं** है (जैसे अमेरिका)। 2. राज्यों को संघ से **अलग होने का कोई अधिकार नहीं** है। भारत एक 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।

> 🧠 **Memory Trick: संघीय और एकात्मक विशेषताएं याद रखने का सूत्र**
> **संघीय (Federal):** *"द्वैध-लिखित-शक्तियों-का-कठोर-सर्वोच्च-स्वतंत्र-द्विसदन"* (Dual Polity, Written, Division, Rigid, Supreme, Independent Judiciary, Bicameralism)
> **एकात्मक (Unitary):** *"एकल-मजबूत-लचीला-एकीकृत-आपातकाल-अखिल"* (Single Const, Strong Centre, Flexible, Integrated Judiciary, Emergency, AIS)

2. संविधान की संघीय vs एकात्मक विशेषताएं (तुलनात्मक विश्लेषण)

संघीय विशेषताएं (Federal Features)	एकात्मक / गैर-संघीय विशेषताएं (Unitary Features)
1. द्वैध राज्यापद्धति (Dual Polity): केंद्र (राष्ट्रीय महत्व) और राज्य (क्षेत्रीय महत्व) दोनों स्तरों पर सरकारें। **2. लिखित संविधान (Written Const.):** यह न केवल दुनिया का सबसे विस्तृत है, बल्कि शक्तियों को स्पष्ट करता है। **3. शक्तियों का विभाजन:** **अनुसूची 7** (संघ, राज्य, समवर्ती सूची)। **अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास (अनुच्छेद 248)** - यह कनाडाई मॉडल है। **4. संविधान की सर्वोच्चता:** केंद्र/राज्य के कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए (न्यायिक समीक्षा)। **5. कठोर संविधान (Rigid):** संघीय ढांचे में संशोधन के लिए **विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन** **(अनुच्छेद 368)** चाहिए। **6. स्वतंत्र न्यायपालिका:** सुप्रीम कोर्ट संघीय विवादों का मध्यस्थ है। **7. द्विसदनीयता (Bicameralism):** राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा भारत की जनता का।	**1. सशक्त केंद्र:** संघ सूची में अधिक और महत्वपूर्ण विषय। समवर्ती सूची में केंद्र प्रभावी। **2. राज्य अनश्वर नहीं:** संसद साधारण बहुमत से राज्यों का नाम, क्षेत्र बदल सकती है **(अनुच्छेद 3)**। **3. एकल संविधान:** राज्यों का अपना संविधान नहीं (अपवाद-पहले J&K था)। **4. संविधान का लचीलापन:** संविधान का बड़ा हिस्सा **साधारण बहुमत** से संशोधित हो सकता है। **5. आपातकालीन उपबंध:** **भाग XVIII**. आपातकाल में राज्य पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में (संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है)। **6. एकल नागरिकता:** केवल भारतीय नागरिकता (अमेरिकी प्रणाली के विपरीत)। **7. एकीकृत न्यायपालिका:** SC शीर्ष पर, फिर HC (राज्यों के अलग न्यायालय नहीं)। **8. अन्य:** अखिल भारतीय सेवाएं **(Art 312)**, राज्यपाल की नियुक्ति **(Art 155)**, राज्य विधेयकों पर वीटो **(Art 200, 201)**, एकीकृत चुनाव मशीनरी (ECI), कैग (CAG)।

3. संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन एवं आलोचना (Critical Evaluation)

विभिन्न विद्वानों ने भारतीय संघवाद को अलग-अलग नामों से पुकारा है। **UPSC Prelims सीधा कथन देकर विद्वान का नाम पूछता है:**

- **के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare):** "अर्ध-संघीय" (Quasi-Federal) - एक एकात्मक राज्य जिसमें सहायक संघीय विशेषताएं हैं।
- **ग्रानविले ऑस्टिन (Granville Austin):** "सहकारी संघवाद" (Cooperative Federalism)।
- **आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings):** "केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति वाला संघ"।
- **पॉल एप्पलबी (Paul Appleby):** "अत्यधिक केंद्रीकृत"।
- **मॉरिस जोंस (Morris Jones):** "सौदेबाजी का संघवाद" (Bargaining Federalism)।
- **एस.आर. बोम्मई वाद (1994):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि **'संघवाद' संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure)** है। राज्य केंद्र के 'mere appendages' (उपांग) नहीं हैं।

भारतीय संघवाद की प्रकृति — सहकारी (GST Council) | प्रतिस्पर्धी (NITI Aayog Index) | विषम (Asymmetric - Art 371)

(पेज का कोई भाग खाली न रहे, इसके लिए सभी तथ्यों को समाहित किया गया है। अगले पेज पर विधायी संबंध देखें।)

4. केंद्र-राज्य संबंध: I. विधायी संबंध (Legislative Relations)

संविधान का **भाग XI**, अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों की चर्चा करता है। इसके 4 प्रमुख पहलू हैं: 1. क्षेत्रीय विस्तार, 2. विषयों का बंटवारा, 3. राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, 4. राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण।

A. क्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent) - अनुच्छेद 245

संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। **संसद के कानून को 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation)** प्राप्त है (यानी दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिकों/संपत्ति पर लागू)। राज्य विधायिका केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। ⚠️ अपवाद (जहां संसदीय कानून लागू नहीं होते या संशोधित रूप में लागू होते हैं): 1. अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव (राष्ट्रपति के नियमन)। 2. 5वीं अनुसूची क्षेत्र (राज्यपाल)। 3. 6वीं अनुसूची क्षेत्र - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम (राज्यपाल/राष्ट्रपति)।

B. विधायी विषयों का बंटवारा - अनुच्छेद 246 & 7वीं अनुसूची

सूची (List)	प्रारंभिक विषय	वर्तमान विषय	अधिकार (Power)	महत्वपूर्ण विषय (Prelims Focus)
संघ सूची (I)	97	98 (मूलतः 100)	केवल संसद	रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, **जनगणना**।
राज्य सूची (II)	66	59 (मूलतः 61)	राज्य विधायिका	**सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि**, स्थानीय शासन।
समवर्ती सूची (III)	47	52	दोनों (टकराव में केंद्र हावी)	शिक्षा, वन, **वन्यजीव संरक्षण**, विवाह, तलाक, दिवालियापन।

संशोधन ट्रैप: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए: 1. शिक्षा, 2. वन, 3. नाप-तौल, 4. वन्यजीव/पक्षियों का संरक्षण, 5. न्याय प्रशासन (SC/HC को छोड़कर अन्य न्यायालयों का गठन)।

अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers - Art 248): जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं (उदा: साइबर कानून), उन पर **कानून बनाने और कर लगाने** का अधिकार केवल संसद को है।

C. राज्य सूची में संसदीय विधान (Parliamentary Legislation in State Field) - ★ अति महत्वपूर्ण ★

असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये 5 परिस्थितियां Prelims के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं:

1. अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित में): यदि **राज्य सभा** उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **2/3 बहुमत (Special Majority)** से प्रस्ताव पारित करे। यह **1 वर्ष** के लिए वैध होता है (अनंत बार बढ़ाया जा सकता है)।

2. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल): जब **अनुच्छेद 352** लागू हो। आपातकाल समाप्त होने के **6 महीने** बाद तक यह कानून प्रभावी रहता है।

3. अनुच्छेद 252 (राज्यों के अनुरोध पर): जब **दो या अधिक राज्य** प्रस्ताव पारित करें। ⚠️ Trap: ऐसा कानून **केवल उन्हीं राज्यों** पर लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। इसे **केवल संसद** ही निरस्त या संशोधित कर सकती है, राज्य नहीं। (उदा: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972)।

4. अनुच्छेद 253 (अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु): संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों/समझौतों (जैसे TRIPS, पर्यावरण संधियां) को लागू करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बना सकती है।

5. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): राज्य विधायिका की शक्तियां संसद द्वारा प्रयुक्त होती हैं।

राज्य सूची पर केंद्र के नियंत्रण का फ्लोचार्ट

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक

↓

राज्यपाल का वीटो (अनुच्छेद 200) - राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित

↓

राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो (अनुच्छेद 201) - राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति रोक सकता है (Absolute Veto)

नोट: कुछ राज्य विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व **राष्ट्रपति की पूर्व सहमति** आवश्यक है (जैसे - व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक - Art 304)।

5. केंद्र-राज्य संबंध: 2. प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)

संविधान का **भाग XI**, अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करता है। सामान्य समय में, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों के सह-विस्तारित (co-extensive) होती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यकारी शक्ति सामान्यतः **राज्यों के पास** होती है, जब तक कि संसद कानून बनाकर इसे केंद्र को न सौंप दे।

A. राज्यों और केंद्र की बाध्यता (Obligation & Directions)

- अनुच्छेद 256: प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए **कानूनों का अनुपालन** सुनिश्चित हो। केंद्र इस हेतु निर्देश दे सकता है।
- अनुच्छेद 257: राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ऐसे होना चाहिए कि **संघ की कार्यकारी शक्ति में बाधा न पहुंचे**।
- 🔴 दंडात्मक प्रावधान (अनुच्छेद 365): यदि कोई राज्य **केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल** रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, और **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** लगाया जा सकता है।

B. कार्यों का आपसी प्रत्यायोजन (Mutual Delegation of Functions)

संघीय व्यवस्था में कठोरता से बचने के लिए, केंद्र और राज्य अपने कार्यकारी कार्यों का आपसी आदान-प्रदान कर सकते हैं:

1. केंद्र से राज्य को: राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, संघ के कार्यकारी कार्य राज्य को सौंप सकता है (Art 258(1)) । **संसद भी** कानून बनाकर राज्य के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है (Art 258(2)) - इसके लिए **राज्य की सहमति आवश्यक नहीं** है।

2. राज्य से केंद्र को: राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, राज्य के कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकता है (Art 258A - 7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया) ।

C. अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services - AIS)

यद्यपि भारत में द्वैध शासन प्रणाली है, लेकिन AIS केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती हैं। ये संघीय सिद्धांत का उल्लंघन प्रतीत होती हैं, लेकिन प्रशासनिक एकीकरण और उत्कृष्टता के लिए आवश्यक हैं।

- वर्तमान में 3 AIS हैं: **IAS, IPS** (1947 में गठित) और **IFS (Indian Forest Service)** (1966 में सृजित)।
- अनुच्छेद 312: 🔥 UPSC Trap: **नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन केवल संसद कर सकती है**, लेकिन इसके लिए **राज्य सभा** को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **2/3 बहुमत** से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है।
- **नियंत्रण:** इन अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा (UPSC के माध्यम से) होता है। तात्कालिक नियंत्रण (Immediate control) राज्य सरकार का होता है, लेकिन **अंतिम नियंत्रण (Ultimate control) केंद्र सरकार का** होता है। राज्य सरकार इन्हें बर्खास्त (Dismiss) नहीं कर सकती।

प्रशासनिक संबंधों के अन्य आयाम

- **लोक सेवा आयोग:** SPSC अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल, पर हटाता राष्ट्रपति है (Art 317)
- **JPSC:** संसद द्वारा 2+ राज्यों के लिए गठन। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- **एकीकृत न्यायपालिका:** राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। (Art 217 - HC जज नियुक्ति में राष्ट्रपति+SC+गवर्नर)
- **आपातकाल (Art 352):** केंद्र राज्यों को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है।

संविधान के बाहर सहयोग: नीति आयोग (NITI Aayog), राष्ट्रीय एकता परिषद, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य सचिवों का सम्मेलन आदि गैर-संवैधानिक (Extra-constitutional) तंत्र सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।

6. केंद्र-राज्य संबंध: 3. वित्तीय संबंध (Financial Relations)

संविधान का **भाग XII**, **अनुच्छेद 268 से 293** तक वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

A. कराधान शक्तियों का आवंटन (Allocation of Taxing Powers)

संसद के पास संघ सूची (उदा: आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क) पर, और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची (उदा: भू-राजस्व, शराब पर उत्पाद शुल्क, टोल) पर कर लगाने की विशेष शक्ति है। समवर्ती सूची में कर का कोई विषय नहीं है (अपवाद- GST)। **अवशिष्ट कराधान शक्ति संसद के पास है (उदा: गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स)।**

B. 101वां संविधान संशोधन 2016 (GST) - ऐतिहासिक परिवर्तन

इसने वित्तीय संघवाद को 'सहकारी संघवाद' के चरम पर पहुंचा दिया। इसने **अनुच्छेद 246A** जोड़ा, जो संसद **और** राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देता है। अंतर-राज्यीय व्यापार (IGST) पर केवल संसद कानून बनाती है।

अनुच्छेद 279A (GST परिषद): यह एक **संवैधानिक निकाय** है। गठन राष्ट्रपति द्वारा। **अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री**। **निर्णय प्रक्रिया:** 3/4 (75%) भारित बहुमत से। केंद्र का वोट मूल्य = 1/3, सभी राज्यों का कुल वोट मूल्य = 2/3।

C. करों का वितरण (Distribution of Tax Revenues)

अनुच्छेद	प्रकृति (Nature)	उदाहरण (Examples)
Art 268	केंद्र द्वारा लगाए गए, लेकिन राज्यों द्वारा **एकत्रित और रखे गए** कर।	स्टाम्प ड्यूटी, औषधीय/शौचालय तैयारियों पर उत्पाद शुल्क। (CFI का हिस्सा नहीं बनते)
Art 269	केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए गए, **राज्यों को सौंपे गए** कर।	अंतर-राज्यीय व्यापार में माल की बिक्री/खरीद पर कर।
Art 269A	अंतर-राज्यीय व्यापार में **GST (IGST)** लगाना और संग्रह।	केंद्र लगाता/एकत्र करता है। केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित (GST परिषद की सिफारिश पर)।
Art 270	केंद्र द्वारा लगाए/एकत्र किए गए, केंद्र और राज्यों के बीच **वितरित कर**।	संघ सूची के सभी कर (उपकर/सरचार्ज को छोड़कर)। वितरण **वित्त आयोग** की सिफारिश पर।
Art 271	केंद्र के प्रयोजनों के लिए **सरचार्ज (Surcharge) और उपकर (Cess)**।	**संपूर्ण राशि केवल केंद्र के पास जाती है।** राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।

D. सहायता अनुदान (Grants-in-Aid)

1. विधिक अनुदान (Statutory - Art 275): संसद द्वारा उन राज्यों को जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर CFI से दिया जाता है।

2. विवेकाधीन अनुदान (Discretionary - Art 282): केंद्र और राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, भले ही वह उनकी विधायी क्षमता में न हो। (योजना आयोग के युग में इसका भारी उपयोग होता था)।

E. उधार लेना (Borrowing Powers)

केंद्र (Art 292): भारत या विदेशों से CFI की सुरक्षा पर उधार ले सकता है (संसद की सीमा के भीतर)।

राज्य (Art 293): **केवल भारत के भीतर** उधार ले सकते हैं। यदि राज्य पर केंद्र का कोई पुराना ऋण बकाया है, तो नया ऋण लेने के लिए **केंद्र की सहमति अनिवार्य** है।

वित्त आयोग (Art 280): यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य। **16वें वित्त आयोग** (अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया) का गठन 2023 में किया गया है (सिफारिशें 2026-31 के लिए)। 15वें FC ने राज्यों का हिस्सा **41%** (42% - 1% J&K के लिए) तय किया था।

7. केंद्र-राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां और आयोग (Trends & Committees)

आजादी के बाद पहले दशक में एक दलीय प्रभुत्व (कांग्रेस प्रणाली) के कारण केंद्र-राज्य संबंध सुचारू रहे। 1967 के चुनाव के बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उदय से **'विवादास्पद संघवाद' (Conflictual Federalism)** का जन्म हुआ। प्रमुख विवाद: राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, केंद्रीय बलों की तैनाती, और वित्तीय स्वायत्तता।

A. महत्वपूर्ण समितियां और आयोग (Chronology for Prelims)

समिति/आयोग (वर्ष)	किसने गठित किया?	प्रमुख सिफारिशें (Prelims Focus)
राजमन्नार समिति (1969)	तमिलनाडु सरकार (DMK)	Art 256, 257, 356 को हटाना। **अंतर-राज्यीय परिषद का तुरंत गठन**। AIS (IAS/IPS) को समाप्त करना। वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाना।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)	अकाली दल (पंजाब)	केंद्र का अधिकार क्षेत्र केवल **रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा** तक सीमित हो। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएं।
पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977)	वामपंथी सरकार (WB)	संविधान में 'यूनियन' की जगह 'फेडरल' शब्द। राज्य सभा की शक्ति लोकसभा के बराबर। अनुच्छेद 356, 357, 360 निरस्त हों।
सरकारीया आयोग (1983-88)	**केंद्र सरकार** (अध्यक्ष: आर.एस. सरकारीया)	**स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद (Art 263) का गठन हो।** Art 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प (Rarest of rare) के रूप में हो। **राज्यपाल गैर-राजनीतिक व्यक्ति हो**। त्रिभाषा सूत्र लागू हो। समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श हो।
पुंछी आयोग (2007-10)	**केंद्र सरकार** (अध्यक्ष: मदन मोहन पुंछी)	**राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जाए**। Art 355 & 356 में संशोधन कर 'स्थानीय आपातकाल' (Localized Emergency) का प्रावधान हो। समवर्ती सूची के विषयों पर 'संसदीय सर्वोच्चता' के बजाय सहयोग हो।

⚖️ लैंडमार्क जजमेंट: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

यह मामला **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश:

- राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।
- अदालत राष्ट्रपति के फैसले के 'कारणों' की नहीं, बल्कि **सामग्री (Material) की प्रासंगिकता** की जांच कर सकती है।
- यदि उद्घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है, तो **अदालत बर्खास्त राज्य सरकार को बहाल कर सकती है।**
- राज्य विधानसभा को तभी भंग किया जा सकता है जब **संसद उद्घोषणा को मंजूरी दे दे**। मंजूरी से पहले राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित (Suspend) कर सकता है।
- **धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है** - यदि राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम करती है, तो Art 356 लगाया जा सकता है।
- सरकार का बहुमत विधानसभा के पटल (Floor test) पर तय होना चाहिए, राजभवन में नहीं।

वर्तमान प्रवृत्तियां (Current Trends): NITI Aayog का गठन (नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण/Bottom-up approach), GST का कार्यान्वयन, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का युक्तिकरण, और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट - ये सभी वर्तमान में केंद्र-राज्य संबंधों को परिभाषित कर रहे हैं। ONOE को लेकर विपक्ष का तर्क है कि यह 'संघीय ढांचे' के खिलाफ है क्योंकि इससे क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों में दब जाएंगे।

8. अंतर्राज्यीय संबंध (Inter-State Relations) - Part I

संघीय व्यवस्था के सफल संचालन के लिए न केवल केंद्र-राज्य समन्वय, बल्कि राज्यों के बीच (Inter-state) सहयोग भी आवश्यक है। संविधान ने इसके लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं:

A. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Disputes) - अनुच्छेद 262

नदी जल विवाद भारत में एक प्रमुख मुद्दा है। Art 262 में 2 प्रावधान हैं: 1. संसद कानून द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी/नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर विवाद के न्यायनिर्णयन (Adjudication) का प्रावधान कर सकती है। 2. **संसद यह प्रावधान कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई अदालत ऐसे विवाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगी।**

संसद ने 2 कानून बनाए हैं: **रिवर बोर्ड्स एक्ट (1956)** (आज तक कोई बोर्ड नहीं बना) और **अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956)**। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार एड-हॉक (तदर्थ) **ट्रिब्यूनल** का गठन करती है। ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होता है (उसे SC के डिक्री का बल प्राप्त होता है)।

प्रमुख जल विवाद ट्रिब्यूनल (Prelims Fact)

- **कावेरी:** कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी
- **कृष्णा:** महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
- **गोदावरी:** महा, AP, MP, कर्नाटक, ओडिशा
- **रावी-ब्यास:** पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
- **महानदी:** ओडिशा, छत्तीसगढ़

B. अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Councils) - अनुच्छेद 263

सार्वजनिक हित में, **राष्ट्रपति** अंतर-राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। सरकारीया आयोग की सिफारिश पर **1990 में वी.पी. सिंह सरकार** द्वारा पहली बार इसका गठन किया गया। यह एक **संवैधानिक और गैर-स्थायी निकाय** है।

संरचना (Composition):
- ***अध्यक्ष:*** प्रधानमंत्री (PM)
- ***सदस्य:*** सभी राज्यों और विधानसभा वाले UTs के मुख्यमंत्री।
- प्रशासक (बिना विधानसभा वाले UTs के)।
- राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल।
- **6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** (गृह मंत्री सहित) जिन्हें PM नामित करता है।

कार्य: राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और सलाह देना (सुप्रीम कोर्ट के Art 131 के अधिकार क्षेत्र के पूरक के रूप में)। **यह परिषद केवल एक सलाहकार निकाय है।** इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। इसकी वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए (हालांकि व्यवहार में ऐसा कम ही होता है)।

C. सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं (Public Acts, Records & Judicial Proceedings)

अनुच्छेद 261: चूंकि हर राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके क्षेत्र तक सीमित है, इसलिए यह प्रावधान है कि **संघ और हर राज्य के सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्यवाही को पूरे भारत में "Full Faith and Credit" (पूर्ण विश्वास और साख) दी जाएगी।** भारत के किसी भी हिस्से में सिविल न्यायालयों (Civil Courts) द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों को पूरे भारत में कहीं भी निष्पादित (Execute) किया जा सकता है। **नोट: यह नियम आपराधिक निर्णयों (Criminal judgments) पर लागू नहीं होता है।** एक राज्य का दंड कानून दूसरे राज्य द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

9. अंतर्राज्यीय संबंध - Part 2: व्यापार, वाणिज्य और क्षेत्रीय परिषदें

D. अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य (Inter-State Trade and Commerce)

संविधान का **भाग XIII**, अनुच्छेद 301 से 307। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि **भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम (Intercourse) मुक्त होगा।** इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना है।

स्वतंत्रता पर प्रतिबंध (Exceptions): 1. संसद सार्वजनिक हित में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच प्रतिबंध लगा सकती है (Art 302)। लेकिन संसद वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। 2. राज्य विधायिका अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर **कर लगा सकती है** यदि वैसी ही वस्तुएं उस राज्य में भी कर योग्य हों (भेदभाव रहित कर)। 3. राज्य 'सार्वजनिक हित' में प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसा विधेयक **राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी** के बाद ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है (Art 304)।

E. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) - ★ UPSC Prelims Favourite ★

क्षेत्रीय परिषदें **संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies) नहीं हैं।** ये **सांविधिक (Statutory) निकाय** हैं। इन्हें **राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), 1956** द्वारा स्थापित किया गया है। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच भावनात्मक एकीकरण और अलगाववाद को रोकना है।

संरचना (Composition):

- **अध्यक्ष (Chairman): केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister)** सभी क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष होते हैं।
- **उपाध्यक्ष (Vice-Chairman):** उस क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन द्वारा (एक वर्ष के लिए)।
- **सदस्य:** गृह मंत्री, सीएम और प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री + यूटी के प्रशासक। (नीति आयोग का प्रतिनिधि सलाहकार के रूप में शामिल होता है)।

परिषद (Zone)	मुख्यालय (HQ)	शामिल राज्य/UTs (States/UTs)
उत्तरी (Northern)	नई दिल्ली	J&K, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़।
मध्य (Central)	प्रयागराज	UP, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़।
पूर्वी (Eastern)	कोलकाता	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा।
पश्चिमी (Western)	मुंबई	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली।
दक्षिणी (Southern)	चेन्नई	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी।

F. पूर्वोत्तर परिषद (North-Eastern Council - NEC)

पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। उनके लिए एक अलग संसदीय अधिनियम—**पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971**—द्वारा NEC का गठन किया गया है। **मुख्यालय: शिलॉन्ग।** इसके 8 सदस्य हैं: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और **सिक्किम (2002 में शामिल - Trap)**। इसके अध्यक्ष भी केंद्रीय **गृह मंत्री** होते हैं और उपाध्यक्ष DoNER मंत्री होते हैं।

🏁 Quick Revision Brainstorm 🏁

Art 1: Union of States | **Art 3**: Alteration of Boundaries | **Art 246**: 7th Schedule Lists | **Art 248**: Residuary Powers | **Art 249**: RS resolution for State List | **Art 256**: Obligation of States | **Art 262**: Water Disputes | **Art 263**: Inter-State Council | **Art 279A**: GST Council | **Art 280**: Finance Commission | **Art 312**: All India Services | **Art 356**: President's Rule

Unit 2.3: आपातकालीन प्रावधान एवं केंद्र-राज्य संबंधों में नवीन प्रवृत्तियां

I. आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions): संदर्भ एवं आधार

संविधान के **भाग XVIII** में **अनुच्छेद 352 से 360** तक आपातकालीन प्रावधान हैं। इनका उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, संविधान सामान्य समय में संघीय (Federal) और आपातकाल में एकात्मक (Unitary) स्वरूप धारण कर लेता है, इसके लिए किसी **औपचारिक संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं** होती। यह भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है।

A. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) - अनुच्छेद 352

घोषणा के आधार (Grounds): राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो: 1. **युद्ध (War)**, 2. **बाह्य आक्रमण (External Aggression)**, या 3. **सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)**।

> 🔥 **Prelims Trap:** मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' की जगह 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द था। **44वें संशोधन अधिनियम (1978)** द्वारा इसे बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 'आंतरिक अशांति' का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया था। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगे आपातकाल को **'बाह्य आपातकाल'** और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल को **'आंतरिक आपातकाल'** कहते हैं।

कैबिनेट की लिखित सिफारिश: **44वें संशोधन 1978** ने यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति तभी उद्घोषणा करेगा जब **मंत्रिमंडल (Cabinet - Art 352(3))** लिखित रूप में इसकी सिफारिश करे। (प्रधानमंत्री की अकेली सलाह पर्याप्त नहीं)। **नोट: 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में है।**

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): **मिनर्वा मिल्स वाद (1980)** में SC ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को 'दुर्भावना' या 'अप्रासंगिक तथ्यों' के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

संसदीय अनुमोदन और समयावधि (Parliamentary Approval & Duration)

राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा

↓

1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन (मूल रूप में 2 महीने था, 44वें AA द्वारा घटाया गया)

↓

बहुमत का प्रकार: विशेष बहुमत (Special Majority) - कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3

↓

अनुमोदन के बाद 6 महीने तक लागू। इसे अनंत काल तक (हर 6 महीने में अनुमोदन के साथ) बढ़ाया जा सकता है।

B. आपातकाल की वापसी (Revocation)

1. राष्ट्रपति किसी भी समय **दूसरी उद्घोषणा द्वारा** इसे वापस ले सकता है (संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं)।
2. **44वां संशोधन:** यदि **लोकसभा** उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **साधारण बहुमत** से उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना ही होगा। लोकसभा के 1/10 सदस्य नोटिस देकर विशेष बैठक (14 दिन के भीतर) बुला सकते हैं।

> 🧠 **Memory Trick:** **राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है:**
> **1962 (चीन युद्ध):** नेफा (अरुणाचल) में आक्रमण (1968 तक चला)।
> **1971 (पाक युद्ध):** बांग्लादेश संकट (बाह्य आक्रमण)।
> **1975 (आंतरिक आपातकाल):** आंतरिक अशांति के आधार पर। (1971 और 1975 दोनों आपातकाल एक साथ 1977 में समाप्त हुए)।

2. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव (Effects of National Emergency)

A. केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव

- **कार्यकारी:** केंद्र राज्यों को किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारें निलंबित नहीं होतीं, लेकिन केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं।
- **विधायी:** संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है (Art 250)। राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। ऐसे कानून आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।
- **वित्तीय:** राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण (Art 268-279) को संशोधित कर सकता है।

B. लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव

संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में **एक वर्ष** के लिए बढ़ा सकती है (अनंत काल तक)। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार **6 महीने** से अधिक नहीं रह सकता। **उदाहरण: 5वीं लोकसभा (1971-77) का कार्यकाल 2 बार (1-1 वर्ष) बढ़ाया गया था।** यही नियम राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होता है।

C. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव (Art 358 vs Art 359) - ★ UPSC Prelims Favourite ★

राष्ट्रीय आपातकाल का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे दो अनुच्छेदों के माध्यम से समझा जाता है:

आधार (Basis)	अनुच्छेद 358 (Article 358)	अनुच्छेद 359 (Article 359)
कौन से अधिकार?	केवल अनुच्छेद 19 (6 मौलिक स्वतंत्रताएं)	वे **सभी मौलिक अधिकार** जिन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश में निर्दिष्ट करे।
निलंबन की प्रकृति	आपातकाल की घोषणा होते ही **स्वतः (Automatically)** निलंबित हो जाते हैं। आदेश की जरूरत नहीं।	स्वतः निलंबित नहीं होते। **राष्ट्रपति के आदेश** द्वारा अधिकारों का प्रवर्तन (Enforcement) निलंबित होता है।
आपातकाल का प्रकार	**केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण'** पर। (सशस्त्र विद्रोह पर नहीं - 44वें AA द्वारा)।	बाह्य और आंतरिक **दोनों** आपातकालों में लागू हो सकता है।
अवधि	संपूर्ण आपातकाल की अवधि के लिए।	राष्ट्रपति द्वारा तय अवधि (या संपूर्ण आपातकाल) के लिए।
क्षेत्रीय विस्तार	पूरे देश में लागू होता है।	पूरे देश या किसी हिस्से में लागू हो सकता है।
अपवाद (Exceptions)	कोई नहीं (अनुच्छेद 19 पूरी तरह निलंबित)।	अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता (44वें AA द्वारा)।

44वें संविधान संशोधन 1978 का सार (Summary of Checks & Balances):

1. 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला।
2. कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य की (Art 352(3))।
3. संसद में 'साधारण' की जगह 'विशेष बहुमत' अनिवार्य किया।
4. आवधिक संसदीय अनुमोदन (हर 6 महीने में) जोड़ा।
5. लोकसभा को आपातकाल रद्द करने की शक्ति दी।
6. Art 358 (अनुच्छेद 19 का निलंबन) को सशस्त्र विद्रोह से मुक्त किया।
7. Art 359 के तहत **अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण)** और **अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता)** के निलंबन को रोक दिया।

3. राष्ट्रपति शासन (President's Rule / State Emergency)

इसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' भी कहा जाता है। संविधान में इसके लिए 'आपातकाल' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

आधार 1: **अनुच्छेद 356:** राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य सरकार **संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं** चलाई जा सकती। (राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना)।

आधार 2: **अनुच्छेद 365:** यदि राज्य **केंद्र द्वारा दिए गए किसी संवैधानिक निर्देश का पालन करने में विफल** रहता है, तो यह माना जाएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।

A. संसदीय अनुमोदन और समयावधि

- उद्घोषणा के **2 महीने के भीतर** दोनों सदनों द्वारा **साधारण बहुमत (Simple Majority)** से अनुमोदन आवश्यक। (राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीना और विशेष बहुमत है)।
- अनुमोदन के बाद **6 महीने** तक लागू। अधिकतम अवधि **3 वर्ष** हो सकती है (हर 6 माह में अनुमोदन आवश्यक)।
- **44वां संशोधन:** 1 वर्ष के बाद इसे तभी बढ़ाया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हों: 1. देश/राज्य में **राष्ट्रीय आपातकाल** लागू हो, और 2. **चुनाव आयोग (ECI)** प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है।

राष्ट्रपति शासन के परिणाम
- राज्य मंत्रिपरिषद (CM सहित) बर्खास्त
- राज्य विधानसभा निलंबित या भंग
- संसद राज्य का बजट/कानून पारित करती है
- HC की शक्तियां प्रभावित नहीं होतीं

B. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) - युगांतरकारी निर्णय

इस निर्णय ने अनुच्छेद 356 के अंधाधुंध दुरुपयोग पर रोक लगाई। SC के प्रमुख दिशा-निर्देश:

1. राष्ट्रपति शासन **न्यायिक समीक्षा** के अधीन है। अदालत राष्ट्रपति की संतुष्टि के 'कारणों' की नहीं, बल्कि **सामग्री (Material) की प्रासंगिकता** की जांच कर सकती है।
2. यदि उद्घोषणा असंवैधानिक है, तो अदालत **बर्खास्त राज्य सरकार और विधानसभा को बहाल** कर सकती है।
3. राज्य विधानसभा को तभी भंग किया जा सकता है जब **संसद उद्घोषणा को मंजूरी दे दे**। मंजूरी से पहले राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित (Suspend) कर सकता है।
4. सरकार का बहुमत विधानसभा के पटल **(Floor test)** पर तय होना चाहिए, राजभवन में राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय से नहीं।
5. **धर्मनिरपेक्षता संविधान का 'मूल ढांचा' है।** धर्मनिरपेक्ष विरोधी कार्य करने वाली राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।

C. वर्तमान संदर्भ: अनुच्छेद 356 का 'सॉफ्ट' दुरुपयोग (Soft Misuse)

बोम्मई फैसले के बाद प्रत्यक्ष बर्खास्तगी (Direct dismissal) कम हुई है, लेकिन राज्यपालों द्वारा अप्रत्यक्ष 'सॉफ्ट' दुरुपयोग बढ़ा है:

1. **त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly):** चुनाव के बाद सबसे बड़े दल/गठबंधन को बुलाने में राज्यपाल का पक्षपाती रवैया (उदा: महाराष्ट्र 2019, कर्नाटक 2018)।
2. **फ्लोर टेस्ट में देरी/जल्दबाजी:** अपनी पसंद की पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए अकारण ज्यादा समय देना (हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा)।
3. **विधेयकों को रोकना:** राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (**Art 200** का दुरुपयोग - केरल, तमिलनाडु, पंजाब सरकारों का सुप्रीम कोर्ट जाना)।

4. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) - अनुच्छेद 360

आधार: यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख (Credit) खतरे में है। **38वें संशोधन (1975)** ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम बनाया था, लेकिन **44वें संशोधन (1978)** ने स्पष्ट किया कि यह **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।

- **संसदीय अनुमोदन: 2 महीने** के भीतर **साधारण बहुमत** से।
- **अवधि:** एक बार मंजूर होने के बाद यह **अनिश्चित काल** तक (जब तक रद्द न हो) लागू रहता है। **इसके लिए बार-बार (हर 6 माह में) अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।** इसे वापस लेने के लिए संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं है।
- **प्रभाव:** 1. राज्य के वित्तीय मामलों पर केंद्र का निर्देश। 2. राज्य के सभी धन/वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। 3. SC/HC के जजों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में कटौती।
- **तथ्य: भारत में आज तक (1991 के आर्थिक संकट के दौरान भी) वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है।**

5. आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना (Criticism)

संविधान सभा में एच.वी. कामथ, के.टी. शाह जैसे सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया था। आलोचना के बिंदु: 1. **संघीय ढांचे का विनाश:** राज्य केंद्र की नगर पालिकाओं में बदल जाते हैं। 2. **राष्ट्रपति का तानाशाह बनना:** कार्यकारी शक्तियां असीमित हो जाती हैं। 3. **वित्तीय स्वायत्तता शून्य:** राज्यों के वित्तीय संसाधन केंद्र के अधीन। 4. **मौलिक अधिकार अर्थहीन:** लोकतांत्रिक व्यवस्था एक पुलिस राज्य में बदल सकती है।

6. समकालीन मुद्दे: महामारी और आपातकाल (Pandemic & Emergency)

COVID-19 महामारी के दौरान **राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) नहीं लगाया गया**। सरकार ने **महामारी रोग अधिनियम (Epidemic Diseases Act) 1897** और **आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) 2005** का उपयोग किया।

Art 352 क्यों नहीं?	DMA 2005 का उपयोग (लाभ)
'युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह' के आधार हैं। 'स्वास्थ्य आपातकाल' या 'प्राकृतिक आपदा' संविधान में आधार नहीं हैं।	NDMA (अध्यक्ष: PM) को पूरे देश में समान नीतियां (Lockdown) लागू करने की शक्ति मिली।
यह मौलिक अधिकारों (Art 19) को स्वतः निलंबित कर देता।	अधिकार निलंबित नहीं हुए। राज्य सरकारों ने केंद्र के दिशानिर्देशों के तहत महामारी को नियंत्रित किया (सहकारी संघवाद)।

7. उभरती अवधारणा: साइबर आपातकाल (Cyber Emergency)

संदर्भ: AIIMS रैंनसमवेयर अटैक (2022), पावर ग्रिड पर हैकिंग के प्रयास, और हाइब्रिड वॉरफेयर (Hybrid Warfare)।
चुनौती: भारतीय संविधान में 'साइबर हमले' को आपातकाल का आधार नहीं माना गया है। यदि कोई दुश्मन देश गंभीर साइबर हमला कर बैंकिंग, संचार या ऊर्जा ग्रिड ठप कर दे, तो क्या इसे 'बाह्य आक्रमण' माना जाएगा?
विश्लेषण: विशेषज्ञों का मानना है कि **अनुच्छेद 352** की व्याख्या को आधुनिक संदर्भ में व्यापक बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में IT अधिनियम 2000 की धारा 69A (वेबसाइट ब्लॉक करना) और CERT-In के दिशानिर्देशों से काम चलाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर के 'क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर' (CII) को पंगु बनाने वाले हमलों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं।

8. दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) - प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ

मूल संविधान में राजनीतिक दल-बदल पर कोई रोक नहीं थी। "आया राम, गया राम" की राजनीति को रोकने के लिए **52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985)** द्वारा **10वीं अनुसूची** जोड़ी गई। **91वें संशोधन (2003)** ने इसमें और कड़ाई की (स्प्लिट/टूट के प्रावधान को हटाया)।

A. अयोग्यता के आधार (Grounds of Disqualification)

- **निर्वाचित सदस्य:** 1. यदि स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। 2. पार्टी व्हिप (Whip) के खिलाफ वोट करे या अनुपस्थित रहे (15 दिन में माफी न मिले)।
- **निर्दलीय सदस्य:** चुनाव के बाद यदि कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन कर ले।
- **मनोनीत सदस्य (Nominated):** यदि वह शपथ लेने के **6 महीने के बाद** किसी पार्टी में शामिल होता है। **(6 महीने के भीतर शामिल होने पर अयोग्य नहीं होगा)।**
- **अपवाद:** यदि **2/3 सदस्य** किसी अन्य पार्टी में **विलय (Merge)** कर लें। और अध्यक्ष/सभापति का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति।

B. पीठासीन अधिकारी (Speaker) की भूमिका और किहोतो होलोहान वाद (1992)

कानून के तहत दल-बदल का **अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष/सभापति** का होता है। 1985 के कानून में इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। **किहोतो होलोहान केस** में SC ने कहा: 1. अध्यक्ष का निर्णय **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है (दुर्भावना/विकृति के आधार पर)। 2. अदालत अध्यक्ष के निर्णय से पहले हस्तक्षेप नहीं करेगी।

समकालीन मुद्दा: अध्यक्ष प्रायः सत्ता पक्ष का होता है। हाल ही में (उदा: महाराष्ट्र शिवसेना विवाद), अध्यक्षों ने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में महीनों/सालों की देरी की। SC ने **केशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020)** में सुझाव दिया कि अयोग्यता का निर्णय स्पीकर की बजाय **एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल (जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज हों)** द्वारा लिया जाना चाहिए, और समय सीमा (प्रायः 3 महीने) तय होनी चाहिए।

9. राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण (Politicization of Governor's Office)

अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। वह केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में यह पद सबसे विवादास्पद रहा है।

राज्यपाल से जुड़े विवाद के प्रमुख क्षेत्र
- CM की नियुक्ति (त्रिशंकु विधानसभा में)
- विधायिका का सत्र बुलाना (**Art 174**)
- विधेयकों पर वीटो/आरक्षण (**Art 200**)
- विश्वविद्यालयों के चांसलर की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय:

1. **नबाम रेबिया वाद (2016 - अरुणाचल प्रदेश):** SC ने कहा कि राज्यपाल **अनुच्छेद 174** के तहत **सदन का सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सलाह से बंधा है।** वह अपनी इच्छा से सत्र नहीं बुला सकता या संदेश नहीं भेज सकता।
2. **सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव (2023 - महाराष्ट्र/शिवसेना केस):** SC ने कहा कि राज्यपाल पार्टी के आंतरिक विवादों (इंट्रा-पार्टी गुटबाजी) के आधार पर **फ्लोर टेस्ट (Floor Test) नहीं बुला सकता।** फ्लोर टेस्ट का उपयोग पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता।
3. **विधेयकों को रोकना (2023-24):** पंजाब और तमिलनाडु के मामलों में SC ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल **अनुच्छेद 200** के तहत विधेयकों को **अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकता (No Pocket Veto)।** यदि वह विधेयक लौटाता है और विधानसभा उसे फिर पारित कर दे, तो उसे सहमति देनी ही होगी।

10. राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता और वित्त आयोग की चुनौतियाँ

भारतीय वित्तीय संघवाद संरचनात्मक रूप से केंद्र की ओर झुका हुआ है (Vertical Fiscal Imbalance)। राज्य अधिकांश विकास कार्यों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस) के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि राजस्व उगाहने की प्रमुख शक्तियां (आयकर, निगम कर) केंद्र के पास हैं।

A. राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता में चिंताएं (Concerns of Fiscal Autonomy)

1. उपकर और अधिभार (Cess & Surcharge): **अनुच्छेद 271** के तहत केंद्र उपकर/अधिभार लगाता है, जो **विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा नहीं** होते (यानी राज्यों को नहीं मिलते)। हाल के वर्षों में केंद्र के कुल कर राजस्व में उपकर/अधिभार की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर ~20% हो गई है। यह राज्यों के लिए भारी नुकसान है।

2. GST मुआवजा समाप्ति: GST लागू होने (2017) पर राज्यों को 5 साल (2022 तक) के लिए राजस्व घाटे की भरपाई का वादा किया गया था। यह अब समाप्त हो गया है, जिससे कई राज्यों (विशेषकर विनिर्माण राज्यों) में वित्तीय तनाव है।

3. केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes - CSS): CSS में राज्यों को 'मैचिंग ग्रांट' (प्रायः 40% हिस्सा) देना पड़ता है। इससे राज्यों का अपना बजट केंद्र की प्राथमिकताओं के अनुसार बंध जाता है।

B. वित्त आयोग की नई चुनौतियाँ (Challenges for 16th Finance Commission)

अनुच्छेद 280 के तहत **16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया)** का गठन किया गया है (अवधि 2026-2031)। इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- **उत्तर-दक्षिण विभाजन (North-South Divide) - क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution):** दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि वे जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक विकास में सफल रहे हैं, लेकिन 15वें FC ने **2011 की जनसंख्या** का उपयोग किया, जिससे उन्हें कम धन मिला (डेमोग्राफिक पेनल्टी)। उत्तरी राज्यों (UP, बिहार) को अधिक धन मिलता है। 16वें FC को जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और समता (Equity) के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **मुफ्त की रेवड़ियां (Freebies) vs कल्याणकारी योजनाएं:** राज्यों के बढ़ते ऋण और राजनीतिक लोकलुभावनवाद (Freebies) को कैसे परिभाषित किया जाए और राजकोषीय अनुशासन (FRBM Act) को कैसे सुनिश्चित किया जाए।
- **विभाज्य पूल का आकार (Vertical Devolution):** राज्यों की मांग है कि उपकर और अधिभार को विभाज्य पूल में शामिल किया जाए या राज्यों का हिस्सा (वर्तमान 41%) बढ़ाया जाए।
- **शहरी स्थानीय निकाय (ULBs):** तीव्र शहरीकरण को देखते हुए 73वें/74वें संशोधन के अनुरूप स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष और मजबूत धन हस्तांतरण का तंत्र बनाना।

करों का वितरण कैसे होता है? (Basic Concept)

Gross Tax Revenue (केंद्र का कुल कर)

↓

माइनस (-) Cess, Surcharge और टैक्स वसूली का खर्च = Divisible Pool (विभाज्य पूल)

↓

Vertical Devolution: केंद्र (59%) और सभी राज्यों (41%) के बीच बंटवारा

↓

Horizontal Devolution: राज्यों के 41% हिस्से का 28 राज्यों के बीच बंटवारा (सूत्र: आय का अंतर, जनसंख्या, वन क्षेत्र आदि)

II. प्रवासी श्रमिक और डोमिसाइल नीतियां (Migrant Workers & Domicile Policies)

हाल के वर्षों में कई राज्यों (जैसे हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड) ने स्थानीय लोगों (भूमिपुत्र/Sons of the Soil) के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में **डोमिसाइल (अधिवास) आधारित आरक्षण** कानून पारित किए हैं। यह केंद्र-राज्य संबंधों और नागरिक अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

A. संवैधानिक प्रावधान और अंतर्विरोध

- **अनुच्छेद 15(1):** राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या **जन्म स्थान (Place of birth)** के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। **ध्यान दें: इसमें 'निवास' (Residence) शब्द नहीं है।**
- **अनुच्छेद 16(2):** राज्य के अधीन रोजगार में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या **निवास (Residence)** के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- **अपवाद - अनुच्छेद 16(3):** **केवल संसद** (राज्य विधायिका नहीं) कानून बनाकर किसी राज्य/UT में सरकारी रोजगार के लिए 'निवास' की शर्त अनिवार्य कर सकती है। (वर्तमान में यह केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू है - Art 371D के तहत)।
- **अनुच्छेद 19(1)(d) और (e):** भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण और कहीं भी निवास करने का अधिकार। डोमिसाइल नीतियां प्रवासी श्रमिकों के इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

B. हालिया न्यायिक घटनाक्रम (हरियाणा निजी क्षेत्र कोटा वाद - 2023)

हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें ₹30,000/माह से कम वेतन वाली निजी नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए **75% आरक्षण** अनिवार्य किया गया था।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय: न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह **भाग III (मौलिक अधिकारों)** का उल्लंघन है और **संविधान 'एक भारत, एक नागरिकता' की परिकल्पना करता है**। राज्य सरकार 'इंस्पेक्टर राज' के जरिए निजी नियोक्ताओं को यह आदेश नहीं दे सकती कि उन्हें किसे नौकरी देनी है। यह 'सहकारी संघवाद' के बजाय 'संकीर्ण क्षेत्रीयता' (Parochialism) को बढ़ावा देता है।

🏁 Unit 2.3: Quick Revision Brainstorm 🏁

- **आपातकाल आधार:** 352 (युद्ध/विद्रोह), 356 (संवैधानिक विफलता), 360 (वित्तीय)
- **FR पर प्रभाव:** Art 358 (केवल 19 स्वतः), Art 359 (अन्य FR, राष्ट्रपति आदेश)
- **अपवाद (44th AA):** Art 20 & 21 कभी निलंबित नहीं होते
- **बोम्मई केस 1994:** Art 356 की न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा
- **10वीं अनुसूची:** 52वां AA, किहोतो होलोहान केस (स्पीकर समीक्षा के अधीन)
- **राजकोषीय मुद्दे:** Cess/Surcharge वृद्धि, 16वां FC (अरविंद पनगढ़िया)
- **डोमिसाइल कोटा:** Art 16(3) में शक्ति केवल संसद को, राज्य विधायिका को नहीं
- **राज्यपाल वीटो:** Art 200, Pocket Veto अमान्य (SC 2023)

Unit 3.1: राष्ट्रपति (The President) - संवैधानिक स्थिति एवं निर्वाचन प्रक्रिया

I. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति (Constitutional Position)

भारत के संविधान के **भाग V** (संघ) में **अनुच्छेद 52 से 78** तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् और महान्यायवादी शामिल होते हैं। **अनुच्छेद 52** कहता है कि "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" वह राज्य का प्रमुख (Head of the State) है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। **अनुच्छेद 53** के अनुसार संघ की **कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित** होगी, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों (मंत्रिपरिषद्) के माध्यम से करेगा। भारत ने **ब्रिटिश संसदीय प्रणाली** अपनाई है, अतः राष्ट्रपति केवल **नाममात्र का कार्यकारी (Nominal/Titular Executive - De Jure)** है, वास्तविक कार्यपालिका (De Facto) प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् है (**अनुच्छेद 74**)।

2. राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President) - अनुच्छेद 54 & 55

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक **निर्वाचक मंडल (Electoral College)** के सदस्यों द्वारा **अप्रत्यक्ष** रूप से होता है।
🧠 Trick: निर्वाचक मंडल में केवल "निर्वाचित (Elected)" सदस्य होते हैं, "मनोनीत (Nominated)" नहीं।

A. निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं? (Who Votes?)

- संसद के **दोनों सदनों** के निर्वाचित सदस्य (Elected MPs)।
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (Elected MLAs)।
- दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। (दिल्ली/पुडुचेरी को **70वें संविधान संशोधन 1992** द्वारा जोड़ा गया)।

B. कौन शामिल नहीं हैं? (Who DOES NOT Vote?)

- संसद के मनोनीत सदस्य (Nominated MPs - Rajya Sabha के 12)।
- राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य।
- राज्य विधान परिषदों (MLCs) के सदस्य (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत)।
- दिल्ली/पुडुचेरी/J&K के मनोनीत सदस्य।

C. अनिवासी भारतीय (NRIs) और राष्ट्रपति चुनाव

🔥 UPSC Trap: क्या NRIs राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं? **उत्तर: सीधे तौर पर नहीं।** राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। यद्यपि **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (RPA)** में 2010 के संशोधन के बाद NRIs को मतदाता सूची में पंजीकरण का अधिकार है, वे केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में **स्वयं उपस्थित होकर (Proxy या Postal ballot नहीं)** वोट डाल सकते हैं। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती, NRIs भी **सीधे वोट नहीं कर सकते**। यदि कोई NRI सांसद या विधायक चुन लिया जाता है (जो नागरिकता नियमों के तहत संभव है यदि वह भारतीय नागरिक है), तभी वह राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकता है, अन्यथा एक सामान्य अनिवासी भारतीय की राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।

D. चुनाव की पद्धति और वोट का मूल्य (Value of Vote)

चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)** के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)** द्वारा **गुप्त मतदान (Secret Ballot)** से होता है। समरूपता (Uniformity) बनाए रखने के लिए वोट का मूल्य निकाला जाता है:

एक विधायक (MLA) के वोट का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या) ÷ (विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य × 1000)

एक सांसद (MP) के वोट का मूल्य = (सभी राज्यों के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य) ÷ (संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या)

जीत के लिए चुनावी कोटा (Electoral Quota) = [कुल वैध मत / (1 + 1)] + 1 = 50% + 1 वोट

E. जनसंख्या का आधार (1971 की जनगणना vs 2026 का परिसीमन)

मूल रूप से 'जनसंख्या' का अर्थ पिछली जनगणना था। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों (जैसे तमिलनाडु, केरल) को दंडित होने से बचाने के लिए, **42वें संशोधन (1976)** ने जनसंख्या के आधार को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया। बाद में **84वें संविधान संशोधन अधिनियम (2001)** ने इस रोक को **2026** के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया।
प्रभाव (Impact): जब 2026 के बाद परिसीमन (Delimitation) हटेगा और नई जनसंख्या (संभवतः 2031 की जनगणना) का उपयोग होगा, तो हिंदी भाषी राज्यों (UP, Bihar) के विधायकों/सांसदों के **वोट का मूल्य (Vote Value)** दक्षिणी राज्यों की तुलना में काफी बढ़ जाएगा, जिससे राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर भारत का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। यह भारतीय **संघवाद (Federalism)** के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करेगा।

3. रिक्तियों का प्रभाव (Impact of Vacancies on Election)

अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और **निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा** किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

🔥 UPSC Trap: **क्या राज्य विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति चुनाव को टाला जा सकता है?**

उत्तर: बिल्कुल नहीं। 11वें संविधान संशोधन (1961) और **सुप्रीम कोर्ट के 1974 के ऐतिहासिक फैसले (In Re Presidential Election)** के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि निर्वाचक मंडल में रिक्तियां थीं (चाहे एक या कई राज्यों की विधानसभाएं भंग ही क्यों न हों)। भंग विधानसभा के सदस्य वोट नहीं दे सकते, लेकिन चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होगा।

4. अहर्ताएं, शपथ एवं शर्तें (Qualifications, Oath & Conditions)

A. अहर्ताएं (Qualifications - Art 58)

- वह **भारत का नागरिक** हो (जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं, जबकि USA में जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है)।
- उसने **35 वर्ष** की आयु पूरी कर ली हो।
- वह **लोकसभा (Lok Sabha)** का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। (उपराष्ट्रपति के लिए राज्य सभा की योग्यता चाहिए)।
- वह केंद्र, राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण के तहत **लाभ का पद (Office of Profit)** धारण न करता हो। (वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री लाभ के पद नहीं माने जाते)।

B. शपथ (Oath - Art 60)

शपथ **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। वह शपथ लेता है: 1. पद का निष्ठापूर्वक कार्यपालन करने की। 2. **संविधान और विधि का "परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" (Preserve, Protect and Defend)** करने की। 3. भारत की जनता की सेवा में निरत रहने की।

शर्तें (Conditions - Art 59): राष्ट्रपति संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई सदस्य चुना जाता है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सीट खाली मान ली जाती है। उसे **व्यक्तिगत प्रतिरक्षा (Personal Immunity)** प्राप्त है - अपने कार्यकाल के दौरान **किसी भी आपराधिक कार्यवाही (Criminal proceedings)** से (यहां तक कि व्यक्तिगत कृत्यों के लिए भी) छूट प्राप्त है। उन्हें गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। हालांकि, **2 महीने के नोटिस** के बाद उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए **सिविल (दीवानी) कार्यवाही** शुरू की जा सकती है।

5. पदावधि, पद रिक्तिका और महाभियोग (Term, Vacancy & Impeachment)

अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का **कार्यकाल 5 वर्ष** है। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी **त्यागपत्र** दे सकता है। वह पुनः चुनाव के लिए **कितनी भी बार** योग्य है (Art 57) (USA में अधिकतम 2 बार)।

महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Process - Art 61) - अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया (Quasi-judicial)

आधार (Ground): केवल एक ही आधार है - **"संविधान का उल्लंघन" (Violation of the Constitution)**। ⚠️ Trap: संविधान में इस वाक्यांश (Violation) की **कोई परिभाषा नहीं** दी गई है, जो इसे अस्पष्ट बनाता है। भविष्य में यदि कोई टकराव होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी।

1. **प्रारंभ:** संसद के **किसी भी सदन** (LS या RS) में शुरू किया जा सकता है।
2. **नोटिस:** सदन के **1/4 (एक चौथाई) सदस्यों** के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को **14 दिन का पूर्व नोटिस** दिया जाना चाहिए।
3. **पारित करना (पहला सदन):** उस सदन की **कुल सदस्य संख्या (Total Membership) के 2/3 बहुमत** द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। (यह संविधान का **सबसे कठोर बहुमत** है)।
4. **जांच (दूसरा सदन):** दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है (या समिति बनाता है)। राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
5. **पारित करना (दूसरा सदन):** यदि दूसरा सदन भी **कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत** से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हटा हुआ माना जाता है।

महाभियोग में कौन शामिल? (UPSC Trick)

शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के **मनोनीत सदस्य (Nominated MPs)**।

शामिल नहीं होते: राज्य विधानसभाओं और दिल्ली/पुडुचेरी के **निर्वाचित सदस्य (MLAs)**। (जबकि वे चुनाव में थे!)

पद रिक्तिका (Vacancy - Art 62): यदि कार्यकाल समाप्त होने से रिक्ति होती है, तो चुनाव समाप्ति से पहले होना चाहिए। देरी होने पर निवर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन से रिक्ति होती है, तो **उपराष्ट्रपति** कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अधिकतम 6 महीने तक, जिसके भीतर चुनाव अनिवार्य है)। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो **भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI)** कार्य करेगा (उदा: 1969 में एम. हिदायतुल्ला)।

6. राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य (Powers & Duties) - Part I

राष्ट्रपति की शक्तियों को व्यापक रूप से कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक और सैन्य शक्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। **याद रखें: ये सभी शक्तियां सामान्यतः मंत्रिपरिषद (Art 74) की सलाह पर प्रयुक्त होती हैं।**

A. कार्यकारी शक्तियां (Executive Powers - Art 77)

भारत सरकार के **सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर** किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए आदेश कैसे प्रमाणित होंगे।

नियुक्तियां (Appointments): प्रधानमंत्री, मंत्री, महान्यायवादी, CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष/सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग। **SC/ST/OBC आयोग** की नियुक्ति। वह किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित कर सकता है। वह अंतर-राज्यीय परिषद (Art 263) की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र सरकार के प्रशासन की जानकारी PM से मांग सकता है (Art 78)।

B. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

राष्ट्रपति **संसद का अभिन्न अंग** है (Art 79), हालांकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता।

- संसद को **आहूत (Summon)** करना, **सत्रावसान (Prorogue)** करना और लोकसभा को **भंग (Dissolve)** करना।
- गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की **संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Art 108)** बुलाना (जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है)।
- आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करना (Art 87)।
- यदि LS अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद रिक्त है, तो वह किसी भी सदस्य को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।
- राज्य सभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से **12 सदस्यों को मनोनीत** करना (Art 80)।
- **विधेयकों पर पूर्वानुमति:** धन विधेयक, राज्यों की सीमा परिवर्तन (Art 3), व्यापार स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले राज्य विधेयक।
- संसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाना: CAG, UPSC, Finance Commission।

C. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

1. **धन विधेयक (Money Bill - Art 110)** केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में पेश किया जा सकता है। 2. वह संसद के समक्ष **वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट - Art 112)** रखवाता है। 3. अनुदान की कोई मांग (Demand for grant) उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। 4. अप्रत्याशित व्यय के लिए वह **भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)** से अग्रिम राशि निकाल सकता है। 5. करों के वितरण के लिए हर 5 साल में **वित्त आयोग (Art 280)** का गठन।

D. राजनयिक एवं सैन्य शक्तियां (Diplomatic & Military Powers)

राजनयिक: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं (यद्यपि संसद की मंजूरी आवश्यक है)। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राजदूतों को भेजता/प्राप्त करता है।

सैन्य (सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर - Art 53(2)): वह सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह **युद्ध की घोषणा या शांति का समापन** कर सकता है (संसद के अनुमोदन के अधीन)।

सैन्य शक्ति: राष्ट्रपति बनाम CDS (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) - समकालीन विश्लेषण
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद के सृजन से एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव आया है। CDS रक्षा मंत्री का **प्रधान सैन्य सलाहकार (Principal Military Advisor)** है और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का प्रमुख है। **राष्ट्रपति की भूमिका में बदलाव:** राष्ट्रपति अब भी **सर्वोच्च कमांडर** हैं (औपचारिक और संवैधानिक), लेकिन CDS के आने से सेना के **परिचालन (Operational) और रणनीतिक (Strategic) एकीकरण (Tri-service synergy)** का कार्य CDS के पास आ गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां 'नागरिक नियंत्रण' (Civilian Control over Military) को दर्शाती हैं, जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। कोई भी युद्ध या सैन्य आदेश राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी होता है, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल का व्यावहारिक ढांचा अब CDS और रक्षा मंत्री के माध्यम से संचालित होता है।

7. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power) - अनुच्छेद 111

संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति (Assent) न दे। **अनुच्छेद 111** के तहत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: 1. वह विधेयक को सहमति दे सकता है, 2. सहमति रोक सकता है, 3. विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आधुनिक राज्य में वीटो का उद्देश्य जल्दबाजी या असंवैधानिक कानूनों को रोकना है।

1. आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto): विधेयक पर अपनी सहमति पूरी तरह से रोक लेना, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है। उपयोग: सामान्यतः गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) के विधेयकों पर या जब कैबिनेट इस्तीफा दे दे और नई कैबिनेट विधेयक को रोकने की सलाह दे। (उदा: 1954 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक पर)।

2. निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto): विधेयक को संसद को **पुनर्विचार** के लिए लौटाना। **सीमा:** यदि संसद विधेयक को **साधारण बहुमत** से (संशोधन के साथ या बिना) पुनः पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को सहमति **देनी ही पड़ती है**। (अमेरिका में इसे ओवरराइड करने के लिए 2/3 विशेष बहुमत चाहिए - Qualified Veto, जो भारत में नहीं है)। **धन विधेयक पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता।**

3. पॉकेट वीटो (Pocket Veto) - "न तो सहमति देना, न ही लौटाना"

राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता और उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखता है। यह संभव है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के लिए निर्णय लेने की **कोई समय सीमा तय नहीं** की गई है (जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिन में वापस करना होता है - इसलिए कहा जाता है "भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है")।

ऐतिहासिक उदाहरण: 1986 में राष्ट्रपति **ज्ञानी जैल सिंह** ने **भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक** पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता था।

⚠️ **संविधान संशोधन विधेयक:** **24वें संशोधन (1971)** ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों पर **वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता** (उसे सहमति देनी ही होगी)।

केंद्र-राज्य संबंध: राज्य विधेयकों पर वीटो (Reservation of State Bills - Art 201)

जब राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है (**Art 200**), तो राष्ट्रपति के पास **Art 201** के तहत वीटो शक्तियां होती हैं। वह सहमति दे सकता है, रोक सकता है, या राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

संघवाद पर प्रभाव (Impact on Federalism): यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः पारित कर राष्ट्रपति को भेजती है, तो **राष्ट्रपति उसे सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है** (संसद के विपरीत)। इसका अर्थ है कि राज्य के कानून पर केंद्र (राष्ट्रपति के माध्यम से) का पूर्ण वीटो (Absolute Veto) है। यह प्रावधान केंद्र को राज्यों पर मजबूत नियंत्रण देता है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

8. अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance Making Power) - अनुच्छेद 123

यह राष्ट्रपति की **सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति** है, जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित (Unforeseen) या आपातकालीन स्थितियों से निपटना है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। **यह कोई समानांतर विधायी शक्ति (Parallel power of legislation) नहीं है।**

- **शर्त:** अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब **संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो** (क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदन चाहिए)।
- **विषय:** केवल उन्हीं विषयों पर जारी हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। इस पर वही संवैधानिक सीमाएं लागू होती हैं जो संसदीय अधिनियम पर (उदा: मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता)।
- **जीवनकाल:** संसद के पुनः समवेत होने (re-assembly) के **6 सप्ताह** के भीतर इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि 6 सप्ताह में पारित नहीं होता, तो समाप्त हो जाता है। (अध्यादेश का अधिकतम जीवनकाल 6 महीने + 6 सप्ताह हो सकता है)।
- **न्यायिक समीक्षा (RC Cooper Case 1970 & DC Wadhwa Case 1987):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति की "संतुष्टि" **दुर्भावना (Mala fide)** के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। डी.सी. वाधवा केस (बिहार में अध्यादेश राज) में SC ने फैसला दिया कि विधायिका को दरकिनार करने के लिए **लगातार अध्यादेशों को फिर से जारी करना (Re-promulgation) असंवैधानिक है** और यह संविधान के साथ धोखाधड़ी (Fraud on constitution) है।

9. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) - अनुच्छेद 72

राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन (Reprieve), विराम (Respite), परिहार (Remission), या लघुकरण (Commutation) करने की शक्ति है। यह न्यायपालिका से स्वतंत्र एक **कार्यकारी शक्ति** है। उद्देश्य: 1. न्यायिक त्रुटि को सुधारना, 2. अत्यधिक कठोर दंड से राहत देना। यह शक्ति उन सभी मामलों में लागू होती है जहाँ: (a) सजा **कोर्ट-मार्शल (सैन्य अदालत)** द्वारा दी गई हो, (b) संघ के कानून के खिलाफ अपराध हो, (c) सजा **मृत्युदंड (Death sentence)** हो।

क्षमादान के प्रकार (Types of Pardon)

Pardon (क्षमा): पूर्णतः मुक्त (अपराध+सजा दोनों माफ)। | **Commutation (लघुकरण):** सजा की प्रकृति बदलना (मौत -> उम्रकैद)।

Remission (परिहार): सजा की अवधि कम करना (प्रकृति नहीं)। (2 वर्ष -> 1 वर्ष)। | **Respite (विराम):** विशेष परिस्थिति में कम सजा (गर्भावस्था, विकलांगता)।

Reprieve (प्रविलंबन): अस्थायी रोक (विशेषकर मौत की सजा पर) दया याचिका हेतु।

⚖️ क्षमादान की न्यायिक समीक्षा: शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)

ऐतिहासिक रूप से माना जाता था कि क्षमादान पूरी तरह से राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है (Maru Ram Case 1980 में कहा गया कि यह गृह मंत्रालय की सलाह पर आधारित है)।

शत्रुघ्न चौहान केस में नया आयाम: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि **राष्ट्रपति (या राज्यपाल) द्वारा दया याचिका (Mercy Petition) तय करने में अत्यधिक और अनुचित देरी (Inordinate delay) अपने आप में कैदी के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है।**

निर्णय: केवल इस 'देरी' के आधार पर ही **मृत्युदंड (Death Penalty) को उम्रकैद (Life Imprisonment) में बदला जा सकता है।** कोर्ट ने कहा कि यातनापूर्ण प्रतीक्षा 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) का ठोस आधार है। इसके अलावा, कोर्ट ने दया याचिका खारिज होने के बाद **14 दिन के अनिवार्य नोटिस** का प्रावधान किया ताकि कैदी अपने परिवार से मिल सके। (यह निर्णय क्षमादान शक्ति पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक चेक (Check) है)।

10. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का उपयोग (Advisory Jurisdiction) - अनुच्छेद 143

अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से राय (Opinion)** मांगने का अधिकार देता है। यह शक्ति दो श्रेणियों में विभाजित है:

श्रेणी (Category)	सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता (SC's Obligation)	राष्ट्रपति की बाध्यता (President's Obligation)
1. सार्वजनिक महत्व का प्रश्न (Law or Fact) (भविष्य का या वर्तमान मुद्दा)	सुप्रीम कोर्ट राय देने से **इंकार कर सकता है**। (उदा: 1993 में अयोध्या विवाद में SC ने राय देने से मना कर दिया था)।	SC की राय **राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding) नहीं है**। यह केवल एक 'सलाह' है (न्यायिक निर्णय नहीं)।
2. पूर्व-संवैधानिक संधियां, समझौते, सनद (Pre-constitutional Treaties) पर विवाद	सुप्रीम कोर्ट को **राय देनी ही होगी (Must tender opinion)**।	

समकालीन उपयोग (अंतरराष्ट्रीय संधियां/जलवायु परिवर्तन): जैसे-जैसे वैश्विक कानून जटिल हो रहे हैं (उदा: पेरिस जलवायु समझौता, WTO मानदंड), यदि केंद्र सरकार किसी अंतरराष्ट्रीय संधि की घरेलू कानूनों के साथ संगतता (compatibility) को लेकर अनिश्चित है, तो Art 143 के तहत राष्ट्रपति SC से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ताकि भविष्य के मुकदमेबाजी से बचा जा सके। (अतीत में बेरुबारी संघ 1960 और कावेरी जल विवाद में इसका उपयोग हुआ है)।

13. UPSC Prelims 'Rapid Fire' Brainstorming & Summary

🚀 राष्ट्रपति - अनुच्छेदों का रैपिड रिवीजन (Memory Map)

52 : राष्ट्रपति होगा | **53** : कार्यपालिका शक्ति | **54** : निर्वाचक मंडल | **55** : चुनाव का तरीका | **58** : योग्यताएं | **60** : CJI द्वारा शपथ | **61** : महाभियोग (1/4th Notice, 2/3rd Total Majority) | **71** : चुनाव विवाद (SC) | **72** : क्षमादान शक्ति | **74** : मंत्रिपरिषद की सलाह (बाध्यकारी) | **85** : संसद सत्र बुलाना/भंग करना | **111** : वीटो शक्ति | **123** : अध्यादेश शक्ति | **143** : SC से सलाह

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन (Important Amendments)

संशोधन (Amendment)	राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रभाव (Impact on President)
24वां संशोधन (1971)	राष्ट्रपति **संविधान संशोधन विधेयक** पर सहमति देने के लिए **बाध्य** है (वीटो समाप्त)।
42वां संशोधन (1976)	**सबसे कठोर:** राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए **पूरी तरह बाध्य (Binding)** कर दिया गया।
44वां संशोधन (1978)	**राहत:** राष्ट्रपति को सलाह को **एक बार पुनर्विचार (Once for Reconsideration)** के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। (लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह बाध्यकारी होगी)।
70वां संशोधन (1992)	**दिल्ली और पुडुचेरी** विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण वाद (Landmark Judgments for Prelims)

- **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि **राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल 'संवैधानिक प्रमुख' (Constitutional heads) हैं** और वे अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकते (कुछ असाधारण विवेकाधिकारों को छोड़कर)।
- **आर.सी. कूपर मामला (1970) & डी.सी. वाधवा मामला (1987):** स्थापित किया कि **अध्यादेश (Art 123)** प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की संतुष्टि 'दुर्भावना' के आधार पर **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है। अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन असंवैधानिक है।
- **एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अनुच्छेद 72** (और 161) के तहत क्षमादान की शक्ति **निरपेक्ष (Absolute) नहीं** है। यदि यह राजनीतिक दुर्भावना, धर्म, या जाति के आधार पर दी गई है, तो इसकी **न्यायिक समीक्षा** की जा सकती है।
- **शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014):** मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका पर **अत्यधिक देरी** अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, और मौत की सजा को उम्रकैद में बदला जा सकता है।

> 💡 **UPSC Prelims Golden Rule:**
> "राष्ट्रपति 'राज्य (State)' का प्रतिनिधित्व करता है, 'सरकार (Government)' का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन प्रशासन का इंजन 'प्रधानमंत्री' है।"

Unit 3.2: उपराष्ट्रपति (Vice-President) - संस्थागत गतिशीलता एवं संवैधानिक भूमिका

1. संदर्भ और संवैधानिक ढांचा (Context & Constitutional Framework)

भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का **दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद** है। इसे **अमेरिकी उपराष्ट्रपति** के मॉडल पर आधारित किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण संरचनात्मक भिन्नताओं के साथ। संविधान का **भाग V (अनुच्छेद 63 से 73)** उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में इस पद को मुख्य रूप से **'राजनीतिक निरंतरता' (Political Continuity)** और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

🧠 **Memory Trick:** उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद (Art 63-69) याद रखने का सूत्र

"उसका निकास शनि है"

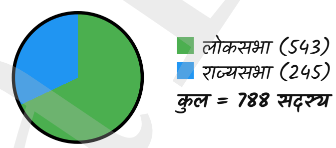
उ - उपराष्ट्रपति (Art 63), **स** - सभापति (Art 64), **का** - कार्य (राष्ट्रपति के रूप में) (Art 65), **नि** - निर्वाचन (Art 66), **का** - कार्यकाल (Art 67), **स** - समय/रिक्ति (Art 68), **श** - शपथ (Art 69), **नि** - निर्वहन (Art 70)।

2. निर्वाचन प्रक्रिया (Election Process) - अनुच्छेद 66

उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि एक **अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election)** के माध्यम से होता है। चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)** के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)** द्वारा होता है तथा मतदान **गुप्त मतदान (Secret Ballot)** द्वारा होता है।

A. निर्वाचक मंडल (Electoral College)

- 🔥 **Trap:** इसमें संसद के **दोनों सदनों के सभी सदस्य** (निर्वाचित + मनोनीत) भाग लेते हैं।
- राष्ट्रपति के चुनाव से 2 भिन्नताएं: 1. राष्ट्रपति चुनाव में केवल 'निर्वाचित' सदस्य होते हैं, VP में **मनोनीत (Nominated) भी**। 2. इसमें **राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं** होते।



संवैधानिक औचित्य: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, इसलिए राज्यों की भागीदारी आवश्यक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, जो केवल संसद का विषय है, इसलिए इसमें राज्यों के विधायकों की आवश्यकता नहीं है।

3. अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें (Qualifications, Oath & Conditions)

अर्हताएं (Qualifications - Art 66(3))	शपथ (Oath - Art 69)	पद की शर्तें (Conditions - Art 66(2))
1. भारत का नागरिक हो। 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. **राज्यसभा** का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो (राष्ट्रपति के लिए लोकसभा)। 4. **लाभ के पद (Office of Profit)** पर न हो।	राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। 1. संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। 2. अपने पद और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन।	1. संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है, तो पद ग्रहण करते ही वह सीट रिक्त मान ली जाएगी। 2. कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

नामांकन (Nomination) हेतु शर्तें

- **न्यूनतम 20 प्रस्तावक (Proposers)**
- **न्यूनतम 20 अनुमोदक (Seconders)**
- **₹15,000 की जमानत राशि (RBI में)**
- **1/6 वोट न मिलने पर जमानत जब्त**

4. पदावधि एवं पद रिक्तिका (Term of Office & Vacancy)

अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से **5 वर्ष** होता है। वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। वह कितनी भी बार (Any number of times) पुनः चुनाव के लिए योग्य है (जैसे डॉ. एस. राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी दो बार चुने गए)।

A. पद से हटाना (Removal Process) - महाभियोग नहीं

उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में **'महाभियोग' (Impeachment)** शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और न ही हटाने का कोई 'आधार' (Ground) संविधान में उल्लिखित है। 🔥 **Prelims Trap:** उसे **संविधान के उल्लंघन** के आधार पर नहीं हटाया जाता (यह केवल राष्ट्रपति के लिए है)।

प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश (14 दिन की अग्रिम नोटिस के साथ)

↓

राज्यसभा द्वारा 'प्रभावी बहुमत' (Effective Majority) से पारित
(कुल सदस्य - रिक्त पद = प्रभावी संख्या का 50%+)

↓

लोकसभा द्वारा 'साधारण बहुमत' (Simple Majority) से सहमति

नोट: राज्यसभा के 'प्रभावी बहुमत' को संविधान में "तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत" के रूप में लिखा गया है।

B. पद रिक्तिका (Vacancy) - अनुच्छेद 68

उपराष्ट्रपति का पद 5 तरीकों से रिक्त हो सकता है: 1. 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर। 2. इस्तीफा देने पर (राष्ट्रपति को संबोधित)। 3. बर्खास्तगी (Removal) पर। 4. मृत्यु होने पर। 5. चुनाव अवैध घोषित होने पर (**सुप्रीम कोर्ट द्वारा**)।

> **चुनाव का समय:** यदि रिक्ति कार्यकाल की समाप्ति से होती है, तो चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले होना चाहिए। **किंतु मृत्यु, इस्तीफे या बर्खास्तगी** के कारण रिक्ति होने पर चुनाव **"यथाशीघ्र" (As soon as possible)** होना चाहिए। **संविधान में राष्ट्रपति की तरह 6 महीने की कोई समय सीमा (Time limit) तय नहीं की गई है।** नया चुना गया VP पूरे 5 साल के लिए पद धारण करेगा, न कि शेष अवधि के लिए।

5. शक्तियां और कार्य (Powers & Functions)

उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका (Dual Role) होती है:

1. **राज्यसभा का पदेन सभापति (अनुच्छेद 64):** इस रूप में उनकी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के समान हैं। वे सदन का संचालन करते हैं, मर्यादा बनाए रखते हैं और दलबदल विरोधी कानून के तहत निर्णय लेते हैं।
2. **कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना (अनुच्छेद 65):** जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे, निष्कासन या बीमारी के कारण रिक्त होता है।

★ तुलनात्मक दृष्टि: भारत vs अमेरिका (Acting President Role) ★

आधार	भारतीय उपराष्ट्रपति (Indian VP)	अमेरिकी उपराष्ट्रपति (US VP)
उत्तराधिकार की प्रकृति	केवल **कार्यवाहक (Acting)** राष्ट्रपति। अधिकतम 6 महीने तक।	**पूर्ण राष्ट्रपति (Full President)** बन जाता है शेष कार्यकाल के लिए।
संवैधानिक शून्यता	यदि दोनों पद रिक्त हों, तो CJI (Chief Justice of India) कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है (जैसे 1969 में एम. हिदायतुल्लाह)।	**25वां संशोधन (1967)** उत्तराधिकार की पूरी लाइन स्पष्ट करता है (VP -> Speaker of House -> President pro tempore)।
मुख्य भूमिका का फोकस	विधायी (Legislative) - राज्यसभा का संचालन।	कार्यकारी (Executive) - प्रशासन का हिस्सा।

विद्वान मानते हैं कि भारतीय उपराष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से "**His Superfluous Highness**" (अतिरिक्त गरिमा) है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से अचानक राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए किया गया है।

6. संवैधानिक शून्यता और उत्तराधिकार (Constitutional Vacancy & Succession)

भारत में उत्तराधिकार का तंत्र अत्यंत नाजुक है। यद्यपि संविधान का **अनुच्छेद 65** उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन **उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली होने पर** क्या होगा, इस पर संविधान बहुत स्पष्ट नहीं है।

A. इस्तीफे या मृत्यु के बाद की प्रक्रिया

यदि उपराष्ट्रपति पद खाली होता है (जैसे संभावित जुलाई 2025 में इस्तीफे या किसी अप्रत्याशित रिक्ति की स्थिति), तो:
1. **कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता:** संविधान में "कार्यवाहक उपराष्ट्रपति" का कोई प्रावधान नहीं है।
2. **राज्यसभा का संचालन:** रिक्ति के दौरान राज्यसभा का **उपसभापति (Deputy Chairman)** सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है **(अनुच्छेद 91)**। यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है (आमतौर पर Panel of Vice-Chairpersons से)।
3. **चुनाव:** चुनाव आयोग को "यथाशीघ्र" (As soon as possible) चुनाव कराना होता है।

B. अमेरिकी 25वें संशोधन से तुलना और भारत की आवश्यकता

अमेरिका में कैनेडी की हत्या के बाद **25वां संविधान संशोधन (1967)** पारित किया गया। यह प्रावधान करता है कि यदि VP का पद रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति एक नए VP को नामित करेगा जिसकी पुष्टि संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से होगी।

क्या भारत को इसकी आवश्यकता है? भारत में **राष्ट्रपति (उत्तराधिकार) अधिनियम, 1969** (President Discharge of Functions Act) है जो कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं, तो **CJI** (और उसके न होने पर SC का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। हालांकि, VP का पद खाली होने पर उसे तुरंत भरने का कोई 'नामांकन' तंत्र भारत में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी एक स्पष्ट समय-सीमा (जैसे 30 दिन) तय करनी चाहिए।

7. दोहरी भूमिका का निलंबन (Suspension of Dual Role)

संविधान का **अनुच्छेद 64 और 65(3)** स्पष्ट करता है कि जब उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो:
1. वह राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन **नहीं करेगा**।
2. वह राज्यसभा के सभापति को देय वेतन या भत्ते का **हकदार नहीं** होगा। इसके बजाय, उसे **राष्ट्रपति का वेतन**, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे (वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख/माह और VP का ₹4 लाख/माह है)।

राज्यसभा पर संवैधानिक प्रभाव: इस संक्रमण काल के दौरान, राज्यसभा की शक्तियां कम नहीं होती हैं। उपसभापति (Deputy Chairman) को सभापति की **सभी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां** (जैसे दलबदल पर निर्णय, समितियों का गठन) स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाती हैं।

8. राज्यसभा सभापति के रूप में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक शक्तियां

उपराष्ट्रपति (सभापति के रूप में) केवल एक पीठासीन अधिकारी नहीं है, बल्कि उसके पास व्यापक **न्यायिक और अर्ध-न्यायिक (Judicial & Quasi-judicial)** शक्तियां होती हैं:

A. दसवीं अनुसूची (अयोग्यता) - दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection)

1985 के 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के तहत, राज्यसभा सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर **सभापति का निर्णय अंतिम** होता है।

⚖️ **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (Kihoto Hollohan Case - 1992):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभापति इस संदर्भ में एक **ट्रिब्यूनल (Tribunal)** के रूप में कार्य करता है। अतः उसका निर्णय **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** के अधीन है (दुर्भावना या विकृति के आधार पर)। हालांकि, न्यायिक हस्तक्षेप तभी हो सकता है जब सभापति **अंतिम निर्णय** दे दे, कार्यवाही के दौरान नहीं (Interlocutory stage पर कोई हस्तक्षेप नहीं)।

सभापति की न्यायिक शक्तियां
- **दल-बदल अयोग्यता (10वीं अनुसूची)**
- **विशेषाधिकार हनन (Privileges) पर दंडात्मक शक्ति**
- **न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव की स्वीकृति/अस्वीकृति**

B. विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) की भूमिका

अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को विशेषाधिकार देता है। यदि कोई सदस्य सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है (उदा: हंगामा करना, कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करना - जैसा हाल ही में कुछ सांसदों के निलंबन मामले में देखा गया), तो सभापति मामले को **विशेषाधिकार समिति** को भेज सकता है। सभापति को सदन के नियम 256 के तहत अनियंत्रित सदस्यों को **निलंबित (Suspend)** करने के लिए प्रस्ताव लाने की अनुमति देने की शक्ति है। **Trap: सभापति स्वयं सदस्य को निलंबित नहीं कर सकता (वह केवल नाम पुकार सकता है - "Naming"), सदन प्रस्ताव पारित करके निलंबित करता है।**

C. न्यायाधीशों पर महाभियोग (Impeachment of Judges)

न्यायाधीश जांच अधिनियम (Judges Inquiry Act) 1968 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ सभापति को सौंपा जाता है।

सभापति का विवेकाधिकार (Discretionary Power): सभापति इस प्रस्ताव को **स्वीकार या अस्वीकार** कर सकता है। (उदा: 2018 में तत्कालीन सभापति एम. वेंकैया नायडू ने CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को "प्रथम दृष्टया साक्ष्य की कमी" के आधार पर अस्वीकार कर दिया था)। यदि स्वीकार करता है, तो वह जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाता है।

9. विधायी प्रक्रिया और नवाचार (Legislative Process & Innovations)

सदन के कुशल संचालन के लिए सभापति के पास महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं जो नीति-निर्माण को गहराई से प्रभावित करती हैं:

1. कास्टिंग वोट (Casting Vote) - Art 100

सभापति **पहली बार में मतदान नहीं करता** है। वह केवल मतों की बराबरी (Tie) की स्थिति में 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देता है। **राजनीतिक निहितार्थ:** जब सत्ताधारी दल के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है, तो कास्टिंग वोट सरकार को गिरने से बचाने या महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में महत्वपूर्ण होता है। **अपवाद: जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो (Art 92), तो वह पीठासीन नहीं होगा, और उसे प्रथमतः वोट देने का अधिकार है, लेकिन बराबरी पर कास्टिंग वोट नहीं।**

2. संविधान की व्याख्या (Interpretation)

सदन के भीतर भारत के संविधान, राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों, और संसदीय पूर्व-उदाहरणों (Precedents) का **अंतिम व्याख्याकार** सभापति होता है। सदन में उनका रूलिंग (Ruling) **अंतिम** होता है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती (Art 122)। यह व्यवस्था 'संसदीय संप्रभुता' का एक रूप है।

D. विधेयकों को समितियों को भेजना (Referral to Committees)

जटिल विधेयकों को **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs)** या प्रवर समिति (Select Committee) को भेजना सभापति का **विशेषाधिकार (Prerogative)** है। हाल के वर्षों में यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है (विपक्ष का आरोप है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना समिति की जांच के सीधे पारित किया जा रहा है)। सभापति सदन की आम सहमति या विपक्ष की मांग का आकलन करके विवेकाधीन निर्णय लेता है। इससे कानून की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

💡 तुलना: उपराष्ट्रपति (सभापति) बनाम लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)

शक्ति (Power)	राज्यसभा सभापति	लोकसभा अध्यक्ष
धन विधेयक (Money Bill)	प्रमाणित करने की शक्ति **नहीं** है।	अंतिम निर्णय (Art 110)।
संयुक्त बैठक (Joint Sitting)	अध्यक्षता **नहीं** कर सकता (Art 118)।	अध्यक्षता करता है।
सदन की सदस्यता	सदन का सदस्य नहीं होता।	लोकसभा का सदस्य होता है।

10. अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक राजनीति (Comparative Analysis)

वैश्वीकरण और कूटनीति के विस्तार के साथ उपराष्ट्रपति की भूमिका केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रही है।

A. भारत बनाम अमेरिका: चुनावी जनादेश (Electoral Mandate)

अमेरिकी प्रणाली (रनिंग मेट): *अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति* ***एक ही टिकट (Running Mates)*** *पर एक साथ चुनाव लड़ते हैं। जनता दोनों को एक संयुक्त जनादेश (Joint Mandate) देती है। इससे VP के पास राष्ट्रपति के समान ही लोकप्रिय वैधता होती है।*

भारतीय प्रणाली (अप्रत्यक्ष चुनाव): *भारत में VP का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से अलग, संसद द्वारा होता है। वह राष्ट्रपति के 'अधीनस्थ' नहीं है, बल्कि एक अलग संवैधानिक इकाई है।*

संघीय ढांचे पर प्रभाव: *चूंकि भारतीय VP को राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नहीं चुना जाता (राष्ट्रपति के विपरीत), इसलिए वह राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है, हालांकि वह 'राज्यों की परिषद' (राज्यसभा) का पीठासीन अधिकारी है। यह एक* ***संवैधानिक विरोधाभास (Constitutional Paradox)*** *है जो भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रकृति (Unitary bias) को दर्शाता है।*

B. राजनयिक भूमिका और 'सॉफ्ट पावर' (Diplomatic Role & Soft Power)

हाल के वर्षों में (विशेषकर एम. हामिद अंसारी, एम. वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में), उपराष्ट्रपति ने भारत की ***'सॉफ्ट पावर' कूटनीति*** *में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:*

- ***सद्भावना यात्राएं (Goodwill Visits)***: *उपराष्ट्रपति अक्सर उन देशों की आधिकारिक यात्राएं करते हैं जहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जाना कूटनीतिक रूप से तुरंत संभव नहीं होता (उदा: अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व के छोटे देश)।*
- ***सांस्कृतिक राजदूत***: *प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों, विश्व हिंदी सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विदेशी आयोजनों का नेतृत्व करके।*
- ***Track II Diplomacy***: *अकादमिक और संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करना, जो सरकारों के बीच अनौपचारिक संवाद को बढ़ावा देता है।*

11. चुनाव और पात्रता से संबंधित नए कानूनी और न्यायिक मुद्दे

उपराष्ट्रपति के चुनाव अक्सर राजनीतिक और कानूनी विवादों का विषय रहे हैं।

A. निर्वाचक मंडल की रिक्तियां (Vacancies in Electoral College)

क्या संसद में सीटें खाली होने पर उपराष्ट्रपति का चुनाव रोका जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न था जिसे ***11वें संविधान संशोधन अधिनियम (1961)*** *द्वारा हल किया गया।*

इस संशोधन ने **अनुच्छेद 71(4)** *जोड़ा, जो स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनके निर्वाचक मंडल (संसद के दोनों सदनों) में* ***कोई रिक्ति (Vacancy)*** *थी। यदि लोकसभा भंग (Dissolved) भी हो जाए, तो चुनाव नहीं होगा क्योंकि VP के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य अनिवार्य हैं (यह स्थिति राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है जहाँ कुछ राज्य विधानसभाओं के भंग होने पर भी चुनाव हो सकता है)।*

उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद (Art 71)

↓

केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी जा सकती है। HC या चुनाव आयोग में नहीं।

↓

SC का निर्णय अंतिम होता है। यदि चुनाव शून्य (Void) घोषित हो, तो उस तारीख तक VP द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते।

B. सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और अयोग्यता के आधार (SC Intervention)

संविधान **अनुच्छेद 71** के तहत सुप्रीम कोर्ट को चुनाव विवादों पर अनन्य (Exclusive) अधिकार देता है। **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952** चुनाव याचिकाओं (Election Petitions) को नियंत्रित करता है।

⚖️ **एन.बी. खरे बनाम चुनाव आयोग (N.B. Khare vs ECI - 1957):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के **बाद ही** चुनाव याचिका दायर की जा सकती है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।

चुनाव याचिका कौन दायर कर सकता है? केवल एक **उम्मीदवार** या निर्वाचक मंडल के **न्यूनतम 10 मतदाता (सांसद)** संयुक्त रूप से। कोई भी आम नागरिक चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता।

लाभ का पद (Office of Profit) विवाद: **अनुच्छेद 66(4)** लाभ के पद को परिभाषित नहीं करता है, यह अदालतों और संसद (Prevention of Disqualification Act, 1959) पर छोड़ दिया गया है। **अपवाद:** वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, और संघ या राज्य के मंत्री का पद 'लाभ का पद' **नहीं** माना जाता है (अतः वे बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ सकते हैं)।

12. उपराष्ट्रपति के वेतन और पेंशन संबंधी प्रावधान (Salary & Pension)

संविधान उपराष्ट्रपति के लिए किसी वेतन का प्रावधान **नहीं** करता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में **संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953** के तहत वेतन प्राप्त करता है।
वर्तमान में, यह भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India - CFI) पर **भारित (Charged)** होता है, जिसका अर्थ है कि इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता **(Art 112)**।
1997 से, उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद **पेंशन** (वेतन का 50%), मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं।

पदाधिकारियों की वरीयता क्रम (Table of Precedence)

1. राष्ट्रपति	**2. उपराष्ट्रपति (VP)**	3. प्रधानमंत्री	4. राज्यों के राज्यपाल	5. पूर्व राष्ट्रपति	5A. उप-प्रधानमंत्री	6. CJI & लोकसभा अध्यक्ष

13. समसामयिक घटनाक्रम (Current Events & Dynamic Reference)

वर्तमान उपराष्ट्रपति (श्री जगदीप धनखड़) के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक बहसें उभरी हैं जो Prelims के लिए प्रासंगिक हैं:

- **संसद और न्यायपालिका के बीच तनाव:** उपराष्ट्रपति ने 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine - केशवानंद भारती केस) पर सवाल उठाया और संसदीय संप्रभुता पर जोर दिया (NJAC - 99वां संशोधन रद्दीकरण के संदर्भ में)।
- **सदन में अनुशासन:** हाल के सत्रों में भारी संख्या में सांसदों का निलंबन सभापति की शक्तियों और विशेषाधिकार समिति की भूमिका को चर्चा में लाया।
- **संविधान के अनुच्छेद 105:** सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'Expunging of Remarks' (टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाना) की प्रक्रिया। सभापति को असंसदीय (Unparliamentary) शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की पूर्ण शक्ति है।

14. 🏁 मेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिवीजन टेबल (Mega Revision Module) 🏁

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस संपूर्ण अध्याय का 'Quick Glance' (त्वरित अवलोकन)। यहां से सीधे कथन (Statements) बनाए जाते हैं।

कथन / अवधारणा (Concept)	सत्य/असत्य (T/F)	तर्क / संवैधानिक व्याख्या (Reason/Explanation)
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है।	सत्य (True)	अनुच्छेद 67(b) . इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसे 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है।
VP का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सदस्य होने की योग्यता आवश्यक है।	असत्य (False)	Trap: **राज्यसभा** सदस्य होने की योग्यता चाहिए (Art 66)। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की योग्यता चाहिए।
राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य VP के चुनाव में मतदान करते हैं।	असत्य (False)	राज्य विधानसभाओं के **कोई भी सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत)** उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सौंपता है।	असत्य (False)	वह अपना त्यागपत्र **राष्ट्रपति** को सौंपता है (Art 67(a))।
जब VP कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, तो वह राज्यसभा में वोट दे सकता है।	असत्य (False)	अनुच्छेद 64 & 65(3) . वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, अतः कोई विधायी कार्य या वोटिंग नहीं करता।
उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों का निर्णय चुनाव आयोग करता है।	असत्य (False)	अनुच्छेद 71 . केवल और केवल **सुप्रीम कोर्ट**। इसका निर्णय अंतिम होता है।
संसद के मनोनीत सदस्य VP के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन निष्कासन में नहीं।	असत्य (False)	Trap: मनोनीत सांसद **चुनाव में भी और निष्कासन (प्रस्ताव पारित करने) में भी** भाग लेते हैं। (राष्ट्रपति के मामले में: मनोनीत सांसद चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं)।

⚠️ अंतिम चेतावनी (Ultimate Traps to Avoid in Exam Hall)

- "**संविधान के उल्लंघन**" **(Violation of Constitution)** आधार पर केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को नहीं। उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं है।
- उपराष्ट्रपति के मामले में "**महाभियोग**" **(Impeachment)** शब्द का प्रयोग गलत है। इसे "बर्खास्तगी" (Removal) कहा जाता है।
- राष्ट्रपति का पद खाली होने पर **चुनाव 6 महीने के भीतर** होना चाहिए (Art 62)। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में संविधान केवल "**यथाशीघ्र**" **(As soon as possible)** कहता है (Art 68), कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में VP की अधिकतम अवधि **6 महीने** है (अमेरिकी व्यवस्था के विपरीत)।

उपराष्ट्रपति पद की ऐतिहासिक रोचकता (Trivia)

- **डॉ. राधाकृष्णन: लगातार 2 बार (1952, 1957)**
- **मोहम्मद हामिद अंसारी: लगातार 2 बार (2007, 2012)**
- **कृष्ण कांत: पद पर रहते हुए मृत्यु (1997-2002)**
- **वी.वी. गिरि: राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु VP पद से इस्तीफा**

"संघीय व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का पद मात्र सजावटी नहीं; बल्कि संवैधानिक संतुलन का एक अनिवार्य पहिया है।"

Unit 3.3: प्रधानमंत्री (Prime Minister) - संस्थागत एवं संवैधानिक गतिशीलता

1. संदर्भ एवं संवैधानिक स्थिति (CONTEXT & CONSTITUTIONAL STATUS)

संसदीय शासन प्रणाली (Westminster Model) में राष्ट्रपति केवल 'नाममात्र का कार्यकारी' (De jure executive/Titular head) होता है, जबकि **प्रधानमंत्री 'वास्तविक कार्यकारी' (De facto executive)** होता है। अर्थात् राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख (Head of the State) है और **प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख (Head of the Government)** है। लॉर्ड मॉर्ले ने PM को "समान लोगों में प्रथम" (Primus inter pares) कहा है, जबकि सर विलियम वर्नोन के अनुसार वह "तारों के बीच चंद्रमा" है।

संविधान के प्रमुख अनुच्छेद (Key Articles)

- **अनुच्छेद 74:** राष्ट्रपति को सहायता और **सलाह** देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। (42वें और 44वें संशोधन द्वारा यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दी गई)।
- **अनुच्छेद 75:** प्रधानमंत्री की **नियुक्ति** राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति PM की सलाह पर करेगा।
- **अनुच्छेद 78:** PM के **कर्तव्य** (संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देना)।

नियुक्ति एवं शपथ (Appointment & Oath)

संविधान में PM के चयन की **कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं** है। राष्ट्रपति लोकसभा में **बहुमत प्राप्त दल के नेता** को PM नियुक्त करता है।

⚠️ **Prelims Trap:** PM को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय वह सदस्य नहीं है, तो उसे **6 माह के भीतर** किसी भी सदन का सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत) बनना होगा। (सुप्रीम कोर्ट, 1997)।

शपथ: राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता (Secrecy) की शपथ दिलाता है।

2. पदावधि, वेतन और ऐतिहासिक संदर्भ (TERM, SALARY & CMS TO PMS)

पदावधि (Term): PM का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह राष्ट्रपति के **'प्रसादपर्यंत' (Pleasure of the President)** पद धारण करता है। **किंतु, इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है।** जब तक PM को लोकसभा (निचले सदन) में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। बहुमत खोने पर उसे इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा।

वेतन (Salary): संविधान द्वारा संसद को निर्धारित करने का अधिकार है। PM को संसद सदस्य के बराबर वेतन मिलता है, साथ ही व्यय भत्ते (Sumptuary allowance) और मुफ्त आवास आदि।

🧠 Memory Trick: वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने (CMs who became PMs)

Trick: "मो-च-वी-न-दे-न" (Mo-Cha-V-Na-De-Na) कुल 6 ऐसे व्यक्ति हैं। UPSC अक्सर कूट (Codes) में पूछता है।

प्रधानमंत्री का नाम	किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे?	UPSC Prelims Fact / Context
1. मोरारजी देसाई (Morarji Desai)	बंबई राज्य (Bombay State)	प्रथम गैर-कांग्रेसी PM (1977-79)।
2. चौधरी चरण सिंह (Charan Singh)	अविभाजित उत्तर प्रदेश (UP)	एकमात्र PM जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया।
3. वी.पी. सिंह (V.P. Singh)	उत्तर प्रदेश (UP)	राष्ट्रीय मोर्चा सरकार; मंडल आयोग लागू किया।
4. पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. N. Rao)	आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)	दक्षिण भारत से पहले PM; LPG सुधार (1991)।
5. एच.डी. देवेगौड़ा (H.D. Deve Gowda)	कर्नाटक (Karnataka)	राज्यसभा के सदस्य रहते हुए PM बने।
6. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)	गुजरात (Gujarat)	स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले PM; लगातार 3 कार्यकाल (प्रक्रियाधीन)।

सामयिक / केयरटेकर सरकार (Caretaker Government) की स्थिति

लोकसभा भंग (Dissolved) या PM का आकस्मिक निधन/इस्तीफा

↓

राष्ट्रपति पुरानी CoM को 'Caretaker' के रूप में कार्य करने को कहता है

↓

शक्तियों की सीमा (Limits): यह नीतिगत निर्णय (Major policy decisions) नहीं ले सकती। केवल दैनिक प्रशासनिक कार्य करती है। (U.N.R. Rao vs Indira Gandhi 1971 वाद के तहत)

3. प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां (FUNCTIONS & POWERS)

प्रधानमंत्री की भूमिका को विभिन्न आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह 'सरकार की रूपरेखा का मुख्य वास्तुकार' (Chief Architect) है।

A. मंत्रिपरिषद के संबंध में

- **केवल उन्हीं व्यक्तियों** को मंत्री नियुक्त किया जाता है जिनकी **सिफारिश PM** करता है।
- वह मंत्रियों के बीच **विभागों (Portfolios) का आवंटन** और फेरबदल करता है।
- मतभेद होने पर वह मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है या राष्ट्रपति को उसे **बर्खास्त** करने की सलाह दे सकता है।
- 🔥 Ultimate Power: प्रधानमंत्री का **इस्तीफा या मृत्यु** स्वतः ही **पूरी मंत्रिपरिषद को भंग (Dissolve)** कर देता है। (जबकि अन्य मंत्री की मृत्यु से केवल पद रिक्त होता है)।

B. राष्ट्रपति के संबंध में (Art 78)

- वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच **'संचार का मुख्य चैनल' (Principal channel of communication)** है।
- वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन और विधान संबंधी प्रस्तावों की जानकारी देता है।
- राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारियों (जैसे- **AGI, CAG, UPSC अध्यक्ष/सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग**) की नियुक्ति के संबंध में **सलाह** देता है।

C. संसद के संबंध में (Parliamentary Role)

वह निचले सदन (लोकसभा) का नेता होता है (यदि वह उसका सदस्य है)। **Leader of the House:** संसदीय नियमों के तहत, PM स्वयं सदन का नेता होता है या किसी अन्य मंत्री को नामित करता है। **बदलती रणनीतियां:** वर्तमान में PM 'सदन के नेता' के रूप में विधायी एजेंडे को सीधे PMO से नियंत्रित करते हैं। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत (Summon) करने और सत्रावसान (Prorogue) करने की सलाह देता है। **वह किसी भी समय 'लोकसभा भंग (Dissolve)' करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।**

D. अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं (Ex-Officio Chairman)

नीति आयोग (NITI Aayog) | राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) | राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद | अंतर्राज्यीय परिषद (Art 263) | CSIR अध्यक्ष | NDMA (आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

4. संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक बारीकियां (CONSTITUTIONAL & PROCEDURAL NUANCES)

अवधारणा (Concept)	UPSC प्रारंभिक परीक्षा हेतु विश्लेषण (Detailed Analysis)
Caretaker PM की सीमाएं	संविधान में 'Caretaker PM' शब्द का उल्लेख **नहीं** है। यह एक **संसदीय परंपरा (Convention)** है। जब सरकार विश्वास मत हार जाती है, तो राष्ट्रपति PM को नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहता है। **सीमा:** वह अंतरराष्ट्रीय संधियां नहीं कर सकता या बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकता जो अगली सरकार को बांधें।
Lateral Entry (पार्श्व प्रवेश)	प्रशासन में **विशेषज्ञों (Specialists)** को सीधे संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर पर नियुक्त करना। PM के निर्देशन में इसका विस्तार हुआ है। **संवैधानिक प्रभाव:** यह अनुच्छेद 309 (नियम बनाने की शक्ति) और अनुच्छेद 312 (AIS) की पारंपरिक समझ को बदल रहा है। UPSC के माध्यम से ही लेटरल एंट्री होती है, जिससे योग्यता आधारित 'Spoils system' से बचा जा सके।
राष्ट्रपति के साथ संबंध (वाद)	**शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** SC ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को **हमेशा** मंत्रिपरिषद (जिसका प्रमुख PM है) की सलाह पर कार्य करना चाहिए, कुछ अपवादों (जैसे विश्वास मत के समय) को छोड़कर।

विशेषाधिकार (Inherent Powers): प्रधानमंत्री आपातकाल (राष्ट्रीय या आपदा) के दौरान राजनीतिक स्तर पर **'Crisis Manager-in-Chief'** के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्तरूप देता है।

5. संस्थागत बदलाव (INSTITUTIONAL EVOLUTION): PMO का बढ़ता प्रभाव

समय के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों का **केंद्रीकरण (Centralization)** हुआ है। **"Prime Ministerial form of Government"** (प्रधानमंत्रीय शासन) का उदय हुआ है जहाँ कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी की तुलना में PM का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका **PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय)** की है।

PMO बनाम कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) - शक्ति संतुलन

PMO (Prime Minister's Office): 1947 में 'गवर्नर-जनरल के सचिवालय' के स्थान पर 'प्रधानमंत्री सचिवालय' (PMS) बना। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसका नाम बदलकर **PMO** कर दिया। यह एक **गैर-संवैधानिक, अतिरिक्त-संवैधानिक (Extra-constitutional) और गैर-सांविधिक निकाय** है। इसे भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत एक 'विभाग' का दर्जा प्राप्त है। इसका प्रमुख **प्रधान सचिव (Principal Secretary)** होता है।

कैबिनेट सचिवालय: यह अनुच्छेद 77(3) के तहत काम करता है। इसका प्रमुख **कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)** होता है (जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष और देश का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है)।

बदलता रुझान: पहले नीतियां कैबिनेट सचिवालय से आती थीं, अब **PMO सुपर-कैबिनेट** बन गया है। नीति निर्माण PMO में होता है और कैबिनेट उसे केवल 'रबर स्टाम्प' की तरह मंजूरी देती है।

'Kitchen Cabinet' (आंतरिक कैबिनेट)

यह 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों वाले 'कैबिनेट' से भी छोटी इकाई है। इसमें PM के 2-4 अत्यंत विश्वसनीय सहयोगी (मंत्री, मित्र, या परिवार के सदस्य) होते हैं। यह निर्णय लेने की **अनौपचारिक संस्था (Informal body)** है जो गोपनीयता और गतिशीलता सुनिश्चित करती है। **UPSC Fact: यह भारत ही नहीं, USA और UK में भी प्रचलित है।**

6. राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य-नागरिक संबंध (SECURITY & CIVIL-MILITARY)

National Security Council (NSC)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन 1998 में हुआ। यह त्रि-स्तरीय ढांचा है: सामरिक नीति समूह (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और संयुक्त खुफिया समिति (JIC)।

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।

NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार): यह पद PM का मुख्य सुरक्षा सलाहकार होता है। वर्तमान में NSA का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कर दिया गया है, जो PMO की **प्रत्यक्ष कमान (Direct Command)** को दर्शाता है।

Chief of Defence Staff (CDS)

सैन्य-नागरिक संबंधों (Civil-Military Relations) का नया ढांचा। कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश पर सृजित।

भूमिका: CDS सरकार (विशेषकर PM और रक्षा मंत्री) के लिए **Single-point military advisor (एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार)** है।

यह 'थिएटर कमांड' के निर्माण और सेना के तीनों अंगों में एकीकरण (Jointness) सुनिश्चित करता है। PM की अध्यक्षता वाली **Nuclear Command Authority (NCA)** की राजनीतिक परिषद को सैन्य सलाह CDS ही देता है।

PM का प्रत्यक्ष संस्थागत नियंत्रण

- **CBI & ED** (नियुक्तियों में भूमिका)
- **RAW & IB** (सीधे PMO को रिपोर्ट)
- **NITI Aayog** (नीतिगत थिंक-टैंक)
- **अंतरिक्ष विभाग (DoS) & परमाणु ऊर्जा (DAE)** (सीधे PM के पास)

(यह केन्द्रीकरण प्रधानमंत्री को न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक और सामरिक रूप से देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है।)

7. डिजिटल गवर्नेंस और डेटा-संचालित शासन (DIGITAL & DATA-DRIVEN)

21वीं सदी में प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली 'पारंपरिक फाइलों' से हटकर 'डिजिटल डैशबोर्ड' पर आ गई है। "**Minimum Government, Maximum Governance**" के तहत तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

A. PRAGATI Platform (प्रगति मंच)

PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation): यह एक बहु-उद्देशीय, बहु-मोडल (Multi-modal) प्लेटफॉर्म है।

उद्देश्य: जन शिकायतों का समाधान करना और भारत सरकार व राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/परियोजनाओं की एक साथ **निगरानी और समीक्षा (Monitoring & Review)** करना।

संघीय प्रभाव: **इसमें PM सीधे केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (ICT) के माध्यम से जुड़ते हैं।** यह **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ PMO और राज्य प्रशासन के बीच की लालफीताशाही (Red tapism) खत्म हो जाती है।

B. Decision Support Systems (DSS)

शासन में **AI (Artificial Intelligence) और Big Data** का उपयोग कर प्रधानमंत्री द्वारा सीधे 'रियल-टाइम मॉनिटरिंग' की जाती है।

उदाहरण: PM गति शक्ति (PM Gati Shakti) राष्ट्रीय मास्टर प्लान। इसमें GIS-आधारित ERP प्रणाली है। PMO सीधे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बाधाओं को ट्रैक कर सकता है। डेटा-आधारित साक्ष्य (Evidence-based policy) के कारण निर्णय लेने में व्यक्तिपरकता (Subjectivity) कम हुई है।

C. Direct Benefit Transfer (DBT)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): JAM Trinity (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) के माध्यम से सब्सिडी और कल्याणकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं।

प्रशासनिक प्रभाव: बिचौलियों (Middlemen) और रिसाव (Leakages) को हटाकर **प्रधानमंत्री की 'Direct Reach' (सीधी पहुँच)** जनता तक हो गई है। इसने PM की छवि को एक 'राष्ट्रीय उद्धारकर्ता' (National Savior) के रूप में गढ़ा है, जो चुनावी राजनीति (Vote bank) को गहराई से प्रभावित करता है।

DBT & Pro-Active Governance का तंत्र

योजना का निर्माण (PMO + NITI Aayog)	**डेटा एकीकरण** (Aadhaar + Bank Accounts)	**सीधा लाभ (Direct Reach)** (बिचौलियों का अंत)

परिणाम: शासन में पारदर्शिता (Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability) और प्रधानमंत्री की जनता से सीधे **'वर्टिकल जवाबदेही' (Vertical Accountability)** की स्थापना।

न्यायिक दृष्टिकोण (Aadhaar Case - K.S. Puttaswamy 2018)

डिजिटल गवर्नेंस और DBT को बल तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने 'आधार' (Aadhaar Act) को **अनुच्छेद 110 (धन विधेयक/Money Bill)** के रूप में पारित किए जाने को वैध ठहराया। इसने PM के कल्याणकारी एजेंडे (Targeted delivery of subsidies) को वैधानिक आधार प्रदान किया, हालांकि **निजता (Right to Privacy - Art 21)** को ध्यान में रखते हुए डेटा सुरक्षा की शर्तें भी लगाई गईं।

8. वैश्विक और कूटनीतिक भूमिका (GLOBAL LEADERSHIP)

*विदेश नीति (Foreign Policy) अब विदेश मंत्रालय (MEA) तक सीमित नहीं है; यह **'PM-Driven'** हो गई है।*

कूटनीतिक आयाम	विश्लेषण (Analysis for UPSC Mains/Prelims)
Leader-Led Diplomacy	*पारंपरिक नौकरशाही चैनलों के स्थान पर **'Personal Chemistry'** (व्यक्तिगत संबंधों) आधारित कूटनीति (जैसे- अनौपचारिक शिखर सम्मेलन: मामल्लपुरम (India-China), क्वाड लीडर्स समिट)। PM सीधे वैश्विक नेताओं से संवाद कर रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) सुनिश्चित करते हैं।*
Diaspora Engagement	*विदेशों में रहने वाले भारतीयों (NRI/OCI) को **'Soft Power' (मृदु शक्ति)** के रूप में उपयोग करना। प्रधानमंत्री द्वारा बड़े डायस्पोरा इवेंट्स (जैसे- मैडिसन स्क्वायर, हावडी मोदी, सिडनी ओलिंपिक पार्क) के माध्यम से वैश्विक दबाव समूहों (Lobbying) का निर्माण।*
Global Crisis Management	*वैश्विक आपदाओं में PM की **'Global First Responder'** की भूमिका। उदाहरण: **Vaccine Maitri** (कोविड-19 के दौरान 100+ देशों को वैक्सीन), **Operation Ganga** (यूक्रेन से निकासी), **Operation Dost** (तुर्किये भूकंप)। इससे भारत 'विश्व गुरु' और 'ग्लोबल साउथ की आवाज़' (Voice of Global South) के रूप में उभरा है।*

9. सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद (FEDERALISM & PM'S ROLE)

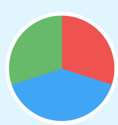
*प्रधानमंत्री भारतीय संघीय ढांचे की धुरी (Linchpin) है। वह राज्यों के साथ संबंधों को **Team India Concept** के माध्यम से प्रबंधित करता है।*

Team India Concept & NITI Aayog

*योजना आयोग (Top-down approach) को हटाकर **नीति आयोग (Bottom-up approach)** का गठन (1 Jan 2015)। **गवर्निंग काउंसिल** में PM के साथ सभी CMs बैठते हैं। यह संवाद का नया मंच है जो 'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' (One-size-fits-all) नीति को खारिज करता है।*

Aspirational Districts Program

*__आकांक्षी जिला कार्यक्रम:__ संघीय ढांचे के भीतर PM द्वारा सीधे पिछड़े 112 जिलों का विकास मॉडल। **UPSC Trap:** इसमें राज्य सरकारों को दरकिनार नहीं किया गया है, बल्कि **केंद्र (PMO/NITI), राज्य और जिला कलेक्टर** का त्रि-स्तरीय अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित किया गया है। यह **प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)** (डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से) को बढ़ावा देता है।*



जवाबदेही के बदलते स्वरूप (Accountability Matrix)

- *हॉरिजॉन्टल (संसद के प्रति): अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल (Art 75(3) - सामूहिक उत्तरदायित्व)।*
- *वर्टिकल (राज्यों/संघ के प्रति): GST परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से।*
- *डायरेक्ट (जनता के प्रति): 'मन की बात', सोशल मीडिया संवाद।*

***निष्कर्ष:** प्रधानमंत्री अब केवल 'संसद के प्रति उत्तरदायी' नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल युग में उसने सीधे जनता (Direct Electorate) के साथ एक भावनात्मक और संविदात्मक (Contractual) संबंध स्थापित कर लिया है, जो **Presidentialization of PM** (प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति-करण) की परिघटना को जन्म देता है।*

10. प्रमुख घटनाक्रम एवं विवाद (HISTORICAL EVENTS & CONTROVERSIES)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथन-कारण (Assertion-Reason) वाले प्रश्न अक्सर इतिहास और संवैधानिक प्रावधानों के मिश्रण से आते हैं।

A. दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) और PM

52वां संविधान संशोधन (1985) - 10वीं अनुसूची: *इसके लागू होने से प्रधानमंत्री की स्थिति अपनी पार्टी के भीतर* ***तानाशाही (Dictatorial)*** *स्तर तक मजबूत हो गई है। व्हिप (Whip) के उल्लंघन पर अयोग्यता के डर से, पार्टी के सांसद PM (पार्टी नेता) के निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते। इसने संसद में* ***आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र (Intra-party democracy)*** *को कमजोर किया है, लेकिन सरकार को* ***स्थिरता (Stability)*** *प्रदान की है।*

B. 42वां और 44वां संविधान संशोधन (President-PM Relation)

- ***42वां संशोधन (1976):*** *अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। "राष्ट्रपति* ***मंत्रीपरिषद (PM) की सलाह के अनुसार ही*** *कार्य करेगा।" (सलाह को पूर्णतः बाध्यकारी बना दिया गया)।*
- ***44वां संशोधन (1978):*** *जनता पार्टी सरकार ने एक प्रावधान जोड़ा। "राष्ट्रपति PM/मंत्रिपरिषद की सलाह को* ***एक बार पुनर्विचार (Reconsideration)*** *के लिए लौटा सकता है।" लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति पर* ***बाध्यकारी*** *होगी। (पॉकेट वीटो को छोड़कर)।*

राम जवाया कपूर वाद (1955)

SC ने स्पष्ट किया कि भारत में ***संसदीय कार्यपालिका*** *है। कार्यपालिका (Executive) को कोई कार्य करने के लिए हमेशा पूर्व विधायी कानून (Prior legislative sanction) की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वह संविधान का उल्लंघन न करे। इससे PM की* ***कार्यकारी स्वायत्तता*** *को बल मिला।*

गठबंधन सरकारों का दौर (1989-2014)

इस दौर में PM की शक्ति में ***गिरावट*** *आई थी। निर्णय 'स्टीयरिंग कमेटी' या 'Common Minimum Programme' द्वारा लिए जाते थे (उदा: UPA अध्यक्ष का पद)। 'Bargaining Federalism' हावी था और क्षेत्रीय दलों का PM पर दबाव रहता था। 2014 के बाद पूर्ण बहुमत से PM पद की गरिमा और शक्ति पुनः बहाल हुई।*

🚨 PRELIMS CAUTION (Trap Words) 🚨

Not mentioned in Constitution: *उप-प्रधानमंत्री (Deputy PM), किचन कैबिनेट, केयरटेकर PM, 'विश्वास मत' (Vote of Confidence) शब्द, PMO।*
Mentioned: *अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence - Rule 198 of LS, implied in Art 75(3)), मंत्रिपरिषद।*
Nominated Members: *मनोनीत सदस्य (Nominated members) भी मंत्री या* ***प्रधानमंत्री*** *बन सकते हैं (यदि वे 6 माह में राज्यसभा/लोकसभा के सदस्य बन जाएं या पहले से हों)।*

II. तुलनात्मक चार्ट: पुराना बनाम नया रुझान (EVOLUTION UPTO 2032)

पुराने टॉपिक्स (Traditional UPSC Focus)	नए संभावित टॉपिक्स (Current & Future Trends)
प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ (Art 75)	**प्रधानमंत्री की 'Inherent Powers' (निहित शक्तियां) और विशेषाधिकार** (संकट प्रबंधन, कूटनीति)।
कैबिनेट के साथ संबंध (सामूहिक जिम्मेदारी)	**'Kitchen Cabinet' और PMO की कार्यप्रणाली** (कैबिनेट सचिवालय का कमजोर होना)।
संसद के प्रति उत्तरदायित्व (Art 75(3))	**सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से जनता के प्रति सीधा संवाद** ('Direct vertical accountability')।
संवैधानिक अनुच्छेद (74, 75, 78)	**गैर-संवैधानिक सलाहकार निकायों का बढ़ता प्रभाव** (नीति आयोग, NSA, PMO)।
गठबंधन राजनीति (Coalition constraints)	**सशक्त बहुमत और 'Presidentialization of PM'** (PM-केंद्रित चुनाव प्रचार)।
नौकरशाही नियंत्रण (Seniority based)	**Lateral Entry (पार्श्व प्रवेश)** और 'Pro-Active Governance' (PRAGATI)।

🎯 Final Revision Brainstorming 🎯

- *क्या PM अपना इस्तीफा सौंपते समय राष्ट्रपति को* ***लोकसभा भंग*** *करने की सलाह दे सकता है?* ***हाँ।*** *यदि उसके पास बहुमत है तो राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है। यदि बहुमत नहीं है (Lame-duck), तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।*
- ***उप-प्रधानमंत्री (Deputy PM):*** *यह पूर्णतः* ***राजनीतिक पद*** *है। इसे कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन और शक्तियां मिलती हैं। सरदार पटेल पहले उप-PM थे, और एल.के. आडवाणी अंतिम (अब तक)।*
- ***छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet):*** *यह ब्रिटिश प्रणाली की विशेषता है, जहाँ विपक्षी दल सरकार के हर मंत्री के समानांतर अपना 'छाया मंत्री' बनाता है।* ***भारत में यह संस्था मौजूद नहीं है।***
- *PM के पद की* ***शपथ*** *में "श्रद्धा और निष्ठा", "प्रभुता और अखंडता", "कर्तव्यों का निर्वहन" और "भय या पक्षपात के बिना" जैसे शब्द शामिल हैं।*

"निरंतरता और परिवर्तन का अद्भुत समन्वय ही भारतीय प्रधानमंत्री के पद की वास्तविक शक्ति है।"

Unit 3.4: केंद्रीय मंत्रीपरिषद (Union Council of Ministers) - संरचना एवं गत्यात्मकता

1. संवैधानिक संदर्भ (CONSTITUTIONAL CONTEXT)

संसदीय शासन प्रणाली (Westminster Model) में, कार्यपालिका (Executive) विधायिका (Legislature) का हिस्सा होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान में **राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी** (De-jure executive) है, जबकि **प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रीपरिषद वास्तविक कार्यकारी** (De-facto executive) है। संविधान में मंत्रीपरिषद की संरचना को विस्तृत रूप से नहीं, बल्कि मोटे तौर पर **अनुच्छेद 74 और 75** के तहत परिभाषित किया गया है।

प्रमुख अनुच्छेद (Key Articles)

- **अनुच्छेद 74:** मंत्रीपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता एवं **सलाह (Advice)** देना।
- **अनुच्छेद 75:** मंत्रियों की **नियुक्ति**, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ एवं वेतन।
- **अनुच्छेद 77:** भारत सरकार के कार्य का संचालन (सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर)।
- **अनुच्छेद 78:** राष्ट्रपति को सूचना देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
- **अनुच्छेद 88:** सदनों में मंत्रियों के **अधिकार** (बोलने/भाग लेने का अधिकार, पर मतदान केवल उसी सदन में जहाँ के वे सदस्य हैं)।

2. मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति

अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी।

42वें संविधान संशोधन (1976): इंदिरा गांधी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की **सलाह मानने के लिए बाध्य (Bound)** है।

44वें संविधान संशोधन (1978): मोरारजी देसाई सरकार ने एक सुरक्षा उपाय जोड़ा। राष्ट्रपति सलाह को **एक बार पुनर्विचार (Reconsideration)** के लिए लौटा सकता है। परन्तु, पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी** होगी।

🔥 Prelims Trap: न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

अनुच्छेद 74(2): मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की **किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती (Non-justiciable)**। यह प्रावधान राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच 'अंतरंग और गोपनीय' (Intimate & Confidential) संबंधों को बचाता है।

एस.आर. बोम्मई वाद (1994): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि **'सलाह क्या दी गई'** इसकी जांच नहीं होगी, लेकिन **'सलाह किस सामग्री/आधार (Material) पर दी गई'**, उस सामग्री की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

3. मंत्रियों की नियुक्ति (APPOINTMENT OF MINISTERS)

नियुक्ति: **अनुच्छेद 75(1)** के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति **राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर** करेगा। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश PM करता है।

योग्यता एवं '6 माह' का नियम

मंत्री बनने के लिए संसद (LS/RS) का सदस्य होना आवश्यक है।

↓

यदि कोई गैर-सदस्य (Non-member) मंत्री बनता है (Art 75(5))

↓

उसे लगातार 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य (निर्वाचित/मनोनीत) बनना होगा, अन्यथा मंत्री पद छिन जाएगा। (एस.आर. चौहान वाद 2001: बार-बार इस्तीफा देकर 6 माह का चक्र नहीं चलाया जा सकता)

मंत्रीपरिषद का आकार (Size limit) - 91वां संविधान संशोधन 2003

मूल संविधान में CoM के आकार की कोई सीमा नहीं थी (जिससे जंबो कैबिनेट बनते थे)।

अनुच्छेद 75(1A): प्रधानमंत्री सहित मंत्रीपरिषद में मंत्रियों की **कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं** होगी। (राज्यों में भी विधानसभा के 15% की सीमा है, लेकिन न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए - **केंद्र के लिए न्यूनतम मंत्रियों की कोई संख्या तय नहीं है**)।

दल-बदल: **Art 75(1B)** के तहत दल-बदल (10th Schedule) के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा।

4. मंत्रियों की शपथ एवं वेतन (OATH & SALARY)

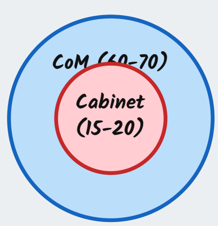
शपथ: पद ग्रहण करने से पूर्व, **राष्ट्रपति** उन्हें **पद एवं गोपनीयता (Office and Secrecy)** की शपथ दिलाता है। इसका प्रारूप **तीसरी अनुसूची (Schedule III)** में है। 'गोपनीयता' की शपथ ब्रिटिश संसदीय परंपरा का हिस्सा है, जो कैबिनेट निर्णयों को गुप्त रखने के लिए बाध्य करती है।

वेतन और भत्ते: संविधान ने इसे **संसद (Parliament)** द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया है (**दूसरी अनुसूची में नहीं है, 2nd Sch. में केवल राष्ट्रपति/SC जजों आदि का है - TRAP**)। मंत्री को संसद सदस्य (MP) के बराबर वेतन मिलता है, साथ ही सत्कार भत्ता (Sumptuary), निवास आदि मिलते हैं।

5. मंत्रीपरिषद की संरचना एवं श्रेणियां (STRUCTURE & CATEGORIES)

संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में विभाजित नहीं करता है। यह **संसदीय परंपरा (Convention)** और भारत सरकार के **कार्य आवंटन नियम (Allocation of Business Rules 1961)** पर आधारित है। तीन मुख्य श्रेणियां हैं:

श्रेणी (Category)	भूमिका एवं शक्तियां (Roles & Powers)
1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)	केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों (गृह, रक्षा, वित्त, विदेश) के प्रमुख। ये **कैबिनेट के सदस्य** होते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं और नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) MoS (Independent Charge)	इन्हें छोटे मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है। ये **कैबिनेट के सदस्य नहीं** होते। ये कैबिनेट की बैठकों में **तभी भाग लेते हैं जब विशेष रूप से आमंत्रित (Invited)** किया जाए। अपने मंत्रालय में ये कैबिनेट मंत्री के समान स्वतंत्र होते हैं।
3. राज्य मंत्री (Minister of State)	इन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ **संबद्ध (Attached)** किया जाता है। ये कैबिनेट मंत्रियों के मार्गदर्शन में काम करते हैं। ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते।
4. उप-मंत्री (Deputy Ministers)	वर्तमान में इनका प्रचलन कम है। ये प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते हैं। (स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता)। संसदीय सचिव (Parliamentary Secretaries) सबसे निचले स्तर पर होते हैं।



मंत्रीपरिषद (CoM) एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी 3-4 श्रेणियों के मंत्री (60-70) होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय (**Art 74 & 75**) है, लेकिन यह कभी एक साथ बैठक नहीं करता है।

मंत्रिमंडल (Cabinet) CoM का एक छोटा हिस्सा है (15-20 कैबिनेट मंत्री)। यह वास्तविक नीति-निर्माता निकाय है जो सप्ताह में एक बार मिलता है।

6. मंत्रियों का उत्तरदायित्व (RESPONSIBILITY OF MINISTERS) - ★ UPSC FAVOURITE ★

संसदीय लोकतंत्र की नींव 'उत्तरदायित्व' के सिद्धांत पर टिकी है। इसे तीन रूपों में देखा जाता है:

A. सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

अनुच्छेद 75(3): **"मंत्रीपरिषद लोकसभा (House of the People) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"** TRAP: संसद के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति।

तात्पर्य: सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। वे एक टीम के रूप में **"एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं" (Swim and sink together)**। यदि लोकसभा मंत्रीपरिषद के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-confidence motion) पारित करती है, तो राज्यसभा के मंत्रियों सहित **सभी मंत्रियों को इस्तीफा** देना पड़ता है।

कैबिनेट निर्णयों की बाध्यता: बंद कमरे की बैठकों में असहमति हो सकती है, लेकिन एक बार कैबिनेट का निर्णय हो जाने पर, सभी मंत्रियों को **सार्वजनिक रूप से एकजुटता (Public solidarity)** दिखानी होगी। यदि कोई मंत्री निर्णय से सहमत नहीं है, तो उसे **इस्तीफा देना होगा** (उदा: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर, सी.डी. देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन पर)।

B. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual)

अनुच्छेद 75(2): **"मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of President) पद धारण करेंगे।"**

अर्थात्, राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रीपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। **किंतु, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केवल 'प्रधानमंत्री की सलाह' पर ही करता है।** (PM मतभेद होने पर मंत्री को हटा सकता है, जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है)।

C. कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं (No Legal Responsibility)

ब्रिटेन में, राजा के हर आदेश पर एक मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं (विधिक जिम्मेदारी)। **भारत में, संविधान में मंत्री के 'कानूनी उत्तरदायित्व' का कोई प्रावधान नहीं है।** राष्ट्रपति के आदेशों पर मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (Countersignature) की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय भी मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच नहीं कर सकते।

7. संवैधानिक एवं वैधानिक सूक्ष्मताएं (CONSTITUTIONAL NUANCES)

राजनीतिक एकरूपता (Political Homogeneity)

यह संसदीय प्रणाली का एक अदृश्य सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि सामान्यतः मंत्रीपरिषद के सभी सदस्य **एक ही राजनीतिक दल (Single party)** से संबंधित होते हैं, और इसलिए वे समान राजनीतिक विचारधारा साझा करते हैं। **व्यावहारिक चुनौतियां:** गठबंधन सरकारों (Coalition Governments) के दौर में यह सिद्धांत कमजोर हो जाता है। विभिन्न विचारधारा वाले दल एक 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' (Common Minimum Programme) के तहत सरकार चलाते हैं, जिससे अक्सर नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) की स्थिति उत्पन्न होती है।

बंद कमरे की असहमति vs सार्वजनिक एकजुटता

- **दबाव:** गठबंधन के साथी अक्सर सार्वजनिक बयानबाजी (Posturing) करते हैं।
- **संवैधानिक मर्यादा:** Art 75(3) बाध्य करता है कि निर्णय का बचाव करें या पद छोड़ें।
- **समाधान:** Coordination Committees (समन्वय समितियां) का गठन।

8. मंत्रिमंडल (CABINET) की भूमिका एवं अनुच्छेद 352

संविधान के मूल पाठ में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख **कहीं नहीं** था। संपूर्ण शक्तियां 'मंत्रीपरिषद' में निहित थीं।

44वां संविधान संशोधन (1978) और 'कैबिनेट' शब्द

इस संशोधन द्वारा **अनुच्छेद 352** **(राष्ट्रीय आपातकाल)** में पहली बार 'कैबिनेट' शब्द जोड़ा गया। इसमें कैबिनेट को "प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों की परिषद" (Art 75 के तहत नियुक्त) के रूप में परिभाषित किया गया। प्रावधान किया गया कि **राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब उसे 'कैबिनेट' द्वारा 'लिखित' (in writing) रूप में निर्णय सूचित किया जाए।** (1975 में इंदिरा गांधी ने केवल अपनी सलाह पर आपातकाल लगवाया था, इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए यह किया गया)।

भूमिका का वर्णन: कैबिनेट देश की **सर्वोच्च नीति-निर्माता संस्था** है। यह केंद्र सरकार की मुख्य समन्वयक (Chief coordinating body) है। यह राष्ट्रपति की सर्वोच्च सलाहकार संस्था है और सभी प्रमुख विधायी एवं वित्तीय मामलों (बजट) को नियंत्रित करती है।

9. कैबिनेट समितियां (CABINET COMMITTEES) - शासन का इंजन

कैबिनेट का कार्यभार बहुत अधिक होता है, इसलिए वह **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961** के तहत 'कैबिनेट समितियों' के माध्यम से कार्य करती है। ये **गैर-संवैधानिक (Extra-constitutional)** निकाय हैं।

- **प्रकार:** स्थायी (Standing - नियमित मामलों के लिए) और तदर्थ (Ad-hoc - विशेष/तात्कालिक मुद्दों के लिए)।
- **संरचना:** सदस्य 3 से 8 तक हो सकते हैं। इनमें केवल कैबिनेट मंत्री ही नहीं, बल्कि **गैर-कैबिनेट मंत्री भी** शामिल हो सकते हैं।
- **अध्यक्षता:** अधिकांश समितियों की अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं। यदि PM किसी समिति के सदस्य हैं, तो वह **अनिवार्य रूप से अध्यक्ष** होंगे (TRAP)।

प्रमुख समितियां (Focus for Prelims)	अध्यक्ष / महत्व
1. राजनीतिक मामलों की समिति (Political Affairs)	**अध्यक्ष: PM।** इसे "सुपर कैबिनेट" कहा जाता है। घरेलू और विदेश नीति के महत्वपूर्ण फैसले।
2. आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)	**अध्यक्ष: PM।** MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का निर्धारण यही समिति करती है।
3. नियुक्ति समिति (Appointments)	**अध्यक्ष: PM।** (सदस्य केवल PM और गृह मंत्री)। सभी शीर्ष नियुक्तियां (सचिव, बैंक प्रमुख, सेनाध्यक्ष)।
4. संसदीय मामलों की समिति (Parliamentary Affairs)	**अध्यक्ष: गृह मंत्री (Home Minister)।** संसद सत्र की प्रगति देखती है।

आंतरिक (किचन) कैबिनेट (Kitchen / Inner Cabinet)

यह 15-20 कैबिनेट मंत्रियों के भीतर भी एक और छोटा वृत्त (Circle) है। यह **अनौपचारिक (Informal)** निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके 2-4 अत्यंत विश्वसनीय सहयोगी शामिल होते हैं। **विशेषता:** इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री, बल्कि **बाहरी लोग (जैसे PM के मित्र, परिवार के सदस्य, या शीर्ष नौकरशाह)** भी शामिल हो सकते हैं। यह गोपनीयता, गति और प्रधानमंत्री के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। (यह घटना अमेरिका और ब्रिटेन में भी आम है)।

10. मंत्रिमंडल संरचना और गठबंधन राजनीति (COALITION DYNAMICS)

1989 के बाद से भारत ने कई गठबंधन सरकारें देखी हैं (वर्तमान 2024 में भी NDA की गठबंधन सरकार है)। गठबंधन राजनीति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली में **गुणात्मक परिवर्तन** लाए हैं।

A. पोर्टफोलियो आवंटन (Portfolio Allocation)

सैद्धांतिक रूप से पोर्टफोलियो बांटना PM का विशेषाधिकार है। लेकिन गठबंधन में, **'सौदेबाजी का संघवाद' (Bargaining model)** काम करता है। क्षेत्रीय दल संख्या बल के आधार पर महत्वपूर्ण मंत्रालयों (रेलवे, नागरिक उड्डयन, कृषि) की मांग करते हैं। **संवैधानिक निहितार्थ:** PM को अयोग्य मंत्रियों को भी शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे Art 75 की 'PM की सलाह' की भावना (जो योग्यता पर आधारित होनी चाहिए) प्रभावित होती है।

B. रणनीतिक मंत्रालयों का संरक्षण (CCS)

गठबंधन के दबाव के बावजूद, **सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS)** के मुख्य मंत्रालय - **गृह, रक्षा, वित्त, और विदेश मंत्रालय (Big Four)** - आमतौर पर सबसे बड़े राष्ट्रीय दल (PM की पार्टी) द्वारा अपने पास रखे जाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

गठबंधन का 'सामूहिक उत्तरदायित्व' पर प्रभाव

- **Common Minimum Programme (CMP):** कैबिनेट निर्णयों का आधार।
- **समन्वय समितियां (Coordination):** कैबिनेट के बाहर निर्णय लिए जाते हैं (Extra-cabinet decision making)।
- **PM की शक्ति में ह्रास:** PM अब 'First among equals' से ज्यादा 'Manager of interests' बन जाता है।

11. नई कैबिनेट समितियां (NEW CABINET COMMITTEES) - बदलते आर्थिक रुझान

2019 में, आर्थिक चुनौतियों से निपटने और विकास को गति देने के लिए, केंद्र सरकार ने **दो नई कैबिनेट समितियों** का गठन किया, जो मंत्रिमंडल की आधुनिक कार्यप्रणाली को दर्शाती हैं:

नई समिति (New Committee)	भूमिका एवं फोकस क्षेत्र (Role & Focus)
1. निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Investment & Growth)	यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure) की पहचान करती है और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। इसका लक्ष्य $5 Trillion अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **FDI और घरेलू निवेश** में आने वाली लालफीताशाही (Red-tapism) को दूर करना है।
2. रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति (CC on Employment & Skill Development)	जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग करने के लिए। यह जनशक्ति (Workforce) को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार तैयार करने और **रोजगार सृजन (Job creation)** से जुड़ी सभी नीतियों का समन्वय करती है।

Note: इन दोनों नई समितियों की **अध्यक्षता प्रधानमंत्री** द्वारा की जाती है, जो शासन के इन दो क्षेत्रों (Growth & Jobs) में PMO के सीधे नियंत्रण को दर्शाता है।

12. प्रशासनिक और शासन सुधार (ADMINISTRATIVE & GOVERNANCE REFORMS)

मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली अब केवल फाइलों को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रो-एक्टिव, डेटा-संचालित और परिणाम-उन्मुख (Outcome-oriented) संस्था बन गई है।

A. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) - NPCSCB

National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB): यह 'नियम-आधारित' (Rule-based) शासन से **'भूमिका-आधारित' (Role-based)** शासन की ओर एक आदर्श बदलाव (Paradigm shift) है।

मंत्रिमंडल की भूमिका: इस मिशन का शीर्ष निकाय **'प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद' (PM's HR Council)** है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और विशेषज्ञ शामिल हैं। कैबिनेट सचिवालय और **DoPT** सीधे सिविल सेवकों के निरंतर प्रशिक्षण (iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से) की निगरानी करते हैं, ताकि नौकरशाही कैबिनेट की नीतियों को अधिक दक्षता से लागू कर सके।

B. पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) और नीति निर्माण पर प्रभाव

अवधारणा: निजी क्षेत्र (Private sector), शिक्षाविदों या पीएसयू से विशेषज्ञों (Specialists) को सीधे **संयुक्त सचिव, निदेशक (Director) या उप-सचिव** के स्तर पर मंत्रालयों में नियुक्त करना।

- **आवश्यकता:** आधुनिक प्रशासन जटिल (उदा: साइबर सुरक्षा, फिनटेक) हो गया है। सामान्यज्ञ (Generalist IAS) हमेशा विशेषज्ञ सलाह नहीं दे सकते।
- **कैबिनेट पर प्रभाव:** कैबिनेट नोट (Cabinet Notes) अब अधिक डेटा-समर्थित और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होते हैं। यह **Evidence-based policy making** को बढ़ावा देता है।
- **चुनौतियां:** **यह प्रणाली पारंपरिक नौकरशाही में विरोध पैदा करती है**। साथ ही, नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण (Reservation) लागू करने और 'Spoils System' (पक्षपात) से बचने की चुनौती है (इसलिए UPSC के माध्यम से भर्ती की जाती है)।

C. परिणाम-आधारित निगरानी (Outcome-based Monitoring)

पारंपरिक रूप से, कैबिनेट की सफलता को बजट के **व्यय (Expenditure/Outlay)** से मापा जाता था (उदा: शिक्षा पर 500 करोड़ खर्च किए)।

आधुनिक बदलाव: अब फोकस **आउटकम (Outcomes - वास्तविक सामाजिक प्रभाव)** पर है (उदा: 500 करोड़ खर्च करके साक्षरता दर कितनी बढ़ी?)।

यंत्र: वित्त मंत्रालय का **'आउटकम बजट' (Outcome Budget)** और नीति आयोग (NITI Aayog) के **डैशबोर्ड (Dashboards/Indices** जैसे- SDG Index, Health Index)। कैबिनेट बैठकें अब इन डेटा बिंदुओं के आधार पर मंत्रालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती हैं।

नीति निर्माण का नया प्रतिरूप (New Policy Paradigm)

विशेषज्ञता (Expertise) — Lateral Entry + NITI → **कैबिनेट निर्णय** — Data-Driven (DSS) → **निगरानी (Monitoring)** — Outcome Budgeting

13. ई-गवर्नेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (DIGITAL & DATA-DRIVEN CABINET)

डिजिटल इंडिया के युग में कैबिनेट की कार्यप्रणाली 'फाइलों के ढेर' से हटकर 'डिजिटल डैशबोर्ड' पर आ गई है।

CPGRAMS

Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: यह एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली है। मंत्रिमंडल और विशेष रूप से PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) इसका उपयोग नागरिकों की शिकायतों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। यह **Responsive Governance (उत्तरदायी शासन)** सुनिश्चित करता है और कैबिनेट को यह बताता है कि किन नीतियों में सुधार की आवश्यकता है।

PRAGATI & e-Cabinet

PRAGATI: PM द्वारा सीधे केंद्र/राज्य सचिवों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग।
e-Cabinet: कैबिनेट की बैठकें अब कागज-रहित (Paperless) हो रही हैं। कैबिनेट नोट (Cabinet Notes) डिजिटल रूप से सुरक्षित नेटवर्क पर साझा किए जाते हैं, जिससे समय की बचत और **गोपनीयता (Secrecy)** सुनिश्चित होती है।

14. तुलनात्मक सारांश: पुराना VS नया रुझान (UPSC MAINS/PRELIMS SYNTHESIS)

पारंपरिक विषय (Traditional Aspects)	आधुनिक/उभरते विषय (Modern Nuances till 2030s)
मंत्री परिषद (CoM) का आकार असीमित।	**91st CAA** द्वारा 15% की सीमा (Rationalization)।
निर्णय: राजनीतिक अंतर्ज्ञान (Political Intuition) पर।	निर्णय: **Data-driven**, AI, और डैशबोर्ड आधारित (DSS)।
'कैबिनेट' केवल एक संसदीय परंपरा थी।	**44th CAA (Art 352)** से संवैधानिक दर्जा प्राप्त।
नीति निर्माण केवल सामान्यज्ञ IAS द्वारा।	**Lateral Entry** और थिंक-टैंक (NITI Aayog) का प्रभाव।
गठबंधन: राजनीतिक अस्थिरता (Instability)।	गठबंधन: 'समन्वय समितियों' द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम।
मूल्यांकन 'बजट आउटले' (Outlay) पर।	मूल्यांकन **'सामाजिक आउटकम' (Outcome Monitoring)** पर।

🏁 Quick Memory Brainstorming 🏁

Art 74 (Advice) | **Art 75** (Appt, Oath, Salary, Respo.) | **Art 77** (Conduct of Bus.) | **Art 78** (PM duty)
Collective Respo. (Art 75(3) - To Lok Sabha) | **Individual Respo.** (Art 75(2) - Pleasure of Prez)
Oath: By President (Sch III) | **Salary:** By Parliament | **Size:** Max 15% of LS (91st Amend)
Legal Responsibility: DOES NOT EXIST in India. | **Cabinet word:** Only in Art 352.

"एक सुदृढ़ मंत्रीपरिषद और चुस्त मंत्रिमंडल ही 'Minimum Government, Maximum Governance' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।"

Unit 3.5: मंत्रिमंडलीय समितियां (Cabinet Committees) - उत्पत्ति एवं संरचना

1. संदर्भ एवं संवैधानिक स्थिति (CONTEXT & CONSTITUTIONAL STATUS)

आधुनिक शासन प्रणाली में राज्य के कार्यों की जटिलता और मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूरी मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) या कैबिनेट के लिए हर मुद्दे पर गहराई से विचार करना समय के अभाव के कारण असंभव है। इस समस्या के समाधान के लिए **'श्रम विभाजन' (Division of Labour)** और **'प्रभावी प्रतिनिधिमंडल' (Effective Delegation)** के सिद्धांतों पर मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया गया है।

🔥 UPSC Prelims Trap: Constitutional Status

मंत्रिमंडलीय समितियों का उल्लेख **संविधान में कहीं भी नहीं** किया गया है। ये **संविधानेतर (Extra-Constitutional)** संस्थाएं हैं। इनका गठन **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 (Transaction of Business Rules, 1961)** के तहत किया जाता है, जो अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत **राष्ट्रपति** द्वारा बनाए जाते हैं (ताकि सरकार का कार्य अधिक सुगमता से हो सके)। यद्यपि नियम राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन समितियों का **वास्तविक गठन प्रधानमंत्री (PM)** करता है।

2. मंत्रिमंडलीय समितियों की प्रमुख विशेषताएं (SALIENT FEATURES)

1. उत्पत्ति (Origin): ये नियम-आधारित हैं (Rules of Business), अतः इन्हें विधिक या संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।

2. गठन व प्रकार (Formation & Types): इन्हें **प्रधानमंत्री** द्वारा समय की आवश्यकता और स्थिति की मांग के अनुसार स्थापित किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय-समय पर बदलती रहती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: **स्थायी (Standing)** और **तदर्थ (Ad-hoc)**। तदर्थ समितियां विशेष समस्याओं के समाधान के लिए बनती हैं और कार्य पूरा होने पर भंग कर दी जाती हैं।

3. सदस्यता (Membership): इनकी सदस्य संख्या सामान्यतः **3 से 8** के बीच होती है। इनमें प्रायः केवल **कैबिनेट मंत्री** शामिल होते हैं।

🧠 **Trick Alert:** यद्यपि गैर-कैबिनेट मंत्री (राज्य मंत्री) आमतौर पर इसके सदस्य नहीं होते, लेकिन **उन्हें बाहर नहीं रखा गया है (Not debarred)**। यदि वे किसी विषय से सीधे जुड़े हैं, तो उन्हें 'विशेष आमंत्रित' (Special Invitees) या सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

निर्णय प्रक्रिया का पदानुक्रम (Hierarchy of Decision Making)

संबंधित मंत्रालय/विभाग (प्रस्ताव तैयार करना)

↓

मंत्रिमंडलीय समिति (गहन विश्लेषण एवं निर्णय)

↓

संपूर्ण कैबिनेट (Cabinet): समितियां कैबिनेट को निर्णय के लिए केवल प्रस्ताव ही नहीं भेजतीं, बल्कि स्वयं भी निर्णय लेती हैं। कैबिनेट उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, लेकिन प्रायः वे स्वीकृत हो जाते हैं।

4. अध्यक्षता (Chairmanship) - एक महत्वपूर्ण तथ्य

सामान्यतः, जिन समितियों में प्रधानमंत्री (PM) सदस्य होते हैं, **वही उनकी अध्यक्षता करते हैं**। यदि PM सदस्य नहीं हैं, तो **गृह मंत्री (Home Minister)** या **रक्षा मंत्री (Defence Minister)** अथवा **वित्त मंत्री (Finance Minister)** अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। समितियों में निर्णय बहुमत के बजाय **आम सहमति (Consensus)** से लिए जाते हैं, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मजबूत करता है।

3. मंत्रिमंडलीय समितियों का वर्गीकरण और विकास (EVOLUTION)

ऐतिहासिक रूप से, भारत में मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या बदलती रही है। 1994 में 13 समितियां थीं, 2013 (UPA युग) में 10 थीं, 2014 (NDA-1) में इन्हें घटाकर 6 कर दिया गया (शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए), और **2019 (NDA-2) के बाद से वर्तमान में इनकी संख्या 8 है।**

मंत्रिमंडलीय समितियों की प्रकृति

- **स्थायी (Standing):** निरंतर कार्य (उदा: CCPA, CCS)
- **तदर्थ (Ad-hoc):** विशिष्ट मुद्दे (GoMs/EGoMs)
- **नीति-निर्माता:** बड़े फैसले लेना
- **समन्वयकारी:** मंत्रालयों के बीच विवाद सुलझाना

4. वर्तमान 8 मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची (List of 8 Committees)

क्र.	समिति का नाम (Name of Committee)	अध्यक्ष (Chairperson) - UPSC Focus
1	**राजनैतिक मामलों की समिति** (Cabinet Committee on Political Affairs - CCPA)	**प्रधानमंत्री (Prime Minister)**
2	**आर्थिक मामलों की समिति** (Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA)	**प्रधानमंत्री (Prime Minister)**
3	**नियुक्ति समिति** (Appointments Committee of the Cabinet - ACC)	**प्रधानमंत्री (Prime Minister)**
4	**सुरक्षा मामलों की समिति** (Cabinet Committee on Security - CCS)	**प्रधानमंत्री (Prime Minister)**
5	**निवेश और विकास पर समिति** (CC on Investment & Growth) - *2019 में गठित*	**प्रधानमंत्री (Prime Minister)**
6	**रोजगार और कौशल विकास पर समिति** (CC on Employment & Skill Development) - *2019 में गठित*	**प्रधानमंत्री (Prime Minister)**
7	**संसदीय मामलों की समिति** (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs)	**रक्षा मंत्री (Rajnath Singh)** / गृह मंत्री
8	**आवास समिति** (Cabinet Committee on Accommodation)	**गृह मंत्री (Amit Shah)**

🧠 Elimination Trick for Prelims

UPSC अक्सर कथन देता है: *"सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।"* यह कथन **गलत (False)** है।

सूत्र याद रखें: 8 में से **6 की अध्यक्षता PM** करते हैं। **केवल 2 अपवाद हैं:** 1. संसदीय मामले (रक्षा मंत्री/गृह मंत्री), 2. आवास (गृह मंत्री)। यदि परीक्षा में इन दोनों के अलावा कोई भी समिति पूछी जाए, तो उसका अध्यक्ष आंख बंद करके 'प्रधानमंत्री' टिक करें।

संरचनात्मक गतिशीलता: समितियों में केवल उसी मंत्रालय के मंत्री नहीं होते जिससे विषय संबंधित है, बल्कि **वरिष्ठ मंत्रियों** (Senior Ministers) को भी शामिल किया जाता है ताकि नीति निर्माण में व्यापक दृष्टिकोण और राजनीतिक वजन मिल सके। उदाहरण के लिए, वित्त मंत्री लगभग हर महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा होते हैं।

कार्यात्मक स्वायत्तता: ये समितियां केवल प्रारंभिक चर्चा नहीं करतीं; **ये अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।** हालांकि, मंत्रिमंडल (Cabinet) के पास किसी भी समिति के निर्णय की समीक्षा (Review) करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल इनके फैसलों पर केवल 'रबर स्टाम्प' लगाता है।

5. मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य (FUNCTIONS & DETAILED ANALYSIS)

प्रारंभिक परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाता है कि कौन सा नीतिगत निर्णय किस समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समितियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत है:

A. राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA - The Super Cabinet)

यह सभी मंत्रिमंडलीय समितियों में **सबसे अधिक शक्तिशाली (Most Powerful)** है। राजनीतिक हलकों में इसे **'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet)** कहा जाता है।

- **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री।
- **कार्यक्षेत्र:** यह घरेलू (Domestic) और विदेशी (Foreign) मामलों से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों से निपटती है, जो किसी अन्य समिति के पास नहीं होते।
- **केंद्र-राज्य संबंध:** राज्यों के साथ राजनीतिक विवादों का समाधान करना और अंतर-राज्यीय समस्याओं पर केंद्र का रुख तय करना।
- **आर्थिक नीति का राजनीतिकरण:** ऐसे आर्थिक निर्णय जिनका देशव्यापी राजनीतिक प्रभाव (Political implications) हो सकता है, वे CCEA से पहले CCPA में चर्चा के लिए आते हैं।

B. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA - Economic Core)

भारत की संपूर्ण आर्थिक दिशा को निर्देशित करने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। इसका प्रभाव सीधे देश के बजट, विकास और महंगाई पर पड़ता है।

- **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री।
- **विदेशी निवेश (FDI/FII):** बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देना (विशेषकर वे जो स्वतः मार्ग - Automatic route से नहीं आते)।
- 🔥 UPSC Prelims Target (2020 में पूछा गया): **कृषि उपज के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP - Minimum Support Price)** को अंतिम मंजूरी **CCEA** ही देती है। (ध्यान दें: CACP केवल सिफारिश करता है, CCEA मुहर लगाती है)।
- **मूल्य नियंत्रण:** आवश्यक वस्तुओं (जैसे- प्याज, दालें, पेट्रोलियम उत्पाद) की कीमतों और आपूर्ति की समीक्षा करना।
- **सार्वजनिक उपक्रम (PSUs):** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश (Disinvestment) रणनीति तय करना और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का मूल्यांकन करना।
- औद्योगिक नीति (Industrial Policy) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के रुख को अंतिम रूप देना।

निर्णय का प्रवाह (Example: MSP)

CACP (विशेषज्ञ निकाय)
डेटा एकत्र कर **सिफारिश** करता है ➡ कृषि मंत्रालय
प्रस्ताव का ड्राफ्ट बनाता है ➡ **CCEA (अध्यक्ष: PM)**
अंतिम निर्णय और घोषणा

नोट: CCEA की बैठकों में नीति आयोग (NITI Aayog) के उपाध्यक्ष और गवर्नर (RBI) को अक्सर विशेष आमंत्रित (Special Invitees) के रूप में बुलाया जाता है ताकि आर्थिक नीतियों पर विशेषज्ञ राय मिल सके।

6. अन्य प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियां (OTHER KEY COMMITTEES)

C. नियुक्ति समिति (ACC)

Appointments Committee of the Cabinet.

UPSC Fact: यह संरचना के लिहाज से **सबसे छोटी (Smallest)** समिति है। इसमें आमतौर पर केवल **प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)** और **गृह मंत्री** शामिल होते हैं (संबंधित मंत्रालय का मंत्री आमंत्रित हो सकता है)।

कार्य: केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और त्रि-सेवा (सेना, नौसेना, वायुसेना) में सभी 'वरिष्ठ नियुक्तियों' (Senior Appointments) को अंतिम रूप देना।

(उदा: RBI गवर्नर, CBI निदेशक, RAW प्रमुख, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष)।

D. सुरक्षा मामलों की समिति (CCS)

Cabinet Committee on Security.

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।

सदस्य: रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री (The 'Big 4').

कार्य: रक्षा संबंधी व्यय, राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण, आंतरिक सुरक्षा रणनीति, और विदेशी मामलों (जिनका सुरक्षा पर प्रभाव हो) का निपटारा।

परमाणु नीति: भारत के परमाणु शस्त्रागार (Nuclear Arsenal) का राजनीतिक नियंत्रण (Nuclear Command Authority) भी इसी के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

E. संसदीय मामलों की समिति (CC on Parliamentary Affairs)

यह उन 2 समितियों में से एक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री **नहीं** करते।

- **अध्यक्ष:** वर्तमान में **रक्षा मंत्री** (राजनाथ सिंह) इसके अध्यक्ष हैं। (पहले प्रायः गृह मंत्री होते थे)।
- **कार्यक्षेत्र:** संसद के सदनों की प्रगति और कार्यवाहियों पर नज़र रखना।
- संसद का **सत्र बुलाने (Summoning) और सत्रावसान (Prorogation)** के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश यही समिति करती है।
- संसद में सरकारी विधेयकों और कार्यों की प्राथमिकता (Priority of Govt Business) तय करना।
- विपक्षी दलों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि संसद सुचारू रूप से चल सके।

समितियों का तुलनात्मक महत्व (Power Dynamics)

CCPA (सुपर कैबिनेट)	ACC (नियुक्ति)	CCEA (आर्थिक)
नीतिगत फैसले, केंद्र-राज्य, विदेशी संबंध। PM अध्यक्ष।	नौकरशाही नियंत्रण। केवल PM और HM।	MSP, विनिवेश, FDI। भारत का आर्थिक इंजन।

निष्कर्ष: ये तीन समितियां (CCPA, ACC, CCEA) केंद्र सरकार की 'त्रिमूर्ति' हैं, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री पूरे देश की व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं।

7. अन्य एवं नवगठित समितियां (NEW & OTHER COMMITTEES)

F. आवास समिति (Cabinet Committee on Accommodation - CCA)

यह दूसरी ऐसी समिति है जिसकी अध्यक्षता PM नहीं करते। वर्तमान में इसके अध्यक्ष **गृह मंत्री (Amit Shah)** हैं।
कार्य: केंद्र सरकार के कार्यालयों और सांसदों, मंत्रियों तथा वरिष्ठ नौकरशाहों को सरकारी आवास (Government Quarters/Bungalows) का आवंटन (Allotment) करना। इसका महत्व मुख्य रूप से प्रशासनिक (Administrative) है, नीतिगत नहीं।

G. नवगठित समितियां (2019 में जोड़ी गईं - Current Affairs Context)

2019 में लोकसभा चुनाव के बाद, देश में आर्थिक मंदी (Economic Slowdown) और बढ़ती बेरोजगारी की चिंताओं के बीच, केंद्र सरकार (NDA-II) ने **पहली बार 2 नई मंत्रिमंडलीय समितियों** का गठन किया। इन दोनों की अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं।

निवेश और विकास पर समिति
(CC on Investment & Growth)

उद्देश्य: भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लक्ष्य (Goal) को गति देना।
कार्य: बुनियादी ढांचे (Infrastructure), विनिर्माण और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में **विदेशी और घरेलू निवेश** को आकर्षित करने के लिए रणनीतियों को मंजूरी देना। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (EoDB) में सुधार के लिए अंतर-मंत्रालयी बाधाओं को दूर करना।

रोजगार और कौशल विकास पर समिति
(CC on Employment & Skill Development)

उद्देश्य: जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग करना और रोजगार सृजन बढ़ाना।
कार्य: सभी कौशल विकास पहलों (Skill India) को मुख्यधारा में लाना। श्रम बल की भागीदारी (Labour Force Participation) बढ़ाने के लिए नीतियां बनाना। श्रम संहिताओं (Labour Codes) के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करना।

नई समितियों की आवश्यकता क्यों? (Mains + Prelims Link)

- पारंपरिक CCEA (आर्थिक समिति) पर काम का बोझ अत्यधिक हो गया था।
- विनिर्माण और रोजगार वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी मैक्रो-इकोनॉमिक चुनौतियां हैं, जिन्हें 'फोकस्ड अप्रोच' (Focused approach) की आवश्यकता थी।
- यह PMO के सीधे नियंत्रण में 'सक्रिय शासन' (Pro-active Governance) का एक मॉडल है।

8. मंत्रियों के समूह (GROUPS OF MINISTERS - GOMS & EGOMS)

मंत्रिमंडलीय समितियों के अलावा, कैबिनेट की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए एक और संस्थागत तंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे **मंत्रियों का समूह (GoMs)** कहा जाता है। ये मंत्रिमंडलीय समितियों से भिन्न होते हैं।

A. GoMs की प्रकृति और विकास

ये **विशुद्ध रूप से तदर्थ (Ad-hoc)** निकाय हैं। इन्हें किसी विशिष्ट, जटिल और उभरते हुए मुद्दे (Emergent issue) को सुलझाने के लिए स्थापित किया जाता है। एक बार जब मुद्दा सुलझ जाता है या रिपोर्ट सौंप दी जाती है, तो GoM भंग हो जाता है।

सशक्त मंत्री समूह (Empowered Groups of Ministers - EGoMs): यदि किसी GoM को केवल 'सिफारिश' करने के बजाय **'निर्णय लेने' (To take decisions)** का अधिकार दे दिया जाए, तो उसे EGoM कहा जाता है। (UPA सरकार के दौरान 2004-2014 के बीच दर्जनों GoMs और EGoMs का गठन किया गया था)।

B. मंत्रिमंडलीय समितियों और GoMs के बीच अंतर (Comparative Table)

विशेषता (Feature)	मंत्रिमंडलीय समितियां (Cabinet Committees)	मंत्रियों का समूह (GoMs / EGoMs)
प्रकृति (Nature)	ज्यादातर स्थायी (Standing), कुछ तदर्थ।	हमेशा तदर्थ (Strictly Ad-hoc)।
गठन का आधार	Transaction of Business Rules, 1961.	प्रशासनिक आदेश (Administrative Order)।
निर्णय क्षमता	सरकार की ओर से अंतिम निर्णय ले सकती हैं।	GoMs केवल कैबिनेट को **सिफारिश** करते हैं। (EGoMs निर्णय ले सकते हैं)।
संरचना	प्रायः PM अध्यक्षता करते हैं।	प्रायः कोई वरिष्ठ मंत्री (जैसे वित्त/गृह) प्रमुख होता है, PM सामान्यतः बाहर रहते हैं।

C. ARC (प्रशासनिक सुधार आयोग) का दृष्टिकोण

द्वितीय ARC (वीरप्पा मोइली) ने सिफारिश की थी कि **GoMs की संख्या सीमित होनी चाहिए**। बहुत अधिक EGoMs होने से कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी कम हो जाती है और निर्णय लेने में देरी (Policy Paralysis) होती है, क्योंकि मंत्री फैसले लेने से बचते हैं और मामले EGoM में धकेल देते हैं।

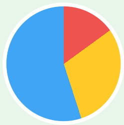
D. वर्तमान स्थिति (2014 से अब तक)

2014 में सत्ता में आने के बाद, NDA सरकार ने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के तहत **सभी EGoMs और मौजूदा GoMs को समाप्त (Abolish)** कर दिया। मंत्रालयों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। **हालांकि, हाल ही में विशिष्ट मुद्दों (जैसे- COVID-19 प्रबंधन, GST दरों के युक्तिकरण) के लिए GoMs का पुनः उपयोग किया गया है।**

GST Council और GoMs:

वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध GoMs **GST परिषद (अनुच्छेद 279A)** द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे- ऑनलाइन गेमिंग पर कर, कसीनो पर कर, या दर युक्तिकरण (Rate Rationalization) के लिए। ये केंद्र-राज्य के मंत्रियों का संयुक्त GoM होता है।

९. आलोचनात्मक मूल्यांकन और ब्रेनस्टॉर्मिंग (CRITICAL ANALYSIS)



प्रशासनिक कार्यभार का वितरण (Workload Distribution)

- 15%: संपूर्ण कैबिनेट (Cabinet - Only major national policies)
- 30%: व्यक्तिगत मंत्रालय (Ministries - Routine execution)
- 55%: मंत्रिमंडलीय समितियां (Committees - Bulk of decision making)

🚨 PRELIMS CAUTION (Trap Words & Scenarios) 🚨

- "सभी समितियों की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है" → **गलत।** स्थापना प्रधानमंत्री करते हैं (नियम राष्ट्रपति बनाते हैं)।
- "गैर-कैबिनेट मंत्री सदस्य नहीं बन सकते" → **गलत।** वे बन सकते हैं (विशेष आमंत्रित या पूर्ण सदस्य)।
- "कैबिनेट समितियों के निर्णय कैबिनेट पर बाध्यकारी होते हैं" → **गलत।** कैबिनेट इन निर्णयों की समीक्षा (Review) या संशोधन कर सकती है।
- **सबसे बड़ी समिति कौन सी है?** → आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) और राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA) में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक (प्रायः ९-11) होती है।
- **सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं?** → CCPA (राजनैतिक मामलों की समिति)।

निष्कर्ष (Conclusion & Institutional Relevance)

संसदीय लोकतंत्र में, **'कैबिनेट तानाशाही' (Cabinet Dictatorship)** को रोकने और नीति निर्माण में विशेषज्ञता लाने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियां अपरिहार्य हैं। वे **'संयंत्र कक्ष' (Engine Room)** के रूप में कार्य करती हैं जहाँ नीतियों को गढ़ा जाता है। हालांकि, इन समितियों का अत्यधिक केंद्रीकरण (Centralization), विशेषकर CCPA और ACC के माध्यम से, प्रधानमंत्री की शक्तियों को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाता है, जिसे विद्वानों ने **'प्रधानमंत्रीय शासन' (Prime Ministerial Governance)** की ओर बदलाव कहा है। 'निवेश और कौशल विकास' जैसी नई समितियों का गठन इस बात का प्रमाण है कि यह संस्था अत्यंत **लचीली (Flexible)** है और भारत की बदलती मैक्रो-इकोनॉमिक जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकती है।

"प्रभावी शासन शक्ति के केंद्रीकरण में नहीं, बल्कि कार्यों के बुद्धिमान प्रत्यायोजन (Intelligent Delegation) में निहित है।"

Unit 3.6: संसद (Parliament) - संपूर्ण विश्लेषणात्मक सिनॉप्सिस

संदर्भ (Context): भारतीय संविधान के **भाग V (अनुच्छेद 79-122)** में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों का वर्णन है। भारत ने ब्रिटिश 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' अपनाया है, लेकिन **UPSC TRAP:** भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह 'संप्रभु (Sovereign)' नहीं है, क्योंकि भारत में लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) मौजूद है।

ब्रेनस्टॉर्म (Brainstorming): क्या राष्ट्रपति संसद का अंग हैं?

हाँ! **अनुच्छेद 79** के अनुसार संसद 3 अंगों से बनती है: **1. राष्ट्रपति, 2. राज्यसभा, 3. लोकसभा।** यद्यपि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता (Art 111)। अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका (कांग्रेस) का अंग नहीं होता।

🚨 याद रखने का ट्रिक (Trick)

"सरला" (S-R-L): S - संसद (**Art 79**), **R** - राज्यसभा (**Art 80**), **L** - लोकसभा (**Art 81**)।

दोनों सदनों की संरचना (Structure of Houses) - तुलनात्मक तालिका

आधार	राज्यसभा (उच्च सदन / राज्यों की परिषद्)	लोकसभा (निम्न सदन / लोगों का सदन)
अधिकतम संख्या	250 (238 राज्य/UTs प्रतिनिधि + 12 मनोनीत)	550 (530 राज्यों से + 20 UTs से) **TRAP:** 104वें संशोधन से 2 एंग्लो-इंडियन का मनोनयन समाप्त।
वर्तमान संख्या	245 (225 राज्य + 8 UTs + 12 मनोनीत)	543 (विभिन्न राज्यों और UTs से निर्वाचित)
प्रतिनिधित्व	राज्यों का (जनसंख्या के आधार पर, अमेरिका की तरह समान नहीं)। केवल 3 UTs (Delhi, Puducherry, J&K) का प्रतिनिधित्व।	जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (**Art 326**)।
मनोनयन	साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा (**Art 80(3)**)। **TRAP: खेल शामिल नहीं हैं** (सचिन तेंदुलकर 'कला/समाज सेवा' कोटे से थे)।	अब कोई मनोनयन नहीं (104th CAA, 2019 द्वारा निरस्त)।

लोकसभा की चुनावी प्रणाली (Election System of Lok Sabha)

1. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (Territorial Constituencies): अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद **परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)** का गठन। **करंट अपडेट:** 84वें संशोधन (2001) द्वारा सीटों की कुल संख्या 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है (1971 की जनगणना के आधार पर), जबकि निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्रीय विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है।

2. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPTP): जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है, वह जीतता है (भले ही उसे 50% से कम वोट मिले हों)। **UPSC TRAP:** भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) प्रणाली केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में उपयोग होती है, लोकसभा में नहीं।

3. SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण: अनुच्छेद 330 के तहत जनसंख्या के अनुपात में। (शुरुआत में 10 साल के लिए था, 104वें CAA द्वारा 2030 तक बढ़ाया गया)। **विशेष:** आरक्षित सीटों पर भी मतदान सभी मतदाता (Joint Electorate) करते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं।

संसद (**Art 79**) ➡️ राष्ट्रपति (सत्र बुलाना/ विधेयक पर हस्ताक्षर) ➕ राज्यसभा (अप्रत्यक्ष चुनाव - STV प्रणाली) ➕ लोकसभा (प्रत्यक्ष चुनाव - FPTP प्रणाली)

चित्र 1: संसद का संरचनात्मक प्रवाह

संसद के सदनों की अवधि एवं सदस्यता

सदनों की अवधि (Art 83)

राज्यसभा: यह एक **स्थायी सदन** है (विघटित नहीं होता)। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। **UPSC TRAP:** संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय नहीं किया था, यह संसद (RPA 1951) पर छोड़ दिया गया था, जिसने इसे 6 वर्ष निर्धारित किया।

लोकसभा: सामान्य अवधि 5 वर्ष। राष्ट्रपति इसे समय से पहले विघटित कर सकते हैं। **राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352)** के दौरान संसद विधि द्वारा इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है (जैसे 5वीं लोकसभा)।

🚨 सदस्यता के लिए अर्हताएं (Art 84)

- भारत का नागरिक हो।
- चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ (तीसरी अनुसूची)।
- आयु: राज्यसभा हेतु **30 वर्ष**, लोकसभा हेतु **25 वर्ष**।
- **TRAP:** RPA 1951 के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए उसी राज्य का मतदाता होना अब आवश्यक नहीं है (2003 से)।

सदस्यता से निरर्हता (Disqualification) - 3 आधार

1. संवैधानिक आधार (Art 102): लाभ का पद (Office of Profit), विकृत चित्त (Unsound mind), दिवालिया, नागरिकता छोड़ देना। **TRAP: 'लाभ का पद' संविधान में परिभाषित नहीं है।**

2. RPA 1951 (वैधानिक आधार): चुनावी अपराध, 2 वर्ष या अधिक की सजा (Lily Thomas Case), भ्रष्ट आचरण, अस्पृश्यता/दहेज का प्रचार।

3. दलबदल (10वीं अनुसूची): स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना, व्हिप (Whip) का उल्लंघन, निर्दलीय का पार्टी से जुड़ना, मनोनीत का 6 माह बाद पार्टी से जुड़ना।

निरर्हता पर निर्णय कौन करता है? (Who Decides?) - UPSC का पसंदीदा प्रश्न

आधार (Ground)	निर्णयकर्ता प्राधिकारी (Deciding Authority)	विशेष बिंदु / न्यायिक वाद (Landmark Cases)
Art 102 & RPA 1951	**राष्ट्रपति** (चुनाव आयोग की सलाह पर)	राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वह **चुनाव आयोग की सलाह मानने के लिए बाध्य है** (Art 103)।
दलबदल (10वीं अनुसूची)	सदन का **पीठासीन अधिकारी** (Speaker/Chairman)	**Kihoto Hollohan Case (1992):** स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं है, यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।

स्थानों का रिक्त होना (Vacating of Seats) - Art 101

1. दोहरी सदस्यता: कोई व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का या संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि संसद + विधानमंडल में चुना गया और 14 दिन में इस्तीफा नहीं दिया, तो संसद की सीट खाली हो जाएगी। **2. अनुपस्थिति:** बिना अनुमति के लगातार **60 दिनों** तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सदन सीट रिक्त घोषित कर सकता है।

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन (Major Amendments related to Parliament)

- **42वां CAA (1976):** लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, कोरम की अनिवार्यता समाप्त की गई।
- **44वां CAA (1978):** लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया, कोरम पुनः लागू। संसदीय विशेषाधिकारों को स्पष्ट किया।
- **52वां CAA (1985):** 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) जोड़ी गई।
- **91वां CAA (2003):** दलबदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% तक सीमित। 'विभाजन (Split)' के आधार पर छूट समाप्त।

संसद के पीठासीन अधिकारी एवं नेता

लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) - Art 93

चुनाव: लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने बीच से। राष्ट्रपति चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं। **कार्यकाल:** अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर बना रहता है (भले ही लोकसभा भंग हो जाए)।

हटाना: लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के **प्रभावी बहुमत (Effective Majority)** द्वारा 14 दिन के अग्रिम नोटिस पर।

TRAP: हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह पीठासीन नहीं होता, लेकिन प्रथमतः मतदान (First Instance) कर सकता है (निर्णायक मत नहीं)।

अध्यक्ष की विशेष शक्तियां (Exclusive Powers)

- **धन विधेयक (Money Bill) का प्रमाणन - Art 110(3) - अंतिम निर्णय**
- **संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता - Art 118(4)**
- **दलबदल पर निर्णय (10th Schedule)**

उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी है। 11वीं लोकसभा से परंपरा: अध्यक्ष सत्ता पक्ष से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से। **TRAP: उपाध्यक्ष को कोई अलग वेतन नहीं मिलता, अध्यक्ष वाला ही मिलता है।**

प्रोटेम स्पीकर (Speaker Pro-Tem)

नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य)। **मुख्य कार्य:** नए सदस्यों को शपथ दिलाना। अध्यक्ष के चुनाव के बाद पद स्वतः समाप्त।

राज्यसभा के सभापति (Chairman) एवं उपसभापति (Art 89)

भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। **UPSC TRAP: वह सदन का सदस्य नहीं होता है।** इसलिए वह पहली बार में मतदान नहीं कर सकता, केवल **निर्णायक मत (Casting Vote)** देता है। उसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है (प्रभावी बहुमत से), जिस पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है।

उपसभापति: राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। सभापति का पद रिक्त होने पर वह कर्तव्यों का पालन करता है।

संसद में नेता (Leaders in Parliament)

नेता का प्रकार	प्रावधान / विवरण	UPSC तथ्य (Facts)
सदन का नेता (Leader of the House)	लोकसभा में PM (यदि वह लोकसभा सदस्य है), या PM द्वारा नामित कोई मंत्री। राज्यसभा में भी एक नेता होता है।	यह पद **संसदीय नियमों (Rules of Procedure)** में वर्णित है, संविधान में नहीं।
विपक्ष का नेता (Leader of Opposition)	सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता जिसके पास कुल सीटों का कम से कम **1/10 (Quorum)** हिस्सा हो।	इसे 1977 में **वैधानिक मान्यता (Statutory Recognition)** मिली। कैबिनेट मंत्री का दर्जा। संविधान में उल्लेख नहीं।
सचेतक (Whip)	प्रत्येक राजनीतिक दल (सत्ता और विपक्ष दोनों) का अपना व्हिप होता है। सदस्यों की उपस्थिति और पार्टी लाइन पर वोटिंग सुनिश्चित करता है।	**TRAP:** व्हिप का उल्लेख **न तो संविधान में, न ही सदन के नियमों में, और न ही किसी कानून में** है। यह संसदीय परंपरा पर आधारित है।

संसद के सत्र, बहुमत के प्रकार और विधायी प्रक्रिया

संसद के सत्र (Sessions) - Art 85

- **आहूत (Summon):** राष्ट्रपति द्वारा। अधिकतम अंतराल 6 माह (वर्ष में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य)। 3 सत्र: बजट (सबसे लंबा), मानसून, शीतकालीन (सबसे छोटा)।
- **स्थगन (Adjournment):** पीठासीन अधिकारी द्वारा। केवल बैठक को कुछ समय/दिन के लिए रोकता है। **Sine Die:** अनिश्चित काल के लिए स्थगन।
- **सत्रावसान (Prorogation):** राष्ट्रपति द्वारा। सत्र की समाप्ति। लंबित विधेयक समाप्त **नहीं** होते।
- **विघटन (Dissolution):** केवल लोकसभा का (राष्ट्रपति द्वारा)। इससे सदन का जीवन समाप्त होता है।

विघटन पर विधेयकों पर प्रभाव (Lapsing of Bills) - 🚨

- **समाप्त होते हैं:** LS में लंबित बिल। RS से पारित, लेकिन LS में लंबित बिल।
- **समाप्त नहीं होते:** RS में लंबित बिल जो LS द्वारा पारित नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु लंबित बिल। संयुक्त बैठक हेतु अधिसूचित बिल।

बहुमत के प्रकार (Types of Majorities) - Crucial Concept

बहुमत का प्रकार	अर्थ (Meaning)	कहाँ उपयोग होता है? (Application)
साधारण (Simple)	उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1	साधारण विधेयक, धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति।
पूर्ण (Absolute)	सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 (LS में 273)	अकेले उपयोग नहीं होता, विशेष बहुमत के साथ जुड़कर सरकार बनाने में।
प्रभावी (Effective)	तत्कालीन सदस्यों (कुल सीटें - रिक्तियां) का 50% + 1	**पीठासीन अधिकारियों** (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति) को हटाने में।
विशेष (Special) - Type 1	अनुच्छेद 249 & 312: उपस्थित और मतदान का 2/3	राज्य सूची पर कानून बनाने और अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु।
विशेष (Special) - Type 2	अनुच्छेद 368: उपस्थित और मतदान का 2/3 + पूर्ण बहुमत	संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के जजों का महाभियोग।
विशेष (Special) - Type 3	अनुच्छेद 61: **कुल सदस्य संख्या का 2/3**	केवल **राष्ट्रपति के महाभियोग** के लिए (सबसे कठोर बहुमत)।

संसद में विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

1. साधारण विधेयक (Art 107): किसी भी सदन में, मंत्री या निजी सदस्य द्वारा। दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक। गतिरोध पर संयुक्त बैठक।

2. धन विधेयक (Money Bill - Art 110): केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, केवल मंत्री द्वारा। राज्यसभा के पास केवल **14 दिन** का समय (संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती)। कोई संयुक्त बैठक नहीं। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते।

3. वित्त विधेयक (Financial Bill - Art 117): **सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हैं।** Type I (Art 117(1)) केवल लोकसभा में पेश, लेकिन राज्यसभा के पास समान शक्तियां। Type II (Art 117(3)) साधारण विधेयक के समान।

4. संविधान संशोधन विधेयक (Art 368): किसी भी सदन में। दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य। **कोई संयुक्त बैठक नहीं।** राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य हैं (24वां CAA 1971)।

संसदीय कार्यवाही के साधन, संयुक्त बैठक और बजट

संसदीय कार्यवाही के साधन (Parliamentary Devices)

प्रश्न काल (Question Hour): बैठक का पहला घंटा। प्रकार:
1. तारांकित (Starred): मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (हरे रंग का कागज)
2. अतारांकित (Unstarred): लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं। (सफेद कागज)
3. अल्प सूचना (Short Notice): 10 दिन से कम नोटिस, मौखिक उत्तर।

शून्य काल (Zero Hour): प्रश्न काल के तुरंत बाद। नियमों में उल्लिखित नहीं (भारतीय नवाचार - 1962)। बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं।

प्रमुख प्रस्ताव (Motions)

- **अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion - Art 75(3)): केवल लोकसभा** में। कोई विशेष कारण बताना आवश्यक नहीं। समर्थन हेतु 50 सदस्यों की आवश्यकता। पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
- **निंदा प्रस्ताव (Censure Motion):** केवल लोकसभा में। किसी विशिष्ट मंत्री या समूह की नीतियों की निंदा हेतु। कारण बताना आवश्यक है।
- **स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion):** अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर। 50 सदस्यों का समर्थन। केवल लोकसभा में। कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा। **TRAP: राज्यसभा इसे उपयोग नहीं कर सकती।**
- **विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion):** जब मंत्री तथ्यों को छुपाकर सदन के विशेषाधिकार का हनन करता है।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) - Art 108

कब बुलाई जाती है? केवल साधारण और वित्त विधेयकों पर गतिरोध के मामले में। (धन विधेयक और संविधान संशोधन पर नहीं)।

कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। **अध्यक्षता कौन करता है?** 1. लोकसभा अध्यक्ष, 2. लोकसभा उपाध्यक्ष, 3. राज्यसभा का उपसभापति।
UPSC TRAP: राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।

कोरम: दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। **निर्णय:** उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से। (चूंकि लोकसभा की संख्या अधिक है, सामान्यतः उसी की जीत होती है)। अब तक केवल 3 बार: दहेज प्रतिषेध (1960), बैंकिंग सेवा (1977), पोटा (2002)।

संसद में बजट (Annual Financial Statement - Art 112) की 6 अवस्थाएं

1. प्रस्तुतीकरण (Presentation) ➡ 2. आम बहस (General Disc.) ➡ 3. विभागीय समितियों द्वारा जांच ➡ 4. अनुदान मांगों पर मतदान (Vote) ➡ 5. विनियोग विधेयक (Approp. Bill) - Art 114 ➡ 6. वित्त विधेयक (Finance Bill) पारित

बजट से जुड़े तथ्य: **संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं है।** अनुदान की मांगों (Demands for Grants) पर मतदान **केवल लोकसभा** में होता है। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है। विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता।

कटौती प्रस्ताव (Cut Motions): 1. नीतिगत कटौती (Disapproval of Policy - राशि 1 ₹ कर दी जाए), 2. आर्थिक कटौती (Economy - निश्चित राशि कम की जाए), 3. सांकेतिक कटौती (Token - राशि में 100 ₹ की कमी)।

संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका और राज्यसभा की स्थिति

संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका

- **विधायी (Legislative):** संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून। अवशिष्ट शक्तियां (Art 248) संसद के पास हैं।
- **कार्यकारी (Executive):** प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण।
- **वित्तीय (Financial):** बजट, कैग (CAG) की रिपोर्ट की जांच (PAC द्वारा)। संचित निधि पर नियंत्रण।
- **निर्वाचन (Electoral):** राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव (**Art 54, 66**)।
- **न्यायिक (Judicial):** राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट जजों, CEC, CAG को हटाना।

संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता (Ineffectiveness)

सिद्धांत रूप में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, लेकिन व्यवहार में यह कमजोर है: **1. गिलोटिन (Guillotine):** समय की कमी के कारण अनुदान मांगों को बिना चर्चा के पारित करना। **2. प्रदत्त विधान (Delegated Legislation):** संसद केवल रूपरेखा बनाती है, नियम नौकरशाही (Executive) बनाती है। **3. अध्यादेश (Ordinances):** Art 123 का दुरुपयोग। **4. पूर्ण बहुमत:** मजबूत सरकारें संसद को रबर स्टैंप बना देती हैं।

राज्यसभा की स्थिति (Position of Rajya Sabha) - तुलनात्मक अध्ययन

लोकसभा के समान (Equal Status)	लोकसभा से असमान (Unequal Status)	राज्यसभा की विशेष शक्तियां (Special Powers)
- साधारण व संविधान संशोधन विधेयक का पुरस्थापन व पारित होना।	- धन विधेयक केवल LS में पेश, RS 14 दिन तक रोक सकती है।	- **अनुच्छेद 249:** राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का संसद को अधिकार देना। (विशेष बहुमत द्वारा)
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव व महाभियोग।	- बजट: अनुदान मांगों पर वोट केवल LS में।	- **अनुच्छेद 312:** संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन का अधिकार देना।
- SC/HC जजों, CAG, CEC को हटाने की सिफारिश।	- अविश्वास प्रस्ताव केवल LS में पेश होता है।	- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव **केवल राज्यसभा** में ही शुरू किया जा सकता है।
- अध्यादेश व आपातकाल की मंजूरी।	- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता LS अध्यक्ष करता है।	- यदि LS भंग हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी केवल RS द्वारा दी जा सकती है।

हालिया घटनाक्रम / करंट अफेयर्स लिंकिंग (Current Dynamics)

1. महिलाओं के लिए आरक्षण (106th CAA - Nari Shakti Vandan Adhiniyam): लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% (एक-तिहाई) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। **TRAP: यह राज्यसभा और विधान परिषदों में लागू नहीं है।** यह परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

2. नयी संसद भवन: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। 'सेंगोल' (Sengol) की लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापना (न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक, चोल राजवंश से प्रेरित)।

3. दलबदल और स्पीकर की भूमिका: महाराष्ट्र संकट में सुप्रीम कोर्ट (**सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव**) ने कहा कि स्पीकर को उचित समय (Reasonable time) में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।

संसदीय विशेषाधिकार, संप्रभुता एवं प्रमुख वाद

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) - Art 105 & 194

ये वे विशेष अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त हैं। **UPSC TRAP: राष्ट्रपति संसद का अंग होने के बावजूद संसदीय विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं करता।** (महान्यायवादी-AG और केंद्रीय मंत्रियों को ये प्राप्त हैं)। विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (codified) करने के लिए संसद ने कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।

1. सामूहिक विशेषाधिकार (Collective): अपनी बहस/ कार्यवाही को प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार। बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार। अपनी अवमानना (Contempt) के लिए दंड देने का अधिकार। न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है (Art 122)।

2. व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Individual): सत्र के दौरान, सत्र से **40 दिन पहले और 40 दिन बाद** तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट। **TRAP: यह छूट आपराधिक मामलों (Criminal Cases) या निवारक निरोध में लागू नहीं है।** संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं (Freedom of Speech in Parliament)।

संसद की संप्रभुता (Sovereignty of Parliament)

ब्रिटिश संसद पूरी तरह संप्रभु है (डी लोम: "ब्रिटिश संसद औरत को मर्द बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है")। लेकिन **भारतीय संसद संप्रभु (Sovereign) नहीं है**। भारतीय प्रणाली **संसदीय संप्रभुता (ब्रिटिश मॉडल) और न्यायिक सर्वोच्चता (अमेरिकी मॉडल) का अद्भुत समन्वय (Synthesis)** है।

संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध: 1. संविधान की लिखित प्रकृति, 2. संघीय व्यवस्था (शक्तियों का विभाजन), 3. मौलिक अधिकार (Art 13), 4. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और मूल ढांचा (Basic Structure)।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रमुख न्यायिक वाद (Landmark Judgements)

- **केशवानंद भारती वाद (1973):** संसद **अनुच्छेद 368** के तहत संविधान के किसी भी हिस्से (FRs सहित) में संशोधन कर सकती है, लेकिन **'मूल ढांचे' (Basic Structure)** को नहीं बदल सकती। इसने संसद की विधायी शक्ति को सीमित किया।
- **किहोतो होलोहन वाद (1992):** 10वीं अनुसूची (दलबदल) को वैध ठहराया, लेकिन कहा कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है (निर्णय से पहले कोर्ट दखल नहीं देगा)।
- **लिली थॉमस वाद (2013):** RPA 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया। अब यदि किसी सांसद/विधायक को 2 वर्ष या अधिक की सजा मिलती है, तो वह **तत्काल प्रभाव से अयोग्य** हो जाएगा (अपील के लिए 3 महीने की छूट समाप्त)।
- **राजा राम पाल वाद (2007):** संसद को अपने सदस्यों को 'कैश फॉर क्वेरी' जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में निष्कासित (Expel) करने का अधिकार है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
- **सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 - 🚨 Latest):** SC ने PV नरसिम्हा राव फैसले को पलटते हुए कहा कि यदि सांसद/विधायक वोट के बदले रिश्वत लेते हैं, तो उन्हें **अनुच्छेद 105(2)** के तहत संसदीय विशेषाधिकार (Immunity) **प्राप्त नहीं** है। वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उत्तरदायी होंगे।

Unit 3.7: संसदीय समितियां (Parliamentary Committees) - सम्पूर्ण विश्लेषण

1. संदर्भ एवं अर्थ (Context & Meaning)

*भारतीय संसद का कार्यभार अत्यंत विशाल और जटिल है। सदन के पास न तो पर्याप्त समय है और न ही हर तकनीकी विषय की आवश्यक विशेषज्ञता। इसलिए, संसद अपने अधिकांश कार्य **संसदीय समितियों (Parliamentary Committees)** के माध्यम से संपन्न करती है। इन्हें "लघु संसद (Mini Parliament)" भी कहा जाता है।*

> ***Brainstorming: क्या समितियां संप्रभु हैं?*** *नहीं। ये समितियां केवल संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इनके पास निर्णय लेने की अंतिम शक्ति नहीं होती, इनकी प्रकृति **सलाहकारी (Advisory) और अनुशंसात्मक (Recommendatory)** होती है।*

2. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

संविधान में संसदीय समितियों का अलग से कोई विस्तृत उल्लेख नहीं है, लेकिन ये दो अनुच्छेदों के तहत अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं:

- ***अनुच्छेद 105:*** *सांसदों और संसदीय समितियों के विशेषाधिकार (Privileges)।*
- ***अनुच्छेद 118:*** *संसद के दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाने की शक्ति।* ***ध्यान दें:*** *समितियों का गठन इन्हीं 'संसदीय नियमों' के तहत होता है, न कि किसी संसदीय अधिनियम द्वारा।*

एक समिति को 'संसदीय समिति' तभी माना जाएगा जब वह 4 शर्तें पूरी करे: *1. सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित, या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित हो। 2. अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार कार्य करे। 3. अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष को सौंपे। 4. इसका अपना सचिवालय हो (लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रदत्त)।*

3. समितियों का वर्गीकरण (Classification of Committees)

कार्य की प्रकृति और कार्यकाल के आधार पर समितियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:

संसदीय समितियां ➡

- **1. स्थायी समितियां (Standing Committees)**
  (निरंतर प्रकृति, प्रतिवर्ष या समय-समय पर पुनर्गठित)
- **2. तदर्थ समितियां (Ad-hoc Committees)**
  (अस्थायी, विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण होते ही समाप्त)

A. स्थायी समितियों के 6 प्रमुख प्रकार:

1. ***वित्तीय समितियां (Financial Committees)*** *- सर्वाधिक महत्वपूर्ण। (उदा. PAC, प्राक्कलन, PSU)*
2. ***विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs)*** *- 24 समितियां जो मंत्रालयों के बजट/नीतियों की जांच करती हैं।*
3. ***जांच समितियां (Committees to Inquire)*** *- याचिका, विशेषाधिकार, आचार समिति।*
4. ***परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां (Committees to Scrutinise & Control)*** *- सरकारी आश्वासन, अधीनस्थ विधान आदि।*
5. ***सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां*** *- कार्य मंत्रणा, नियम समिति।*
6. ***गृह व्यवस्था समितियां (House-keeping)*** *- आवास, पुस्तकालय समिति।*

> 💡 ***याद रखने का ट्रिक (Trick): "वित्त विभाग ने जांच कर नियंत्रण किया, फिर दैनिक गृह-कार्य निपटाया।"***
> ***(वित्त = Financial, विभाग = DRSCs, जांच = Inquire, नियंत्रण = Control, दैनिक = Day-to-day, गृह = House-keeping)***

B. तदर्थ समितियां (Ad-hoc):

ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: ***जांच समितियां*** *(जैसे 2G स्पेक्ट्रम या बोफोर्स घोटाले के लिए JPC - Joint Parliamentary Committee) और* ***विधेयक समितियां*** *(प्रवर या संयुक्त समिति - जो विशिष्ट बिलों पर विचार करती हैं)।* ***UPSC Trap: JPC एक तदर्थ समिति है, स्थायी नहीं।***

ऐतिहासिक संदर्भ: *भारत में संसदीय समिति प्रणाली का उद्भव ब्रिटिश काल के* ***मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919)*** *के तहत 1921 में हुआ था। वर्तमान स्वरूप स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ।*

4. वित्तीय समितियां (Financial Committees) - कोर प्रीलिम्स एरिया

*संसद का कार्य केवल बजट पारित करना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं। इसके लिए तीन वित्तीय समितियां हैं। **सबसे बड़ा ट्रैप: कोई भी मंत्री इन तीनों में से किसी भी वित्तीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता।***

1. लोक लेखा समिति (PAC)	2. प्राक्कलन समिति (Estimates)	3. सार्वजनिक उद्यम समिति (CoPU)
स्थापना: 1921 (1919 एक्ट से)।	**स्थापना:** 1950 (जॉन मथाई की सिफारिश पर)।	**स्थापना:** 1964 (कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश)।
सदस्य: 22 (15 LS + 7 RS)	**सदस्य: 30 (केवल LS से, RS का कोई सदस्य नहीं)**	**सदस्य: 22 (15 LS + 7 RS)**
अध्यक्ष: परंपरानुसार (1967 से) विपक्ष का सदस्य। LS स्पीकर द्वारा नियुक्त।	**अध्यक्ष:** हमेशा सत्ताधारी दल (Ruling Party) से। LS स्पीकर द्वारा नियुक्त।	**अध्यक्ष:** केवल लोकसभा सदस्यों में से। (RS सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकता)।
चुनाव: एकल संक्रमणीय मत (आनुपातिक प्रतिनिधित्व)	**चुनाव:** एकल संक्रमणीय मत	**चुनाव:** एकल संक्रमणीय मत

A. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC)

मुख्य कार्य: *नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियोग, वित्त और सार्वजनिक उपक्रमों पर) की जांच करना। यह देखती है कि जो पैसा संसद ने जिस उद्देश्य के लिए दिया था, वह उसी के लिए खर्च हुआ या नहीं (वैधानिकता और तकनीकी जांच)। साथ ही, यह धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार (Economy & Propriety) को भी उजागर करती है।*

CAG के साथ संबंध: *CAG लोक लेखा समिति के **"मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and Guide)"** के रूप में कार्य करता है। CAG बैठकों में भाग लेता है और समिति की सहायता करता है।*

> ***PAC की सीमाएं (Limitations):*** *1. यह **शव-परीक्षण (Post-mortem)** कार्य करती है (खर्च होने के बाद जांच)। 2. इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं। 3. यह नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 4. यह विभागों के दैनिक प्रशासन में दखल नहीं दे सकती।*

B. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

*यह संसद की **सबसे बड़ी समिति (30 सदस्य)** है। इसे "सतत अर्थव्यवस्था समिति (Continuous Economy Committee)" भी कहा जाता है।*

मुख्य कार्य: *यह बजट में शामिल अनुमानों (Estimates) की जांच करती है और सुझाव देती है कि नीतियों को लागू करने में मितव्ययिता (economy), संगठन में सुधार और दक्षता कैसे लाई जा सकती है। यह वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दे सकती है।*

UPSC Trap: *यह समिति बजट अनुमानों पर संसद में **मतदान होने से पहले अपनी रिपोर्ट नहीं देती** है। यह पूरे वर्ष कार्य करती है और हर साल कुछ मंत्रालयों के अनुमानों की जांच करती है (Rotation basis)। यह सदन के बजट पास करने की प्रक्रिया को रोकती नहीं है।*

वित्तीय समितियों के मध्य अंतर (Quick Revision)

PAC: खर्च होने के बाद (Post-mortem)। CAG रिपोर्ट आधार।	**Estimates:** भविष्य के अनुमानों पर (Economy)। केवल लोकसभा।	**CoPU:** केवल PSUs (Air India, LIC आदि) की कार्यप्रणाली।

समसामयिक मुद्दा (Current Dynamic): *हाल के वर्षों में PAC की बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच टकराव देखा गया है (जैसे 2G, राफेल मुद्दों पर)। यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या समितियां दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर पा रही हैं? उत्तर है: सैद्धांतिक रूप से हाँ, व्यावहारिक रूप से दलगत राजनीति का प्रभाव बढ़ा है।*

C. सार्वजनिक उद्यम समिति (Committee on Public Undertakings - CoPU)

कार्य: सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की रिपोर्ट और खातों की जांच करना। यह सुनिश्चित करती है कि PSU का प्रबंधन व्यावसायिक सिद्धांतों और वाणिज्यिक प्रथाओं (Commercial practices) के अनुसार हो रहा है या नहीं। यह CAG की उन रिपोर्टों की जांच करती है जो PSUs से संबंधित हों।

सीमाएं: यह प्रमुख सरकारी नीतियों की जांच नहीं करती। यह रोज़मर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती। यह एक वर्ष में केवल 10-12 PSUs की ही जांच कर पाती है।

5. विभागीय स्थायी समितियां (Departmentally-Related Standing Committees - DRSCs)

उद्भव एवं विकास: संसद की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए 1993 में 17 DRSCs का गठन किया गया था। **2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई।**

अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction): इन 24 समितियों में से **8 राज्य सभा के अधीन और 16 लोक सभा के अधीन** कार्य करती हैं। ये भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को कवर करती हैं।

संरचना (Composition): प्रत्येक समिति में अधिकतम **31 सदस्य (21 LS + 10 RS)** होते हैं। (मंत्रियों को छोड़कर)। सदस्यों का मनोनयन क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है।

DRSC के 4 प्रमुख कार्य (Four Pillars of Functions):

- 1. संबंधित मंत्रालयों के **अनुदान की मांगों (Demands for Grants)** पर विचार करना और रिपोर्ट देना। (बजट प्रक्रिया के दौरान)।
- 2. पीठासीन अधिकारी द्वारा सौंपे गए **विधेयकों (Bills)** की जांच करना।
- 3. मंत्रालयों की **वार्षिक रिपोर्टों** पर विचार करना।
- 4. सदन में प्रस्तुत **दीर्घकालिक बुनियादी नीति दस्तावेजों (Long-term policy documents)** पर विचार करना।

UPSC ट्रैप Alert: DRSC किसी विभाग के **दैनंदिन प्रशासन (day-to-day administration)** के मामलों पर विचार नहीं करती हैं। वे आमतौर पर उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं जिन पर अन्य संसदीय समितियां विचार कर रही हों। इनकी सिफारिशें **बाध्यकारी नहीं (Not Binding)** होती हैं।

महत्वपूर्ण प्रक्रिया (बजट के दौरान): बजट प्रस्तुति के बाद, संसद 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाती है। इस अवधि में DRSCs मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर गहन चर्चा करती हैं। इस व्यवस्था ने बजट पर मतदान को अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। इसे **"गिलोटिन (Guillotine)"** के प्रभाव को कम करने का एक तरीका माना जाता है।

समकालीन प्रासंगिकता (Current Relevance/Data Update): हाल के लोकसभा कार्यकालों में देखा गया है कि विधेयकों को समितियों के पास भेजने की प्रवृत्ति घटी है।
Data Ref: 14वीं लोकसभा (60% बिल भेजे गए), 15वीं लोकसभा (71%), लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 25% से भी नीचे आ गया है। 'द हिंदू' और 'PRS Legislative Research' के अनुसार, "विधेयकों को बाईपास करना (Bypassing committees) संसदीय लोकतंत्र में विधायी जांच (Legislative Scrutiny) को कमजोर करता है।" कृषि कानून (Farm Laws 2020) और क्रिमिनल लॉ बिल (BNS आदि) के संदर्भ में यह मुद्दा अत्यधिक चर्चा में रहा।

6. जांच समितियां (Committees to Inquire)

ये समितियां संसद और सदस्यों के अधिकारों, आचरण और जन शिकायतों से संबंधित हैं। प्रमुख समितियां:

समिति	सदस्य (LS/RS)	उद्देश्य एवं कार्य
याचिका समिति (Comm. on Petitions)	LS: 15 RS: 10	सार्वजनिक महत्व के मामलों पर आम जनता की याचिकाओं पर विचार करना। यह नागरिकों की शिकायतों का निवारण करती है।
विशेषाधिकार समिति (Comm. of Privileges)	LS: 15 RS: 10	सदन और उसके सदस्यों के **विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege)** के मामलों की जांच करना (अर्ध-न्यायिक प्रकृति)। उचित दंड की सिफारिश करती है।
आचार समिति (Ethics Committee)	LS: 15 RS: 10	सदस्यों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) लागू करना। कदाचार की जांच। **RS में 1997, LS में 2000 में गठित।**

करंट अफेयर्स अपडेट (Ethics vs Privilege): *हाल ही में 'Cash for Query' (पैसे लेकर सवाल पूछने) के आरोप में एक लोकसभा सांसद का निष्कासन* ***आचार समिति (Ethics Committee)*** *की सिफारिश पर हुआ। यह प्रीलिम्स के लिए अति-संभावित विषय है। आचार समिति व्यक्तिगत नैतिक पतन को देखती है, जबकि विशेषाधिकार समिति सदन की गरिमा हनन (जैसे सदन की कार्यवाही रोकना) को देखती है।*

7. परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां (Committees to Scrutinise and Control)

कार्यपालिका (सरकार) को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए ये समितियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

1. ***सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (Committee on Government Assurances):*** *मंत्री संसद में भाषण देते समय कई वादे और आश्वासन देते हैं। यह समिति (LS-15, RS-10) जाँचती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन किस हद तक और कितने समय में पूरे किए गए हैं।*
2. ***अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation):*** **अति महत्वपूर्ण VVI.** *संविधान और संसद कानूनों की केवल 'रूपरेखा' बनाते हैं। नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका (Executive) को सौंप दी जाती है (Delegated Legislation)। यह समिति (LS-15, RS-15) जांचती है कि कार्यपालिका ने इस शक्ति का उपयोग संविधान की सीमाओं के भीतर किया है या नहीं।*
3. ***पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (Committee on Papers Laid on the Table):*** *यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेज वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।*
4. ***SC/ST कल्याण संबंधी समिति:*** *(30 सदस्य: 20 LS + 10 RS). यह SC/ST आयोग की रिपोर्टों पर विचार करती है और कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करती है।*
5. ***महिला सशक्तिकरण समिति:*** *1997 में गठित। (30 सदस्य: 20 LS + 10 RS). राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों की जांच।*
6. ***लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति (Joint Committee on Office of Profit):*** *(15 सदस्य: 10 LS + 5 RS). यह जांचती है कि सरकार के अधीन कौन सा पद 'लाभ का पद' है, जिसे धारण करने पर संसद सदस्यता रद्द (अनुच्छेद 102) हो सकती है।*

> ***Concept Check:*** *क्या कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कानून बना सकती है? नहीं। 'अधीनस्थ विधान समिति' इसी बात का 'Check and Balance' है कि ब्यूरोक्रेसी नियम बनाते समय मूल कानून की भावना के खिलाफ न जाए।*

8. सदन के दैनंदिन कामकाज से संबंधित समितियां

संसद सुचारू रूप से चले, इसके लिए कुछ प्रबंधन समितियों की आवश्यकता होती है:

- **कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee - BAC):** यह सदन के समय-सारणी (Time-table) और कार्यसूची को नियंत्रित करती है। **लोकसभा में 15 सदस्य (अध्यक्ष सहित), राज्यसभा में 11 सदस्य (सभापति सहित)।** Trap: पीठासीन अधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- **निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति:** (Committee on Private Members' Bills and Resolutions) **यह समिति केवल लोकसभा (15 सदस्य) में होती है।** इसके अध्यक्ष लोकसभा के 'उपाध्यक्ष' (Deputy Speaker) होते हैं। राज्यसभा में यह कार्य BAC ही करती है। यह निजी सदस्यों (गैर-मंत्रियों) द्वारा लाए गए बिलों का समय तय करती है।
- **नियम समिति (Rules Committee):** सदन की कार्यप्रणाली के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव। LS में 15, RS में 16 सदस्य। अध्यक्ष/सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- **सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति:** **केवल लोकसभा (15 सदस्य)** । यदि कोई सदस्य बिना अनुमति 60 दिन अनुपस्थित रहे, तो यह समिति उसकी सीट रिक्त घोषित करने की सिफारिश करती है।

9. गृह व्यवस्था/सेवा समितियां (House-Keeping Committees)

ये सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित हैं:

सामान्य प्रयोजन समिति (विशिष्ट मामले जो अन्य समितियों में नहीं आते)	**आवास समिति** (सदस्यों के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा)	**पुस्तकालय समिति** (संसद पुस्तकालय, 9 सदस्य: 6 LS, 3 RS)	**वेतन एवं भत्ता समिति** (Joint, 15 सदस्य। 1954 के एक्ट के तहत)

10. सलाहकार समितियां (Consultative Committees) - A Major UPSC TRAP

चेतावनी: सलाहकार समितियां "संसदीय समितियां" (Parliamentary Committees) नहीं हैं!

ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध (Attached) होती हैं। इनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा का मंच प्रदान करती हैं।

संसदीय समितियां	सलाहकार समितियां (Consultative)
गठन: संसद के नियमों के तहत (पीठासीन अधिकारी द्वारा)।	गठन: **संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs)** द्वारा।
अध्यक्ष: कोई सांसद होता है (स्पीकर/सभापति द्वारा नियुक्त)।	अध्यक्ष: संबंधित मंत्रालय का **कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री (Minister in-charge)** होता है।
औपचारिक रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं।	कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं। कोई मतदान नहीं। अनौपचारिक चर्चा।

सदस्यता: एक सलाहकार समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। नई लोकसभा के गठन पर इन्हें पुनर्गठित किया जाता है।

Informal Consultative Committees: रेलवे जोनों के लिए अलग से अनौपचारिक सलाहकार समितियां भी बनाई जाती हैं।

11. प्रमुख संविधान संशोधन एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम

यद्यपि संसदीय समितियों का सीधा उल्लेख अनुच्छेदों में कम है, कुछ संशोधनों का इनकी कार्यप्रणाली पर परोक्ष प्रभाव पड़ा है:

- ***52वां संशोधन (1985) & 91वां संशोधन (2003) - दल-बदल विरोधी कानून:*** *इसके कारण सदस्य पार्टी व्हिप (Whip) से बंधे होते हैं। हालांकि,* ***संसदीय समितियों की बैठकों के अंदर 'पार्टी व्हिप' लागू नहीं होता****। सदस्य स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह समितियों की सबसे बड़ी ताकत है।*
- ***संविधान कार्यकरण समीक्षा राष्ट्रीय आयोग (NCRWC - 2002):*** *इसने सिफारिश की थी कि DRSCs को मजबूत किया जाए और उनकी रिपोर्ट को अधिक तवज्जो दी जाए। इसने लोक लेखा समिति (PAC) जैसी एक 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समिति' बनाने का सुझाव भी दिया था।*

12. प्रमुख वाद / सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Landmark Judgments)

क्या न्यायपालिका संसदीय समितियों की रिपोर्टों की जांच कर सकती है या उन पर भरोसा कर सकती है? (Article 105 - विशेषाधिकार का मुद्दा)।

1. कल्पना मेहता बनाम भारत संघ (Kalpana Mehta Case - 2018): VVI
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि ***न्यायालय संसदीय समिति की रिपोर्टों पर भरोसा कर सकते हैं (Can rely on)*** *। न्यायालय में इन रिपोर्टों का संदर्भ दिया जा सकता है। यह 'शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers)' या संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105) का उल्लंघन नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट की सत्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।*

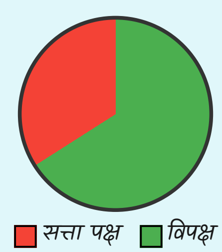
2. रामदास अठावले बनाम भारत संघ (2010):
सदन की आंतरिक कार्यवाही (जिसमें समितियों की कार्यप्रणाली भी शामिल है) की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 122)।

13. वर्तमान परिदृश्य और मूल्यांकन (Brainstorming & Analysis)

संसदीय समितियों का महत्व (Why so important today?):

1. ***Non-Partisan Approach:*** *बंद दरवाजों के पीछे, कैमरे से दूर, सदस्य दलगत राजनीति (party lines) से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करते हैं।*
2. ***Expertise:*** *समितियां विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और आम जनता से साक्ष्य (evidence) और राय मांग सकती हैं, जो सदन के पटल पर संभव नहीं है।*
3. ***Accountability:*** *'अधीनस्थ विधान समिति' और 'सरकारी आश्वासन समिति' ब्यूरोक्रेसी को सतर्क रखती हैं।*

मुद्दा (The Issue): समितियों की अध्यक्षता और विपक्ष का सिकुड़ता स्थान
परंपरागत रूप से, PAC जैसी महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता विपक्ष को दी जाती रही है। साथ ही, DRSCs की अध्यक्षता सत्ता और विपक्ष के बीच बांटी जाती है। वर्तमान में एक बहस है कि विपक्ष को प्रमुख समितियों (जैसे गृह, वित्त, रक्षा) की अध्यक्षता कम मिल रही है।



आगे की राह (Way Forward - Mains Integration): *1. समितियों की बैठकें 'पब्लिक' की जानी चाहिए (जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा न हो)। 2. विधेयकों को DRSC के पास भेजना 'अनिवार्य (Mandatory)' किया जाना चाहिए। 3. समितियों को अनुसंधान समर्थन (Research Support) बढ़ाया जाना चाहिए।*

14. UPSC PRELIMS MASTER TRAPS (जाल से बचें)

प्रिलिम्स में एग्जामिनर निम्नलिखित शब्दों/वाक्यों का प्रयोग कर फंसाने का प्रयास करता है:

- **"सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है।"** -> **गलत।** राज्यसभा की समितियों और DRSCs (जो RS के अधीन हैं) के अध्यक्ष राज्यसभा सभापति नियुक्त करते हैं।
- **"मंत्री किसी भी संसदीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता।"** -> **गलत।** वित्तीय समितियों और DRSCs में मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति आदि में मंत्री सदस्य (या अध्यक्ष) हो सकते हैं।
- **"संसदीय समितियों की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी (Binding) होती हैं।"** -> **गलत।** ये केवल सलाहकारी (Advisory) होती हैं। यदि सरकार नहीं मानती, तो उसे कारण बताना होता है (Action Taken Report)।
- **"संविधान में संसदीय समितियों के गठन और सदस्यों का स्पष्ट उल्लेख है।"** -> **गलत।** संविधान केवल अनुच्छेद 105 और 118 में आधार प्रदान करता है। गठन संसद के नियमों के तहत होता है।

15. मास्टर रिवीजन तालिका (Master Revision Table)

समिति का नाम	कुल सदस्य	LS : RS अनुपात	विशेष तथ्य (Key Fact)
लोक लेखा (PAC)	22	15 : 7	अध्यक्ष विपक्ष से, CAG रिपोर्ट की जांच।
प्राक्कलन (Estimates)	30	30 : 0	सबसे बड़ी, केवल लोकसभा सदस्य।
सार्वजनिक उपक्रम (CoPU)	22	15 : 7	अध्यक्ष केवल LS से। PSU की जांच।
विभागीय स्थायी (DRSCs)	31 (प्रत्येक में)	21 : 10	कुल 24 समितियां (16 LS, 8 RS के अधीन)।
कार्य मंत्रणा (BAC)	15 / 11	अलग-अलग	पीठासीन अधिकारी (Speaker/Chairman) पदेन अध्यक्ष।
निजी सदस्य विधेयक समिति	15	15 : 0	केवल लोकसभा में। उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष।
सलाहकार समितियां	10 से 30	मिश्रित	संसदीय समिति नहीं है। अध्यक्ष: संबंधित मंत्री।

अंतिम निष्कर्ष (Conclusion)

संसदीय समितियां भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। वुडरो विल्सन के शब्दों में, "कांग्रेस (संसद) सत्र में, सार्वजनिक प्रदर्शन है; जबकि कांग्रेस समितियों में काम पर होती है।" भारत के संदर्भ में भी, जटिल कानूनों की सूक्ष्म जांच, कार्यपालिका पर निगरानी और दलगत राजनीति से परे एक रचनात्मक विमर्श का सबसे मजबूत आधार यही समितियां हैं।

यूनिट 3.8: भारतीय संसदीय समूह (IPG) का संपूर्ण विश्लेषण

1. ऐतिहासिक संदर्भ एवं IPG का औचित्य (Rationale of IPG)

संदर्भ (Context): लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। वैश्वीकरण के युग में विभिन्न देशों की संसदों के बीच संवाद स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। इसी आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु **भारतीय संसदीय समूह (IPG)** का गठन किया गया है।

ऐतिहासिक उत्पत्ति: IPG एक स्वायत्त (Autonomous) निकाय है। इसका गठन **वर्ष 1949** में संविधान सभा (विधायी रूप में कार्य करते हुए) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। ⚠️ **ट्रैप:** यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक (Statutory)। यह एक स्वायत्त संस्था है।

औचित्य के मुख्य बिंदु (Brainstorming)

- **अंतर्राष्ट्रीय संपर्क:** भारतीय सांसदों को विश्व के अन्य सांसदों के साथ विचार-विमर्श का मंच प्रदान करना।
- **संसदीय कूटनीति (Parliamentary Diplomacy):** विदेश नीति को केवल कार्यपालिका (Executive) तक सीमित न रखकर विधायिका (Legislature) के स्तर पर भी बढ़ाना।
- **सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान:** अन्य देशों की संसदीय प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और समितियों की कार्यप्रणाली को समझना और अपनाना।
- **अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान:** ट्रैक-II कूटनीति के रूप में कार्य करना।

💡 **याद करने का ट्रिक (Mnemonic):** "**IPG = C-D-E-F**" (**C**ontacts building, **D**iplomacy, **E**xchange of views, **F**oreign policy support). इस स्वायत्त संस्था का मूल उद्देश्य भारत की विदेश नीति को विधायी समर्थन देना है।

करंट अफेयर्स लिंक: हाल ही में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन (P20) की मेज़बानी भारत ने की, जहाँ IPG ने समन्वयकारी (Coordinating) भूमिका निभाई। इससे IPG की महत्ता और भी प्रासंगिक हो गई है। वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष मज़बूती से रखने के लिए IPG के सदस्यों का विदेश दौरा निरंतर होता रहता है।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Analytical View): क्या IPG कार्यपालिका की विदेश नीति में हस्तक्षेप करता है? नहीं। यह एक पूरक (Complementary) भूमिका निभाता है। यह 'सॉफ्ट पावर' के प्रोजेक्शन का एक बेहतरीन उपकरण है, जो सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करता है।

IPG का उद्भव एवं विकास (Mind Map)

भारतीय संसदीय समूह (IPG)

- 1949: संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित
- वर्तमान स्थिति: 100% स्वायत्त निकाय
- CPA (राष्ट्रमंडल संसदीय संघ) की मुख्य शाखा (Main Branch)
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संबंध स्थापित करना
- IPU (अंतर संसदीय संघ) का राष्ट्रीय समूह (National Group)
- संसदीय मैत्री समूहों (Friendship Groups) का संचालक

नोट: IPG एक साथ IPU और CPA दोनों के लिए भारत के प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करता है। यह UPSC का एक संभावित कथन-आधारित प्रश्न हो सकता है।

2. आईपीजी का गठन और संरचना (Composition & Structure)

सदस्यता की प्रकृति: IPG की सदस्यता सभी संसद सदस्यों (लोकसभा एवं राज्यसभा) के लिए खुली है। यह कोई अनिवार्य सदस्यता नहीं है, बल्कि **स्वैच्छिक (Voluntary)** है।

सदस्यों के प्रकार:

1. **नियमित सदस्य (Regular Members):** संसद के वर्तमान सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा दोनों से)।
2. **सहयोगी सदस्य (Associate Members):** संसद के पूर्व सदस्य (Ex-MPs)। ⚠️ **Prelims Trap:** पूर्व सांसद सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उन्हें नियमित सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

सहयोगी सदस्यों पर प्रतिबंध (UPSC Trap Zone)

- उन्हें IPG की बैठकों में **मतदान का अधिकार (Voting Rights) नहीं** है।
- वे IPG की **कार्यकारी समिति (Executive Committee)** के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते।
- उन्हें भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों (Delegations) में विदेशों में **शामिल नहीं** किया जाता है।
- वे विदेश यात्रा के दौरान राजनयिक पासपोर्ट या रियायती यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

पदाधिकारी (Office Bearers):

संस्था का नेतृत्व पदेन (Ex-officio) अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह संरचना इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ और उच्च-स्तरीय बनाती है।

- **पदेन अध्यक्ष (Ex-officio President):** लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)।
- **पदेन उपाध्यक्ष (Ex-officio Vice-Presidents):** लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman)।
- **पदेन महासचिव (Ex-officio Secretary-General):** लोकसभा के महासचिव (Secretary-General of Lok Sabha)।

IPG का प्रशासनिक पदानुक्रम (Hierarchy)

पदेन अध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्ष

↓

पदेन उपाध्यक्ष: लोकसभा उपाध्यक्ष | **पदेन उपाध्यक्ष: राज्यसभा उपसभापति**

↓

कार्यकारी समिति (Executive Committee)

↓

पदेन महासचिव: लोकसभा महासचिव (प्रशासनिक प्रमुख)

> **महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट:** कार्यकारी समिति (Executive Committee) में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और महासचिव के अलावा, सदस्यों का चुनाव नियमित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह समिति IPG के दैनिक कार्यों, बजट, और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के चयन का निर्णय लेती है। क्या राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) का IPG में कोई पदेन पद है? **नहीं। (यह एक बड़ा ट्रैप है)।**

करंट अफेयर्स / ऐतिहासिक अपडेट: 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रहा था, जिसने IPG की कार्यकारी संरचना में उपाध्यक्ष के प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया। UPSC इस संदर्भ में कथन पूछ सकता है कि "उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में IPG का कार्य कैसे संचालित होता है?" उत्तर: कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य और अध्यक्ष कार्यों का निर्वहन करते हैं।

3. आईपीजी के कार्य और भूमिका (Functions of IPG)

IPG भारत की संसदीय कूटनीति के मुख्य इंजन के रूप में कार्य करता है। इसके बहुआयामी कार्य हैं जो इसे अन्य संसदीय समितियों से अलग बनाते हैं।

प्रमुख कार्य (Key Functions):

- **संबोधन आयोजित करना:** जब भी विदेशी शासनाध्यक्ष (Head of State) या विदेश के प्रख्यात संसदीय नेता भारत आते हैं, तो संसद के सेंट्रल हॉल में उनके संबोधन की व्यवस्था IPG द्वारा ही की जाती है।
- **प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान:** विदेशी संसदों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (Delegations) भेजना और विदेशी संसदों के प्रतिनिधिमंडलों की भारत में मेज़बानी करना।
- **संगोष्ठियां (Seminars):** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा, सेमिनार और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करना, विशेषकर नए निर्वाचित सांसदों के लिए।
- **प्रकाशन:** 'संसदीय पत्रिकाएं' और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मामलों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार (Outstanding Parliamentarian Award)

यह UPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है:

- **स्थापना:** 1995 में IPG द्वारा शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** उस सांसद को सम्मानित करना जिसने संसदीय वाद-विवाद, विधायी कार्य और लोकतांत्रिक मूल्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।
- **ट्रैप:** यह पुरस्कार भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि **IPG द्वारा** दिया जाता है।
- पुरस्कार विजेता का चयन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है।

तुलनात्मक विश्लेषण: IPG बनाम अन्य संसदीय समितियां

भारतीय संसदीय समूह (IPG)	विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs)
यह एक **स्वायत्त (Autonomous)** निकाय है।	ये संसद के नियमों के तहत **गठित समितियां** हैं।
सदस्यता **स्वैच्छिक** है और सभी सांसदों के लिए खुली है। पूर्व सांसद भी सहयोगी हो सकते हैं।	सदस्यों को अध्यक्ष/सभापति द्वारा **नामित (Nominated)** किया जाता है। पूर्व सांसद सदस्य नहीं हो सकते।
उद्देश्य: **अंतर्राष्ट्रीय** संसदीय कूटनीति।	उद्देश्य: मंत्रालयों के अनुदान मांगों एवं **घरेलू** नीतियों की जांच।
अध्यक्ष पदेन (Ex-officio) रूप से लोकसभा अध्यक्ष होता है।	अध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है।

💡 **360-डिग्री कवरेज:** यदि UPSC प्रश्न पूछता है: "IPG के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह संधियों (Treaties) के अनुसमर्थन (Ratification) में भाग लेता है। 2. यह उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार प्रदान करता है।" **उत्तर:** केवल 2 सही है। संधियों का अनुसमर्थन कार्यपालिका (Executive) का कार्य है, IPG का नहीं। IPG केवल कूटनीतिक संवाद (Dialogue) की सुविधा प्रदान करता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियां नहीं बनाता।

समसामयिक घटनाक्रम: 'युवा संसद' (Youth Parliament) प्रतियोगिताओं का आयोजन और प्रायोजन, जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, उसमें भी IPG और संसदीय कार्य मंत्रालय समन्वय में कार्य करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के दौरान IPG की अप्रत्यक्ष भूमिका रही।

4. संसदीय मैत्री समूह (Parliamentary Friendship Groups)

वैश्विक कूटनीति के विस्तार के साथ, केवल IPG के छत्र (Umbrella) के तहत कार्य करना पर्याप्त नहीं था। इसलिए विशिष्ट देशों के साथ **द्विपक्षीय (Bilateral)** संबंधों को गहरा करने के लिए 'संसदीय मैत्री समूहों' का गठन किया गया।

गठन एवं उद्देश्य (Formation & Objectives):

उद्देश्य: दो देशों की संसदों के बीच राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। यह ट्रैक-II (गैर-सरकारी/विधायी) कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है।

गठन की प्रक्रिया: इन समूहों का गठन **लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)** द्वारा किया जाता है। (राज्यसभा के सभापति से परामर्श के बाद)। **ट्रैप:** इनका गठन विदेश मंत्रालय नहीं करता है।

दिशा-निर्देश एवं शर्तें (Guidelines)

1. मैत्री समूह केवल उन देशों के साथ बनाए जाते हैं जिनके साथ **कम से कम एक समूह के लिए पर्याप्त सदस्य (न्यूनतम 10)** रुचि दिखाते हैं।
2. उस देश की संसद में भी भारत के प्रति समान रुचि (Reciprocity) होनी चाहिए।
3. प्रत्येक समूह में **कम से कम 10 और अधिकतम 22 सदस्य** होते हैं। (लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7)।
4. प्रत्येक समूह का एक अध्यक्ष (President) होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

भारतीय संसद (लोकसभा + राज्यसभा सदस्य) ⟷ संवाद / सहयोग **संसदीय मैत्री समूह** (जैसे: भारत-जापान मैत्री समूह) ⟷ **विदेशी संसद** (Diet, Congress, Duma आदि)

IPG और संसदीय मैत्री समूह में अंतर	
IPG (भारतीय संसदीय समूह)	**संसदीय मैत्री समूह (Friendship Group)**
यह **बहुपक्षीय (Multilateral)** निकाय है। (पूरी दुनिया के लिए एक)।	यह **द्विपक्षीय (Bilateral)** निकाय है। (प्रत्येक देश के लिए अलग, जैसे भारत-रूस)।
अध्यक्ष हमेशा लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) होता है।	अध्यक्ष कोई भी वरिष्ठ सांसद हो सकता है, जिसे Speaker नियुक्त करे।
सदस्य संख्या असीमित (कोई भी सांसद जुड़ सकता है)।	सदस्य संख्या सीमित (सामान्यतः 22 तक)।

मेन्स + प्रीलिम्स अप्रोच: जब कार्यपालिका (जैसे प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री) किसी देश के साथ कूटनीतिक गतिरोध का सामना करते हैं, तो ये 'मैत्री समूह' अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से बर्फ पिघलाने (Ice-breaking) का कार्य करते हैं। **करंट अफेयर्स:** भारत-अमेरिका, भारत-जापान, और भारत-फ्रांस संसदीय मैत्री समूहों ने हाल के वर्षों में व्यापार, रक्षा (राफेल डील, क्वाड) और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर 'संसदीय लॉबिंग' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. आईपीजी एवं अंतर संसदीय संघ (IPG & IPU)

भारतीय संसदीय समूह (IPG) वैश्विक स्तर पर **अंतर संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union - IPU)** के 'राष्ट्रीय समूह' (National Group) के रूप में कार्य करता है। IPU विश्व भर की संसदों का एक वैश्विक संगठन है।

IPU (Inter-Parliamentary Union) क्या है?

- **स्थापना:** 1889 (संयुक्त राष्ट्र से भी बहुत पहले)।
- **संस्थापक:** विलियम रान्डेल क्रेमर (ब्रिटेन) और फ्रेडरिक पासी (फ्रांस)।
- **मुख्यालय:** जिनेवा (Geneva), स्विट्जरलैंड।
- **सदस्यता:** 178+ देशों की **संप्रभु (Sovereign)** संसदें।
- **स्लोगन:** "For democracy. For everyone."

IPG का IPU में प्रतिनिधित्व:

भारत की ओर से IPU की सभी बैठकों, सम्मेलनों (Assemblies) और परिषदों में IPG द्वारा ही प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के उपसभापति करते हैं।

⚠️ **Prelims Trap:** IPU संयुक्त राष्ट्र (UN) की कोई विशेष एजेंसी नहीं है, लेकिन इसे UN में **स्थायी पर्यवेक्षक (Permanent Observer)** का दर्जा प्राप्त है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

IPU के मुख्य अंग (Organs):

1. **Assembly (सभा):** यह मुख्य वैधानिक निकाय है। वर्ष में दो बार बैठक होती है।
2. **Governing Council:** यह नीति-निर्धारण निकाय है। प्रत्येक सदस्य संसद 3 प्रतिनिधि भेजती है।
3. **Executive Committee:** 17 सदस्य। प्रशासनिक कार्य देखती है।
4. **Secretariat:** जिनेवा में स्थित।

IPU के प्रमुख लक्ष्य (Areas of Work)

- प्रतिनिधित्व लोकतंत्र
- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा
- सतत विकास (SDGs)
- मानवाधिकार एवं लैंगिक समानता

समकालीन मुद्दे एवं UPSC प्रासंगिकता: IPU की 148वीं असेंबली (मार्च 2024) जिनेवा में आयोजित हुई। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें 'संसदीय कूटनीति: शांति और समझ के लिए सेतु' (Parliamentary diplomacy: Building bridges for peace and understanding) विषय पर चर्चा में भाग लिया। UPSC सीधे पूछ सकता है कि "हाल ही में चर्चा में रहा अंतर-संसदीय संघ (IPU) का मुख्यालय कहाँ है और भारत इसका सदस्य कब बना?" (भारत IPG के गठन के तुरंत बाद 1949 में इसका सदस्य बन गया था)।

विशेष तथ्य: भारत के डॉ. जी.एस. ढिल्लों (पूर्व लोकसभा अध्यक्ष) और डॉ. नजमा हेपतुल्ला (पूर्व राज्यसभा उपसभापति) IPU के अध्यक्ष रह चुके हैं।

6. आईपीजी एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (IPG & CPA)

जिस प्रकार IPG वैश्विक स्तर पर IPU से जुड़ा है, उसी प्रकार यह राष्ट्रमंडल देशों (Commonwealth Nations) के मध्य **राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (Commonwealth Parliamentary Association - CPA)** की भारतीय मुख्य शाखा (Main Branch) के रूप में कार्य करता है।

CPA (Commonwealth Parliamentary Association) क्या है?

- **स्थापना:** 1911 (एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के रूप में)।
- **नाम परिवर्तन:** 1948 में वर्तमान नाम (CPA) अपनाया गया।
- **मुख्यालय:** लंदन (London), यूनाइटेड किंगडम।
- **सदस्यता:** राष्ट्रमंडल देशों की राष्ट्रीय, प्रांतीय (Provincial) और क्षेत्रीय (Territorial) संसदें/विधानसभाएं।

भारत में CPA की संरचना:

भारत में CPA की संरचना IPU से भिन्न है। IPU में केवल राष्ट्रीय संसद (Union Parliament) भाग लेती है, जबकि CPA में **राज्यों की विधानसभाएं (State Legislatures)** भी अपनी स्वतंत्र शाखाएं बना सकती हैं।

- **मुख्य शाखा (Main Branch):** भारतीय संसदीय समूह (IPG), दिल्ली।
- **राज्य शाखाएं (State Branches):** भारत के विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं CPA की प्रांतीय शाखाओं के रूप में कार्य करती हैं।

अति महत्वपूर्ण: IPU और CPA में बुनियादी अंतर (UPSC Trap)

अंतर संसदीय संघ (IPU)	राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA)
यह विश्व के **सभी संप्रभु (Sovereign)** देशों की संसदों के लिए खुला है।	यह **केवल राष्ट्रमंडल (Commonwealth)** देशों (पूर्व ब्रिटिश कॉलोनियां आदि) तक सीमित है।
केवल **राष्ट्रीय संसदें** ही इसकी सदस्य बन सकती हैं। (जैसे भारत की संसद)।	राष्ट्रीय संसद के साथ-साथ **राज्यों की विधानसभाएं** (Provincial Legislatures) भी सदस्य बन सकती हैं।
मुख्यालय: **जिनेवा** (स्विट्जरलैंड)।	मुख्यालय: **लंदन** (यूनाइटेड किंगडम)।

CPA भारत क्षेत्र (India Region)

CPA को विश्व स्तर पर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। 'भारत क्षेत्र' (India Region) उनमें से एक है। 2004 में भारत को CPA के भीतर एक स्वतंत्र 'क्षेत्र' (Region) का दर्जा दिया गया था। भारत क्षेत्र के सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं जिनमें सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष (Speakers) और विधान परिषद के सभापति (Chairmen) भाग लेते हैं। **करंट अफेयर्स:** हाल ही में 19वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन सिक्किम (गंगटोक) में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ने किया। इसका विषय 'संसद और विधानसभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना' था।

💡 **कांसेप्ट चेक:** क्या एक राज्य का विधायक (MLA) IPG का सदस्य बन सकता है? **नहीं!** IPG केवल सांसदों (MPs) के लिए है। परंतु क्या विधायक CPA की गतिविधियों में भाग ले सकता है? **हाँ!** क्योंकि राज्य विधानसभाएं CPA की प्रांतीय शाखाएं होती हैं।

7. संसदीय कार्यप्रणाली से जुड़े प्रमुख संविधान संशोधन एवं वाद

संसद (और परोक्ष रूप से IPG के सदस्यों) की संरचना और शक्तियों को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो UPSC प्रीलिम्स के लिए 'हाई-यील्ड' (High-Yield) हैं:

प्रमुख संविधान संशोधन (Constitutional Amendments)

- **42वां संशोधन (1976):** 'मिनी संविधान'। लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया (जिसे 44वें में वापस 5 वर्ष कर दिया गया)। कोरम (Quorum) की आवश्यकता को समाप्त किया (बाद में बहाल)।
- **52वां संशोधन (1985):** 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)। सांसदों की अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी (Speaker) करता है।
- **61वां संशोधन (1989):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। (अनुच्छेद 326 में संशोधन)।
- **91वां संशोधन (2003):** मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया (अनुच्छेद 75(1A))। दलबदल के आधार पर अयोग्य सांसद मंत्री नहीं बन सकता।
- **104वां संशोधन (2019):** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) बढ़ाया गया। एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन (Nomination) को **समाप्त** कर दिया गया।
- **106वां संशोधन (2023):** 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (अनुच्छेद 330A, 332A, 239AA)।

प्रमुख ऐतिहासिक वाद (Landmark Judgments)

- **केशवानंद भारती वाद (1973):** संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन **'मूल ढांचे' (Basic Structure)** को नष्ट नहीं कर सकती। संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) को सीमित किया गया।
- **मिनर्वा मिल्स वाद (1980):** न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को मूल ढांचा घोषित किया गया।
- **किहोतो होलोहन वाद (1992):** 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम नहीं है, यह **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन** है। स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है। **ट्रैप:** न्यायालय अध्यक्ष के अंतिम निर्णय से पहले हस्तक्षेप नहीं कर सकता (अंतरिम रोक नहीं लगा सकता)।
- **एस. आर. बोम्मई वाद (1994):** अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग रोकने के लिए। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को मूल ढांचा माना गया।
- **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998) बनाम सीता सोरेन वाद (2024):** 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांसदों को संसद में वोट के बदले रिश्वत लेने पर अनुच्छेद 105(2) के तहत विशेषाधिकार (Immunity) प्राप्त है। **करंट अफेयर्स:** 2024 में 7-जजों की बेंच (सीता सोरेन वाद) ने इसे **पलट दिया (Overruled)** और कहा कि घूसखोरी विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आती है। यह इस वर्ष के प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है!

UPSC PRELIMS - FINAL TRAP SUMMARY (रिवीजन)

1. क्या IPG एक वैधानिक (Statutory) निकाय है? **नहीं (स्वायत्त)।**
2. क्या पूर्व सांसद IPG की कार्यकारी समिति में चुने जा सकते हैं? **नहीं।**
3. क्या उपराष्ट्रपति IPG का पदेन पदाधिकारी होता है? **नहीं।** (RS उपसभापति होता है)।
4. IPU का मुख्यालय कहाँ है? **जिनेवा।** (लंदन नहीं)।
5. क्या राज्य विधानसभाएं IPU की सदस्य हो सकती हैं? **नहीं।** (केवल CPA की हो सकती हैं)।
6. उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार कौन देता है? **IPG** (सरकार नहीं)।
7. मैत्री समूह कौन बनाता है? **लोकसभा अध्यक्ष।** (विदेश मंत्रालय नहीं)।

निर्देश: यह दस्तावेज़ A4 आकार के 7 पृष्ठों में व्यवस्थित है। सर्वोत्तम प्रिंटिंग के लिए "Background graphics" चालू रखें और Margins को "None" या "Minimum" पर सेट करें।

UNIT 3.10: उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT OF INDIA)

ऐतिहासिक संदर्भ (Context): 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट (1774) स्थापित। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने **'संघीय न्यायालय' (Federal Court)** का सृजन किया, जिसने 1937 से कार्य शुरू किया। स्वतंत्र भारत का उच्चतम न्यायालय **28 जनवरी 1950** को अस्तित्व में आया। इसने 'प्रिवी काउंसिल' और 'फेडरल कोर्ट' दोनों का स्थान लिया।

1. संरचना और संगठन (Structure & Organization)

- **अनुच्छेद 124(1):** भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संसद द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे।
- **मूल संरचना (1950):** 1 CJI + 7 अन्य न्यायाधीश = 8
- **वर्तमान संरचना (2019 संशोधन):** 1 CJI + 33 अन्य = **34 न्यायाधीश**।

> 🚨 **PRELIMS TRAP #1**
> न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति **केवल संसद** के पास है (राष्ट्रपति के पास नहीं)। जबकि उच्च न्यायालय (HC) में न्यायाधीशों की संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं। **यह सीधा फंसाने वाला बिंदु है!**

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, SC के न्यायाधीशों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों (SC और HC के) से परामर्श के बाद करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में CJI का परामर्श **अनिवार्य** है।

> 🧠 **विकासक्रम: कोलेजियम प्रणाली (COLLEGIUM SYSTEM EVOLUTION)**
>
> प्रथम न्यायाधीश मामला (1982) → द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) → तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) → चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015)
>
> - **1st Case (S.P. Gupta):** 'परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, केवल 'विचारों का आदान-प्रदान' है। कार्यपालिका को प्रधानता।
> - **2nd Case (SCARA):** निर्णय पलटा। 'परामर्श' का अर्थ **सहमति (Concurrence)** है। CJI की सलाह बाध्यकारी। **कोलेजियम (CJI + 2 वरिष्ठतम)** का जन्म।
> - **3rd Case (Presidential Reference Art 143):** कोलेजियम का विस्तार। **CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश**। यदि 2 भी असहमत हों, तो नाम नहीं भेजा जाएगा।
> - **4th Case (NJAC):** 99वें संविधान संशोधन (2014) और NJAC अधिनियम को **असंवैधानिक** घोषित किया। न्यायिक स्वतंत्रता 'मूल ढांचा' है। कोलेजियम पुनः बहाल।

> 💡 **याद करने की ट्रिक (CJI की नियुक्ति विवाद): 1973 (ए.एन. रे) और 1977 (एम.यू. बेग) में वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ। द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने नियम बना दिया कि SC का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही CJI बनेगा।**

3. अर्हताएं (Qualifications) - अनुच्छेद 124(3)

उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, **और** निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए:

शर्त 1 (अनुभव - HC Judge)	शर्त 2 (अनुभव - Advocate)	शर्त 3 (राष्ट्रपति की राय में)
कम से कम **5 वर्ष** के लिए किसी उच्च न्यायालय (या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार) न्यायाधीश रहा हो।	कम से कम **10 वर्ष** के लिए किसी उच्च न्यायालय (या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार) अधिवक्ता रहा हो।	राष्ट्रपति की राय में वह एक **पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)** हो।

> 🚨 **PRELIMS TRAP #2**
> **संविधान में SC का न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु (Minimum Age) निर्धारित नहीं है।** (जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, वैसे यहाँ कुछ नहीं है)।

> 🚨 **PRELIMS TRAP #3**
> **'पारंगत विधिवेत्ता' (Distinguished Jurist)** के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान **केवल सुप्रीम कोर्ट** के लिए है, **उच्च न्यायालय (HC)** के न्यायाधीश के लिए यह प्रावधान नहीं है!

4. शपथ और वेतन (Oath & Salary)

शपथ (Oath) - अनुच्छेद 124(6): तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार। **राष्ट्रपति** या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ।

शपथ के मुख्य बिंदु: भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखना, सम्यक् प्रकार से कर्तव्यों का निर्वहन और 'संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखना' (Uphold the Constitution and the laws)।

वेतन एवं भत्ते (Salary) - अनुच्छेद 125: संसद द्वारा निर्धारित। ये भारत की **संचित निधि (Consolidated Fund of India)** पर भारित (Charged) होते हैं।

> वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) को छोड़कर इनके कार्यकाल के दौरान इनमें अलाभकारी परिवर्तन (No disadvantageous variation) नहीं किया जा सकता।

5. कार्यकाल और निष्कासन (Tenure and Removal)

कार्यकाल: संविधान ने कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन 3 प्रावधान हैं: 1) **65 वर्ष की आयु** तक पद धारण (आयु निर्धारण संसद द्वारा तय प्राधिकारी करेगा), 2) राष्ट्रपति को त्यागपत्र (Resignation), 3) संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन।

> 🔄 **निष्कासन प्रक्रिया (REMOVAL PROCESS) - JUDGES ENQUIRY ACT, 1968**
>
> **आधार (Grounds)** - Art 124(4): केवल दो आधार - 1. साबित कदाचार (Proved Misbehaviour), 2. असमर्थता (Incapacity)।
>
> **प्रस्ताव (Motion): LS में 100 सदस्य या RS में 50 सदस्य** →
>
> **अध्यक्ष/सभापति (Speaker/Chairman) द्वारा स्वीकार या अस्वीकार** → **स्वीकार होने पर 3-सदस्यीय जांच समिति का गठन**
>
> ⬇️ (समिति: 1. CJI/SC Judge, 2. HC Chief Justice, 3. पारंगत विधिवेत्ता)
>
> **समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर संसद में विचार** → **दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित (Art 368 type)** →
>
> **राष्ट्रपति का निष्कासन आदेश**

> 🚨 **PRELIMS TRAP #4 (IMPEACHMENT VS REMOVAL)**
>
> संविधान में 'महाभियोग' (Impeachment) शब्द का प्रयोग **केवल राष्ट्रपति (अनुच्छेद 61)** के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 'निष्कासन' (Removal) शब्द है। आज तक किसी भी SC न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है (वी. रामास्वामी 1991 और दीपक मिश्रा 2018 के खिलाफ प्रस्ताव आए पर पारित नहीं हुए)।

6. कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Acting, Ad-hoc & Retired Judges)

न्यायाधीश का प्रकार	अनुच्छेद	नियुक्ति कौन करता है?	शर्तें / कारण
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (Acting CJI)	Art 126	**राष्ट्रपति**	जब CJI का पद रिक्त हो, या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो। SC के किसी भी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judge)	Art 127	**CJI** (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से)	जब SC का सत्र आयोजित करने के लिए **कोरम (गणपूर्ति) पूरा न हो**। HC के ऐसे न्यायाधीश को जो SC का जज बनने के योग्य हो, HC के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge)	Art 128	**CJI** (राष्ट्रपति और संबंधित व्यक्ति की पूर्व सहमति से)	SC या HC के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो SC के लिए अर्ह हो) को SC की बैठकों में कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते मिलते हैं।

> 💡 Trick: Acting CJI = President की पावर | Ad-hoc & Retired = CJI की पावर (President की अनुमति से)

7. स्थान और प्रक्रिया (Seat and Procedure)

स्थान - अनुच्छेद 130: संविधान दिल्ली को SC का स्थान घोषित करता है। यह CJI को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर SC की बैठकें आयोजित करने का अधिकार देता है। **किंतु इसके लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।** यह प्रावधान वैकल्पिक है, बाध्यकारी नहीं। (कोई भी न्यायालय सरकार या CJI को पीठ स्थापित करने का निर्देश नहीं दे सकता)।

प्रक्रिया - अनुच्छेद 145: SC, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय की प्रथाओं के विनियमन के लिए नियम बना सकता है।

संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench): अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति का संदर्भ) या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में **कम से कम 5 न्यायाधीशों** की पीठ अनिवार्य है। अन्य मामले आम तौर पर 3 या 2 न्यायाधीशों की पीठ (Division Bench) द्वारा तय किए जाते हैं।

8. उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता (Independence of Supreme Court)

UPSC Mains और Prelims दोनों के लिए महत्वपूर्ण। SC की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान:

SC की स्वतंत्रता

- **नियुक्ति का तरीका:** कार्यपालिका का कोई पूर्ण विवेकाधिकार नहीं (कोलेजियम प्रणाली)।
- **कार्यकाल की सुरक्षा:** केवल Art 124(4) की कठोर प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- **संचित निधि पर भारित व्यय:** वेतन/भत्ते/पेंशन पर संसद में मतदान नहीं होता (Art 146)।
- **आचरण पर बहस पर रोक:** Art 121 - संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं (सिवाय महाभियोग प्रस्ताव के)।
- **सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक:** Art 124(7) - भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।
- **अवमानना पर दंड की शक्ति:** Art 129 - अपने निर्णयों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए।
- **कार्यपालिका से पृथक्करण:** DPSP Art 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है।

9. महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का सारांश (Quick Revision Table)

अनुच्छेद	विवरण (UPSC कीवर्ड्स)	अनुच्छेद	विवरण (UPSC कीवर्ड्स)
124	SC की स्थापना, गठन, नियुक्ति और निष्कासन	136	विशेष अनुमति अपील (Special Leave Petition - SLP)
125, 126	125: वेतन, 126: कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश	137	SC द्वारा निर्णयों का **पुनर्विलोकन (Review)** (स्वयं के निर्णय बदलना)
127, 128	127: तदर्थ (Ad-hoc), 128: सेवानिवृत्त न्यायाधीश	139A	कुछ मामलों का अंतरण (Transfer of cases from HC)
129	SC का **अभिलेख न्यायालय (Court of Record)** होना	141	SC द्वारा घोषित विधि भारत के **सभी न्यायालयों पर आबद्धकर** होगी
130, 131	130: SC का स्थान, 131: **मूल क्षेत्राधिकार (Original Juris.)**	142	**पूर्ण न्याय (Complete Justice)** करने के लिए डिक्री/आदेश
132-134	अपीलीय क्षेत्राधिकार (संवैधानिक, सिविल, आपराधिक)	143	राष्ट्रपति की SC से **परामर्श (Advisory)** करने की शक्ति

💡 **Article Memory Trick:**
124 (पैदा हुआ SC) → 129 (रिकॉर्ड बनाया) → 131 (मूल शक्ति मिली) → 136 (SLP से स्पेशल बना) → 142 (पूर्ण न्याय किया) → 143 (I Love You: राष्ट्रपति को सलाह दी)।

10. उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार - भाग I

SC की शक्तियों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (अपील का अंतिम न्यायालय) और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स (अब यूके सुप्रीम कोर्ट) से भी अधिक शक्तियों वाला है।

A. मूल क्षेत्राधिकार (ORIGINAL JURISDICTION) - अनुच्छेद 131

मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है (अपील के माध्यम से नहीं)। यह भारत के **संघीय ढांचे (Federal Structure)** की रक्षा करता है। इसमें शामिल हैं विवाद:

1. केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य।
2. केंद्र + कोई राज्य बनाम अन्य राज्य।
3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

🚨 **UPSC PRELIMS TRAP (क्या शामिल नहीं है):**

- **पूर्व-संवैधानिक संधियों/समझौतों** से उत्पन्न विवाद।
- अंतर-राज्यीय **जल विवाद** (Art 262 - इसके लिए ट्रिब्यूनल बनता है)।
- वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले।
- केंद्र और राज्य के बीच **साधारण वाणिज्यिक प्रकृति** का विवाद (उदा. कॉन्ट्रैक्ट विवाद)।
- निजी नागरिक बनाम राज्य (यह मौलिक अधिकार Art 32 के तहत आ सकता है, Art 131 के तहत नहीं)।

B. रिट क्षेत्राधिकार (WRIT JURISDICTION) - अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए SC मूल रूप से रिट जारी कर सकता है: **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार-पृच्छा।**

आधार	उच्चतम न्यायालय (Art 32)	उच्च न्यायालय (Art 226)
उद्देश्य	**केवल मौलिक अधिकारों** के प्रवर्तन हेतु।	मौलिक अधिकारों **+ अन्य कानूनी अधिकारों** हेतु।
क्षेत्रीय दायरा	पूरे भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के विरुद्ध।	केवल अपने राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में (या कॉज ऑफ एक्शन वहां हो)।
शक्ति की प्रकृति	Art 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, SC रिट जारी करने से **इनकार नहीं कर सकता।**	Art 226 विवेकाधीन (Discretionary) है, HC इनकार कर सकता है।

C. अपीलीय क्षेत्राधिकार (APPELLATE JURISDICTION)

SC भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है:

- **संवैधानिक मामले (Art 132):** यदि HC प्रमाणित करे कि मामले में 'संविधान की व्याख्या का विधि का सारवान प्रश्न' शामिल है।
- **सिविल मामले (Art 133):** यदि HC प्रमाणित करे कि मामला सामान्य महत्व के कानून के पर्याप्त प्रश्न से जुड़ा है और SC द्वारा निर्णय आवश्यक है।
- **आपराधिक मामले (Art 134):** बिना HC के प्रमाण पत्र के भी अपील हो सकती है यदि HC ने: (a) निचली अदालत के बरी करने के आदेश को पलट कर **मृत्युदंड** दे दिया हो, या (b) किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड दे दिया हो।

विशेष अनुमति अपील (Special Leave Petition - SLP) - Art 136: SC अपने **विवेकाधिकार** से भारत के किसी भी न्यायालय/ट्रिब्यूनल (सैन्य न्यायालय को छोड़कर) के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है। **SLP कोई 'अधिकार' नहीं है।** यह एक असाधारण शक्ति है।

II. उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार - भाग II

D. सलाहकार क्षेत्राधिकार (ADVISORY) - ART 143

राष्ट्रपति दो श्रेणियों के मामलों में SC की राय मांग सकता है:

1. सार्वजनिक महत्व के **विधि या तथ्य के प्रश्न** पर। (SC राय देने से **इनकार कर सकता है**)।
2. **पूर्व-संवैधानिक संधि**/समझौते के विवाद पर। (SC को राय **देनी ही होगी** - बाध्यकारी है)।

🚨 **TRAP:** दोनों ही मामलों में SC द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी (Binding) नहीं** होती। (उदा: बेरुबारी संघ 1960, राम जन्मभूमि 1993 जहाँ SC ने राय देने से मना कर दिया था)।

E. अभिलेख न्यायालय (COURT OF RECORD) - ART 129

इसके दो मुख्य निहितार्थ हैं:

- SC के निर्णय, कार्यवाही और कार्य **शाश्वत स्मृति** के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन पर किसी अधीनस्थ न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता (Evidentiary value)।
- इसे **न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)** के लिए दंडित करने की शक्ति है (सिविल और आपराधिक दोनों)।

F. न्यायिक समीक्षा (JUDICIAL REVIEW) और अन्य शक्तियां

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति। हालांकि 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन Art 13, 32, 131-136, 143 आदि इसे शक्ति प्रदान करते हैं। **इसे 'मूल ढांचा' घोषित किया गया है (मिनर्वा मिल्स केस)।**

अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां:

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का **अंतिम और एकमात्र** निर्णयकर्ता (Art 71)।
- UPSC सदस्यों के आचरण की जांच (राष्ट्रपति के संदर्भ पर) और सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी।
- **स्वयं के फैसलों की समीक्षा:** (Art 137) SC अपने पिछले निर्णयों से बंधा नहीं है (उदा: गोलकनाथ केस से केशवानंद भारती में बदलाव)।

पूर्ण न्याय (Complete Justice) - Art 142:

SC किसी भी मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक हो। यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

विवाद: इसे अक्सर 'न्यायिक अतिरेक' (Judicial Overreach) का कारण माना जाता है (उदा: हाईवे शराब प्रतिबंध, बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन)।

🧠 **Brainstorm (Prelims Logic): यदि प्रश्न पूछे: "क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु है?" उत्तर: नहीं। भारत में 'संसदीय संप्रभुता' (ब्रिटेन) और 'न्यायिक सर्वोच्चता' (अमेरिका) के बीच सिंथेसिस (संश्लेषण) है। संसद की कानून बनाने की शक्ति और SC की न्यायिक समीक्षा की शक्ति दोनों सीमित हैं।**

12. सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन

संशोधन	मुख्य प्रावधान (UPSC फोकस)
1st CAA (1951)	**9वीं अनुसूची** जोड़ी गई। इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण (हालांकि 2007 के आई.आर. कोएल्हो केस के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है)।
24th CAA (1971)	गोलकनाथ केस को पलटा। संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के **किसी भी हिस्से** में संशोधन कर सकती है।
42nd CAA (1976)	'लघु संविधान'। SC की न्यायिक समीक्षा और रिट शक्ति को **सीमित** किया। संवैधानिक संशोधनों को किसी भी अदालत में चुनौती देने से रोका।
43rd & 44th CAA	42वें संशोधन द्वारा SC पर लगाए गए **प्रतिबंधों को हटा दिया** और मूल शक्तियां बहाल कीं।
99th CAA (2014)	NJAC (National Judicial Appointments Commission) की स्थापना की। 2015 में SC ने इसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया।

13. प्रमुख ऐतिहासिक वाद (Landmark Judgments)

1. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

SC ने Art 21 की संकीर्ण व्याख्या की। कहा कि सुरक्षा केवल मनमानी **कार्यकारी (Executive)** कार्रवाई के खिलाफ है, विधायी (Legislative) कार्रवाई के खिलाफ नहीं। 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure estd by law) को अक्षरशः माना।

2. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

गोपालन केस को पलटा। Art 21 की व्यापक व्याख्या। कहा कि कानून न केवल पारित होना चाहिए, बल्कि वह **"उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत" (Fair, Just and Reasonable)** भी होना चाहिए। यहीं से भारत में अमेरिकी **"सम्यक विधि प्रक्रिया" (Due process of law)** का परोक्ष प्रवेश हुआ।

3. मूल ढांचा सिद्धांत का विकास (CHRONOLOGY FOR PRELIMS)

- **शंकरी प्रसाद (1951) & सज्जन सिंह (1965):** संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- **गोलकनाथ केस (1967):** संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम **नहीं** कर सकती।
- **केशवानंद भारती केस (1973):** संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन **"मूल ढांचा" (Basic Structure)** नष्ट नहीं कर सकती। (अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच)।
- **मिनर्वा मिल्स केस (1980):** 'न्यायिक समीक्षा' और 'मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन' मूल ढांचा है।
- **वामन राव केस (1981):** मूल ढांचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित संशोधनों पर लागू होगा।

4. हालिया महत्वपूर्ण वाद (CURRENT DYNAMIC UPDATES)

- **चुनावी बांड मामला (2024 - ADR Case):** SC ने 2018 की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह मतदाताओं के **Art 19(1)(a) - सूचना के अधिकार** का उल्लंघन करती है।
- **अनुच्छेद 370 निरसन (2023):** SC ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के राष्ट्रपति के आदेश को वैध ठहराया। कहा कि Art 370 एक अस्थायी प्रावधान था।

14. भारतीय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना

UPSC अक्सर 'तुलनात्मक संविधान' (Comparative Constitution) से प्रश्न पूछता है।

आधार	भारतीय उच्चतम न्यायालय	अमेरिकी उच्चतम न्यायालय
न्यायिक प्रणाली	**एकीकृत (Integrated)** - केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है।	**दोहरी (Dual)** - केवल संघीय (Federal) कानूनों को लागू करता है। राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट हैं।
मूल क्षेत्राधिकार	अपेक्षाकृत **सीमित** है। (कुछ अपवाद हैं जैसे जल विवाद)।	बहुत **व्यापक** है। (नौसेना, राजदूतों के मामले भी शामिल)।
अपीलीय क्षेत्राधिकार	विस्तृत है (संवैधानिक, सिविल, आपराधिक सभी मामले)। SLP (Art 136) का विशेष अधिकार।	केवल **संवैधानिक** मामलों तक सीमित है।
सलाहकार क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है।	**संविधान में कोई सलाहकार शक्ति नहीं है।**
न्यायिक समीक्षा का दायरा	सीमित दायरा। संविधान **'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'** का उपयोग करता है (हालांकि मेनका केस के बाद 'सम्यक प्रक्रिया' का पुट है)।	बहुत व्यापक। स्पष्ट रूप से **'सम्यक विधि प्रक्रिया' (Due process of law)** पर आधारित।
अधिकार क्षेत्र का विस्तार	संसद इसके अधिकार क्षेत्र को **बढ़ा सकती है** (कम नहीं कर सकती)।	कांग्रेस इसके अधिकार क्षेत्र को नहीं बढ़ा सकती।

15. करंट अफेयर्स एवं समसामयिक मुद्दे (Brainstorming)

⚖️ मास्टर ऑफ रोस्टर (MASTER OF ROSTER)

यह विवाद कि पीठों का गठन करने और मामले आवंटित करने का विशेष अधिकार CJI का है। SC ने स्पष्ट किया है कि CJI न्यायपालिका का प्रशासनिक प्रमुख है और वह 'मास्टर ऑफ रोस्टर' है।

👩‍⚖️ न्यायपालिका में महिलाएं

SC में न्यायाधीशों की संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी पहली थीं। 2027 में **न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना** भारत की पहली महिला CJI बन सकती हैं (सिर्फ 36 दिनों के लिए)।

🏛️ क्षेत्रीय पीठों (REGIONAL BENCHES) की मांग

विधि आयोग (229वीं रिपोर्ट) और संसदीय समितियों ने सिफारिश की है कि SC की संवैधानिक पीठ दिल्ली में रहे, लेकिन चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में **अपीलीय पीठें (Cassation Benches)** स्थापित की जाएं ताकि वादियों का खर्च बचे। (Art 130 CJI को इसकी शक्ति देता है)।

🔥 FINAL REVISION PRELIMS TRAPS 🔥

1. राष्ट्रपति CJI की सलाह मानने के लिए **बाध्य है** (न्यायाधीशों की नियुक्ति में)।
2. SC न्यायाधीश का वेतन केवल **वित्तीय आपातकाल (Art 360)** में कम हो सकता है।
3. SC न्यायाधीश पद से हटने के बाद भारत में **कहीं भी वकालत नहीं** कर सकता।
4. 'न्यायिक समीक्षा' शब्द **संविधान में कहीं नहीं** लिखा है।
5. जनहित याचिका (PIL) का कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, यह Art 32 और 226 का न्यायिक विस्तार है (पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर)।

Unit 3.11: न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता एवं जनहित याचिका

1. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) - अर्थ एवं संदर्भ

संदर्भ: लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के बावजूद, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति प्रदान की गई है। इसका **उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)** में 1803 के ऐतिहासिक *मार्बरी बनाम मैडिसन (Marbury v. Madison)* वाद में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा हुआ था।

अर्थ: यह न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की **संवैधानिकता (Constitutionality)** की जाँच करती है। यदि वे संविधान के प्रावधानों (मूल ढाँचे/मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें *अल्ट्रा वायर्स (Ultra Vires)* या शून्य (Void) घोषित किया जा सकता है।

🚨 **Prelims Trap: "संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।" - ❌ गलत! संविधान में कहीं भी इस 'शब्द' का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं है, यह अनुच्छेदों में अंतर्निहित (Implicit) है।**

2. न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Backup)

यद्यपि शब्द का प्रयोग नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से यह शक्ति प्राप्त है:

- **अनुच्छेद 13:** मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। (सबसे प्रत्यक्ष आधार)
- **अनुच्छेद 32:** मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए SC जाने का अधिकार (संवैधानिक उपचार)।
- **अनुच्छेद 131:** केंद्र-राज्य तथा अंतर-राज्यीय विवादों में SC का मूल क्षेत्राधिकार।
- **अनुच्छेद 132-134:** संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में SC का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
- **अनुच्छेद 136:** अपील के लिए SC की विशेष इजाजत (SLP)।
- **अनुच्छेद 143:** राष्ट्रपति को SC से परामर्श करने की शक्ति (सलाहकारी क्षेत्राधिकार)।
- **अनुच्छेद 226:** मौलिक अधिकारों व अन्य कानूनी अधिकारों के लिए HC की रिट जारी करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 245 & 246:** संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों का क्षेत्रीय और विषयवार विस्तार (7वीं अनुसूची)।
- **अनुच्छेद 251 & 254:** केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव होने पर केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता।

🧠 *Memory Trick (Articles): "13 को 32 का उपचार मिला, 131 में मूल विवाद सुलझा। 226 ने HC को ताकत दी, 246 में विषयों की सूची बंटी।"*

3. भारत बनाम अमेरिका: तुलनात्मक दृष्टिकोण

भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा अमेरिका की तुलना में **सीमित (Narrower)** है। इसका मुख्य कारण भारतीय संविधान का अत्यधिक विस्तृत होना और विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग है।

अमेरिकी संविधान: "विधि की सम्यक प्रक्रिया" (Due Process of Law)
↓
न्यायालय न केवल प्रक्रिया (Procedure) बल्कि कानून की 'तार्किकता' (Reasonableness) भी जांचता है।
↕
भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21): "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (Procedure established by Law)
↓
मूल रूप से केवल प्रक्रिया की जांच। (हालांकि 'मेनका गांधी केस 1978' के बाद भारत में भी Due Process के तत्व शामिल हो गए हैं)।

💡 ***Brainstorming:*** *भारतीय संविधान निर्माताओं ने 'ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता' (संसद जो चाहे कानून बनाए) और 'अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता' (न्यायालय सर्वोपरि) के बीच एक **मध्यम मार्ग (Middle Path)** अपनाया। भारत में 'संविधान सर्वोच्च' है।*

4. न्यायिक समीक्षा का महत्व एवं विषय क्षेत्र (Scope)

न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से तीन स्तरों पर कार्य करती है:

1. **संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना:** संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन (अनुच्छेद 246) को सुनिश्चित करना।
2. **मौलिक अधिकारों का संरक्षण:** नागरिकों के अधिकारों (भाग III) को कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी से बचाना।
3. **संविधान की व्याख्या:** न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता (Final Interpreter) है।

समीक्षा के आधार (Grounds): सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को 3 आधारों पर अवैध घोषित कर सकता है: (i) यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। (ii) यदि यह उस प्राधिकारी की क्षमता से बाहर (Out of competence) हो जिसने इसे बनाया है। (iii) यदि यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो।

5. नौवीं अनुसूची (9th Schedule) और न्यायिक समीक्षा

नौवीं अनुसूची भारतीय संविधान में **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951** द्वारा जोड़ी गई थी (अनुच्छेद 31B)। इसका मूल उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में मौलिक अधिकारों (मुख्यतः संपत्ति के अधिकार - अनुच्छेद 31) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाना था। प्रारंभ में इसमें केवल 13 कानून थे, जो बढ़कर 284+ हो गए।

9वीं अनुसूची का विवाद और समाधान

समस्या: सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए हर विवादास्पद कानून (जैसे आरक्षण सीमा बढ़ाना) को 9वीं अनुसूची में डालना शुरू कर दिया (Blanket Immunity)।	**टर्निंग पॉइंट:** केशवानंद भारती केस (24 अप्रैल 1973) - "मूल ढांचा" (Basic Structure) सिद्धांत का प्रतिपादन।	**अंतिम निर्णय:** I.R. Coelho (आई.आर. कोएल्हो) वाद 2007 - सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पीठ का फैसला।

★ आई.आर. कोएल्हो वाद (2007) - UPSC Prelims Master Points:

- **24 अप्रैल 1973 के बाद** (केशवानंद भारती फैसले की तिथि) 9वीं अनुसूची में डाले गए **सभी कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे।**
- न्यायालय यह जांचेगा कि क्या इन कानूनों ने 'मूल ढांचे' (विशेषकर अनुच्छेद 14, 15, 19, 21) का उल्लंघन किया है।
- **न्यायिक समीक्षा स्वयं 'संविधान का मूल ढांचा' है।** इसे किसी भी संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) द्वारा छीना नहीं जा सकता (मिनर्वा मिल्स केस 1980 में भी स्थापित)।

🚨 Prelims Trap: "9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की किसी भी परिस्थिति में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।" - ❌ गलत! 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानूनों की समीक्षा हो सकती है (IR Coelho Case)।

6. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) - अर्थ एवं संदर्भ

अर्थ: जब न्यायपालिका अपनी पारंपरिक भूमिका (कानून की व्याख्या) से आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करती है तथा जनहित व नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 'सक्रिय' (Proactive) भूमिका निभाती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं।

उद्भव: यह शब्द सर्वप्रथम 1947 में अमेरिकी इतिहासकार **आर्थर श्लेसिंगर जूनियर (Arthur Schlesinger Jr.)** द्वारा गढ़ा गया था। भारत में इसका उदय 1970 के दशक के मध्य में हुआ। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, पी.एन. भगवती, ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और डी.ए. देसाई इसके प्रणेता माने जाते हैं।

अवधारणा	मुख्य बिंदु (UPSC दृष्टिकोण)
न्यायिक समीक्षा (Review)	निष्क्रिय (Passive) प्रक्रिया। जब कोई मामला कोर्ट में आता है, तभी कानूनों की संवैधानिकता जांची जाती है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है।
न्यायिक सक्रियता (Activism)	सक्रिय (Proactive) प्रक्रिया। सुओ-मोटो (Suo-motu) संज्ञान, PIL का प्रयोग। यह न्यायपालिका का नवोन्मेषी (Innovative) विस्तार है।

7. न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक (Catalysts / Causes)

भारत में न्यायपालिका को सक्रिय होने के लिए निम्नलिखित कारकों ने प्रेरित किया (मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के कथन-कारण प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण):

- **कार्यपालिका का पतन (Executive Failure):** जब विधायिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक दायित्वों (जैसे पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारण) को निभाने में विफल रहते हैं, तो शून्यता (Vacuum) भरने के लिए न्यायपालिका आगे आती है।
- **नागरिक समाज और NGO का उद्भव:** नागरिक अधिकार समूहों (Civil Rights Groups) और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाना।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 21 का अत्यंत व्यापक विस्तार (मेनका गांधी वाद के बाद 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार)।
- **जनहित याचिका (PIL) का विकास:** 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi - केवल पीड़ित ही कोर्ट आ सकता है) के पारंपरिक नियम में छूट।
- **साहसी एवं प्रगतिशील न्यायाधीश:** कुछ जजों का व्यक्तिगत दर्शन जो सामाजिक न्याय को सर्वोपरि मानते हैं (Social Justice Jurisprudence)।
- **वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ:** अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को घरेलू कानूनों में लागू करने की आवश्यकता (जैसे विशाखा गाइडलाइंस)।

8. न्यायिक सक्रियता के पहलू (Aspects / Manifestations)

यह सक्रियता किन रूपों में दिखाई देती है?

1. **मूल अधिकारों का विस्तार:** अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण, त्वरित न्याय, आश्रय, शिक्षा (अनुच्छेद 21A), निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी वाद) को शामिल करना।
2. **निरंकुश शक्तियों पर रोक:** राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के मनमाने प्रयोग पर रोक (एस.आर. बोम्मई वाद 1994)।
3. **कार्यपालिका को निर्देश (Continuous Mandamus):** जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला या कोयला घोटाला मामलों में न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी करना (Court-monitored probes)।
4. **विधायिका के शून्यता को भरना:** जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करना। (उदाहरण: विशाखा दिशा-निर्देश 1997 - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, जब तक 2013 का कानून नहीं बना)।

9. न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं (Apprehensions / Criticism)

हालांकि यह लोकतंत्र के लिए संजीवनी रही है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू (या 'न्यायिक अतिरेक' - Judicial Overreach) भी हैं:

शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) का उल्लंघन

↓

संविधान का अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण) खतरे में।

↓

प्रशासनिक विशेषज्ञता की कमी: न्यायाधीश नीति-निर्माता नहीं हैं। (उदा: हाईवे शराब बैन, BS-IV वाहन बैन से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव)।

↓

जवाबदेही का अभाव: कार्यपालिका जनता के प्रति (चुनावों के माध्यम से) जवाबदेह है, जबकि न्यायाधीश नहीं। इसे 'लोकतांत्रिक रूप से गैर-जवाबदेह संस्था की तानाशाही' (Tyranny of unelected) कहा जाता है।

🚨 **Prelims Trap: "संविधान का अनुच्छेद 50 विधायिका और न्यायपालिका के पूर्ण पृथक्करण की बात करता है।" - ❌ गलत! अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका (Executive) से न्यायपालिका (Judiciary) के पृथक्करण का निर्देश देता है, विधायिका से नहीं।**

10. न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम (Activism vs Restraint)

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)	न्यायिक संयम (Judicial Restraint)
न्यायाधीशों को प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के निर्माण में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए।	न्यायाधीशों को अपनी शक्तियों को सख्ती से सीमित करना चाहिए और नीति निर्माण विधायिका पर छोड़ देना चाहिए।
संविधान एक **'जीवंत दस्तावेज' (Living Document)** है, इसकी व्याख्या समय के साथ बदलनी चाहिए।	न्यायाधीशों को संविधान निर्माताओं के **'मूल इरादे' (Original Intent)** के अनुसार ही व्याख्या करनी चाहिए।
यह विधायिका के कार्यों को अधिक आसानी से रद्द कर देता है।	यह विधायिका के प्रति सम्मान (Deference) दिखाता है। जब तक कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो, उसे रद्द नहीं किया जाता। (जैसे: ए.के. गोपालन वाद)।

11. न्यायिक समीक्षा/सक्रियता से जुड़े प्रमुख वाद (Landmark Cases)

प्रारंभिक परीक्षा में क्रोनोलॉजी (Chronology) और 'निर्णय के मूल तत्व' (Core Judgement) से प्रश्न सीधे आते हैं:

1. **ए.के. गोपालन वाद (1950):** (न्यायिक संयम का उदाहरण)। SC ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या की। कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ सुरक्षा देता है, विधायिका के खिलाफ नहीं।
2. **शंकरी प्रसाद वाद (1951) & सज्जन सिंह वाद (1965):** SC ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। (न्यायिक समीक्षा सीमित)।
3. **गोलकनाथ वाद (1967): (UPSC Favorite)** SC ने अपना पिछला निर्णय पलट दिया। कहा कि मौलिक अधिकार "अलौकिक और अप्रतिदेय" (Transcendental and Immutable) हैं। संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। *याद रखें: गोलकनाथ ने संसद के 'गोल' (Target) को रोक दिया!*
4. **केशवानंद भारती वाद (1973):** (सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच)। **'मूल ढांचा' (Basic Structure)** का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।
5. **मिनर्वा मिल्स वाद (1980):** SC ने 42वें संशोधन के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसने न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया था। स्थापित किया कि **'न्यायिक समीक्षा' और 'मूल अधिकारों व DPSP के बीच संतुलन'** मूल ढांचे का हिस्सा है।
6. **वामन राव वाद (1981):** स्पष्ट किया कि 'मूल ढांचा' सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती के निर्णय की तिथि) के बाद अधिनियमित संशोधनों पर पूर्वव्यापी रूप से (Retrospectively) लागू होगा।

> 💡 ***Brainstorming (Current Reference):*** *हाल ही में **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) - 99वां संविधान संशोधन (2014)** को सर्वोच्च न्यायालय ने (फोर्थ जजेस केस 2015) 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' (जो मूल ढांचा है) के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक (Ultra Vires) घोषित कर दिया। यह न्यायिक समीक्षा का सबसे ज्वलंत समकालीन उदाहरण है।*

12. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)

अर्थ: PIL का अर्थ है सार्वजनिक हित (Public Interest) की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा। यह उन लोगों को न्याय दिलाने का एक कानूनी तंत्र है जो गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्वयं न्यायालय नहीं पहुंच सकते।

उत्पत्ति: इसकी अवधारणा **अमेरिका** के 'सोशल एक्शन लिटिगेशन' (SAL) से ली गई है। भारत में 1980 के दशक की शुरुआत में **न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर** और **न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती** (इन्हें PIL का जनक कहा जाता है) द्वारा इसे विकसित किया गया।

★ PIL की मुख्य विशेषताएँ (Features):

- **'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) में छूट:** पारंपरिक नियम था "केवल वही व्यक्ति कोर्ट आ सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो"। PIL ने इस नियम को तोड़ दिया। अब कोई भी 'सद्भावनापूर्ण' (Bona fide) नागरिक या संस्था किसी शोषित वर्ग की ओर से याचिका दायर कर सकती है।
- **पत्र-व्यवहार अधिकारिता (Epistolary Jurisdiction):** SC ने एक पोस्टकार्ड या टेलीग्राम को भी रिट याचिका मानकर संज्ञान लिया है (सुनील बत्रा वाद)।
- **गैर-विरोधात्मक (Non-Adversarial):** पारंपरिक मुकदमों (जहाँ दो पक्ष लड़ते हैं) के विपरीत, PIL एक सहयोगात्मक (Collaborative) प्रयास है जहाँ याचिकाकर्ता, राज्य और न्यायालय मिलकर मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास करते हैं।
- **प्रक्रियात्मक कठोरता से मुक्ति:** कोर्ट PIL में साक्ष्य अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के कठोर नियमों में ढील दे सकता है। न्यायालय अपने स्वयं के तथ्य-खोज आयोग (Fact-finding commissions) नियुक्त कर सकता है।

🚨 Prelims Trap: "PIL को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।" - ❌ गलत! PIL एक 'न्यायिक नवाचार' (Judicial Innovation) है, न कि संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान। यह अनुच्छेद 32 (SC), 226 (HC) और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत दायर की जा सकती है।

13. जनहित याचिका का विषय क्षेत्र (Scope of PIL)

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 (और बाद में 2003 में संशोधित) में कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए हैं कि किन मामलों को PIL के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

✅ क्या PIL माना जाएगा?

- बंधुआ मजदूरी (Bonded Labour) मामले।
- उपेक्षित बच्चों से जुड़े मामले।
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न मिलना।
- जेलों में उत्पीड़न, त्वरित परीक्षण (Speedy Trial) की मांग।
- पुलिस द्वारा अत्याचार, हिरासत में मौत।
- महिलाओं पर अत्याचार (बलात्कार, दहेज)।
- पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन।
- दंगों के पीड़ितों से संबंधित याचिकाएं।

❌ क्या PIL नहीं माना जाएगा?

- मकान मालिक-किराएदार विवाद।
- सेवा संबंधी मामले (पेंशन/ग्रेच्युटी को छोड़कर)।
- चिकित्सा या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश (Admission) संबंधी मामले।
- केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायतें।
- बिना सार्वजनिक महत्व के स्थानीय निकाय के खिलाफ मामले।

14. जनहित याचिका दाखिल करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश (Guidelines)

PIL के दुरुपयोग (तुच्छ मुकदमों, प्रचार या राजनीतिक दुश्मनी के लिए 'Private Interest Litigation' बन जाने) को रोकने के लिए, SC ने **स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चुफाल (2010)** वाद में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए:

1. **सच्चा जनहित:** न्यायालय को यह सत्यापित करना होगा कि याचिका के पीछे वास्तव में 'सार्वजनिक हित' है, कोई व्यक्तिगत (Private) या राजनीतिक (Political) उद्देश्य नहीं।
2. **याचिकाकर्ता की साख:** न्यायालय याचिका दायर करने वाले व्यक्ति/संस्था की साख (Credentials) की जांच करेगा।
3. **प्राथमिकता:** बड़े सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों, जैसे गरीबी, पर्यावरण, को अन्य मुकदमों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. **जुर्माना (Exemplary Costs):** यदि न्यायालय को लगता है कि PIL तुच्छ (Frivolous) है या न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए दुर्भावना से दायर की गई है, तो याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

> 💡 ***Brainstorming: PIL बनाम लोकतंत्र का संतुलन***
> *क्या न्यायालयों द्वारा प्रशासन चलाना सही है? न्यायपालिका का कार्य 'निर्णय' देना है, न कि 'प्रशासन' (Governance) चलाना। अधिक PILs से न्यायालयों में* ***लंबित मामलों (Pendency of cases - लगभग 5 करोड़)*** *की संख्या बढ़ती है। इसलिए PIL का उपयोग "दवा (Medicine)" के रूप में होना चाहिए, न कि दैनिक "आहार (Diet)" के रूप में।*

15. समसामयिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण वाद (Dynamic Integration)

UPSC हमेशा थ्योरी को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछता है। हाल के वर्षों में न्यायिक समीक्षा और PIL के शानदार उदाहरण:

हालिया मुद्दे	*न्यायिक समीक्षा / PIL का दृष्टिकोण*
Electoral Bonds Case (2024)	(ADR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)। SC ने **अनुच्छेद 19(1)(a) - सूचना के अधिकार** के उल्लंघन के आधार पर इलेक्टोरल बांड योजना को 'असंवैधानिक' करार दिया। यह पूर्ण रूप से न्यायिक समीक्षा का आधुनिक उदाहरण है।
अनुच्छेद 370 का निरसन (2023)	SC ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध ठहराया। यहाँ न्यायालय ने **'न्यायिक संयम' (Judicial Restraint)** का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा व कार्यपालिका के नीतिगत डोमेन में हस्तक्षेप से इनकार किया।
पर्यावरण और MC Mehta Cases	दिल्ली में वायु प्रदूषण, पराली जलाना, और दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध। ये सभी जनहित याचिकाओं (PIL) की उपज हैं जहाँ कोर्ट 'निरंतर परमादेश' (Continuous Mandamus) का प्रयोग कर रहा है।
समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage)	(सुप्रियो वाद 2023)। SC ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह **संसद (विधायिका) के कार्यक्षेत्र** में आता है। यह शक्ति पृथक्करण और न्यायिक संयम का बेहतरीन उदाहरण है।

> 🧠 *Concept Clarity: जब कोर्ट 'योजनाओं को रद्द' करे = न्यायिक समीक्षा। जब कोर्ट 'नीति बनाने का निर्देश' दे = न्यायिक सक्रियता। जब कोई 'एनजीओ गरीब के लिए केस करे' = जनहित याचिका। जब कोर्ट कहे 'संसद कानून बनाएगी हम नहीं' = न्यायिक संयम।*

16. प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक: प्रमुख संविधान संशोधन (Judiciary Focus)

न्यायपालिका और संसद के बीच वर्चस्व की लड़ाई इन संशोधनों में दिखती है। इन्हें क्रमानुसार याद रखें:

- **1ला संशोधन (1951):** नौवीं अनुसूची (9th Schedule) जोड़ी गई। (न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बचाने के लिए)।
- **24वां संशोधन (1971):** गोलकनाथ केस के प्रभाव को पलटने के लिए। घोषित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- **25वां संशोधन (1971):** अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। यदि DPSP (39b & 39c) को लागू करने के लिए कानून बनता है, तो अनुच्छेद 14, 19 के उल्लंघन पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। (केशवानंद में कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से वैध माना, लेकिन न्यायिक समीक्षा का हिस्सा रद्द कर दिया)।
- **39वां संशोधन (1975):** प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। (राजनारायण केस में SC ने इसे असंवैधानिक घोषित किया)।
- **42वां संशोधन (1976) - मिनी संविधान:** उच्च न्यायालयों (HC) और सर्वोच्च न्यायालय (SC) की **न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता की शक्तियों में भारी कटौती की गई।**
- **43वां (1977) और 44वां संशोधन (1978):** 42वें संशोधन को पलटते हुए SC और HC की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को **पुनः बहाल (Restored)** किया गया।
- **99वां संशोधन (2014):** NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) की स्थापना। 2015 में SC ने इसे 'मूल ढांचे' का उल्लंघन मानकर शून्य (Void) घोषित कर दिया।

17. Final Revision: Prelims Traps & Brainstorming

🎯 MCQ Traps (Identify & Avoid)

- "Judicial Review is defined in Art 13" - False (Art 13 gives power, doesn't define the term).
- "PIL can be filed only in SC" - False (Can be filed in SC and HC both).
- "PIL cannot be filed against a private individual" - True (Generally, PIL is against State/Govt authority, unless private party acts in nexus with state).
- "Ninth schedule laws enjoy absolute immunity" - False (Post April 24, 1973 laws are subject to review).

🧠 Mains/Assertion-Reason Link

कथन (A): न्यायिक सक्रियता भारत में लोकतंत्र को मजबूत करती है।
कारण (R): यह कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है।
उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। (इस तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें)।

💡 *Ultimate UPSC Tip: Polity में कभी भी "सभी (All)", "केवल (Only)", "हमेशा (Always)" या "पूर्णतः (Absolutely)" जैसे चरम (Extreme) शब्दों वाले विकल्प आमतौर पर गलत होते हैं। न्यायिक समीक्षा पूर्ण नहीं है, और विधायिका भी पूर्ण संप्रभु नहीं है। भारत 'संवैधानिक संतुलन' (Constitutional Balance) पर चलता है।*

UNIT 4.1: राज्यपाल (THE GOVERNOR) - पृष्ठभूमि, नियुक्ति एवं योग्यताएँ

1. संवैधानिक संदर्भ एवं पृष्ठभूमि (Context)

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) शामिल होते हैं। **(नोट: राज्य कार्यपालिका में उप-राज्यपाल जैसा कोई पद संविधान में मूल रूप से राज्यों के लिए वर्णित नहीं है)।**

राज्यपाल की दोहरी भूमिका (Dual Role) होती है: 1. राज्य का संवैधानिक प्रमुख (Nominal Head) 2. केंद्र सरकार का प्रतिनिधि (Agent of the Centre - जो भारत की संघीय संरचना को 'यूनिटरी' झुकाव देता है)।

> **ऐतिहासिक विकास:** भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित। संविधान सभा में प्रांतीय स्वायत्तता बनाम राष्ट्रीय एकता पर बहस हुई। अंततः डॉ. बी.आर. अंबेडकर के तर्क अनुसार 'नियुक्त राज्यपाल' (कनाडाई मॉडल) को 'निर्वाचित राज्यपाल' (अमेरिकी मॉडल) पर वरीयता दी गई ताकि सीएम और राज्यपाल के बीच सत्ता का टकराव न हो।

2. राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment) - Art 155

राज्यपाल का न तो सीधे चुनाव होता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। उसे **राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant under his hand and seal)** द्वारा नियुक्त किया जाता है।

> 🚨 **PRELIMS TRAP (फंसने वाले शब्द):**
> - **"Warrant under his hand & seal"** का प्रयोग केवल 3 पदों के लिए होता है: राष्ट्रपति, राज्यपाल, और SC/HC के न्यायाधीश, CAG।
> - UPSC फंसाता है: "राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार (Employment) है।" **गलत!** सुप्रीम कोर्ट (हरगोविंद पंत केस 1979) के अनुसार यह एक **स्वतंत्र संवैधानिक पद** है, केंद्र के अधीनस्थ (Subordinate) नहीं।

नियुक्ति मॉडल की तुलना

मॉडल	स्थिति	कारण
अमेरिकी मॉडल (निर्वाचित)	❌ अस्वीकृत	संघर्ष (CM vs Gov), चुनाव खर्च, दलगत राजनीति
कनाडाई मॉडल (नियुक्त)	✅ स्वीकृत	केंद्र का नियंत्रण, संसदीय व्यवस्था के अनुकूल, निष्पक्षता

3. योग्यताएं, शर्तें एवं शपथ (Qualifications, Conditions & Oath)

योग्यताएं (Art 157)

संविधान में केवल **दो** योग्यताएं हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो (जन्म से होना आवश्यक नहीं)।
2. उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

> 💡 **MEMORY TRICK & CONVENTIONS**
> संविधान में बाहरी व्यक्ति (Outsider) या CM से परामर्श का **कोई जिक्र नहीं है।** ये केवल 'परंपराएं' (Conventions) हैं जो अक्सर तोड़ी जाती हैं।

पद की शर्तें (Art 158)

- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए (यदि है, तो पद ग्रहण की तिथि से सीट रिक्त)।
- कोई **लाभ का पद (Office of Profit)** धारण नहीं करेगा।
- बिना किराए के राजभवन का हकदार।
- कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों (Emoluments) और भत्तों को **कम (Diminished) नहीं** किया जा सकता।

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath) - Art 159

शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** (अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश) द्वारा दिलाई जाती है।
शपथ के शब्द (अति महत्वपूर्ण): संविधान और विधि का **"परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" (Preserve, Protect and Defend)**। (नोट: राष्ट्रपति की शपथ भी बिल्कुल यही है, जबकि मंत्री 'सच्ची श्रद्धा और निष्ठा' की शपथ लेते हैं)।

> 🧠 **Brainstorming: 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956**
> **क्या एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है?** हाँ। 7वें CAA 1956 ने प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के बीच **तय अनुपात (Proportion determined by President)** में बांटा जाता है। (समान वेतन नहीं मिलता, अनुपात तय होता है)।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को एक स्वतंत्र, गरिमामय, और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, न कि किसी राजनीतिक दल के विस्तार के रूप में। हालांकि, व्यवहार में नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा विवादों के केंद्र में रही है।

UNIT 4.1: राज्यपाल - पदावधि, विशेषाधिकार एवं कार्यपालिका शक्तियाँ

4. राज्यपाल की पदावधि (Term of Office) - Art 156

सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President)** पद धारण करता है। राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा (Resignation) दे सकता है।

> 🚨 **PRELIMS TRAP (हटाने की प्रक्रिया):**
> संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए **"कोई आधार (No Grounds) या प्रक्रिया (महाभियोग)"** का उल्लेख नहीं है। UPSC विकल्प देता है "संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है" - यह **गलत** है (यह केवल राष्ट्रपति के लिए है)।

> **प्रमुख सुप्रीम कोर्ट वाद (Supreme Court Judgment):**
> **B.P. Singhal vs Union of India (2010):** 2004 में सरकार बदलने पर 4 राज्यपालों को हटाया गया। SC ने निर्णय दिया: 1. 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' का मतलब 'मनमानापन (Arbitrary)' नहीं है। 2. केवल केंद्र में सत्ता बदलने के कारण राज्यपाल को हटाना असंवैधानिक है। 3. हालांकि, राज्यपाल को हटाने के कारण बताना या उसे सुनवाई का मौका देना केंद्र के लिए **बाध्यकारी नहीं** है, लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन लाया जा सकता है यदि दुर्भावना (Mala fide) सिद्ध हो।

5. विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां (Privileges & Immunities) - Art 361

अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए वह किसी भी न्यायालय के प्रति **जवाबदेह नहीं** है।

आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings)	सिविल कार्यवाही (Civil Proceedings)
कार्यकाल के दौरान पूर्ण उन्मुक्ति (Absolute Immunity)। कोई भी कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता। (चाहे व्यक्तिगत कार्य हो या पदीय)।	व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, **लेकिन** 2 महीने का पूर्व नोटिस (Advance Notice) देना अनिवार्य है।

6. राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य (Powers and Functions)

राज्यपाल की शक्तियों को राष्ट्रपति के समान ही चार भागों में बांटा जा सकता है: 1. कार्यपालिका 2. विधायी 3. वित्तीय 4. न्यायिक। **(ध्यान दें: राज्यपाल के पास कोई राजनयिक (Diplomatic), सैन्य (Military) या आपातकालीन (Emergency) शक्ति नहीं होती है - सीधा UPSC प्रश्न)।**

A. कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers) - Art 166

राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से **उसी के नाम पर (in his name)** किए जाते हैं।

- वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है (वे उसके **प्रसादपर्यंत** पद धारण करते हैं - Art 164)।
- **नियुक्तियां:** राज्य महाधिवक्ता (Advocate General - Art 165), राज्य चुनाव आयुक्त (SEC), राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष व सदस्य।
- वह राज्य के विश्वविद्यालयों का **कुलाधिपति (Chancellor)** होता है और कुलपतियों (VCs) की नियुक्ति करता है।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक 'जनजाति कल्याण मंत्री' की नियुक्ति करना उसका संवैधानिक दायित्व है। (Trick: CJ MO - 94th CAA 2006 द्वारा बिहार को इस सूची से बाहर कर दिया गया)।
- मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी मांग सकता है (Art 167 - यह CM का कर्तव्य है)।
- राज्य में **राष्ट्रपति शासन (Art 356)** की सिफारिश करता है। इस दौरान वह केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।

> 🚨 **PRELIMS TRAP (नियुक्ति vs निष्कासन):**
> UPSC का फेवरेट ट्रैप: राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) और SPSC के सदस्यों की **नियुक्ति** तो करता है, लेकिन उन्हें **हटा (Remove) नहीं सकता**। उन्हें केवल **राष्ट्रपति** द्वारा (क्रमशः HC जज के समान और SC की जांच के बाद) हटाया जा सकता है।

कार्यपालिका शक्तियों का सार

- नियुक्तियां (CM, AG, SPSC)
- जानकारी मांगना (Art 167)
- आपातकाल सिफारिश (Art 356)
- कुलपतियों की नियुक्ति (VCs)

राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह (Art 163) पर आधारित होती हैं। हालांकि, स्वविवेक के मामलों में वह स्वतंत्र है। वर्तमान में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच सबसे बड़ा विवाद (उदा. केरल, पश्चिम बंगाल) कुलपतियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण को लेकर ही है, जहाँ राज्य सरकारें विधेयक लाकर राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने का प्रयास कर रही हैं।

6.B. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

राज्यपाल राज्य विधानमंडल का **अभिन्न अंग (Integral Part)** है (अनुच्छेद 168), ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग है।

- वह राज्य विधानमंडल के सत्र को **आहूत (Summon)**, **सत्रावसान (Prorogue)** और विधानसभा को **भंग (Dissolve)** कर सकता है। (नोट: स्थगन (Adjournment) पीठासीन अधिकारी करता है, राज्यपाल नहीं)।
- विधानमंडल के पहले सत्र (चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र) को संबोधित करता है।
- यदि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों, तो वह किसी भी सदस्य को कार्यभार सौंप सकता है।
- मनोनयन (Nomination): वह राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के कुल सदस्यों के **1/6 सदस्यों** को नामित करता है।

> 💡 **TRICK - 5 क्षेत्र (President के 4 से तुलना):**
> राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्रों (साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा) से नामित करता है। राज्यपाल **5 क्षेत्रों** से: Literature, Science, Art, Cooperative Movement (सहकारी आंदोलन - अतिरिक्त), Social Service. (Trick: CLASS - Co-op, Lit, Art, Sci, Soc. Service). एंग्लो-इंडियन का मनोनयन 104वें CAA द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

- चुनाव आयोग के परामर्श से विधायकों की अयोग्यता (दलबदल को छोड़कर) पर निर्णय लेता है (Art 192)।

विधेयकों पर स्वीकृति (Assent to Bills) - Art 200 🚨 (अति महत्वपूर्ण)

जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास आता है, तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं:

अनुच्छेद 200 के तहत विकल्प

1. स्वीकृति (Assent) ➔ Act	2. वीटो (Withhold) ➔ Dead	3. पुनर्विचार (Return)	4. राष्ट्रपति हेतु आरक्षित (Reserve)

पुनर्विचार (Return for Reconsideration): यदि यह धन विधेयक (Money Bill) नहीं है, तो वह इसे लौटा सकता है। यदि विधानमंडल इसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन फिर से पारित कर दे, तो राज्यपाल को स्वीकृति **देनी ही होगी (Must give assent)** (Suspensive Veto)।

> 🚨 **PRELIMS TRAP (विधेयकों का आरक्षण - Reservation of Bills):**
> राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना कब **अनिवार्य (Mandatory)** है और कब **स्वैच्छिक (Discretionary)**?
> 👉 **अनिवार्य:** यदि विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की स्थिति को खतरे में डालता है।
> 👉 **स्वैच्छिक:** यदि यह अल्ट्रा वायर्स (Ultra Vires/संविधान के खिलाफ) हो, DPSP का विरोध करता हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति अधिग्रहण से जुड़ा हो।

> **Current Issue - Bills Delay & SC Judgment (नवंबर 2023):**
> हाल ही में तमिलनाडु, केरल और पंजाब सरकारों ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर महीनों तक 'बैठने' (Sitting on bills) के खिलाफ SC का रुख किया।
> **सुप्रीम कोर्ट (पंजाब राज्य बनाम प्रधान सचिव 2023):** SC ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत 'जल्द से जल्द' (As soon as possible) शब्द का अर्थ है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक **रोक (Pocket Veto) नहीं सकते**। यदि वे विधेयक पर स्वीकृति रोकते हैं (Withhold), तो उन्हें इसे अनिवार्य रूप से विधानमंडल को वापस (Return) करना होगा। (अतः राज्य के मामले में राज्यपाल के पास निरपेक्ष पॉकेट वीटो नहीं है)।

राष्ट्रपति की भूमिका (Art 201)

जब विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है, तो राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि राज्य विधानमंडल इसे 6 महीने में फिर से पारित कर राष्ट्रपति को भेजे, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए **बाध्य नहीं (NOT bound)** है। (यह केंद्र के मजबूत होने का प्रमाण है)।

उपरोक्त शक्तियों का परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां केवल रबर स्टैंप की तरह नहीं हैं। अनुच्छेद 200 का प्रयोग, विशेषकर राष्ट्रपति के लिए आरक्षण, राज्य की विधायी स्वायत्तता पर केंद्र के सीधे नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन है, जिसका अक्सर राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होने का आरोप लगता है।

UNIT 4.1: अध्यादेश (Ordinance) एवं क्षमादान शक्तियां (Pardoning Power)

6.C. अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance Making Power) - Art 213

यह राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। वह अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन (या एक सदन, यदि द्विसदनीय है) **सत्र में न हों** और उसे लगे कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है।

- **सीमा:** अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है (State List & Concurrent List)।
- **प्रभाव:** इसका प्रभाव और बल राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान ही होता है।
- **अवधि:** विधानमंडल के पुनः समवेत (Reassembly) होने के **6 सप्ताह (6 weeks)** के भीतर इसे स्वीकृत होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। अतः अधिकतम जीवनकाल = 6 महीने + 6 सप्ताह।
- इसे राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। यह शक्ति उसके विवेकाधिकार (Discretion) में **नहीं** है; वह CM और मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही कार्य करता है।

🚨 **PRELIMS TRAP (राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता):**
राज्यपाल 3 मामलों में **बिना राष्ट्रपति के निर्देश (Instructions from President)** के अध्यादेश जारी नहीं कर सकता:
1. यदि विधानमंडल में ऐसा विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति (Prior sanction) आवश्यक हो।
2. यदि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना आवश्यक समझता।
3. यदि राज्य विधानमंडल का ऐसा अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य हो जाता।

6.D. क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) - Art 161

राज्यपाल राज्य के कानून के खिलाफ किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा (Pardon), प्रविलंबन (Reprieve), विराम (Respite), परिहार (Remission) कर सकता है या दंडादेश का निलंबन/लघुकरण (Commutation) कर सकता है।

राष्ट्रपति (Art 72) vs राज्यपाल (Art 161) की तुलना

विशेषता	राष्ट्रपति (President)	राज्यपाल (Governor)
मृत्युदंड (Death Sentence)	**पूर्णतः क्षमा (Pardon) कर सकता है।**	**मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता (केवल निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है)।**
कोर्ट मार्शल (Military Court)	**सैन्य अदालतों की सजा को क्षमा कर सकता है।**	**सैन्य अदालतों की सजा पर कोई अधिकार नहीं।**
अधिकार क्षेत्र	केंद्रीय कानून (Union Law)	राज्य कानून (State Law)

Current Affairs Highlight: ए.जी. पेरारिवलन केस (A.G. Perarivalan Case - 2022)
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी की और उसे राष्ट्रपति को भेज दिया। **SC का ऐतिहासिक निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य मंत्रिमंडल की 'सहायता और सलाह' अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल पर **बाध्यकारी (Binding)** है। राज्यपाल का अनुच्छेद 161 के तहत निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजना असंवैधानिक है (क्योंकि यह राज्य की शक्ति है)। SC ने स्वयं अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर कैदी को रिहा कर दिया।

🧠 **वित्तीय शक्तियां (Financial Powers) - एक नज़र:**
- राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget - Art 202) विधानमंडल में रखवाता है।
- धन विधेयक (Money Bill) **केवल** उसकी पूर्व सहमति (Prior recommendation) से पेश किया जा सकता है।
- किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए राज्य की **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)** से अग्रिम ले सकता है।
- पंचायतों/नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में **राज्य वित्त आयोग** (State Finance Commission) का गठन करता है।

क्षमादान और अध्यादेश की शक्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका न्याय के कठोर परिणामों को मानवीय आधार पर कम कर सके और आपातकालीन विधायी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हालांकि, इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह के अधीन होना लोकतांत्रिक ढांचे की मूल आवश्यकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार रेखांकित किया है।

UNIT 4.1: राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं विवेकाधिकार (Discretionary Powers)

7. संवैधानिक स्थिति और विवेकाधिकार (Constitutional Position)

भारत के संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति में सबसे बड़ा मूलभूत अंतर उनका **विवेकाधिकार (Discretionary Power)** है। **अनुच्छेद 163** कहता है कि "जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें छोड़कर, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।"

🚨 **PRELIMS TRAP (राष्ट्रपति vs राज्यपाल का स्वविवेक):**
संविधान ने **राज्यपाल को स्पष्ट रूप से (Explicitly) संवैधानिक विवेकाधिकार दिया है**, जबकि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है (केवल परिस्थितिजन्य/Situational है)। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के स्वविवेक का है या नहीं, तो **राज्यपाल का निर्णय अंतिम (Final)** होगा और इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

A. संवैधानिक विवेकाधिकार (Constitutional Discretion - संविधान में उल्लिखित)

1. अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना।
2. अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' की सिफारिश करना।
3. पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश (UT) के प्रशासक (Administrator) के रूप में कार्य करते समय (स्वतंत्र रूप से काम करता है)।
4. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम (Trick: AMTM) के राज्यपाल द्वारा जिला परिषदों को खनिज रॉयल्टी का निर्धारण (6th Schedule)।
5. मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी मांगना (Art 167)।

B. परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार (Situational Discretion)

- चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने (Hung Assembly) पर या CM की अचानक मृत्यु पर (कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर) मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
- यदि मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में विश्वास (Confidence) खो दिया है, तो उसे बर्खास्त (Dismiss) करना।
- यदि मंत्रिपरिषद बहुमत खो चुकी है, तो विधानसभा को भंग (Dissolve) करना।

C. विशेष उत्तरदायित्व (Special Responsibilities) - Art 371 Series

राष्ट्रपति के निर्देश पर, राज्यपाल के पास कुछ राज्यों में विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। इन मामलों में वह मंत्रिपरिषद से परामर्श करता है लेकिन **स्वविवेक (Individual Judgment)** से कार्य करता है:

अनुच्छेद / राज्य	विशेष उत्तरदायित्व का क्षेत्र
Art 371 (महाराष्ट्र/गुजरात)	विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना।
Art 371A (नागालैंड)	नागा हिल्स-तुएनसांग क्षेत्र में आंतरिक अशांति के संबंध में कानून व्यवस्था (Law & Order)।
Art 371C (मणिपुर)	पहाड़ी क्षेत्रों (Hill areas) की समिति का उचित कार्य संचालन।
Art 371F (सिक्किम)	शांति सुनिश्चित करना और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति।
Art 371H (अरुणाचल प्रदेश)	कानून और व्यवस्था (Law and Order) के संबंध में विशेष जिम्मेदारी।
Art 371J (कर्नाटक)	कल्याण-कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक) क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड।

Nabam Rebia Case (2016) - विवेकाधिकार पर रोक:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का विवेकाधिकार **निरपेक्ष (Absolute) नहीं** है। वह अपनी मर्जी से विधानसभा का सत्र आहूत (Summon) नहीं कर सकता और न ही संदेश भेज सकता है। उसे अनुच्छेद 174 के तहत CM की 'सहायता और सलाह' पर ही कार्य करना चाहिए, जब तक कि सरकार का बहुमत न खो गया हो।

राज्यपाल का विवेकाधिकार सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है। जहाँ एक ओर यह केंद्र को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर नज़र रखने का टूल देता है, वहीं दूसरी ओर इसका उपयोग निर्वाचित राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी किया गया है।

UNIT 4.1: राज्यपाल के कामकाज के मुद्दे एवं महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट वाद

8. राज्यपाल संस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दे (Issues in Functioning)

स्वतंत्रता के बाद से ही राज्यपाल का पद संघवाद (Federalism) में 'फ्रिक्शन पॉइंट' रहा है। प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **केंद्र का एजेंट (Partisan Role):** अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को साधने का आरोप। "कठपुतली" (Puppet) या "रबर स्टैंप" की संज्ञा।
- **अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग:** मनमाने ढंग से राष्ट्रपति शासन लगाना। (हालाँकि S.R. Bommai केस के बाद इसमें कमी आई है)।
- **विधेयकों पर 'पॉकेट वीटो' (Delaying Bills):** अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोक कर रखना, जिससे राज्य का विधायी कामकाज ठप हो जाता है (उदा. तमिलनाडु का NEET बिल)।
- **नियुक्ति में अपारदर्शिता:** सक्रिय राजनेताओं (Active Politicians) की नियुक्ति, जो निष्पक्षता के खिलाफ है। इसे "चाचा-भतीजा सिंड्रोम" भी कहा गया।
- **चांसलर के रूप में विवाद:** कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार (CM) को दरकिनार करना, जिससे उच्च शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न होता है।
- **फ्लोर टेस्ट का मुद्दा:** अपनी मर्जी से फ्लोर टेस्ट बुलाना या सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्यौता देने में दोहरे मापदंड अपनाना।

9. ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट वाद (Landmark SC Judgments for Prelims)

UPSC अक्सर सीधे केस का नाम और उसका प्रभाव पूछता है। इन्हें रट लें:

1. **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (Shamsher Singh Case - 1974):**
   निर्णय: SC ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल 'संवैधानिक प्रमुख' (Nominal Heads) हैं। उन्हें कुछ अपवादों को छोड़कर **हमेशा** मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid & Advice) पर कार्य करना चाहिए।
2. **एस. आर. बोम्मई केस (S.R. Bommai vs Union of India - 1994) 🚨:**
   निर्णय: 1. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है। 2. किसी सरकार को बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय राजभवन में नहीं, बल्कि **विधानसभा के पटल (Floor Test)** पर होना चाहिए। (यह राज्यपाल की मनमानी पर सबसे बड़ा अंकुश था)।
3. **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (Rameshwar Prasad Case - 2006):**
   निर्णय: बिहार विधानसभा को चुनाव के तुरंत बाद भंग करने को असंवैधानिक घोषित किया। SC ने कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट **पूर्वाग्रह (Mala fide)** से ग्रसित नहीं होनी चाहिए।
4. **नबाम रेबिया केस (Nabam Rebia - 2016) - अरुणाचल प्रदेश:**
   निर्णय: राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह संदेश भेजकर या समय तय करके स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
5. **शिवसेना केस (Subhash Desai vs Principal Secy - 2023):**
   निर्णय: राज्यपाल किसी पार्टी के आंतरिक विवादों को सुलझाने के लिए 'फ्लोर टेस्ट' (Floor Test) का आह्वान नहीं कर सकता। फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष को तय करने के लिए नहीं होना चाहिए।

🧠 मेंस और प्रीलिम्स लिंकेज (Linkage):
क्या राज्यपाल के पास विवेकाधिकार होना चाहिए? हाँ, क्योंकि वह राज्य और केंद्र के बीच एक **'लिंचपिन' (Linchpin - जोड़ने वाली कड़ी)** है। यदि राज्य सरकार अलगाववादी या असंवैधानिक दिशा में जाती है, तो राज्यपाल ही वह संवैधानिक 'ब्रेक' (Brake) है जो राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करता है। समस्या पद में नहीं, राजनीतिक नियुक्तियों में है।

UNIT 4.1: राज्यपाल - आयोगों की सिफारिशें एवं अंतिम सिनॉप्सिस (Revision)

10. प्रमुख आयोगों की सिफारिशें (Committees/Commissions Recommendations)

UPSC प्रीलिम्स में आयोगों की सिफारिशों को कथन (Statements) के रूप में पूछा जाता है।

आयोग (Commission)	प्रमुख सिफारिशें (Key Recommendations)
सरकारिया आयोग (Sarkaria - 1983)	- राज्यपाल जीवन के किसी क्षेत्र का **प्रतिष्ठित व्यक्ति (Eminent)** होना चाहिए। - वह राज्य के बाहर का व्यक्ति (Outsider) होना चाहिए। - नियुक्ति से पहले **मुख्यमंत्री से परामर्श** किया जाना चाहिए। - हालिया राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को नियुक्त न किया जाए।
पुंछी आयोग (Punchhi - 2007)	- राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा **महाभियोग (Impeachment)** का प्रावधान हो। (यह 'प्रसादपर्यंत' सिद्धांत को खत्म करने की बात करता है)। - अनुच्छेद 355/356 में संशोधन कर 'स्थानीय आपातकाल (Localized Emergency)' की अवधारणा लाई जाए। - राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर का पद नहीं दिया जाना चाहिए।
वेंकटचलैया आयोग (NCRWC - 2000)	- राज्यपाल की नियुक्ति PM, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के CM की एक **समिति (Committee)** द्वारा की जानी चाहिए।
प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) & राजमन्नार	राजमन्नार समिति ने तो अनुच्छेद 356 और 357 को पूरी तरह से **हटाने (Omit)** की सिफारिश की थी।

11. 360° Revision Mind Map (UPSC Prelims Checklist)

❌ क्या राज्यपाल नहीं कर सकता?
- सैन्य अदालत की सजा माफ नहीं कर सकता।
- मौत की सजा पूर्णतः माफ नहीं कर सकता।
- SPSC सदस्यों / चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता।
- बिना CM की सलाह के अध्यादेश (सामान्यतः) नहीं ला सकता।

✅ क्या राज्यपाल विशेष रूप से कर सकता है?
- 1/6 विधान परिषद सदस्य मनोनीत (5 क्षेत्र)।
- संविधान में स्पष्ट विवेकाधिकार (Art 163)।
- राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना (Art 200)।
- विशेष राज्य जिम्मेदारियां (Art 371)।

📝 PRELIMS KEYWORDS CHEAT SHEET:

- **Art 153:** Each state has a Governor.
- **Art 155:** Appointment by President.
- **Art 156:** Term & Pleasure doctrine.
- **Art 161:** Pardoning Power.
- **Art 163:** Aid, Advice & Discretion.
- **Art 200:** Assent / Veto on bills.
- **Art 213:** Ordinance power.
- **Art 361:** Immunities to Governor.

"संघीय ढांचे में राज्यपाल एक प्रहरी (Sentinel) है, पार्टी का सिपाही नहीं।"

Unit 4.2: मुख्यमंत्री (Chief Minister) - समग्र विश्लेषण

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (Context): संसदीय व्यवस्था में, राज्यपाल राज्य का 'नाममात्र' (De Jure) कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री 'वास्तविक' (De Facto) कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरे शब्दों में, राज्यपाल राज्य का मुखिया है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है। राज्य के प्रशासन की धुरी मुख्यमंत्री के ही इर्द-गिर्द घूमती है।

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति (Appointment)

संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए **कोई विशेष प्रक्रिया नहीं** है। **अनुच्छेद 164** केवल यह कहता है कि "मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा"।

- **सामान्य नियम:** राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
- **Prelims Trap:** क्या मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है? **नहीं!** कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है (संविधान के अनुसार)। 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा पद रिक्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 163
राज्यपाल को सलाह हेतु मंत्रिपरिषद ➡ **अनुच्छेद 164**
CM की नियुक्ति (राज्यपाल द्वारा) ➡ **वास्तविक कार्यपालिका**
CM + मंत्रिपरिषद

Brainstorming: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां (Discretion in Appointment)

जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले (त्रिशंकु विधानसभा / Hung Assembly), या जब पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तब राज्यपाल अपने 'व्यक्तिगत विवेक' का प्रयोग करता है।

- **प्रथा (Convention):** आमतौर पर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और 1 महीने के भीतर विश्वास मत (Floor Test) हासिल करने को कहा जाता है।
- **S.R. Bommai Case (1994):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, बल्कि 'विधानसभा के पटल' (Floor of the House) पर होना चाहिए। यह प्रारंभिक परीक्षा का सबसे पसंदीदा स्टेटमेंट है।

क्या बहुमत सिद्ध करने से पहले नियुक्ति हो सकती है? हाँ। **सुप्रीम कोर्ट (1980 निर्णय)** के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले नियुक्त कर सकता है और फिर एक उचित समय सीमा के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है (उदाहरण: 2019 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस)।

सदन की सदस्यता: संविधान के अनुसार, CM को राज्य विधानमंडल के दो सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। आमतौर पर वह निचले सदन (विधानसभा) से होता है, लेकिन कई बार उच्च सदन (विधान परिषद) के सदस्य भी CM बने हैं (उदा: बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे)। **UPSC ट्रैप: "संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री केवल विधानसभा से होना चाहिए" - यह कथन पूर्णतः गलत है।**

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल की भूमिका मात्र एक रबर स्टाम्प की नहीं होती, विशेषकर गठबंधन की राजनीति के दौर में। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में "आया राम, गया राम" की प्रवृत्ति ने राज्यपाल की भूमिका को और अधिक विवादास्पद और महत्वपूर्ण बना दिया है।

2. शपथ, कार्यकाल एवं वेतन (Oath, Term & Salary)

शपथ (Oath) - अनुसूची 3

पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता (Office & Secrecy) की शपथ दिलाता है।

- भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की।
- भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की (यह 16वें संशोधन, 1963 द्वारा जोड़ा गया)।
- बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के कार्य करने की।
- **गोपनीयता की शपथ:** यह सुनिश्चित करती है कि वह किसी भी सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक कि मंत्री के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

> 💡 **Prelims Trick: शपथ vs त्यागपत्र**
>
> याद रखें: मुख्यमंत्री को शपथ **राज्यपाल** दिलाता है और वह अपना त्यागपत्र भी **राज्यपाल** को ही सौंपता है। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) स्वतः भंग हो जाती है। "मुख्यमंत्री का इस्तीफा = सरकार का पतन"।

कार्यकाल (Term of Office)

संविधान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल **निश्चित नहीं** है। वह 'राज्यपाल के प्रसादपर्यंत' (During the pleasure of the Governor) पद धारण करता है। **अनुच्छेद 164(1)**

UPSC Trap Warning: "राज्यपाल के प्रसादपर्यंत" का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा।

स्थिति (Situation)	राज्यपाल की कार्रवाई (Governor's Action)
CM के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है	बर्खास्त **नहीं** कर सकता।
CM विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है	त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा बर्खास्तगी निश्चित है।
CM की मृत्यु हो जाए (अचानक)	यदि सत्ताधारी दल नया नेता चुन ले, तो उसे नियुक्त करेगा। यदि नहीं, तो विवेकाधिकार।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)

मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते **राज्य विधानमंडल** द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संविधान में इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। इसलिए, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन अलग-अलग होता है। उसे राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के रूप में देय वेतन और भत्ते मिलते हैं, इसके अलावा व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्राप्त होती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु: मुख्यमंत्री का वेतन राज्य की 'संचित निधि' (Consolidated Fund of State) पर **भारित (Charged) नहीं** होता है। इसका अर्थ है कि राज्य विधानमंडल में इस पर मतदान किया जा सकता है (जबकि राज्यपाल या हाईकोर्ट के जजों का वेतन भारित होता है)।

एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो, मुख्यमंत्री का पद राज्य की स्वायत्तता का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद से, कई मजबूत मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के एकाधिकार को चुनौती दी है, जिससे भारत का संघवाद 'सहकारी' से 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) की ओर बढ़ा है।

3. मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers)

मुख्यमंत्री की शक्तियों का अध्ययन विभिन्न आयामों में किया जाता है, जो प्रारंभिक परीक्षा में कथनों (Statements) के रूप में पूछे जाते हैं।

A. मंत्रिपरिषद के संबंध में (In relation to Council of Ministers)

मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख (Keystone of the Cabinet Arch) होता है:

- राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी **सिफारिश मुख्यमंत्री करता है**।
- वह मंत्रियों के बीच विभागों (Portfolios) का आवंटन और फेरबदल करता है।
- मतभेद होने पर वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। (नोट: मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं)।
- वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
- उसका त्यागपत्र या मृत्यु स्वतः ही मंत्रिपरिषद को भंग कर देती है।

CM का इस्तीफा ➡ **संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग** ➡ **नई सरकार का गठन या राष्ट्रपति शासन**

B. राज्यपाल के संबंध में (In relation to the Governor)

मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार की प्रमुख कड़ी (Principal channel of communication) है। **अनुच्छेद 167** के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं:

📜 **अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य (Duties)**

1. राज्य के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को **सूचित करना**।
2. प्रशासन और विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में ऐसी जानकारी देना जो **राज्यपाल मांगे**। (यहाँ राज्यपाल की मांग बाध्यकारी है)।
3. यदि राज्यपाल चाहे, तो किसी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखना जिस पर किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लिया हो, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो।

नियुक्तियों में सलाह: मुख्यमंत्री राज्यपाल को महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है, जैसे:

- महाधिवक्ता (Advocate General) - अनुच्छेद 165
- राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्य
- राज्य चुनाव आयुक्त (State Election Commissioner)

UPSC Focus: यद्यपि SPSC के सदस्यों और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है (CM की सलाह पर), लेकिन उन्हें **हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है**, राज्यपाल को नहीं। यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है!

मुख्यमंत्री की यह भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि नाममात्र का प्रमुख (राज्यपाल) वास्तविक प्रमुख (मुख्यमंत्री) की सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य न करे, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान ने स्पष्ट रूप से राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां (Discretionary Powers - Art 163(2)) प्रदान की हैं।

C. राज्य विधानमंडल के संबंध में (In relation to State Legislature)

मुख्यमंत्री निचले सदन (विधानसभा) का नेता होता है। इस क्षमता में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है:

- वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान (Prorogue) करने की सलाह देता है।
- वह किसी भी समय राज्यपाल को **विधानसभा भंग (Dissolve)** करने की सिफारिश कर सकता है। (यदि उसके पास बहुमत है, तो राज्यपाल यह सलाह मानने के लिए बाध्य है)।
- वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
- विपक्षी दलों के सवालों और अविश्वास प्रस्तावों का बचाव करता है।

D. अन्य महत्वपूर्ण कार्य और भूमिकाएँ (Other Crucial Roles)

UPSC अक्सर उन निकायों (Bodies) से प्रश्न पूछता है जिनका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इन पर विशेष ध्यान दें:

- वह **राज्य योजना बोर्ड (State Planning Board)** का अध्यक्ष होता है।
- वह संबंधित **क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council)** के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। (एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से - रोटेशन बेसिस पर। नोट: अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है)।
- वह **अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council)** और **राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)** का सदस्य होता है, जिनकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।
- वह **नीति आयोग (NITI Aayog)** की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है।
- वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता (Chief Spokesperson) होता है।
- आपातकाल (विशेषकर वित्तीय या राज्य आपातकाल) के दौरान वह संकट प्रबंधक (Crisis Manager-in-chief) होता है।

4. तुलनात्मक विश्लेषण: प्रधान मंत्री बनाम मुख्यमंत्री

प्रारंभिक परीक्षा में कॉन्सेप्ट की स्पष्टता के लिए दोनों पदों की तुलना अत्यंत उपयोगी है:

विशेषता (Feature)	प्रधान मंत्री (Prime Minister)	मुख्यमंत्री (Chief Minister)
संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद 74, 75, 78	अनुच्छेद 163, 164, 167
राष्ट्रपति/राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति	संविधान में राष्ट्रपति की **कोई स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति नहीं** है (केवल परिस्थितिजन्य है)।	संविधान में राज्यपाल को **स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति** (अनुच्छेद 163(2)) प्राप्त है।
सलाह की बाध्यता	42वें और 44वें संशोधन के बाद, PM/मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी** है।	संविधान संशोधनों ने राज्यपाल को स्पष्ट रूप से **बाध्य नहीं** किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (उदा: शमशेर सिंह केस) ने इसे काफी हद तक बाध्यकारी बनाया है, विवेकाधिकार को छोड़कर।
पद की प्रकृति	पूरे देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख।	संघीय ढांचे के भीतर राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि दोनों का स्वरूप समान है, लेकिन संघीय ढांचे (Federal Structure) और राज्यपाल की दोहरी भूमिका (केंद्र के एजेंट और राज्य के प्रमुख) के कारण मुख्यमंत्री की स्थिति कभी-कभी अधिक जटिल हो जाती है। केंद्र-राज्य संबंध सीधे तौर पर PM और CM के राजनीतिक संबंधों पर निर्भर करते हैं।

5. मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संबंध (Relation b/w CM and Governor)

भारतीय राजनीति में सबसे अधिक घर्षण (Friction) का बिंदु राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध रहा है। संविधान निर्माताओं ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध की परिकल्पना की थी, लेकिन व्यवहार में यह विवादों का केंद्र रहा है। इस संबंध को स्पष्ट करने वाले प्रमुख अनुच्छेद:

- **अनुच्छेद 163:** जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने 'विवेक' से कार्य करे, उन्हें छोड़कर, राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।
  ध्यान दें: किसी मामले में राज्यपाल का विवेक लागू होता है या नहीं, इस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है (163(2))।
- **अनुच्छेद 164:** मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
- **अनुच्छेद 167:** यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी जानकारी राज्यपाल को दे।

⚡ विवाद के प्रमुख कारण (Flashpoints of Friction)

1. **त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनाने का आमंत्रण:** राज्यपाल अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनुकूल निर्णय लेते हैं।
2. **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की सिफारिश:** मुख्यमंत्री की सलाह के बिना, या दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकार को गिराने की रिपोर्ट भेजना।
3. **विधेयकों को आरक्षित करना (Art 200/201):** विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोकना या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेना, जिससे CM का विधायी एजेंडा बाधित होता है।
4. **विश्वविद्यालयों के कुलपति (VCs) की नियुक्ति:** कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल द्वारा CM की सलाह की अनदेखी करना (हालिया उदाहरण: केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल)।

सुधार हेतु प्रमुख आयोगों की सिफारिशें (Committees' Recommendations)

UPSC मेन्स के साथ-साथ प्रीलिम्स में भी इन आयोगों की प्रमुख सिफारिशों को कथनों के रूप में पूछा जाता है:

आयोग (Commission)	मुख्यमंत्री के संदर्भ में प्रमुख सिफारिश (Key Recommendation)
सरकारिया आयोग (1983-88)	त्रिशंकु विधानसभा में CM चुनने का क्रम निर्धारित किया: 1. चुनाव पूर्व गठबंधन, 2. सबसे बड़ी एकल पार्टी, 3. चुनाव के बाद का गठबंधन। राज्यपाल को 30 दिन में बहुमत परीक्षण के लिए कहना चाहिए।
पुंछी आयोग (2007-10)	'बोम्मई फैसले' के दिशा-निर्देशों को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को पद से हटाने से पहले राज्यपाल को **सदन के पटल पर (Floor of the House)** फ्लोर टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना चाहिए।

इन सिफारिशों का मूल उद्देश्य राज्यपाल के विवेकाधिकार को कम करना और मुख्यमंत्री की लोकतांत्रिक वैधता को सम्मान देना है। राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए।

6. प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रमुख वाद (Landmark Supreme Court Judgments)

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने मुख्यमंत्री की शक्तियों और राज्यपाल के साथ उसके संबंधों को पुनर्परिभाषित किया है। UPSC के लिए ये वाद (Cases) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

1. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) - "सबसे महत्वपूर्ण वाद"

- **निर्णय:** मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय राजभवन के बंद कमरों में नहीं, बल्कि **विधानसभा के पटल (Floor Test)** पर होना चाहिए।
- यदि राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करता है और सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक पाता है, तो न्यायालय बर्खास्त की गई सरकार (CM) को **पुनर्बहाल (Restore)** कर सकता है।
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।

2. नबाम रेबिया केस (अरुणाचल प्रदेश, 2016)

- **निर्णय:** राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां (Art 163) असीमित या मनमानी नहीं हैं।
- राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकता, जब तक कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद उसे ऐसा करने की सलाह न दे। (सिवाय तब जब CM ने बहुमत खो दिया हो)।
- इस मामले में SC ने मुख्यमंत्री को पुनः बहाल किया था।

3. शिवराज सिंह चौहान बनाम स्पीकर (मध्य प्रदेश, 2020)

- **निर्णय:** यदि राज्यपाल को प्रथम दृष्टया (prima facie) लगता है कि सत्ताधारी सरकार ने बहुमत खो दिया है, तो वह मुख्यमंत्री को कभी भी (सत्र के दौरान या बाहर) 'फ्लोर टेस्ट' कराने का निर्देश दे सकता है।
- यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

🧩 **Memory Trick: मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करने का तरीका**

प्रधानमंत्री के अनुच्छेदों में **89 जोड़ें** (Add 89 Trick):

- Art 74 (PM & Council) + 89 = **Art 163** (CM & Council)
- Art 75 (Appointment of PM) + 89 = **Art 164** (Appointment of CM)
- Art 78 (Duties of PM) + 89 = **Art 167** (Duties of CM)

नोट: यह ट्रिक अधिकांश केंद्र-राज्य अनुच्छेदों के लिए काम करती है!

4. सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव (महाराष्ट्र संकट, 2023)

इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल तत्कालीन मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) को पुनर्बहाल नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही स्वेच्छा से **इस्तीफा** दे दिया था। इसके अलावा, राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाना उचित नहीं था क्योंकि केवल पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष (विधेयकों का टूटना) फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं हो सकता। यह निर्णय दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) और मुख्यमंत्री के पद के अंतर्संबंध को गहराई से दर्शाता है।

7. वर्तमान संदर्भ और डायनामिक मुद्दे (Current & Dynamic Issues)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अब केवल स्थिर (Static) भाग पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान घटनाओं (Current Affairs) से जोड़कर पूछा जाता है। मुख्यमंत्री के पद से जुड़े कुछ प्रमुख समकालीन मुद्दे:

A. दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) का प्रभाव

हाल के वर्षों में (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक), हमने देखा है कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों के दल-बदल के कारण मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है।

- **UPSC Focus:** विधायकों की अयोग्यता (Disqualification) का निर्णय 'विधानसभा अध्यक्ष' (Speaker) करता है, न कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री।
- **किहोटो होलोहन केस (1992):** अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं है, यह **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** के अधीन है।

B. लाभ का पद (Office of Profit) और मुख्यमंत्री

झारखंड में मुख्यमंत्री से जुड़ा हालिया विवाद (खनन पट्टा आवंटन)। **अनुच्छेद 191(1)(a)** के तहत कोई विधायक/मंत्री अयोग्य हो सकता है यदि वह लाभ का पद धारण करता है। **महत्वपूर्ण:** यह तय करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन वह **चुनाव आयोग (Election Commission)** की राय के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य है (अनुच्छेद 192)।

C. क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है?

हाँ। संविधान राज्यपाल (Art 361) को आपराधिक कार्यवाहियों से उन्मुक्ति (Immunity) देता है, **लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसी कोई संवैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत CM पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की 'मंजूरी' (Sanction) की आवश्यकता होती है। यहाँ राज्यपाल **अपने विवेक (Discretion)** से निर्णय ले सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं (SC का निर्णय)।

🎯 Final Wrap-up: Prelims Checklist

- ✔ मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- ✔ वह अंतर-राज्य परिषद का सदस्य होता है (अध्यक्ष PM होता है)।
- ✔ उसे बहुमत सिद्ध करने से पहले नियुक्त किया जा सकता है।
- ✔ उसका वेतन संचित निधि पर 'भारित' (Charged) नहीं होता है।
- ✔ वह राज्यपाल को SPSC अध्यक्ष को हटाने की सलाह **नहीं** दे सकता (केवल नियुक्त करने की दे सकता है, हटाना राष्ट्रपति का काम है)।
- ✔ विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है।

Unit 4.3: राज्य मंत्रीपरिषद एवं राज्य विधान मंडल - समग्र विश्लेषण

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (Context): संविधान के भाग VI में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार, राज्य स्तर पर भी 'नाममात्र की कार्यपालिका' (राज्यपाल) और 'वास्तविक कार्यपालिका' (मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद) के बीच स्पष्ट विभाजन है।

1. राज्य मंत्रिपरिषद - संवैधानिक प्रावधान

संविधान के दो प्रमुख अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों को परिभाषित करते हैं:

- **अनुच्छेद 163 (परामर्श की प्रकृति):** राज्यपाल को उसके 'विवेकाधीन' कार्यों को छोड़कर, अन्य सभी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी।
- **अनुच्छेद 164 (मंत्रियों संबंधी अन्य प्रावधान):** मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल **मुख्यमंत्री की सलाह पर** करेगा।

🚨 UPSC Prelims Trap: 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन

केंद्र में: 42वें और 44वें संशोधन (1976, 1978) ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को **बाध्यकारी (Binding)** बना दिया है (अनुच्छेद 74)।

राज्य में: **इन संशोधनों का राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।** संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को स्पष्ट रूप से बाध्यकारी बनाता हो। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट (शमशेर सिंह केस 1974) ने स्पष्ट किया है कि विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, राज्यपाल सलाह मानने के लिए बाध्य है।

Art 163(2) राज्यपाल का विवेक ➡ क्या मामला विवेकाधीन है? राज्यपाल का निर्णय अंतिम ➡ Art 163(3) न्यायालय में जांच (Barred) नहीं

मंत्री परिषद का गठन (Composition & Size)

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003: इस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया ताकि जंबो कैबिनेट और दल-बदल को रोका जा सके।

- **अधिकतम आकार:** मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, उस राज्य की **विधानसभा (Legislative Assembly) की कुल सदस्य संख्या के 15%** से अधिक नहीं हो सकती।
- **न्यूनतम आकार:** किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या **12 से कम नहीं** होगी। (ध्यान दें: यह 12 प्रतिशत नहीं, संख्या 12 है)।

🧠 Brainstorming: न्यूनतम 12 मंत्री क्यों?

सिक्किम (32), गोवा (40), और मिजोरम (40) जैसे छोटे राज्यों में विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं। यदि केवल 15% का नियम लागू होता, तो यहाँ केवल 4-6 मंत्री बन पाते, जो प्रशासन चलाने के लिए अपर्याप्त होते। इसलिए 12 की न्यूनतम सीमा तय की गई। (दिल्ली के लिए नियम 10% है - अनुच्छेद 239AA)।

मंत्रियों की शपथ एवं वेतन (Oath and Salary)

शपथ: पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल मंत्रियों को **अनुसूची 3** के तहत पद और गोपनीयता (Office and Secrecy) की दो अलग-अलग शपथ दिलाता है।

वेतन: मंत्रियों के वेतन और भत्ते **राज्य विधानमंडल** द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं। (यह संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं)। यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

2. मंत्रियों के उत्तरदायित्व (Responsibilities of Ministers)

संसदीय लोकतंत्र का आधार 'उत्तरदायित्व का सिद्धांत' है। इसे तीन भागों में समझा जा सकता है:

1. सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective)

अनुच्छेद 164(2): मंत्रिपरिषद **राज्य विधानसभा (Lower House)** के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
अर्थात, सभी मंत्री एक टीम के रूप में कार्य करते हैं ('एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं')। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो विधान परिषद के मंत्रियों सहित सभी को इस्तीफा देना पड़ता है।

2. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual)

अनुच्छेद 164(1): मंत्री **राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure of Governor)** पद धारण करते हैं।
हालाँकि, राज्यपाल किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। यह मुख्यमंत्री को अपनी टीम पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है।

🚨 The Ultimate TRAP: विधिक उत्तरदायित्व (Legal Responsibility)

ब्रिटेन में कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है (राजा कोई गलती नहीं कर सकता)। लेकिन **भारत (केंद्र या राज्य) में किसी मंत्री की कोई 'विधिक जिम्मेदारी' (Legal Responsibility) नहीं है।** न्यायालय किसी मंत्री से यह नहीं पूछ सकता कि उसने राज्यपाल को क्या सलाह दी (अनुच्छेद 163(3))। राज्यपाल के आदेशों पर मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (Countersign) अनिवार्य नहीं है।

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर (Cabinet vs CoM)

मूल संविधान में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख नहीं था (इसे 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया)। राज्य स्तर पर कैबिनेट सरकार का 'आंतरिक चक्र' (Inner Wheel) है।

आधार	मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)	कैबिनेट (Cabinet)
आकार	बड़ा निकाय (Large Body) - लगभग 12 से 40+ मंत्री।	छोटा निकाय (Small Body) - 10 से 15 वरिष्ठ मंत्री।
श्रेणियाँ	इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और उप-मंत्री।	इसमें **केवल कैबिनेट मंत्री** शामिल होते हैं।
शक्तियाँ	सभी शक्तियां सिद्धांततः इसमें निहित हैं, लेकिन यह शायद ही कभी एक साथ मिलती है।	यह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है और नीतिगत निर्णय लेती है। इसके निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी हैं।

कैबिनेट समितियां (Cabinet Committees)

कैबिनेट के कार्यभार को कम करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। इनकी विशेषताएं:

- ये गैर-संवैधानिक (Extra-constitutional) हैं (नियमों/कारोबार के तहत गठित)।
- ये **मुख्यमंत्री द्वारा** समय और स्थिति की मांग के अनुसार स्थापित की जाती हैं।
- ये दो प्रकार की होती हैं: स्थायी (Standing) और तदर्थ (Ad-hoc)।
- राजनीतिक मामलों की समिति (Political Affairs Committee) सबसे शक्तिशाली होती है, जिसे अक्सर "सुपर कैबिनेट" कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता प्रायः CM करते हैं।

💡 Revision Trick: 3 टियर संरचना

CM ➡ कैबिनेट मंत्री (स्वतंत्र प्रभार/प्रमुख विभाग) ➡ राज्य मंत्री (कैबिनेट की सहायता या स्वतंत्र छोटे विभाग) ➡ उप-मंत्री (केवल सहायता हेतु, स्वतंत्र प्रभार नहीं)। संसदीय सचिव (Parliamentary Secretaries) अंतिम श्रेणी है, जिन्हें शपथ CM दिलाते हैं (राज्यपाल नहीं), जो अक्सर लाभ के पद के विवाद में रहते हैं।

3. राज्य विधान मंडल - गठन (Organization of State Legislature)

संविधान के **भाग VI** (अनुच्छेद 168 से 212) में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। राज्य स्तर पर विधायिका एकसदनीय (Unicameral) या द्विसदनीय (Bicameral) हो सकती है।

🧩 Memory Trick: द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य

वर्तमान में केवल 6 राज्यों में दो सदन (विधानसभा + विधान परिषद) हैं।

Trick: K U M B A T

Karnataka, **U**ttar Pradesh, **M**aharashtra, **B**ihar, **A**ndhra Pradesh, **T**elangana.

विधान परिषद का सृजन या उत्सादन (Abolition/Creation) - Art 169

UPSC का यह सबसे पसंदीदा विषय है। विधान परिषद को बनाना या हटाना संसद के अधिकार में है, लेकिन पहल राज्य करता है।

राज्य विधानसभा (विशेष बहुमत - 2/3 उपस्थित + मतदान) ➡ **संसद (Parliament)** (केवल साधारण बहुमत - Simple Maj.) ➡ **परिषद का निर्माण/समाप्ति** (अनु. 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता)

दोनों सदनों का गठन (Composition)

विधानसभा (Legislative Assembly)

- **निर्वाचन:** प्रत्यक्ष चुनाव (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार)।
- **सदस्य संख्या:** अधिकतम **500**, न्यूनतम **60**।
- **अपवाद (Exceptions):** सिक्किम (32), गोवा (40), मिजोरम (40), पुडुचेरी (30 - UT)।
- **नामांकन:** एंग्लो-इंडियन का मनोनयन (104वें संशोधन 2019 द्वारा) **समाप्त** कर दिया गया है।

विधान परिषद (Legislative Council)

- **निर्वाचन:** अप्रत्यक्ष चुनाव (आनुपातिक प्रतिनिधित्व - एकल संक्रमणीय मत)।
- **सदस्य संख्या:** अधिकतम - विधानसभा की कुल संख्या का **1/3**। न्यूनतम - **40**।
- **नोट:** परिषद का आकार राज्य की जनसंख्या (विधानसभा) पर निर्भर करता है।

विधान परिषद का निर्वाचक मंडल (Electoral College of LC) - Fractions

1/3 (एक-तिहाई): स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जिला बोर्ड) द्वारा	**1/3 (एक-तिहाई):** राज्य के विधायकों (MLAs) द्वारा निर्वाचित
1/12 (एक-बारहवां): 3 वर्ष के स्नातकों (Graduates) द्वारा	**1/12 (एक-बारहवां):** 3 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों (Teachers) द्वारा

शेष 1/6 (एक-छठा): **राज्यपाल द्वारा मनोनीत** (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा)।
नोट: राज्यसभा में 'सहकारी आंदोलन' (Cooperative Movement) आधार नहीं है, लेकिन यहाँ है!

अतः कुल सदस्य = 5/6 निर्वाचित + 1/6 मनोनीत।

4. दोनों सदनों का कार्यकाल (Duration of Houses)

विधानसभा (VS): इसका कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक से **5 वर्ष** का होता है। 5 वर्ष बाद यह स्वतः विघटित हो जाती है। राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है।
Emergency Provision: राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) के दौरान संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है (आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह तक)।

विधान परिषद (VP): राज्यसभा की तरह यह एक **स्थायी सदन (Continuing Chamber)** है और विघटित नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल **6 वर्ष** होता है और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

5. विधानमंडल की सदस्यता (Membership: Art 173)

योग्यताएं (Qualifications)	अयोग्यताएं (Disqualifications - Art 191)
- भारत का नागरिक हो। - चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ। - आयु: VS के लिए **25 वर्ष**, VP के लिए **30 वर्ष**। - RPA 1951 के तहत अन्य योग्यताएं।	- केंद्र/राज्य में 'लाभ का पद' (Office of Profit) धारण करना। - विकृत चित्त (Unsound mind) घोषित होना। - दिवालिया (Insolvent) होना। - भारत का नागरिक न रहना।

🚨 **अयोग्यता पर निर्णय (Authority to Decide)**
1. **सामान्य अयोग्यता (Art 191):** यदि लाभ का पद, नागरिकता आदि का मामला है, तो निर्णय **राज्यपाल** करता है। लेकिन राज्यपाल का निर्णय **चुनाव आयोग की सलाह पर बाध्यकारी** है (अनुच्छेद 192)।
2. **दल-बदल के आधार पर (10वीं अनुसूची):** यदि 10वीं अनुसूची का मामला है, तो निर्णय **सदन का पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति)** करता है। (किहोटो होलोहन केस 1992 - अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है)।

6. विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officers)

प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। विधानसभा के लिए अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष, तथा विधान परिषद के लिए सभापति (Chairman) और उपसभापति।

विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of Assembly) की विशेष शक्तियां:
1. वह सदन की बैठकों में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है (उसका निर्णय अंतिम है)।
2. वह कोरम (Quorum) के अभाव में सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है।
3. वह पहली बार में वोट नहीं देता, लेकिन **टाई (Tie) होने की स्थिति में 'निर्णायक मत' (Casting Vote)** देता है।
4. वह तय करता है कि कोई विधेयक **'धन विधेयक' (Money Bill)** है या नहीं। उसका निर्णय अंतिम होता है।
5. वह दल-बदल (Anti-defection) के मामलों पर निर्णय लेता है।

त्यागपत्र: अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। (सभापति उपसभापति को)।
Prelims Trap: विधानसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई विधानसभा की पहली बैठक तक पद पर बना रहता है।

7. राज्य विधानमंडल सत्र (Sessions of Legislature)

आहूत करना (Summoning): राज्यपाल समय-समय पर सदन का सत्र बुलाता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल **6 माह** से अधिक नहीं होना चाहिए।

सत्रावसान (Prorogation): सत्र की समाप्ति। यह **राज्यपाल** द्वारा किया जाता है। (स्थगन/Adjournment पीठासीन अधिकारी करता है)।

विघटन (Dissolution): केवल विधानसभा का होता है (परिषद का नहीं)। **राज्यपाल** द्वारा किया जाता है। विघटन पर सभी लंबित विधेयक (जो सदन में हैं) व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर।

कोरम (Quorum): सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति। यह कुल सदस्यों का **1/10वां हिस्सा या 10 सदस्य**, (जो भी अधिक हो) होता है। **UPSC TRAP: संसद में केवल 1/10 है, लेकिन राज्य में '1/10 या 10' का नियम है।**

8. विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

A. साधारण विधेयक (Ordinary Bills)

साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में क्या होता है?

विधानसभा द्वारा पारित ➡ विधान परिषद में गया ➡ VP रोक सकती है (मैक्स: 3 माह)

यदि परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे, या संशोधन करे जो VS को मंजूर न हो, या 3 माह तक पारित न करे, तो **विधानसभा इसे पुनः पारित कर सकती है**। दूसरी बार पारित होने पर, परिषद इसे अधिकतम **1 माह** तक रोक सकती है।

> 🚨 **The Biggest Difference: No Joint Sitting**
> संसद के विपरीत, राज्य विधानमंडल में गतिरोध (Deadlock) हल करने के लिए **संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Art 108) का कोई प्रावधान नहीं है**। विधानसभा की इच्छा ही अंततः (अधिकतम 4 महीने की देरी के बाद) हावी होती है। विधान परिषद के पास केवल विलंबकारी शक्ति (Dilatory power) है: **3 माह (पहली बार) + 1 माह (दूसरी बार) = कुल 4 महीने।**

B. धन विधेयक (Money Bills - Art 198 & 199)

- यह **केवल विधानसभा** में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं।
- यह केवल **राज्यपाल की पूर्व सहमति** से पेश होता है।
- विधान परिषद इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है। उसे इसे **14 दिनों** के भीतर लौटाना होता है। यदि 14 दिन में नहीं लौटाती, तो पारित मान लिया जाता है।

🧠 Concept Check: विधान परिषद की उपयोगिता क्या है?
यदि परिषद के पास इतनी कम शक्तियां हैं, तो यह क्यों है? 1. विधानसभा की जल्दबाजी या दोषपूर्ण कानून निर्माण पर रोक (Cheeks & Balances)। 2. विशेषज्ञों, शिक्षकों और कलाकारों को प्रतिनिधित्व देना जो चुनाव प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। 3. गंभीर चर्चाओं के लिए एक मंच।

9. विधेयक पर राज्यपाल की सहमति (Assent - Art 200)

जब विधेयक दोनों सदनों (या एक सदन जहाँ एकसदनीय है) द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं:

1. सहमति दे सकता है (विधेयक अधिनियम बन जाता है)।
2. सहमति रोक सकता है (विधेयक समाप्त हो जाता है - Absolute Veto)।
3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (धन विधेयक को छोड़कर)।
   नोट: यदि विधानमंडल इसे (संशोधन के साथ या बिना) पुनः पारित कर दे, तो राज्यपाल को **सहमति देनी ही होगी**।
4. **विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।**

विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (Art 201)

राज्यपाल के लिए यह **अनिवार्य (Mandatory)** है कि वह ऐसे विधेयक को आरक्षित करे जो **राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो**। इसके अलावा वह उन विधेयकों को भी आरक्षित कर सकता है जो: 1. अल्ट्रा वायर्स (असंवैधानिक) हों, 2. DPSP के खिलाफ हों, 3. राष्ट्रीय महत्व के हों, 4. अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े हों।

> 🚨 **UPSC Trap: राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Art 201)**
> जब कोई राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (6 माह के भीतर)।
> **Crucial Fact:** यदि राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित करके राष्ट्रपति को भेजता है, तो **राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है!** (संसद के मामले में वह बाध्य होता है, लेकिन राज्य के मामले में नहीं)।

10. राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार (Privileges - Art 194)

संसद (Art 105) की तरह राज्य विधानमंडल को भी कुछ सामूहिक और व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Individual)	सामूहिक विशेषाधिकार (Collective)
- सदन चलने के दौरान, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद **सिविल मामलों** में गिरफ्तारी से छूट (आपराधिक मामलों में नहीं)। - सदन में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण छूट (Freedom of Speech)।	- अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करने या दूसरों को रोकने का अधिकार। - बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर करने का अधिकार। - विशेषाधिकार हनन के लिए सदस्यों या बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार।

> **Note:** विशेषाधिकार राज्यपाल पर लागू नहीं होते (यद्यपि वह विधानमंडल का अंग है), लेकिन महाधिवक्ता (Advocate General) और ऐसे मंत्रियों पर लागू होते हैं जो दूसरे सदन में बोलते हैं।

11. राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य विधान मंडल में अंतर

प्रारंभिक परीक्षा में कॉन्सेप्ट को परखने के लिए यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका (CoM) विधायिका (Legislature) का ही एक अंग होती है।

विशेषता (Feature)	राज्य विधान मंडल (State Legislature)	राज्य मंत्रिपरिषद (State CoM)
प्रकृति (Nature)	यह एक **विधायी निकाय (Legislative Body)** है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना और बजट पारित करना है।	यह **वास्तविक कार्यपालिका (Real Executive)** है। इसका कार्य कानूनों और नीतियों को लागू करना है।
गठन (Composition)	इसमें राज्यपाल, विधानसभा और (यदि हो तो) विधान परिषद शामिल हैं (सभी निर्वाचित + मनोनीत MLA/MLC)।	इसमें केवल सत्ताधारी दल/गठबंधन के वे सदस्य होते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है।
जवाबदेही (Accountability)	यह सीधे राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह है (विधानसभा के मामले में)।	यह सामूहिक रूप से **विधानसभा** के प्रति जवाबदेह है (अनुच्छेद 164(2))।
नियंत्रण तंत्र (Control)	कार्यपालिका पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, और विभिन्न प्रस्तावों (अविश्वास, निंदा) के माध्यम से नियंत्रण रखता है।	प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण रखती है, लेकिन स्वयं विधायिका के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है।

12. वर्तमान संदर्भ और ऐतिहासिक वाद (Dynamic Affairs & Cases)

हाल के दिनों में राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच कई संवैधानिक संकट उत्पन्न हुए हैं:

A. अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग: "पॉकेट वीटो" विवाद

कई राज्यों (केरल, तमिलनाडु, पंजाब) में मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों पर बैठे रहते हैं।

- **पंजाब राज्य बनाम प्रधान सचिव (2023):** सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को रोक (Veto) नहीं सकता। यदि वह सहमति रोकता है, तो उसे "**यथाशीघ्र**" **(As soon as possible)** विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। वह चुनी हुई सरकार की विधायी प्रक्रिया को पंगु नहीं बना सकता।

B. दल-बदल (Defection) और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका

महाराष्ट्र (शिवसेना) और मध्य प्रदेश में हुए राजनीतिक संकट ने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों को केंद्र में ला दिया है।

- **सुभाष देसाई केस (2023):** SC ने कहा कि अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय एक "उचित समय सीमा" (आमतौर पर 3 महीने - केशम मेघचंद्र केस) के भीतर लेना चाहिए।
- **मुद्दा:** जब अध्यक्ष के खिलाफ ही सदन में 'हटाने का प्रस्ताव' लंबित हो, तो वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय नहीं ले सकता (नबाम रेबिया केस 2016)।

🎯 Final Revision Check

✔ राज्य में मंत्री की कोई विधिक जवाबदेही नहीं होती।
✔ धन विधेयक विधान परिषद केवल 14 दिन रोक सकती है।
✔ साधारण विधेयक परिषद अधिकतम 4 माह (3+1) रोक सकती है।
✔ राज्य विधेयकों पर गतिरोध के लिए कोई 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) नहीं होती।
✔ राष्ट्रपति राज्य के आरक्षित विधेयक पर पुनर्विचार के बाद भी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है।

Unit 4.4: उच्च न्यायालय (High Court) - संरचना व नियुक्ति

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (Context): भारत में एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System) है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय शीर्ष स्थान पर है। संविधान के भाग VI में **अनुच्छेद 214 से 231** तक उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र आदि का वर्णन है।

🧠 **ऐतिहासिक घटनाक्रम:**
1862 में भारत में पहली बार उच्च न्यायालय स्थापित हुए (कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास)। 1866 में चौथा HC इलाहाबाद में बना। **7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956** ने संसद को यह शक्ति दी कि वह दो या दो से अधिक राज्यों (या UTs) के लिए एक 'साझा उच्च न्यायालय' स्थापित कर सकती है (उदा: पंजाब एवं हरियाणा HC, गुवाहाटी HC)।

1. संरचना (Composition)

संविधान में HC के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित **नहीं** की गई है। यह **राष्ट्रपति के विवेक** पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यभार के अनुसार समय-समय पर संख्या निर्धारित करते हैं।

💡 **Prelims Trick: सुप्रीम कोर्ट vs हाई कोर्ट संरचना**
SC के जजों की संख्या **संसद** तय करती है (Art 124), जबकि HC के जजों की संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं (Art 216)।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment) - Art 217

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJ of HC) और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।

- **मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:** राष्ट्रपति द्वारा 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 2. संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से।
- **अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:** ऊपर के दोनों के अलावा, संबंधित HC के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।
- **साझा HC की स्थिति:** जिन राज्यों का साझा HC है, राष्ट्रपति उन **सभी राज्यों के राज्यपालों** से परामर्श करते हैं।

Collegium (CJI + 2 SC Judges) ➡ Law Ministry / PM ➡ राष्ट्रपति (नियुक्ति)

कॉलेजियम प्रणाली का विकास (Third Judges Case 1998): HC के जजों की नियुक्ति के लिए CJI को सुप्रीम कोर्ट के **दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों** (SC कॉलेजियम में 4 होते हैं, HC के लिए 2) से परामर्श करना होता है। इसके अलावा, CJI को संबंधित HC के मुख्य न्यायाधीश से भी राय लेनी होती है।

3. योग्यताएं (Qualifications)

संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए:

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम **10 वर्ष** तक न्यायिक पद (Judicial Office) धारण किया हो; **या**
3. वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम **10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate)** रहा हो।

UPSC Extreme Trap: सुप्रीम कोर्ट की तरह, उच्च न्यायालय के लिए "प्रख्यात न्यायविद्" (Distinguished Jurist) की कोई श्रेणी नहीं है। साथ ही, संविधान में HC जज की नियुक्ति के लिए **कोई न्यूनतम आयु (No Minimum Age)** निर्धारित नहीं है।

हाल के घटनाक्रम (Current Update): जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर SC और कार्यपालिका (Executive) के बीच लगातार टकराव देखा गया है (MoP - Memorandum of Procedure को लेकर विवाद)।

4. शपथ एवं वेतन (Oath and Salary)

शपथ (Oath) - अनुच्छेद 219

पद संभालने से पहले, HC के न्यायाधीश को **राज्यपाल** या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। (नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है)।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances) - अनुच्छेद 221

इनका निर्धारण **संसद** द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल (Art 360) को छोड़कर इनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

> ⚠️ **UPSC Trap: भारित व्यय (Charged Expenditure)**
> HC जजों का **वेतन और भत्ते** राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State) पर भारित होते हैं, **लेकिन** उनकी **पेंशन** भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होती है।

5. कार्यकाल एवं त्यागपत्र (Tenure & Resignation)

संविधान ने HC के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है, लेकिन चार प्रावधान हैं:

- वह **62 वर्ष** की आयु तक पद धारण करता है (SC जजों के लिए यह 65 वर्ष है)। आयु संबंधी किसी भी विवाद का निर्णय **राष्ट्रपति (CJI के परामर्श से)** करता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।
- वह **राष्ट्रपति** को लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- संसद की सिफारिश पर **राष्ट्रपति** उसे पद से हटा सकता है।
- यदि उसे SC का जज नियुक्त कर दिया जाए या किसी अन्य HC में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसका पद रिक्त हो जाता है।

6. न्यायाधीशों का निष्कासन (Removal of Judges)

प्रक्रिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है (Judges Enquiry Act, 1968)। आधार: **साबित कदाचार (Proved Misbehavior) या अक्षमता (Incapacity)**।

> ⚙️ **निष्कासन की प्रक्रिया (Flow)**
> 1. प्रस्ताव: लोकसभा (100 सदस्य) या राज्यसभा (50 सदस्य) द्वारा स्पीकर/सभापति को।
> 2. स्पीकर/सभापति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
> 3. स्वीकार होने पर 3-सदस्यीय समिति: (i) CJI या SC जज, (ii) किसी HC का मुख्य न्यायाधीश, (iii) प्रख्यात न्यायविद्।
> 4. यदि समिति दोषी पाती है, तो दोनों सदनों द्वारा **विशेष बहुमत** (Total Membership का 50% + उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3) से पारित होना चाहिए।
> 5. अंततः राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता है।
>
> **नोट:** आज तक किसी भी HC (या SC) जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। (जस्टिस वी. रामास्वामी और जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई)।

7. स्थानांतरण (Transfer) - अनुच्छेद 222

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से किसी जज को एक HC से दूसरे HC में ट्रांसफर कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Third Judges Case): ट्रांसफर केवल "सार्वजनिक हित" (Public Interest) में होना चाहिए, सजा के तौर पर नहीं। CJI को अकेले फैसला नहीं लेना है, उसे SC के **4 वरिष्ठतम जजों** (Collegium) + दोनों HC (जहाँ से जा रहा है और जहाँ जा रहा है) के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना अनिवार्य है।

8. कार्यकारी, अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष नियुक्तियों का प्रावधान है:

पद का प्रकार	अनुच्छेद	नियुक्ति कौन करता है?	परिस्थिति / शर्तें
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (Acting CJ)	Art 223	राष्ट्रपति	जब HC के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या कार्य करने में असमर्थ हो।
अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge)	Art 224	राष्ट्रपति	जब HC में **अस्थायी रूप से कार्य बढ़ गया हो** या बकाया (Arrears) काम हो। अधिकतम कार्यकाल: **2 वर्ष**।
कार्यकारी न्यायाधीश (Acting Judge)	Art 224	राष्ट्रपति	जब कोई स्थायी जज अनुपस्थित हो। (नोट: अतिरिक्त और कार्यकारी जज 62 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकते)।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge)	Art 224A	**HC का मुख्य न्यायाधीश** (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से)	HC का CJ किसी रिटायर्ड जज को कुछ समय के लिए कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उसे जज के सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, लेकिन वह HC का जज नहीं माना जाता।

⚖️ तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judges) - UPSC TRAP

चेतावनी: "तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों" की नियुक्ति केवल **सुप्रीम कोर्ट (Art 127)** में होती है (कोरम पूरा करने के लिए)। उच्च न्यायालयों में **कोई तदर्थ न्यायाधीश नहीं होता**, वहां अतिरिक्त (Additional) न्यायाधीश होते हैं।

9. उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता (Independence)

एक निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है। HC की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के उपाय:

- **नियुक्ति का तरीका:** कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में नहीं (कॉलेजियम प्रणाली)।
- **कार्यकाल की सुरक्षा:** राष्ट्रपति उन्हें मनमाने ढंग से नहीं हटा सकते (केवल विशेष बहुमत द्वारा)।
- **निश्चित सेवा शर्तें:** नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं।
- **संचित निधि पर भारित व्यय:** विधानमंडल में वेतन पर मतदान नहीं होता।
- **न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं:** विधानमंडल में उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर चर्चा नहीं की जा सकती (महाभियोग प्रस्ताव को छोड़कर)।
- **सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक:** वह उस HC में या उन निचली अदालतों में वकालत नहीं कर सकता जहाँ वह स्थायी जज रहा हो। (वह केवल SC या अन्य HC में कर सकता है - **Trap: पूर्ण रोक नहीं है**)।
- **अवमानना के लिए दंड:** HC को अपनी अवमानना (Contempt) के लिए दंड देने की शक्ति है।
- **कर्मचारियों की नियुक्ति:** HC का मुख्य न्यायाधीश बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के अधिकारियों (Clerks, Registrars) की नियुक्ति कर सकता है।
- **अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं:** संसद और राज्य विधानमंडल इसके मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकते।

10. उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां (Jurisdiction & Powers)

HC राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र SC की तुलना में कुछ मामलों में अधिक विस्तृत है।

A. मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)

इसका अर्थ है कि आवेदक सीधे HC जा सकता है (निचली अदालत में जाए बिना)।

- नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन (Enforcement of FRs)।
- विवाह, वसीयत, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना से जुड़े मामले।
- संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के **चुनाव विवाद** (Election Disputes)।
- राजस्व संग्रहण से जुड़े मामले।

B. रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) - अनुच्छेद 226

HC मौलिक अधिकारों के साथ-साथ '**अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों**' को लागू करने के लिए भी रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा) जारी कर सकता है।

🔍 तुलना: SC (Art 32) vs HC (Art 226) रिट शक्तियां

आधार	Supreme Court (Art 32)	High Court (Art 226)
उद्देश्य	केवल मौलिक अधिकारों के लिए।	मौलिक अधिकार + **अन्य कानूनी अधिकार**।
क्षेत्राधिकार	संपूर्ण भारत।	केवल राज्य क्षेत्र के भीतर (या कारण राज्य में उत्पन्न हुआ हो)।
विवेकाधिकार	इसे नकार नहीं सकता (Art 32 खुद FR है)।	HC रिट जारी करने से **इनकार कर सकता है** (विवेकाधीन है)।

निष्कर्ष: रिट के मामले में HC का अधिकार क्षेत्र SC से **विस्तृत (Wider)** है।

C. अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)

HC मुख्य रूप से अपील की अदालत है। सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। (उदा: यदि सत्र न्यायालय (Sessions Court) 7 साल से अधिक की सजा या मृत्युदंड देता है, तो HC में अपील की जा सकती है)। मृत्युदंड को HC द्वारा **पुष्ट (Confirm)** किया जाना अनिवार्य है, भले ही अपील की गई हो या नहीं।

D. पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction) - अनुच्छेद 227

HC को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और **अधिकरणों (Tribunals)** पर 'अधीक्षण' (Superintendence) की शक्ति है (सैन्य अदालतों को छोड़कर)। यह बहुत व्यापक शक्ति है और HC स्वतः संज्ञान (Suo motu) भी ले सकता है।

E. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) - अनुच्छेद 215

- इसके निर्णय, कार्यवाहियां और कार्य स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं (Precedents)।
- इसे अपनी अवमानना (Civil or Criminal) के लिए दंडित करने की शक्ति है।

F. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

HC केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। (Note: 42वें CAA 1976 ने HC की इस शक्ति को कम किया था, लेकिन 43वें CAA 1977 ने इसे वापस बहाल कर दिया)।

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

संवैधानिक उपबंध: भाग VI में **अनुच्छेद 233 से 237** तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन और कार्यप्रणाली का वर्णन है। इन्हें 'अधीनस्थ' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं।

1. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of District Judges) - Art 233

जिला न्यायाधीश (District Judge) जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है।

- **नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति:** राज्य के **राज्यपाल** द्वारा संबंधित **उच्च न्यायालय के परामर्श** से की जाती है।
- **योग्यता:** 1. वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। 2. उसे कम से कम **7 वर्ष** तक अधिवक्ता (Advocate) या प्लीडर के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। 3. उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

Prelims Trap: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वह HC की सिफारिश मानने के लिए व्यावहारिक रूप से बाध्य होता है ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे।

2. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of other Judges) - Art 234

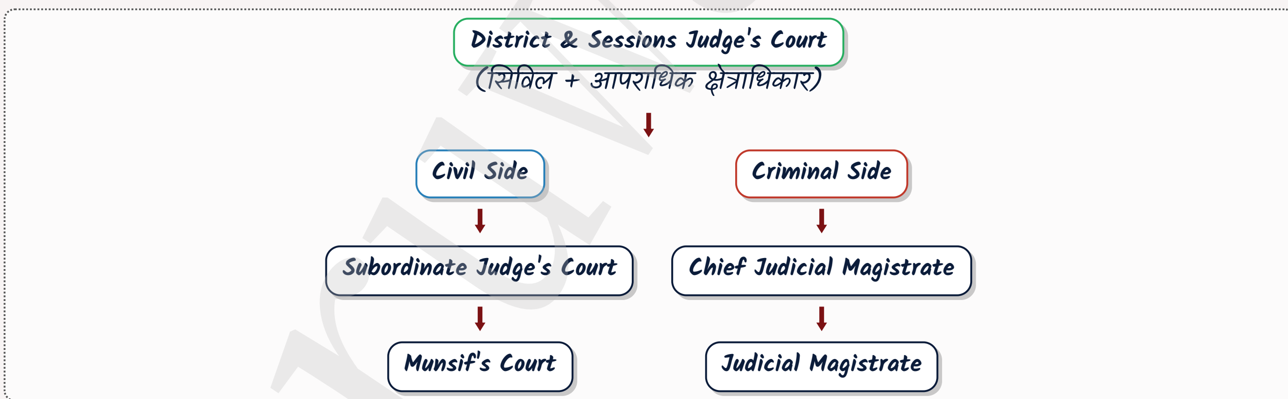
जिला न्यायाधीशों के अलावा न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों (जैसे Munsif, Magistrate) की नियुक्ति **राज्यपाल** द्वारा 1. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) और 2. उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

3. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Control over Subordinate Courts) - Art 235

यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। जिला अदालतों और अन्य निचली अदालतों पर प्रशासनिक नियंत्रण (Postings, promotions, leave, transfers) **पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय** के पास होता है, न कि राज्य सरकार के पास।

🏢 अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना (Structure & Jurisdiction)

संरचना अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः त्रि-स्तरीय होती है:



District Judge vs Sessions Judge: जब न्यायाधीश नागरिक (Civil) मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश (District Judge) कहा जाता है; जब वह आपराधिक (Criminal) मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड (Capital Punishment) दे सकता है, लेकिन **HC की पुष्टि अनिवार्य** है।

ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas Act, 2008): जमीनी स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित। ये सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। इनकी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है।

अधिकरण (Tribunals) - Part XIV-A

संवैधानिक पृष्ठभूमि: मूल संविधान में अधिकरणों (Tribunals) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इन्हें **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976)** द्वारा **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश पर संविधान में भाग XIV-A जोड़कर शामिल किया गया।

उद्देश्य: अदालतों का बोझ कम करना, विशेषज्ञता (Expertise) प्रदान करना, और त्वरित तथा सस्ता न्याय सुनिश्चित करना। अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की सख्त प्रक्रियाओं से बंधे नहीं होते, बल्कि **प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice)** द्वारा निर्देशित होते हैं।

भाग XIV-A में केवल दो अनुच्छेद हैं:

1. **अनुच्छेद 323A** : प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals)
2. **अनुच्छेद 323B** : अन्य मामलों के लिए अधिकरण (Tribunals for other matters)

I. प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) - Art 323A

यह संसद को **केवल सार्वजनिक सेवा (Public Service)** से संबंधित विवादों को हल करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है (केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम आदि के कर्मचारियों के लिए)।

इसके तहत संसद ने **प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985** पारित किया। इसके तहत CAT और SAT का गठन किया गया।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT - Central Administrative Tribunal)

- **स्थापना:** 1985. (प्रधान पीठ: दिल्ली)।
- **अधिकार क्षेत्र:** अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सिविल सेवाएं, केंद्र के तहत सिविल पद, रक्षा बलों के नागरिक कर्मचारी। (**अपवाद:** रक्षा बलों के सैन्य सदस्य, अधिकारी, SC के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारी इसके दायरे में **नहीं** आते हैं)।
- **संरचना:** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। (सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पृष्ठभूमि से आते हैं - यह Tribunal की मुख्य विशेषता है)।
- **नियुक्ति: राष्ट्रपति** द्वारा (SC के सिटिंग जज की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर)।
- **कार्यकाल:** अध्यक्ष के लिए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; सदस्यों के लिए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु।

राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT)

अनुच्छेद 323A संसद को **राज्य सरकारों के अनुरोध पर** उनके कर्मचारियों के लिए SAT स्थापित करने का अधिकार देता है। SAT के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति (संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से) करते हैं।

⚖️ L. Chandra Kumar Case (1997) - सर्वाधिक महत्वपूर्ण

मूल रूप से, 42वें संशोधन ने कहा था कि Tribunals के फैसले के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट (Art 136) जाया जा सकता है, HC नहीं।

एल. चंद्र कुमार फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे **असंवैधानिक** घोषित कर दिया। SC ने कहा कि HC का न्यायिक समीक्षा (Judicial Review - Art 226/227) का अधिकार संविधान का **मूल ढांचा (Basic Structure)** है।

वर्तमान स्थिति: CAT/SAT या किसी भी Tribunal के आदेश के खिलाफ अपील अब **सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती**। पहले संबंधित **उच्च न्यायालय (Division Bench)** में अपील की जानी चाहिए।

2. अन्य मामलों के लिए अधिकरण - Art 323B

अनुच्छेद 323B के तहत, **संसद और राज्य विधानमंडल** दोनों (अपनी-अपनी विधायी क्षमता के भीतर) निम्नलिखित मामलों के लिए अधिकरण स्थापित कर सकते हैं:

- कराधान (Taxation)
- विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात (Foreign exchange, import & export)
- औद्योगिक और श्रम विवाद (Industrial & labour disputes)
- भूमि सुधार (Land reforms)
- शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा (Ceiling on urban property)
- संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव (Elections to Parliament & State Legislatures)
- खाद्य सामग्री (Food stuffs)
- किराया और किरायेदारी अधिकार (Rent and tenancy rights)

🔄 तुलना: Art 323A बनाम 323B (Prelims Statement-based)

आधार (Basis)	अनुच्छेद 323A	अनुच्छेद 323B
विषय वस्तु	केवल **सार्वजनिक सेवा** मामलों के लिए।	कर, श्रम, भूमि आदि **अन्य मामलों** के लिए।
स्थापना कौन कर सकता है?	**केवल संसद** स्थापित कर सकती है।	**संसद और राज्य विधानमंडल** दोनों।
पदानुक्रम (Hierarchy)	केवल एक केंद्र स्तर पर (CAT) और राज्य स्तर पर (SAT)। कोई पदानुक्रम (Hierarchy) नहीं होता।	अधिकरणों का **पदानुक्रम (Hierarchy)** बनाया जा सकता है।

3. वर्तमान घटनाक्रम और विवाद (Dynamic Aspects)

अधिकरणों के कामकाज को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच लगातार तनाव रहा है।

Tribunals Reforms Act, 2021: इस अधिनियम ने कई अपीलीय अधिकरणों (जैसे Film Certification Appellate Tribunal, IPAB आदि) को **समाप्त (Abolish)** कर दिया और उनके कार्य संबंधित वाणिज्यिक न्यायालयों या उच्च न्यायालयों को सौंप दिए।

- **मुद्दा:** 'अधिकरणों का अधिकरणीकरण' (Tribunalisation of Justice)। आलोचकों का मानना है कि Tribunals न्यायपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं।
- Tribunals में कार्यपालिका (Executive) का बहुत अधिक नियंत्रण होता है (नियुक्ति, सेवा शर्तों के मामले में), जो **शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers - Art 50)** के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- **मद्रास बार एसोसिएशन मामले (2021)** में SC ने कहा कि Tribunals के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं, बल्कि 5 वर्ष होना चाहिए, ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। SC ने यह भी जोर दिया कि न्यायपालिका का न्यायिक कार्य धीरे-धीरे विशेषीकृत अधिकरणों को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वह पूर्णतः स्वतंत्र न हो।

🎯 **Final Wrap-up: Prelims Checklist**

- ✔ HC के जजों की संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं, SC की तरह संसद नहीं।
- ✔ HC के जज **62 वर्ष** की आयु तक कार्य करते हैं (SC जज 65 वर्ष)।
- ✔ वेतन राज्य की संचित निधि से, **पेंशन भारत की संचित निधि से**।
- ✔ HC रिट अधिकार (226) **मना कर सकता है**, SC (32) नहीं कर सकता।
- ✔ Tribunals के आदेश के खिलाफ **सीधे SC नहीं** जा सकते (L. Chandra Kumar)।

1. उपभोक्ता संरक्षण संरचना (Consumer Protection Framework)

संदर्भ: भारत में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" द्वारा किया जाता है, जिसने 1986 के पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य 'Caveat Emptor' (खरीददार सतर्क रहे) से 'Caveat Venditor' (विक्रेता सतर्क रहे) की ओर बढ़ना है।

त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र (3-Tier Quasi-Judicial Mechanism)

स्तर	आयोग का नाम	आर्थिक क्षेत्राधिकार (Pecuniary)
जिला (District)	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	₹50 लाख तक (संशोधित 2021)
राज्य (State)	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक
राष्ट्रीय (National)	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)	₹2 करोड़ से अधिक

🛑 **Prelims Trap: क्षेत्राधिकार भ्रम**
याद रखें, 2019 के अधिनियम में मूल सीमाएँ ₹1 करोड़, ₹10 करोड़ थीं, लेकिन 2021 के नियमों द्वारा इसे घटाकर क्रमशः ₹50 लाख और ₹2 करोड़ कर दिया गया है। UPSC पुराने डेटा पर फँसा सकता है!

प्रमुख विशेषताएं (Act 2019):

- **E-Commerce:** अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में हैं।
- **Central Consumer Protection Authority (CCPA):** यह एक नियामक संस्था है जो भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करती है।
- **Product Liability:** उत्पाद में दोष होने पर निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता तीनों उत्तरदायी हो सकते हैं।
- **Mediation:** विवादों के शीघ्र समाधान हेतु मध्यस्थता सेल का प्रावधान।

जिला आयोग → राज्य आयोग → राष्ट्रीय आयोग

🧠 **Brainstorm:** क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल वस्तुओं के लिए है? नहीं, यह सेवाओं (बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि) को भी कवर करता है। लेकिन 'निःशुल्क' या 'व्यक्तिगत सेवा' के अनुबंध इसके दायरे से बाहर हैं।

2. राष्ट्रीय एवं राज्य उपभोक्ता आयोग - गहन विश्लेषण

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)

स्थापना: 1988 में (1986 अधिनियम के तहत)। मुख्यालय: नई दिल्ली।
संरचना: इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

- **नियुक्ति:** केंद्र सरकार द्वारा।
- **अपीलीय क्षेत्राधिकार:** राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर।
- **अंतिम अपील:** NCDRC के आदेश के विरुद्ध अपील केवल **सुप्रीम कोर्ट** में की जा सकती है।

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)

संरचना: अध्यक्षता हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा।

- **नियुक्ति:** राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** राज्य आयोग का अपने राज्य के सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

> 💡 **याद करने की ट्रिक (E-A-C):** E-Commerce शामिल, **A**-lternative Dispute (Mediation), **C**-CPA की स्थापना। (2019 के बदलावों का मूल मंत्र)

प्रमुख वाद (Landmark Cases):

1. Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta (1994): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'सेवा' शब्द में वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं (जैसे आवास निर्माण) भी शामिल हैं।
2. Indian Medical Association v. V.P. Shantha (1995): चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता अधिनियम के दायरे में लाया गया (सिवाय सरकारी अस्पतालों के जो मुफ्त इलाज देते हैं)।

> 🛑 **Prelims Trap: अपील का समय**
> जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय से SC - हर स्तर पर अपील की अवधि **30-45 दिन** के बीच भिन्न होती है। UPSC यहाँ '60 दिन' या '90 दिन' लिखकर भ्रमित कर सकता है।

वर्तमान अपडेट (Current Affairs):

E-Daakhil Portal: उपभोक्ताओं को घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है।

3. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)

संवैधानिक आधार: **अनुच्छेद 39A** (42वां संविधान संशोधन, 1976) - समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

इस अधिनियम के तहत 1995 में NALSA की स्थापना हुई।

- **संरक्षक-प्रमुख (Patron-in-Chief):** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)।
- **कार्यकारी अध्यक्ष:** सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

पदानुक्रमित संरचना (Hierarchical Structure):

NALSA (राष्ट्रीय)
↓
SLSA (राज्य)
↓
DLSA (जिला)
↓
TLSC (तालुका)

मुफ्त कानूनी सहायता हेतु पात्र व्यक्ति (Section 12):

1. महिलाएं और बच्चे।
2. SC/ST सदस्य।
3. औद्योगिक श्रमिक।
4. सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, अकाल के शिकार।
5. दिव्यांग व्यक्ति।
6. हिरासत में लिए गए व्यक्ति।
7. जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा (राज्यवार भिन्न) से कम हो।

🛑 **Prelims Trap: आय सीमा**
क्या आय सीमा सभी के लिए अनिवार्य है? **नहीं।** SC/ST, महिलाओं, बच्चों और हिरासत में बंद लोगों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। UPSC यहाँ 'सभी के लिए आय सीमा' का जाल बिछाता है।

🧠 **Brainstorm:** क्या मुफ्त कानूनी सहायता एक मौलिक अधिकार है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने **M.H. Hoskot v. State of Maharashtra** में इसे अनुच्छेद 21 के तहत अनिवार्य माना है।

4. लोक अदालत और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)

लोक अदालत का अर्थ है 'जनता की अदालत'। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और ADR का एक प्रमुख घटक है।

विशेषताएं:

- **वैधानिक दर्जा:** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत।
- **शक्तियां:** सिविल कोर्ट के समान शक्तियां।
- **कोई कोर्ट फीस नहीं:** यदि मामला पहले से न्यायालय में है, तो लोक अदालत में समाधान होने पर फीस वापस कर दी जाती है।
- **प्रकृति:** ये केवल 'मध्यस्थ' के रूप में कार्य करते हैं, निर्णय थोपते नहीं हैं।

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction):

1. न्यायालय में लंबित मामले। 2. प्री-लिटिगेशन (मुकदमेबाजी से पहले के) मामले।
नोट: गैर-शमनीय अपराध (Non-Compoundable Offenses) लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।

स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat):

2002 के संशोधन द्वारा सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं (बिजली, पानी, अस्पताल) के विवादों के लिए स्थापित।

- **निर्णायक शक्ति:** साधारण लोक अदालत के विपरीत, स्थायी लोक अदालत के पास गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति है यदि पक्षकार सहमत न हों।
- **अंतिम निर्णय:** इसका निर्णय बाध्यकारी है और इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

> 💡 **याद करने की ट्रिक:** "लोक अदालत = नो अपील, नो फीस, नो वकील (अनिवार्य नहीं)"।

लोक अदालत के प्रकार:

प्रकार	विवरण
राष्ट्रीय लोक अदालत	एक ही दिन पूरे देश में आयोजित।
मोबाइल लोक अदालत	ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समाधान करना।
ई-लोक अदालत	वर्चुअल माध्यम से विवाद सुलझाना (COVID के बाद वृद्धि)।

🛑 **Prelims Trap: अपील का अधिकार**
UPSC कह सकता है कि "लोक अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।" - **यह गलत है।** लोक अदालत का अवार्ड 'सिविल कोर्ट की डिक्री' है और यह अंतिम है। कोई अपील नहीं होती।

5. ग्राम न्यायालय एवं परिवार न्यायालय

ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya Act, 2008)

उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच प्रदान करना और पंचायत स्तर पर विवाद सुलझाना।

- **न्यायाधिकारी:** इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है।
- **क्षेत्राधिकार:** सिविल और क्रिमिनल (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान) दोनों मामले।
- **प्रक्रिया:** ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) के कठोर नियमों से बाध्य नहीं हैं, बल्कि 'प्राकृतिक न्याय' (Natural Justice) के सिद्धांतों पर चलते हैं।
- **अपील:** क्रिमिनल मामलों में अपील सत्र न्यायालय (Session Court) में और सिविल मामलों में जिला न्यायालय में 6 महीने के भीतर।

> 🧠 **Brainstorm:** क्या ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है? अधिनियम कहता है "राज्य सरकारें स्थापित कर सकती हैं", लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को कड़ी फटकार लगाते हुए इन्हें जल्द स्थापित करने का निर्देश दिया है।

परिवार न्यायालय (Family Courts Act, 1984)

लक्ष्य: विवाह और पारिवारिक मामलों में सुलह और तेजी से निपटान सुनिश्चित करना।

- **अनिवार्यता:** 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राज्य सरकार द्वारा स्थापित करना अनिवार्य है।
- **वकील की भूमिका:** यहाँ वकील का अधिकार अनिवार्य नहीं है। न्यायालय पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से सुनने पर जोर देता है।
- **अपील:** केवल हाई कोर्ट में, वह भी दो न्यायाधीशों की बेंच के सामने।

प्रमुख अंतर तालिका:

विशेषता	ग्राम न्यायालय	परिवार न्यायालय
मुख्य आधार	प्राकृतिक न्याय	सुलह और मध्यस्थता
नियुक्ति	राज्य सरकार + HC	राज्य सरकार + HC
अपील	सत्र/जिला न्यायालय	हाई कोर्ट

> 🛑 **Prelims Trap: साक्ष्य अधिनियम**
> UPSC पूछ सकता है कि "क्या ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का कड़ाई से पालन करते हैं?" - **उत्तर है: नहीं।** यही इनकी विशिष्टता है।

6. वाणिज्यिक न्यायालय एवं महत्वपूर्ण न्यायिक वाद

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

भारत की 'Ease of Doing Business' रैंकिंग सुधारने के लिए महत्वपूर्ण।

- **वाणिज्यिक विवाद:** ₹3 लाख से अधिक मूल्य के व्यापारिक विवाद।
- **वाणिज्यिक डिवीजन:** हाई कोर्ट में भी विशेष वाणिज्यिक डिवीजन का प्रावधान।
- **PMP (Pre-Institution Mediation):** केस दर्ज करने से पहले मध्यस्थता अनिवार्य है (यदि तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता न हो)।

ऐतिहासिक वाद (Historical Landmarks):

1. **Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar (1979):** 'त्वरित न्याय' (Speedy Trial) को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसने NALSA की नींव रखी।
2. **Salem Advocate Bar Association v. Union of India (2005):** मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान (ADR) को बढ़ावा देने पर जोर।
3. **Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey (2010):** सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 89 की व्याख्या, जिसमें लोक अदालत और मध्यस्थता की भूमिका स्पष्ट की गई।

> 🧠 **Brainstorm:** "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है" (Justice delayed is justice denied)। लोक अदालत और वाणिज्यिक न्यायालय इसी दर्शन पर आधारित हैं। क्या वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन जिला स्तर पर होता है? हाँ, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा कर सकती है।

अस्थाई लोक अदालतें (Ad-hoc Lok Adalats)

ये किसी विशेष उद्देश्य या समय के लिए गठित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऋण वसूली या बीमा दावों के लिए विशेष शनिवार को आयोजित अदालतें।

> 🛑 **Prelims Trap: वाणिज्यिक न्यायालय की सीमा**
> शुरुआत में सीमा ₹1 करोड़ थी, जिसे 2018 के संशोधन द्वारा घटाकर **₹3 लाख** कर दिया गया है। UPSC पुरानी ₹1 करोड़ की सीमा देकर फँसा सकता है।

ADR के स्तंभ: मध्यस्थता | सुलह | लोक अदालत | वार्ता

7. महत्वपूर्ण संशोधन, ट्रिक्स और अंतिम निष्कर्ष

प्रमुख संवैधानिक संशोधन:

- **42वां संशोधन (1976):** अनुच्छेद 39A जोड़ा गया (मुफ्त कानूनी सहायता)।
- **73वां व 74वां संशोधन:** न्याय पंचायतों और स्थानीय स्तर पर न्याय वितरण को लोकतांत्रिक मजबूती दी।

महत्वपूर्ण अधिनियम (Timeline):

1984: परिवार न्यायालय अधिनियम | 1987: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम | 2008: ग्राम न्यायालय अधिनियम | 2015: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | 2019: नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम | 2023: मध्यस्थता अधिनियम (Mediation Act)।

💡 **याद करने की ट्रिक (V-P-G): V** (1984 - V-ivaah/Family), **P** (1987 - P-radhikaran/NALSA), **G** (2008 - G-ram Nyayalaya)। क्रम याद रखने के लिए!

अंतिम प्रीलिम्स रिवीजन तालिका (Flash Table):

निकाय	वैधानिक है?	निर्णय बाध्यकारी?	अपील संभव?
लोक अदालत	हाँ	हाँ	नहीं (अंतिम)
उपभोक्ता आयोग	हाँ	हाँ	हाँ
ग्राम न्यायालय	हाँ	हाँ	हाँ (6 माह)
NALSA	हाँ	प्रशासनिक निकाय	N/A

वर्तमान घटनाक्रम (Current Update 2023-24):

मध्यस्थता अधिनियम, 2023: यह अधिनियम मध्यस्थता को कानूनी मान्यता देता है और 'मध्यस्थता परिषद' (Mediation Council of India) के गठन का प्रावधान करता है। यह लोक अदालत के बोझ को कम करने में सहायक होगा।

🧠 **अंतिम विचार:** क्या ये वैकल्पिक न्यायालय मुख्य न्यायपालिका को प्रतिस्थापित कर रहे हैं? नहीं, ये पूरक (Complementary) हैं। इनका उद्देश्य भारतीय न्यायालयों में लंबित 5 करोड़ से अधिक मामलों के बोझ को कम करना है।

UPSC सफलता मंत्र

"सिद्धांतों को समझें, अपवादों (Exceptions) को याद रखें और वर्तमान से जोड़ें।"

*** **समाप्ति** ***

Unit 5: पंचायती राज एवं नगर निगम (Local Self-Government)

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (Context): स्थानीय सरकार राज्य सूची (State List) का विषय है (प्रविष्टि 5)। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization) का सपना महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज्य' पर आधारित है, जिसे **अनुच्छेद 40 (DPSP)** में स्थान दिया गया था। 73वें और 74वें संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

1. पंचायती राज का विकास: प्रमुख समितियाँ (Evolution & Committees)

स्वतंत्रता के बाद 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (1952) और 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा' (1953) की विफलता के बाद पंचायती राज की नींव पड़ी। UPSC प्रीलिम्स में इन समितियों का **कालक्रम (Chronology) और मुख्य सिफारिशें** सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं।

समिति (वर्ष)	प्रमुख सिफारिशें (Key Recommendations)
बलवंत राय मेहता (1957)	**त्रि-स्तरीय (3-Tier) पंचायती राज:** ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (Block), जिला परिषद। इसने '**लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**' शब्द गढ़ा। *पहला पंचायत: 2 अक्टूबर 1959, नागौर (राजस्थान)।
अशोक मेहता (1977)	जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित। **द्वि-स्तरीय (2-Tier)** प्रणाली (जिला परिषद और मंडल पंचायत)। **राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी** की वकालत की। न्याय पंचायतों को अलग रखने का सुझाव।
जी. वी. के. राव (1985)	योजना आयोग द्वारा गठित। पंचायतों को **"बिना जड़ की घास" (Grass without roots)** कहा। जिला परिषद को विकास कार्यक्रमों का मुख्य निकाय बनाने की सिफारिश की। नियमित चुनाव की मांग।
एल. एम. सिंघवी (1986)	राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित। **सबसे महत्वपूर्ण:** पंचायतों को **संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status)** देने की पहली स्पष्ट सिफारिश। 'न्याय पंचायत' और 'ग्राम सभा' के पुनरुद्धार पर जोर दिया।
पी. के. थुंगन (1988)	पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
वी. एन. गाडगिल (1988)	इस समिति की रिपोर्ट ही 73वें और 74वें संशोधन का **आधार (Blueprint)** बनी। त्रि-स्तरीय प्रणाली, SC/ST/महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग की स्थापना।

💡 **Prelims Trick: समितियों का कालक्रम याद रखने का फॉर्मूला**
"B.A.G. L.T.G" (बैग एल.टी.जी):
Balwant (57) ➡ Ashok (77) ➡ GVK Rao (85) ➡ LM Singhvi (86) ➡ Thungon (88) ➡ Gadgil (88)।

🧠 **Brainstorming: संवैधानिक दर्जे का सफर**
संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास 1989 में **64वें संविधान संशोधन विधेयक** (राजीव गांधी सरकार) द्वारा किया गया, जो लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में गिर गया। अंततः पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में 73वां और 74वां संशोधन पारित कराया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ (इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है)।

क्या आप जानते हैं? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर) को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी/पर्यवेक्षक निकाय बनाने की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता ने जिला परिषद को सबसे शक्तिशाली बनाने की बात कही थी।

2. 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (73rd CAA)

इस अधिनियम ने संविधान में एक नया **भाग IX** ('पंचायतें') और **11वीं अनुसूची** जोड़ी, जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र के **29 विषय** (अनुच्छेद 243G के तहत) शामिल हैं। इसमें **अनुच्छेद 243 से 243-O** तक के प्रावधान हैं।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features)

1. ग्राम सभा (Gram Sabha - Art 243A): यह पंचायती राज प्रणाली की 'नींव' है।

- यह गाँव के स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत **सभी व्यक्तियों** से मिलकर बनी एक संस्था है। (यह निर्वाचित निकाय नहीं है, बल्कि मतदाताओं की सभा है)।
- **UPSC Trap:** "ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।" **गलत!** इसकी शक्तियां **राज्य विधानमंडल** द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

2. त्रि-स्तरीय प्रणाली (Three-Tier System - Art 243B):

- ग्राम, मध्यवर्ती (Block/Taluka) और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन।
- **अपवाद (Exception):** जिस राज्य की जनसंख्या **20 लाख से कम** है, वहां मध्यवर्ती स्तर (Intermediate level) पर पंचायत का गठन न करने की छूट है।

जिला पंचायत (Zila Parishad)	↔	पंचायत समिति (Intermediate/Block)	↔	ग्राम पंचायत (Village Level)

3. सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव (Election - Art 243C):

- सभी तीनों स्तरों पर पंचायत के सभी सदस्य लोगों द्वारा **प्रत्यक्ष रूप से (Directly)** चुने जाएंगे।
- **अध्यक्ष का चुनाव:** मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा **अप्रत्यक्ष (Indirectly)** रूप से किया जाएगा।
- **UPSC Focus:** ग्राम पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) का चुनाव कैसे होगा, यह पूरी तरह से **राज्य विधानमंडल** तय करेगा (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)। संविधान में यह फिक्स नहीं है!

4. सीटों का आरक्षण (Reservation of Seats - Art 243D):

- **SC और ST के लिए:** प्रत्येक पंचायत (तीनों स्तरों पर) में उनकी **जनसंख्या के अनुपात** में सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- **महिलाओं के लिए:** कुल सीटों का कम से कम **एक-तिहाई (1/3rd)** (SC/ST महिलाओं सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। (कई राज्यों जैसे बिहार, MP, उत्तराखंड ने इसे 50% कर दिया है)।
- **Trap:** क्या OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण संविधान में अनिवार्य है? **नहीं!** यह राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर (स्वैच्छिक प्रावधान) है।
- अरुणाचल प्रदेश को पंचायत में SC के लिए आरक्षण से छूट प्राप्त है (83वां संशोधन 2000)।

आरक्षण का उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि हाशिए के समुदायों का सशक्तिकरण है। पंचायतें शासन की प्राथमिक प्रयोगशालाएं हैं जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य आम नागरिक तक पहुँचते हैं।

5. पंचायतों का कार्यकाल (Duration - Art 243E):

- सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल **5 वर्ष** (पहली बैठक की तारीख से) होगा।
- इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है।
- **Fresh Election Rule:** यदि पंचायत भंग होती है, तो चुनाव **6 महीने के भीतर** हो जाने चाहिए।
  महत्वपूर्ण पेंच (Trap): पुनर्गठित (नई) पंचायत केवल **शेष अवधि (Remaining term)** के लिए ही कार्य करेगी, पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं। लेकिन यदि शेष अवधि 6 महीने से कम है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है।

6. अयोग्यता (Disqualifications - Art 243F):

- कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य है।
- **आयु सीमा:** पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु **21 वर्ष** है (न कि 25 वर्ष जो MLA/MP के लिए है)।
- अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे **राज्य विधानमंडल** निर्धारित करे।

3. अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान (Compulsory vs Voluntary Provisions)

यह यूपीएससी का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। राज्य सरकारों को अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लागू करना था, जबकि कुछ प्रावधान उनके विवेक (स्वैच्छिक) पर छोड़ दिए गए थे।

अनिवार्य प्रावधान (Compulsory - Binding on States)	स्वैच्छिक प्रावधान (Voluntary - Discretion of States)
ग्राम सभा का गठन।	ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य सौंपना।
त्रि-स्तरीय पंचायती राज की स्थापना (20 लाख+ आबादी)।	ग्राम पंचायत अध्यक्ष (सरपंच) के चुनाव का तरीका तय करना।
तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए **प्रत्यक्ष चुनाव**।	सांसदों (MP) और विधायकों (MLA) को पंचायतों में प्रतिनिधित्व (Voting rights) देना।
मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का **अप्रत्यक्ष चुनाव**।	**पिछड़े वर्गों (OBC)** के लिए सीटों या अध्यक्ष पद का आरक्षण।
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु **21 वर्ष**।	पंचायतों को 'स्वशासन की संस्थाओं' के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार देना।
SC/ST के लिए जनसंख्या अनुपात में और महिलाओं के लिए **1/3 आरक्षण**।	पंचायतों को कर (Taxes), पथकर (Tolls), और शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने की वित्तीय शक्ति देना।
5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; 6 माह में चुनाव।	11वीं अनुसूची के 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपना।
राज्य चुनाव आयोग (SEC) की स्थापना।	राज्य की संचित निधि से पंचायतों को 'सहायता अनुदान' (Grants-in-aid) प्रदान करना।
राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन (हर 5 वर्ष में)।	

🏛️ राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission - Art 243K)

पंचायतों (और नगर पालिकाओं) के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण SEC के पास है। **Trap:** SEC की नियुक्ति **राज्यपाल** करता है, लेकिन उसे पद से हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज के समान होती है (अर्थात **राष्ट्रपति** द्वारा हटाया जाता है)। राज्य विधानमंडल के चुनाव भारत का चुनाव आयोग (ECI) कराता है, SEC नहीं!

4. 1996 का पेसा अधिनियम (PESA Act - Extension Act)

PESA: Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996.
73वें संशोधन के प्रावधान **अनुच्छेद 244(1)** के तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों (10 राज्यों में) पर स्वतः लागू नहीं होते। इसलिए संसद ने **भूरिया समिति (Bhuria Committee - 1995)** की सिफारिश पर PESA अधिनियम पारित किया ताकि जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक रीति-रिवाजों की रक्षा करते हुए पंचायतों का विस्तार किया जा सके।

PESA अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Key Features)

- **ग्राम सभा की सर्वोच्चता:** प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जो लोगों की परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा करेगी।
- **आरक्षण:** अनुसूचित क्षेत्रों में सभी पंचायतों में ST के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, लेकिन कम से कम **आधे (50%)** से कम नहीं होगा।
- **अध्यक्ष पद:** सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें ST के लिए आरक्षित होंगी।
- यदि कोई ST समुदाय प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाता है, तो राज्य सरकार मध्यवर्ती/जिला पंचायत में उनका नामजद (Nominate) कर सकती है (लेकिन निर्वाचित सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं)।

⚡ PESA में ग्राम सभा की विशिष्ट शक्तियाँ (Highly tested in Prelims)

ग्राम सभा (या पंचायत) को निम्न शक्तियां अनिवार्य रूप से दी गई हैं:

1. लघु जल निकायों (Minor Water Bodies) का प्रबंधन।
2. **लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व (Ownership)।** (यह बहुत बार पूछा गया है)।
3. जनजातीय भूमि के हस्तांतरण (Land Alienation) को रोकना और अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाना।
4. मादक द्रव्यों (Intoxicants) की बिक्री/खपत को विनियमित करना।
5. भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास से पहले ग्राम सभा से **अनिवार्य परामर्श (Consultation)**। (हालांकि अंतिम निर्णय राज्य का होता है)।

5. पंचायती राज के वित्तीय स्रोत (Financial Sources)

पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता राज्य विधानमंडल की दया पर निर्भर करती है (अनुच्छेद 243H)। मुख्य स्रोत हैं:

1. **राज्य सरकार से अनुदान (Grants-in-aid):** यह सबसे बड़ा स्रोत है। (अनुच्छेद 275 के तहत)।
2. **स्थानीय कर और शुल्क:** संपत्ति कर, जल कर, मेलों और बाजारों पर शुल्क (राज्य विधानमंडल के प्राधिकार से)।
3. **केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) का अनुदान:** CFC राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाता है।

💰 राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - Art 243I)

राज्यपाल हर 5 साल में SFC का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य यह सिफारिश करना है:
1. राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल का राज्य और पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच **वितरण (Distribution)**।
2. वे कर/टोल जो **पंचायतों को सौंपे** (Assigned) जा सकते हैं।
3. राज्य संचित निधि से **सहायता अनुदान** (Grants-in-aid)।

Trap: SFC अपनी रिपोर्ट **राज्यपाल** को सौंपता है (मुख्यमंत्री को नहीं), जो इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।

6. प्रभावी निष्पादन के अभाव के कारण (Reasons for Ineffective Performance)

30 वर्षों के बाद भी पंचायती राज पूरी तरह सफल नहीं है। मुख्य कारण (3F Syndrome): **Funds (निधि), Functions (कार्य), Functionaries (कार्यकर्ता)** का अभाव। इसके अलावा नौकरशाही का नियंत्रण, समानांतर निकायों (Parastatals/SPVs) का निर्माण, और पति-पंचायत (Sarpanch Pati) की कुप्रथा इसके मुख्य बाधक हैं।

नगर निगम (Urban Local Bodies)

7. नगर निकायों का विकास (Evolution)

भारत में शहरी स्थानीय शासन की जड़ें ब्रिटिश काल में निहित हैं।

- **1687-88:** भारत का **पहला नगर निगम (Municipal Corporation)** **मद्रास (Madras)** में स्थापित किया गया।
- **1726:** बंबई (Mumbai) और कलकत्ता (Kolkata) में नगर निगमों की स्थापना।
- **1870:** लॉर्ड मेयो (Lord Mayo) का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प।
- **1882 का रिपन प्रस्ताव (Ripon's Resolution):** इसे भारत में 'स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में **स्थानीय स्वशासन का पिता (Father of Local Self-Government)** माना जाता है।
- **1919 का भारत सरकार अधिनियम:** 'स्थानीय स्वशासन' को हस्तांतरित विषय (Transferred Subject) बना दिया गया (प्रांतीय द्वैध शासन के तहत)।

8. 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (74th CAA)

इसने संविधान में **भाग IX-A** ('नगरपालिकाएं') और **12वीं अनुसूची** (जिसमें **18 विषय** शामिल हैं) जोड़ा। अनुच्छेद **243P से 243ZG** तक।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features)

73वें संशोधन के कई प्रावधान 74वें में समान रूप से लागू होते हैं (जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल, 21 वर्ष आयु, आरक्षण, SEC और SFC)। विशिष्ट प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. तीन प्रकार की नगरपालिकाएं (Art 243Q):

1. **नगर पंचायत (Nagar Panchayat):** एक संक्रमणकालीन क्षेत्र (Transitional area) के लिए (गाँव से शहर में बदल रहा क्षेत्र)।
2. **नगर पालिका परिषद (Municipal Council):** एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए।
3. **नगर निगम (Municipal Corporation):** एक बड़े शहरी क्षेत्र (महानगर) के लिए।

Trap: किसी क्षेत्र को 'संक्रमणकालीन', 'छोटा' या 'बड़ा' शहरी क्षेत्र कौन घोषित करता है? **राज्यपाल!** (जनसंख्या, घनत्व, राजस्व आदि के आधार पर)। यदि कोई क्षेत्र 'औद्योगिक टाउनशिप' (Industrial Township) घोषित है, तो वहां नगरपालिका का गठन अनिवार्य नहीं है।

2. वार्ड समितियां (Wards Committees - Art 243S):

- **3 लाख या उससे अधिक** जनसंख्या वाली नगरपालिका में एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा।
- इसकी संरचना और कार्यक्षेत्र राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा।

> **🗳️ मेयर (Mayor) का चुनाव - एक बड़ी भ्रांति**
>
> अक्सर यह माना जाता है कि मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। **UPSC Fact:** संविधान 74वें संशोधन के तहत नगर पालिका के 'अध्यक्ष' (जैसे मेयर) के चुनाव की विधि (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के बारे में मौन है। यह **राज्य विधानमंडल (State Legislature)** पर छोड़ दिया गया है कि वह इसे कैसे आयोजित कराएगा। (उदाहरण: UP में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि महाराष्ट्र/दिल्ली में अप्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षदों द्वारा होता है)।

महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - MPC - Art 243ZE) और **जिला योजना समिति (DPC - Art 243ZD)** का गठन अनिवार्य है। DPC पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों की योजनाओं को समेकित (Consolidate) करती है। DPC के 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं।

9. शहरी शासन के 8 प्रकार (Types of Urban Government)

भारत में शहरी स्थानीय निकायों को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है (राज्य विधानमंडल के अधिनियमों या संसद के कृत्यों द्वारा निर्मित):

प्रकार (Type)	विशेषताएँ और गठन (Features & Formation)
1. नगर निगम (Municipal Corporation)	बड़े शहरों (दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद) के लिए। राज्य विधानमंडल (या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद) के अधिनियम द्वारा स्थापित। इसमें 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद (विधायी), स्थायी समिति, और **निगमायुक्त (Municipal Commissioner - IAS अधिकारी)** जो कार्यकारी प्रमुख होता है।
2. नगर पालिका परिषद (Municipality/Council)	छोटे शहरों/कस्बों के लिए। इसे राज्य अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका प्रमुख 'अध्यक्ष' (President/Chairman) होता है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
3. अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)	तेजी से औद्योगिकीकरण वाले क्षेत्र या ऐसा कस्बा जो नगरपालिका की शर्तें पूरी नहीं करता। यह केवल 'राजपत्र अधिसूचना' (Gazette Notification) द्वारा बनता है। **यह पूरी तरह से एक मनोनीत (Nominated) निकाय है** (कोई चुनाव नहीं)। **यह वैधानिक (Statutory) निकाय नहीं है।**
4. टाउन एरिया समिति (Town Area Committee)	छोटे कस्बों (Semi-urban) के सीमित नागरिक कार्यों (स्ट्रीट लाइट, जल निकासी) के लिए। राज्य अधिनियम द्वारा गठित। यह पूर्णतः निर्वाचित, पूर्णतः मनोनीत या मिश्रित हो सकती है।
5. छावनी बोर्ड (Cantonment Board)	सैन्य छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के प्रशासन के लिए। **केंद्र सरकार** (रक्षा मंत्रालय) के अधीन। छावनी अधिनियम, 2006 द्वारा शासित। यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत है। स्टेशन कमांडर इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
6. टाउनशिप (Township)	बड़े सार्वजनिक उद्यमों (PSUs) द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित आवासीय कॉलोनियों के लिए। यहाँ निर्वाचित सदस्य नहीं होते। 'टाउन प्रशासक' सब देखता है।
7. पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust)	बंदरगाह क्षेत्रों (मुंबई, कोलकाता) को प्रबंधित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित।
8. विशेष उद्देश्य एजेंसी (Special Purpose Agency)	एकल कार्य (Single purpose) के लिए स्थापित, जैसे- हाउसिंग बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्मार्ट सिटी SPV। ये नगरपालिकाओं के अधीन नहीं होते, स्वतंत्र निकाय हैं।

🔍 अंतर स्पष्ट करें: नगर निगम, नगर परिषद और कस्बा (Town Area)

1. नगर निगम: सबसे शक्तिशाली। बड़े महानगर। मेयर नाममात्र का प्रमुख, जबकि प्रशासनिक शक्ति IAS (निगमायुक्त) के पास होती है। वित्तीय स्वायत्तता अधिक होती है।

2. नगर परिषद (Municipality): छोटे शहर। अध्यक्ष (Chairman) के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। प्रशासनिक अधिकारी CEO होता है (PCS स्तर का)।

3. कस्बा (Town Area / Notified Area): बहुत छोटे/संक्रमणकालीन क्षेत्र। सीमित कार्य। Notified Area पूर्णतः मनोनीत होता है, जबकि टाउन एरिया निर्वाचित भी हो सकता है। वित्तीय रूप से राज्य पर सर्वाधिक निर्भर।

स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission) के तहत SPVs (Special Purpose Vehicles) के गठन की बहुत आलोचना हुई है क्योंकि वे निर्वाचित मेयर की शक्तियों को दरकिनार करके नौकरशाहों के हाथों में शक्ति केंद्रित करते हैं, जो 74वें संशोधन की भावना के खिलाफ है।

10. नगर पालिका कर्मी (Municipal Personnel)

शहरी स्थानीय निकायों में तीन प्रकार की कार्मिक प्रणालियां कार्य करती हैं:

1. **पृथक कार्मिक प्रणाली (Separate Personnel System):** प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासन स्वयं करता है (व्यापक स्वायत्तता)।
2. **एकीकृत कार्मिक प्रणाली (Unified Personnel System):** राज्य सरकार सभी नगर पालिकाओं के लिए एक राज्य-व्यापी संवर्ग (Cadre) बनाती है। कर्मचारी एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानांतरित हो सकते हैं। (भारत में सबसे प्रचलित)।
3. **एकीकृत कार्मिक प्रणाली (Integrated Personnel System):** स्थानीय और राज्य सरकार के कर्मचारी एक ही सेवा (संवर्ग) का हिस्सा होते हैं। राज्य के अधिकारी स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर काम करते हैं।

11. निगम राजस्व (Municipal Revenue)

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के वित्तीय स्रोत पंचायतों के समान ही होते हैं, लेकिन उनका कर-आधार (Tax base) व्यापक होता है:

- **कर राजस्व:** संपत्ति कर (Property Tax - सबसे बड़ा स्रोत), मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, चुंगी (Octroi - अब ज्यादातर राज्यों और GST के बाद समाप्त), पशुओं/वाहनों पर कर।
- **गैर-कर राजस्व:** जल शुल्क, भवन योजना स्वीकृति शुल्क, संपत्तियों से किराया, जुर्माना।
- **अनुदान (Grants):** राज्य और केंद्र सरकार (वित्त आयोग की सिफारिशों पर) से अनुदान। स्मार्ट सिटी, AMRUT आदि योजनाओं से विशिष्ट अनुदान।
- **ऋण (Loans):** राज्य सरकार की अनुमति से ULB वित्तीय संस्थानों या बाजार से (म्युनिसिपल बांड - Municipal Bonds के जरिए) ऋण ले सकते हैं। (पुणे नगर निगम ने 1997 में पहला म्युनिसिपल बांड जारी किया था)।

12. स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद (Central Council of Local Govt)

इस परिषद का गठन **1954** में राष्ट्रपति के आदेश (अनुच्छेद 263 के तहत) द्वारा किया गया था।

- **Trap Alert:** 1958 तक यह शहरी और ग्रामीण दोनों सरकारों से संबंधित थी, लेकिन 1958 के बाद से यह **केवल शहरी स्थानीय शासन (Urban Local Government)** से संबंधित है।
- **अध्यक्ष:** केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री (Union Minister for Housing & Urban Affairs)।
- **सदस्य:** सभी राज्यों के स्थानीय स्वशासन मंत्री।
- यह एक **सलाहकारी निकाय (Advisory Body)** है जो नीति निर्माण और विधायी सुझावों पर समन्वय करती है।

⚖ Current Updates & Landmark Judgments

- **K. Krishna Murthy Case (2010):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 73वें/74वें संशोधन के तहत 50% से अधिक आरक्षण (SC+ST+OBC) स्वीकार्य है यदि यह मात्रात्मक डेटा (Quantifiable data) पर आधारित हो। लेकिन समग्र आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **Suresh Mahajan Case (2022) [Triple Test]:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना 'ट्रिपल टेस्ट' (विशेष आयोग का गठन, डेटा संग्रह, 50% सीमा) का पालन किए स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।
- **चुनावों में देरी:** अनुच्छेद 243E/243U स्पष्ट कहता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। SC ने कई बार कहा है कि परिसीमन (Delimitation) या आरक्षण तय करने में देरी को स्थानीय चुनाव टालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। प्रशासकों (Administrators) की नियुक्ति एक अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं।

Unit 6: केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र - गहन विश्लेषण

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (Context): भारत एक 'राज्यों का संघ' है, लेकिन इसका संघीय ढांचा पूर्णतः सममित (Symmetrical) नहीं है। संविधान के **भाग VIII (अनुच्छेद 239-241)** में केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रावधान है। ये वे क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। दूसरी ओर, **भाग X (अनुच्छेद 244)** में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 'राज्य के भीतर राज्य' जैसी विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है, ताकि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने की रक्षा की जा सके।

1. केंद्र शासित प्रदेशों का गठन (Formation of UTs)

मूल संविधान (1949) में 'केंद्र शासित प्रदेश' शब्द नहीं था। राज्यों को 4 श्रेणियों (भाग A, B, C, D) में बांटा गया था। **7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956)** और राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) की सिफारिशों के आधार पर भाग C और D के राज्यों को मिलाकर 'केंद्र शासित प्रदेश' (Union Territories) की नई श्रेणी बनाई गई।

🧠 UTs के निर्माण के प्रमुख कारण (Why UTs exist?)

- **राजनीतिक और प्रशासनिक:** दिल्ली, चंडीगढ़।
- **सांस्कृतिक भिन्नता:** पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।
- **सामरिक (Strategic) महत्व:** अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप।
- **विशेष स्थिति/पिछड़ापन:** मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश (ये पहले UT थे, बाद में पूर्ण राज्य बने)।

वर्तमान स्थिति: वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालिया परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दें:

UT का नाम	गठन का वर्ष / प्रासंगिक संशोधन (Amendment/Act)	महत्वपूर्ण तथ्य (Prelims Facts)
पुडुचेरी	14वाँ CAA, 1962	फ्रांसीसियों से अधिग्रहित। इसमें 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हैं: पुडुचेरी, करईकल (TN), यनम (AP), माहे (Kerala)।
दिल्ली	1956 (UT बना), 69वाँ CAA 1991 (NCT)	विशेष दर्जा प्राप्त (NCT)। 70वें संशोधन (1992) द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल।
दादरा-नगर हवेली + दमन-दीव	विलय अधिनियम 2019 (लागू 2020)	प्रशासनिक दक्षता के लिए दोनों UTs का विलय। 10वें (दादरा) और 12वें (दमन) CAA द्वारा भारत में शामिल (पुर्तगालियों से)।
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	J&K पुनर्गठन अधिनियम 2019	31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। J&K (विधानसभा सहित UT) और लद्दाख (बिना विधानसभा का UT)।

UPSC Prelims Trap: क्या केंद्र सरकार किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है? **हाँ!** अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है (उदाहरण: जम्मू-कश्मीर)। इसी तरह, दो UTs का विलय भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है (संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं है)।

विधायिका (Legislature) वाले UTs: 8 में से केवल 3 UTs में विधानमंडल (और मुख्यमंत्री) का प्रावधान है: 1. दिल्ली, 2. पुडुचेरी, 3. जम्मू-कश्मीर। शेष 5 UTs सीधे केंद्र (राष्ट्रपति) द्वारा प्रशासकों के माध्यम से शासित होते हैं।

2. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन (Administration of UTs)

राज्यों के विपरीत, UTs का प्रशासन एक समान नहीं है। **अनुच्छेद 239** के अनुसार, प्रत्येक UT का प्रशासन **राष्ट्रपति** द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा जितना वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त 'प्रशासक' (Administrator) के माध्यम से।

अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति सर्वोच्च ➡ **प्रशासक (Administrator)** राष्ट्रपति का एजेंट ➡ **LG / मुख्य आयुक्त** विभिन्न नाम

- **नामकरण भिन्नता:** प्रशासक को दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, J&K और लद्दाख में **उपराज्यपाल (Lieutenant Governor - LG)** कहा जाता है। चंडीगढ़, दादरा-दमन-दीव और लक्षद्वीप में **'प्रशासक' (Administrator)** कहा जाता है। (चंडीगढ़ का प्रशासक हमेशा पंजाब का राज्यपाल होता है)।
- **Prelims Trap:** प्रशासक (या LG) राज्य के राज्यपाल के समान राज्य का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) **नहीं** होता है। वह राष्ट्रपति का 'एजेंट' (Agent) होता है।

📜 **संसद की विधायी शक्ति (Parliament's Power)**

संसद सभी UTs के लिए तीनों सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती सूची) के **किसी भी विषय** पर कानून बना सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली और पुडुचेरी (जिनकी अपनी विधानसभाएँ हैं) के मामले में भी संसद की शक्ति विधानसभा की शक्तियों पर **अधिभावी (Overriding)** होती है।

राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्ति (Power of President to make Regulations)

अनुच्छेद 240 के तहत, राष्ट्रपति कुछ UTs की 'शांति, प्रगति और सुशासन' (Peace, Progress and Good Government) के लिए नियम (Regulations) बना सकता है। ये नियम संसद के अधिनियमों के **समान बल और प्रभाव (Same force and effect)** रखते हैं। वे संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरस्त (Repeal) भी कर सकते हैं!

- **किन UTs के लिए?** 1. अंडमान और निकोबार, 2. लक्षद्वीप, 3. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। (पुडुचेरी के लिए भी बना सकता है, लेकिन **केवल तब** जब पुडुचेरी विधानसभा निलंबित या भंग हो)।

UTs के लिए उच्च न्यायालय (High Courts for UTs - Art 241)

संसद कानून द्वारा किसी UT के लिए एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।

UT	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)
दिल्ली	एकमात्र UT जिसका अपना स्वतंत्र हाई कोर्ट है (1966 से)।
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	J&K उच्च न्यायालय (दोनों का साझा)।
अंडमान-निकोबार	कलकत्ता उच्च न्यायालय।
लक्षद्वीप	केरल उच्च न्यायालय। **(चेन्नई नहीं, याद रखें!)**
पुडुचेरी	मद्रास उच्च न्यायालय।

अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति (Art 239B): विधानसभा वाले UTs (पुडुचेरी, J&K) का प्रशासक विधानसभा के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। **लेकिन:** ऐसा करने से पहले उसे **राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश (Prior instruction)** की आवश्यकता होती है। यदि विधानसभा भंग कर दी गई है, तो वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।

3. दिल्ली के लिए विशेष उपबंध (Special Provisions for Delhi)

दिल्ली का प्रशासन भारतीय राजनीति का सबसे ज्वलंत और विवादास्पद मुद्दा है। **69वें संविधान संशोधन अधिनियम (1991)** ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' (NCTD)** का विशेष दर्जा दिया और अनुच्छेद 239AA एवं 239AB जोड़े। (बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर)।

🏛 अनुच्छेद 239AA की संरचना (Structure of Art 239AA)

- **उपराज्यपाल (LG):** दिल्ली का प्रशासक 'उपराज्यपाल' होगा।
- **विधानसभा:** 70 सदस्यों वाली विधानसभा (संसद ने परिसीमन तय किया है)।
- **मंत्रिपरिषद:** सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के **10% से अधिक नहीं** होगी (अर्थात मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 7 मंत्री)। **ध्यान दें: पूर्ण राज्यों में यह सीमा 15% (Art 164(1A)) है, लेकिन दिल्ली में 10% है।**
- **नियुक्ति:** मुख्यमंत्री की नियुक्ति **राष्ट्रपति** (LG नहीं) द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति CM की सलाह पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

विधायी शक्तियाँ और अपवाद (Legislative Powers and Exceptions)

दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, **सिवाय तीन विषयों के:**

1. **लोक व्यवस्था (Public Order)** - (राज्य सूची की प्रविष्टि 1)
2. **पुलिस (Police)** - (राज्य सूची की प्रविष्टि 2)
3. **भूमि (Land)** - (राज्य सूची की प्रविष्टि 18)

इन तीनों विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति केवल केंद्र (संसद) के पास है। यदि दिल्ली विधानसभा और संसद के कानूनों के बीच टकराव होता है, तो **संसद का कानून मान्य होगा** (अनुच्छेद 239AA(3)(c))।

LG की विवेकाधीन शक्ति और टकराव (LG's Discretion & Conflict)

टकराव का मूल कारण अनुच्छेद 239AA(4) में है: "मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देगी, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वह अपने विवेक (Discretion) से कार्य करने के लिए सशक्त है।"

मतभेद की स्थिति (Difference of Opinion): यदि LG और मंत्रिपरिषद के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है, तो LG मामले को **राष्ट्रपति (यानी केंद्र सरकार)** के पास निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। तत्काल आवश्यकता (Urgency) की स्थिति में, LG राष्ट्रपति के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल कार्रवाई करने (Ordinance या निर्देश) के लिए स्वतंत्र है। यह 'तत्काल कार्रवाई' का प्रावधान LG को असीम शक्तियां देता है।

⚠️ संवैधानिक आपातकाल (अनुच्छेद 239AB)

यदि दिल्ली में प्रशासन अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति (LG की रिपोर्ट पर या अन्यथा) अनुच्छेद 239AA के संचालन को **निलंबित (Suspend)** कर सकता है। यह पूर्ण राज्यों में लगने वाले राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के समतुल्य है, लेकिन इसका स्रोत अलग (239AB) है।

दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में 'चुनी हुई सरकार' के प्रति सिविल सेवकों की जवाबदेही होनी चाहिए। जबकि केंद्र का तर्क है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हैं, इसलिए केंद्र का नियंत्रण आवश्यक है।

4. दिल्ली विवादः SC के निर्णय और GNCTD अधिनियम (Current Affairs Dynamics)

दिल्ली की शक्ति संरचना को लेकर पिछले 6 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसले और केंद्र सरकार के दो संशोधन अधिनियम आए हैं, जो Prelims 2024-25 के लिए सबसे महत्वपूर्ण (Hot Topic) हैं।

A. NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (संविधान पीठ, 2018)

- SC ने स्पष्ट किया कि LG दिल्ली के स्वतंत्र प्रशासक **नहीं** हैं। वे मंत्रिपरिषद की **'सहायता और सलाह' (Aid and Advice)** से बंधे हैं (3 अपवादों - भूमि, पुलिस, लोक व्यवस्था - को छोड़कर)।
- LG हर मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित नहीं कर सकते। 'मतभेद' का उपयोग अपवाद के रूप में होना चाहिए, नियम के रूप में नहीं।
- **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** और **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)** को आधार बनाया गया।

B. NCT दिल्ली सरकार बनाम UOI (सेवाएं/Services Judgment, मई 2023)

- SC ने निर्णय दिया कि दिल्ली विधानसभा को 'सेवाओं' (Services - राज्य सूची की प्रविष्टि 41, जैसे IAS/IPS अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग) पर विधायी और कार्यकारी शक्ति प्राप्त है।
- न्यायालय ने कहा कि "प्रजातांत्रिक जवाबदेही की ट्रिपल चेन" के लिए नौकरशाहों का नियंत्रण चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए।

🔥 द करंट अफेयर ट्रैपः GNCTD (संशोधन) अधिनियम 2023

SC के 2023 के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में यह अधिनियम पारित किया। इसके प्रमुख प्रावधानः

- **NCCSA का गठनः** अधिकारियों के तबादले/पोस्टिंग के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' (NCCSA) बनाया गया।
- **समिति की संरचनाः** इसमें 3 सदस्य होंगेः 1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), 2. मुख्य सचिव (सदस्य), 3. प्रमुख गृह सचिव (सदस्य सचिव)।
- **निर्णय प्रक्रियाः** निर्णय **बहुमत (Majority)** से लिए जाएंगे। चूँकि दोनों सचिवों की नियुक्ति केंद्र (LG) द्वारा होती है, वे मिलकर CM को अल्पमत में कर सकते हैं।
- अंतिम मुहरः NCCSA की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय LG का होगा। यदि LG असहमत हैं, तो मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि मतभेद बना रहता है, तो **LG का निर्णय अंतिम (Final)** होगा।
- इस प्रकार, 'सेवाओं' (Services) का नियंत्रण प्रभावी रूप से केंद्र ने वापस ले लिया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियां (Advisory Committees for UTs)

जिन UTs में विधायिका नहीं है (जैसे अंडमान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन-दीव आदि), वहां केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 'सलाहकार समितियों' का गठन किया जाता है।

- **गृह मंत्री की सलाहकार समिति (HMAC):** केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें UT के प्रशासक, संबंधित लोकसभा सदस्य, और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- **प्रशासक की सलाहकार समिति (AAC):** प्रशासक (Administrator) इसकी अध्यक्षता करता है।
- **कार्यः** ये समितियां सामाजिक-आर्थिक विकास, सामान्य प्रशासन के मुद्दों पर सलाह देती हैं। इनकी सलाह बाध्यकारी (Binding) नहीं होती हैं।

भाग II: अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र (Scheduled & Tribal Areas)

संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान का **भाग X (अनुच्छेद 244)** कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है। संविधान निर्माता मानते थे कि आदिवासी लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और भूमि अधिकारों को बाहरी शोषण से बचाना आवश्यक है।

अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र	VS	अनुच्छेद 244(2) 6ठी अनुसूची केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र

5वीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (Admin of Scheduled Areas)

वर्तमान में 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान) में 5वीं अनुसूची लागू है।

प्रावधान (Provision)	विवरण और प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य (Details & Prelims Facts)
क्षेत्र की घोषणा	**राष्ट्रपति** को किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार है। वह क्षेत्र की सीमाओं को बदल सकता है (संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से)।
कार्यकारी शक्ति (Executive Power)	केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में **निर्देश (Directions)** देने तक विस्तारित है।
राज्यपाल की विशेष रिपोर्ट	राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में **राष्ट्रपति** को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है (या जब राष्ट्रपति मांगे)।
जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC)	जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां **जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council)** का गठन अनिवार्य है। (जिन राज्यों में एसटी हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां भी राष्ट्रपति के निर्देश पर बनाई जा सकती है)।

> 🔍 **TAC की संरचना (Composition of TAC) - Prelims Trap**
> TAC में **अधिकतम 20 सदस्य** होते हैं। इन 20 सदस्यों में से **तीन-चौथाई (3/4th)** सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के **प्रतिनिधि (MLAs)** होने चाहिए। (यदि ST विधायक कम हैं, तो अन्य ST सदस्यों से पद भरे जाते हैं)। कार्य: आदिवासियों के कल्याण और उन्नति पर राज्यपाल को सलाह देना।

कानूनों का लागू होना (Applicability of Laws)

5वीं अनुसूची के तहत **राज्यपाल** के पास असीम शक्तियां हैं:

- वह एक **सार्वजनिक अधिसूचना (Public Notification)** द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम (Act) अनुसूचित क्षेत्र में **लागू नहीं होगा**, या निर्दिष्ट संशोधनों/अपवादों के साथ लागू होगा।
- राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए **विनियम (Regulations)** बना सकता है।
- वह आदिवासियों की **भूमि के हस्तांतरण (Land Transfer)** को रोक या प्रतिबंधित कर सकता है, और साहूकारों के व्यवसाय को विनियमित कर सकता है।
- **परंतु शर्त (Condition):** ऐसे विनियम (Regulations) बनाने के लिए राज्यपाल को **TAC से परामर्श** करना अनिवार्य है और ऐसे विनियमों को **राष्ट्रपति की सहमति (Assent)** मिलनी चाहिए।

6ठी अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (Tribal Areas - 6th Schedule)

6ठी अनुसूची केवल 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों पर लागू होती है। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों ने अन्य लोगों के साथ अधिक आत्मसात (Assimilate) नहीं किया है, इसलिए उन्हें 5वीं अनुसूची की तुलना में बहुत अधिक **स्वायत्तता (Autonomy)** दी गई है।

> 💡 **Memory Trick: AMTM**
> 6ठी अनुसूची के 4 राज्य: Assam (असम), Meghalaya (मेघालय), Tripura (त्रिपुरा), Mizoram (मिजोरम)। **चेतावनी: मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं हैं।**

स्वायत्त जिले और क्षेत्रीय परिषदें (Autonomous Districts & Regional Councils)

इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को 'स्वायत्त जिलों' (Autonomous Districts) के रूप में गठित किया गया है। लेकिन ये राज्य के कार्यकारी अधिकार से बाहर नहीं हैं। **राज्यपाल** के पास स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित/पुनर्गठित करने की शक्ति है। यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग जनजातियां हैं, तो राज्यपाल जिले को **'स्वायत्त क्षेत्रों' (Autonomous Regions)** में विभाजित कर सकता है।

> 🗳️ **जिला परिषद (District Council) की संरचना**
> प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक 'जिला परिषद' (ADC) होगी जिसमें **30 सदस्य** होंगे।
> - **4 सदस्य:** राज्यपाल द्वारा नामित (Nominated)।
> - **26 सदस्य:** वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित (Elected)।
> - **कार्यकाल:** निर्वाचित सदस्य 5 वर्ष (जब तक परिषद भंग न हो)। नामित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत।
> - **अपवाद:** असम के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) में 46 सदस्य होते हैं।

परिषदों की शक्तियाँ (Powers of ADCs)

इन परिषदों को विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इन्हें 'मिनी राज्य' बनाती हैं:

- **विधायी (Legislative):** वे भूमि, वन (आरक्षित वनों को छोड़कर), नहर के पानी, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक आदि पर **कानून बना सकते हैं**। **लेकिन: इन सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति (Assent) आवश्यक है।**
- **न्यायिक (Judicial):** वे जनजातियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकते हैं (हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर)।
- **वित्तीय (Financial):** वे भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह कर सकते हैं और कुछ विशिष्ट कर (Tax) लगा सकते हैं। उन्हें स्कूलों, बाजारों, सड़कों आदि को स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार है।

क्या संसद और राज्य के कानून ADCs पर लागू होते हैं? (Crucial for Prelims)	
असम (Assam)	राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून स्वायत्त जिले में लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा।
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम	**राष्ट्रपति** (संसद के कानूनों के संबंध में) और **राज्यपाल** (राज्य के कानूनों के संबंध में) निर्देश दे सकता है। **नोट: असम में संसद के कानूनों के लिए भी शक्ति राज्यपाल के पास है।**

राज्यपाल एक **आयोग (Commission)** नियुक्त कर सकता है जो स्वायत्त जिलों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट करेगा। राज्यपाल इस आयोग की सिफारिश पर जिला परिषद को **भंग (Dissolve)** भी कर सकता है।

7. ऐतिहासिक वाद, PESA अधिनियम और वर्तमान संदर्भ (Current & Cases)

A. समता जजमेंट (Samatha Judgment, 1997)

यह 5वीं अनुसूची के इतिहास में सबसे मील का पत्थर निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'राज्य' एक 'गैर-आदिवासी' (Non-tribal) व्यक्ति है। इसलिए, 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में खनन के लिए सरकारी भूमि (या वन भूमि) निजी खनन कंपनियों (गैर-आदिवासियों) को **पट्टे (Lease) पर नहीं दी जा सकती**। खनन केवल राज्य खनिज विकास निगम या आदिवासियों की सहकारी समितियों द्वारा किया जा सकता है। यह निर्णय 'आदिवासी भूमि के अलगाव' को रोकता है।

B. एडविंगसन बरेह बनाम असम राज्य (Edwingson Bareh Case)

इस ऐतिहासिक मामले में, 6ठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों (District Councils) की शक्तियों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ADCs की स्वायत्तता को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि ADCs संप्रभु (Sovereign) नहीं हैं और वे भारत के संविधान और राज्य के समग्र नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं।

🌿 लिंक टॉपिक: पेसा अधिनियम (PESA Act, 1996)

चूँकि 73वें संशोधन (पंचायती राज) के प्रावधान 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों (अनुच्छेद 244(1)) पर स्वतः लागू **नहीं** होते थे, इसलिए संसद ने PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 पारित किया। भूरिया समिति (Bhuria Committee) की सिफारिश पर।

- **ग्राम सभा सर्वोच्च:** PESA के तहत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। भूमि अधिग्रहण, लघु जल निकायों का प्रबंधन, और लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व ग्राम सभा/पंचायतों के पास होगा।
- वर्तमान में 10 राज्य PESA के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने नए PESA नियम लागू किए हैं (Current Affairs)।

लद्दाख की 6ठी अनुसूची की मांग (Ladakh's Demand)

करंट अफेयर्स: 2019 में UT बनने के बाद से, लद्दाख के नागरिक समाज (जैसे सोनम वांगचुक का आंदोलन) लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी भूमि, पर्यावरण और रोजगार सुरक्षित रहे। **UPSC संदर्भ: क्या किसी गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है?** संविधान में इसका कोई सीधा निषेध नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद 244(2) और 6ठी अनुसूची में **संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 368)** की आवश्यकता होगी।

🎯 Final Prelims Wrap-up Checklist

- ✔ **पुडुचेरी/दिल्ली** के LG अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा भंग होने पर नहीं।
- ✔ **दिल्ली पुलिस** केंद्र सरकार के अधीन है (MHA), दिल्ली सरकार के नहीं।
- ✔ **5वीं अनुसूची** में TAC का गठन होता है (20 सदस्य)। **6ठी अनुसूची** में ADC का गठन होता है (30 सदस्य)।
- ✔ **5वीं अनुसूची** में क्षेत्रों की घोषणा 'राष्ट्रपति' करता है। **6ठी अनुसूची** में स्वायत्त जिलों का पुनर्गठन 'राज्यपाल' करता है।
- ✔ **असम** के मामले में संसद के कानूनों को रोकने की शक्ति राज्यपाल के पास है, जबकि **मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम** में यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है।